Shodh-Rityu तिमाही शोध–पत्रिका

PEER Reviewed & Refereed JOURNAL

ISSUE-28 **VOLUME-3** ISSN-2454-6283 **April-Jun**–2022

IMPACT FACTOR **- (IIJIF-7.312)** **SJIF-6.586,** IIFS-4.125,

AN INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

सम्पादक
डॉ.सुनील जाधव ,नांदेड
9405384672

तकनीकी सम्पादक
अनिल जाधव, मुंबई

पत्राचार हेतु पता–
महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी, हनुमान गढ़ कमान के सामने, नांदेड–431605

प्रकाशन/प्रकाशक
डॉ.सुनील जाधव
नव साहित्यकार
पब्लिकेशन, नांदेड–महाराष्ट्र

मुद्रण/ मुद्रक
तन्मय प्रिंटर्स,नांदेड
डॉ.सुनील जाधव,नांदेड

मेल पता shodhrityu78@yahoo.com
वेबसाइट www.shodhritu.com

''शोध–ऋतु ' तिमाही पत्रिका में आलेख लेखक निम्न बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दें ।
फॉण्ट–कृति देव 10 वर्ड फाइल में ही सामग्री स्वीकृत की जायेगी ।
आलेख पेज की मर्यादा चार पेज होगी ।
आलेख विशेषज्ञों द्वारा चयन किये जायेंगे ।
चयनित आलेख की सूचना मेल द्वारा आलेख लेखक को दी जायेगी ।
चयनित आलेख के लिए 1000रु प्रोसेसिंग शुल्क लिया जायेगा ।
लेखक मौलिक शोधपरक एवं वैचारिक आलेख ही भेंजे ।
व्हाट्स एप–9405384672

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

बैंक विवरण

NAME	SUNIL GULABSING JADHAV
BAINK	BANK OF MAHARASHTRA, WORKSHOP CORNER, NANDED, MAHARASHTRA
ACCOUNT NO.	2015 8925 290
IFSC CODE	MAHB0000720

PhonePe
ACCEPTED HERE
Scan & Pay Using PhonePe App
or Pay to Mobile Number using PhonePe App
9405384672
Sunil Jadhav

वार्षिक परामर्श मंडल (2022)

- प्रो .डॉ.रामप्रसाद भट, हैम्बुर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी
- प्रो.डॉ.रंजित उपुल, केलनिया विश्वविद्यालय, श्रीलंका
- प्रो.डॉ.रिदिमा निशादिनी लंसकारा, श्रीलंका
- प्रो.डॉ.अनुषा सल्वाथुरा, श्रीलंका
- प्रो.डॉ.नुर्मातोव सिराजोद्दीन, उज्बेकिस्तान
- सौ.सविता तिवारी, मॉरिशस
- प्रो.डॉ.मक्सीम देम्चेंको, मास्को, रशिया
- प्रो.डॉ.हिदायतुल्लाह हकीमी, जलालाबाद, अफगानिस्तान
- प्रो.हुरुई,उप–संकायाध्यक्ष,अफ्रीकी–एशियाई भाषा एवं संस्कृति संकाय क्वान्तोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, चीन
- प्रो.विवेक मणि त्रिपाठी, चीन
- प्राचार्य डॉ.आर.एन.जाधव,पीपल्स कॉलेज,नांदेड
- प्र.उपकुलपति डॉ.जोगेन्द्रसिंह बिसेन, स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय, नांदेड
- प्रो.डॉ.मुकेशकुमार मालवीय, हिन्दू बनारस विश्वविद्यालय,बनारस
- प्रो.डॉ.राजेद्र रावल,राजकोट,गुजरात
- प्रो.डॉ.अरविंद शुक्ल,उत्तर प्रदेश
- प्रो.डॉ.संगम वर्मा,पंजाब
- प्राचार्य.डॉ.राजेन्द्र प्रसाद,प्रतापगढ
- प्राचार्य डॉ.प्रवीण कुमार सक्सेना, गांगड़तलाई,राजस्थान
- प्रो.डॉ मंगला रानी, पटना
- प्रो.डॉ.पठाण रहीम, हैदराबाद
- प्रो.डॉ.श्यामराव राठोड, तेलंगाना
- प्रो.डॉ.भारत भूषण, पंजाब
- प्रो.डॉ.परिमल अम्बेकर, गुलबर्गा
- प्रो.डॉ.ओमप्रकाश सैनी, हरियाणा
- प्रो.डॉ.लक्ष्मी गुप्ता,यमुनानगर,हरियाणा
- प्रो.डॉ.शबाना दुर्रानी, (उर्दू) नांदेड़

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

अनुक्रमणिका

1.Makeup of contemporary imaginary characters in performance with the influence of ancient Bali Shanthikarma......6

-Lecture, P.A.D. Jagath Padmasiri......6

2."मीमांसा दर्शन में अनुमान" एक पर्यवेक्षण...... 9

–राहुल रेणु,...... 9

3.Digital India......12

-Dr.Sangeeta Mathur 12

4.वर्तमान समय में मानव जीवन में बढ़ रही चिन्ता व तनाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन......16

–[1]डा0 प्रहलाद राम, [2]डा0 शालिनी सोनी......16

5.महादेवी वर्मा व्यक्तित्व एवं कृतित्वः एक अध्ययन......18

–रवीन्द्र कुमार......18

6.भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 22

–[1]पवन कुमार वर्मा [2]डॉ. अमूल्य कुमार सिंह 22

7.हिन्दू विवाह के उद्देश्यों एवं उनमें हो रहे परिवर्तन : एक अध्ययन 24

–[1]सोनी स्वर्णकार [2]डॉ.अमूल्य कुमार सिंह......24

8.ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली पर नगरीय संस्कृति का प्रभाव......26

–चन्द्रशेखर सिंह......26

9.पर्यावरण संरक्षण में धर्म की प्रासंगिकता 28

–डॉ.रमेश प्रताप सिंह 28

10.आपदा प्रबंधन और राज्य सरकार की भूमिका 31

–शिवानी सिंह......31

11.स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्रीय परिदृश्य और रेणु का कविकर्म 35

–डॉ0 सुभाषचन्द्र गुप्त, ...35

12.समाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं का उन्नयन......41

–[1]डॉ.कृपाल सिंह आठिया [2]डॉ.किरण आठिया......41

13.पद्मश्री गिरिराज किशोर के लेखन में देश–काल......43

–रंजेश गुप्ता......43

14.अमीर खुसरो का रचना संसार......46

–प्रो0राजीव कुमार 46

15.हिन्दी साहित्य में डिजिटल मीडिया की भूमिका......48

–सुनीता बारिया 48

16.आदिवासी स्त्री की समस्याएँ 52

–तोंडचिरकर मीना बाबुराव 52

17.आदिवासी स्त्रीयों के शिक्षा की परिस्थितियाँ......54

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

–डा.नागनाथ शंकरराव भेंडे......54
18.विश्व परिदृश्य में मानव अधिकारों का बदलता स्वरुप 56
–डॉ.उमा देवी,......56
19.गिल्लू की मानवीय संवेदनाएं 62
–डॉ.मीना शर्मा......62
20.Law relating to Unconventional Trademarks in India......65
-Dr. Salim Jawed* Mr. Majid Mahboob Khan**......65
21.Electronic Voting Machine And Vvpat An Analytical Study......69
-Prof. (Dr.) Ashok Kumar Rai......69
22.ग्रामीण विकास में नगरीकरण की भूमिका......72
–डॉ0प्रवीण कुमार मिश्र......72
23.कंकाल: सामाजिक यथार्थ का चित्रण......75
–संजना खारी......75
24.उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में बदलते जीवन मूल्य (ममता कालिया के उपन्यास 'दौड़' के संदर्भ में)......78
–ज्योति ढींगरा......78
25.भारतीय ग्रामीण समुदाय में हाशिये के समाज पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार......81
–हेमन्त कुमार......81
26.रामधारी सिंह दिवाकर के उपन्यास 'आग–पानी आकाश' के दलित समाज में उभरती सामंती विचार धारा : एक विश्लेषण ...84
–मनोज कुमार गुप्ता......84
27.The Impact of Population growth on Environment......88
- [1]Vinod Kumar Yadav, [2]Manoj Kumar Gupta......88
28.'तर्पण' उपन्यास में दलित प्रतिरोध की अभिव्यक्ति 92
– [1]डॉ टी.जे.रेखारानी ,[2]शाहीन बेगम महमद गौस......92
29.A Study Of E-Resources : Emerging Teaching & Learning Tools......93
-Dr. Kulesh Kumar......93
30.Indo –Bangladesh Trade Relation and Employment of Enclave People of West Bengal.......97
-[1]Subrata Ray, [2]Prof. Pradip Kumar Yadav......97

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

1.Makeup of contemporary imaginary characters in performance with the influence of ancient Bali Shanthikarma

-Lecture, P.A.D. Jagath Padmasiri
Lecturer, Department of Drama Ballet and modernDance,
Faculty of Dance & Drama,
University of the Visual & performing Arts,
Colombo 07, Sri Lanka

Introduction-Since the pre historic era, the arts and crafts associated with human beings were subjected to evolution with various transformations. A creative environment was built up with it. Two major factors have affected for the build up of such a creative environment. The first is religion which is the very foundation of human civilization and it has been one of the major reasons for the origins of art. The second is the relationship between the nature and human beings. It is the way in which the human beings make use of the natural ingredients of nature to form creative arts. Most of their artistic needs are fulfilled with natural made colours. (Weerasekara:1999:04) With regard to historical sources, it proves that the pre historic man had used colours and painted their bodies to fulfil different kinds of needs. These needs are based on their day to day activities and the rituals originated within the traditions of civilizations. When worshipping Gods, Devils and Spirits; the worshippers dressed themselves symbolically in order to represent these entities in real life. Later on, singing, playing musical instruments and dancing were added to these performances.

In the second instance as mentioned above, historical evidence proves that the human beings had adapted to their environment and the biological needs of human beings were fulfilled by the use of natural ingredients found from the surrounding environment. (Ex: basic needs such as hunting, breeding own kind, shelter etc.)The Shanthikarma rituals which originated from the ancient societies under a religious context could have been said to be the beginning of auditory and visual arts. There, the Bali Shanthikarma rituals, which consisted of singing, Playing musical instruments and dancing could said to have been the origin of every other Shanthikarma ritual. Therefore the characters represented in Bali Shanthikarma such as Navagraha, Deva and Yaksha are represented in local colours and clay. These Bali images are half erected. This research intends to focus upon the makeup and costume of such Bali figurines and compare and contrast with the presentation of characters in contemporary Shanthikarma.

Discussion and Analysis-“Man exaggerated his appearance in beauty and hence there was God. Man exaggerated his appearance by making it fearful and ugly. Hence there was the Devil. All the extra ornaments and colours removed, there only remains an image of a human being.” Karl Marx (Quoted from the lecture done by Liyanage Amarakeerthi at public library on 02/06/2019) There are several basic needs to be fulfilled when humans form a society. The most crucial of them are food, accommodation and health. (There are human activities centered around targeting to fulfil these needs) The thought processes related with these needs under the foundation of rituals and belief in return creates imaginary representations which brings invisible representations into life. With that the concepts of Gods, Devils and planets came into life. Most of the historical legends contain such invisible imaginary characters. A heavy responsibility falls upon the makeup artist to bring these characters into life through scholarly precision and creativity. Makeup uplifts the sincere nature and the authenticity of the performance of the actor. Makeup is the major visual impersonation needed for an actor to overcome his day to day appearance and impersonate a different character within himself. Therefore it is very important to identify the visual identity of the natural and unnatural characters. It in turn implements visual interpretation.The main purpose of makeup is to construct henceforth the visual authenticity, reality, sincerity and interpretation of a character.

The visual reality and the authenticity of a character depend on the physical existence of the character. The audience relates to a character within a performance with their personal experience or their lives or any other visual media representation which they have seen before. Thereafter the authenticity of the character is decided. When it is an imagined character, the makeup artist creates the character with reference to the thoughtful descriptions which describes the nature of the character. The makeup artist is pre given a visual structure and therefore he or she follows those guidelines to add the creative components to the character.Yet most of the time, characters which have no real life physical existence such as hyper-humanistic or supernatural, has to be

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

created by the makeup artist by heavily depending upon his creative imagination. If the characters have a fictional history, it is vital to research upon the mythical folklore in order to gain a proper understanding on Devilish, Divine or hyper humanistic characters. Also the makeup artist could represent his artwork through the study of contemporary fiction, visual arts, psychology and philosophy.

There are many such characters within the subjects of dancing and drama. Not only in local dance but the foreign dance traditions consist of such imaginary characters. In local dance, the three major dance traditions with such representations are Udarata, Pahatharata and Sabaragamu dance traditions.Among them the sanni and paali characters in Pahatharata Shaanthikarma are important. These ancient fictional characters were created by the artists in association with folklore, historical beliefs and fictional images. The below tactics are assumed to be used when creating such characters: **1.**Using colours created out of the ingredients of nature (To apply/ paint on the body) **2.**Using masks. Masks represent stability. It only has colours and shapes. The traditional artist had tried to enhance representation through these shapes. There, all the expressions are used except facial expression. At the beginning, the locally available colours were used to represent the nature of characters. Before masks, there was the tradition of face painting which created various shapes upon the face to match the nature of the character. Later these shapes were permanently carved and painted in handmade masks. Masks made the mode of representation stable and were effective in quick access to character impersonation.

The Sokari, Nadagam, Kolam in Sri Lankan folk drama and Peaking opera, Beijing opera, Noh, Kabuki and Kathakali traditions of Asia altogether has different dramatic character representations. The characters of these dramas are easily identified by the audience by their external impersonations. The external impersonation is a unique combination of makeup, dramatic props, costume design and style of acting. They are used based upon the background of the character. To explain the above mentioned further, the character of ‘kalukumaara’ can be taken into consideration. The kinds of sources that must be studied in order to bring such characters into life are different. It should also be studied how further the traditional artists have used these sources in creating the character. In that sense, many bali yaga homa Shanthikarma rituals were performed throughout history to protect the womb, childbirth and in expectance of a child. A bali yaga is a fascinating form of art filled with art, sculpture and carvings presented intermixing different forms of colours to enhance local cultural features.

The human being in the past could not exactly fathom the natural phenomena of the world and they directed themselves into following rituals. These rituals are divided into three major categories as for Gods, Devils and Planets. (Sedaraman:1964:iv) With the rituals intended to please the Gods and the veneration ceremonies dedicated to the Planets, each God, Devil and Planet are given human form. Ancient literary sources such as abum kavi describe the nature of these humanized forms; how these forms are adapted and represented in sculpture, art and acting. It is well evident in the famous Shanthikarma rituals of Sinhalese Buddhists. Bali yaga consisted of the forms of navagraha and Yak thovil Shanthikarma consisted the forms of devils. All these humanized forms are brought forward and presented to the eyes of the athuraya. In the bali sculptures used for graha, different features of the planets are artistically represented as devaanga, naraanga, raakshasaanga and mrugaanga. (The interview with Lionel Bentharage at his home, Narthanagala, Horana. 2022.02.06)

Natural resources are used to apply paint upon faces. To reproduce colours through natural ingredients, raw materials such as lamp soot, charcoal and saadilingam were mixed with coconut oil. The four major endemic yakthovils in Pahatharata traditional dancing are ratayakuma, suniyam kapilla, mahason samayama and sanniyakuma. Bali sculpture images were used in ratayakuma and mahason samayama. These bali figures were made in order to bring forth the specific features of the devils. Later these featured bali figures were converted into acting props such as masks which were popular within Shanthikarma rituals. For an example kalukumaara baliya could be taken as primary evidence in makeup within local ratayakum yaga.

Kalu kumara baliya There is a specific colour code for bali. According to the abum kavi used in kalukumaara baliya, when colouring the sculptured bali, the sun is bronze, Mars is red, Jupiter is yellow,

Saturn is black and the moon is white. When studying how these colours are made, white colour was obtained by intermixing cobebs with quick lime. Green was made using Erabadu leaf juice or Dambala leaf juice. Soot or charcoal was used to make black colour. Brown stone was used to make yellow colour. Red was made using saadilingam. (Piyasena 1988:27) The colour code used for Bali was later adapted into the face paintings of the imaginary characters of Shaanthikarma. Later these makeup techniques were adapted into masks for permanent and long lasting effect. When Deva and Yaksha characters are compared with bali figures, it is evident of the influence of bali figures in creating Shaanthikarma makeup and design. (Bentharage:1998:164) Apart from Kalukummara baliya, there exists a special act known as Kalukumaara samayama. This particular act belongs to the Benthara school of dance and black colour is applied on the face to indicate that the dancer is dancing without conscience. Specially in inquiring about Kalu kumara, he is differently termed as Kaluyaka, Kalu kumara and Kalukumaara devathaawa. Sme scholars state that Kalu Yaka is a completely different character. (Bentharage:1998:65) Villagers define Kalukumaara to be a God as well as a Devil. This subjects the artist n a dilemma o how to represent Kalukumaara properly. The Gods are the higher entities who grant permission to the Devils. Therefore Gods stand higher in the cosmic hierarchy. Between the concepts of good and bad, devils bring misfortune to the people. Gods bring blessings. Thus there arises the issue of how to represent good and bad.

Coloures were used to resolve this matter with visual aid. Coloures have their own endemic features. It is not an established regulation in local art but it is a part of tradition. For an example , red and black coloures create a fearful atmosphere together with fire light sticks. This could be specially observed in Paali and Sanni characters. In explaining the nature of Kalukumaara:/The face of a rakus, forehead of a blue shade and golden brows/Black faced, white nosed with golden lips/Black bodied, with white hands and golden brows/He sits on a cow ridden vehicle adorned with these colours. (Kaariyaasam:1988:103) The above poem acts as a resource to understand the features of Kalukumaara. With the passage of time, the colours for different bali characters were found from commercial markets. These colours are known as balikudu which is made out of alliyaadu colouring. These are used in Shaanthikarma decorations as well as character makeup. The aduras use white,black and red colours in dance items such as wadiga patuna, naanumuraya, marusanniya, wadi sanniya and BEnthara pandam paaliya maruwa nateema. This proves that traditional dancers had used natural ingredients in bali, masks and face paintings. The Devilish characters are represented in black and red colours. Wadiga patuna uses white. All these colours are tactfully used to highlight the facial expressions under firelight.

The Benthara school of dance represents the character of Kalu Yakshaya apart from KAlukumaara. At the beginning, the kalu yakshaya was a bali figure. It was later converted into a lively character with masks and costumes. Also it must not be forgotten that the Benthara Pandam Paali has another dance item without masks where the whole body is covered in black along with long teeth attached to the mouth. Two fire lighted sticks are taken into both hands and an emotional dance is performed. In taking Kalukumaara yak concept into consideration, the different makeup styles in local tradition could be analyzed. Additionally, the makeup items of a Devilto impersonate a character with sharp emotions includes: set of teeth, nose, mustaches, beard made out of wood (kaduru) and other materials. There are a variety of mask which has a binding style using katakaali. It binds the facial items separately through thread upon the face of the artist. The nose is separately fixed upon the blackened face. It reminds of a primary stage of baddha angarachana or interconnective makeup.

Conclusion-The ancient tribes used to make a mixture of body actions and noises around a fire after a day of hunting. These tribal actions and sounds later evolved into performing art in singing, dancing and playing musical instruments. Then basic items such as a animal skin, leaves and natural colours were used in makeup. These are what laid the foundation which later evolved into the complex design of costumes makeup and a band of actors within a performance. There are two types of characters upon a stage. One kind is what we experience in day to day life. The other types of characters are imaginary.Artist used primary sources to represent the above mentioned imaginary characters. For that, they had referred ancient

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

Shanthikarma rituals, first copies of ola leaf manuscripts and the yanthra, manthra, shloka chantings written in those manuscripts. In referring to these primary sources, the imaginary concept of the character is formed in the mind. Later this concept is developed by the artist and applied into the face and body of the actor. The ancient imaginary characters which had been originated through legend have been brought forward into the performing stage with complex make up and costume at present.

References-Sinhala Books:-

(1) Bentharage, Lionel, (1988), Kalu kumara yaaga piliwela, Horana, Kathru publishers.**(2)**Dharmasiri, Piyasena, (1988), Uve baliyaaga shaanthiya, Wellampitiya, Chathura printers.**(3)**Edmund.K.B.A. (2007), Maha Sinhala Saahithya Shabdakoshaya, Colombo, S. Godage and Brothers.**(4)**J.E. Sedaraman, (1964), Lankawe bali upatha, Colombo, M.D. Gunasena company Ltd.**(5)**Kaariyawasam, Thissa, (1998), Shaanthikarma saha Sinhala samaajaya, Colombo, S. Godage and brothers.**(6)**Kaariyawasam, Thissa, (1995), Rata Yakum Yaaga vigrahaya, Colombo, S. Godage and brothers.**(7)**Kodithuwakku, Godwyn, (2000), Paryeshana kriyaawaliya hadunaaganimu, MAththegoda, Sayuri Printers.**(8)**Karunaathilaka, Naarada, (1975), Ratayakuma hewath Riddiyaagaya, Colombo, Pradeepa publishers.**(9)**Kottagoda, Jayasena, (1998), Kalukumaara pudalabana daaraka wathpiliweth, Boralesgamuwa, J.K. Publication.

English Book-

(1) Gunathilaka M.H (1967). (1) Masks of Sri Lanka, department of culture Affairs.**(2)**Raghavan,M.D (1962) Ceylon A Pictorial Survey of the People and the Arts, M.D Gunasena & co. Ltd, Colombo. **(3)**Samson, Leela. (1987), Rhythm in Joy Classical Indian Dance Traditions, New Delhi: Luster Press.

2."मीमांसा दर्शन में अनुमान" एक पर्यवेक्षण

–राहुल रेणु
संस्कृत शोधच्छात्र, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

भारत शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश रहा है। यहाँ सभ्यता एवं संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था से ही ज्ञान–विज्ञान पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म चर्चा होती आ रही है। वैदिक वाङ्मय, संस्कृत साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्यों के गंभीर अध्ययन के अनन्तर हम कह सकते हैं कि यहाँ इहलौकिक एवं पारलौकिक विषयों पर अनवरत चर्चा हुयी है, और अप्रतिम ग्रंथों का संकलन अथ च लेखन कार्य भी हुआ है। व्याकरण दर्शन–साहित्यादि विषयक अगणित रचनाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। जीव–जगत के सभी विषयों पर संस्कृत साहित्यकारों द्वारा समान लेखनी चली, पर दर्शन विषयक चिन्तन–मनन असाधारण रूप में यहाँ हुआ जिसके कारण हम अपने को विश्व गुरू मानते थे और पुनः मानने के उत्साहित हैं।

वेद–व्याकरण–दर्शन–साहित्य–ज्योतिष–राजनीति–इतिहास–अर्थशास्त्रादि विषयों में षड्दर्शनों का विशेष महत्त्व है। भारतीय दर्शन परम्परा में न्याय–वैशेषिक–सांख्य–योग वेदान्त एवं मीमांसा ये आस्तिक दर्शन की श्रेणी के हैं तो चार्वाक– बौद्ध एवं जैन दर्शन नास्तिक श्रेणी के दर्शन माने गये हैं। दृशिर् प्रेक्षणे 'दृश्' धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से दर्शन शब्द बनता है जिसकी व्युत्पत्ति है– "दृश्यते अनेन इति दर्शनम्।" जिस साधन के द्वारा यह विश्व, वस्तुजगत्, ब्रह्म–जीवात्मा, प्रकृति की यथार्थता से दर्शन किया जाय, निरीक्षण– परीक्षण–चिन्तन मनन किया जाय दर्शन कहलाता है। अर्थात् दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा तत्त्व का ज्ञान हो सके। पाश्चात्य दर्शन में एक ओर जहाँ वर्तमान एवं भौतिक विषय को अध्ययन का केन्द्र बनाया गया वहीं भारतीय दर्शन का प्रतिपाद्य इसके अतिरिक्त आध्यात्म एवं परलोक भी है। भारतीय दर्शन व्यवहार पर जोर देता तो पाश्चात्य सिद्धान्तों पर। भारतीय दर्शन में प्रमाण एक महत्त्वपूर्ण विषय है। जहाँ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहा गया है– "प्रमाकरणं इति प्रमाणम्"।

प्रमाण की संख्या प्रमुखतः छः हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि ये प्रमाण हैं। चार्वाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द को न्याय प्रमाण के भेद मानते हैं। न्याय दर्शन में ज्ञान अथवा बुद्धि को विषय की अभिव्यक्ति करने वाला माना गया है जिसके कारण तर्क संग्रह में ज्ञान की आहार विहारादि सभी व्यवहारों के हेतु रूप में व्याख्या

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

की गयी है[1]। प्रस्तुत स्थल में ज्ञानमीमांसा में अनुमान का क्या स्थान है यह वर्ण्य है। प्रत्येक मनुष्य कोई व्यवहार तभी करता जब मनुष्य को तद्विषयक वस्तु का ज्ञान होता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान जीवात्मा में उत्पन्न होता है। ज्ञान आत्मा का आगन्तुक धर्म है। वह आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। ज्ञानोत्पत्ति की सामग्री प्रत्येक प्रमाण में भिन्न–भिन्न होती है। लेकिन साधारणतया ज्ञानोत्पत्ति में चक्षु, रसना, प्राण्, त्वक् एवं स्रोत इन ज्ञानेन्द्रियों, मनस एवं विषय की अपेक्षा मानी गयी है[2]। यह ज्ञान दो प्रकार के होते हैं–स्मृति एवम् अनुभव। पुनः यथार्थ एवम् अयथार्थ भेद से अनुभव के भी दो भेद माने जाते हैं। चक्षु रसनादि वहिरिन्द्रियों के अजन्य संस्कारमात्रजन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। अनुभव के नष्ट होने पर उस ज्ञान का संस्कार मनुष्य की आत्मा पर अंकित हो जाता है जो कालान्तर में सादृश्य दर्शन से पुनः उद्‌बुध होता है और मनुष्य को पूर्वज्ञातवस्तु का पुनः ज्ञान होता है। इस पुनः ज्ञान होने को स्मरण ज्ञान या स्मृति कहा जाता है[3]। स्मृति से भिन्न जो कुछ भी ज्ञान होता है वह सब अनुभव कहलाता है[4]। अनुभव यथार्थ एवम् अयथार्थ दो प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु का तद्वत ज्ञान यथार्थ अनुभव एवं तद्विपरीत ज्ञान होना अयथार्थ अनुभव कहलाता है। उदाहरणार्थ–जब रजत के सम्बन्ध में ''यह रजत है'' यह ज्ञान होता है तब यह यथार्थ ज्ञान होता है और जब 'शुक्तिका' में इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है तब यह अयथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा और अयार्थ ज्ञान को अप्रमा भी कहते हैं।

न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द ये चार परिभेद होते हैं और अयथार्थ ज्ञान के संशय विपरीत ज्ञान अर्थात् विपर्यय एवं तर्क ये तीन भेद माने गये हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द इन चार प्रकार के यथार्थ अनुभवों के साधन भी भिन्न–भिन्न होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण कहा जाता है।

न्याय मत के अनुसार प्रमा ज्ञान के दोषमुक्तता भी एक गुण है। वह दोष शून्यत्व जो है वह ज्ञानोत्पादक सामग्री के अतिरिक्त तत्व हैं अतः भ्रम ज्ञान में भी अप्रमाण्य परतः ही है, यह सिद्ध होता है। उसके दोष के साथ उपन्यस्त ज्ञान सामग्री अप्रमाज्ञानजनक है, यह सिद्ध होता है। 'पीत शंख' इस भ्रमस्थल में आँख के कामलाख्य रोग से ग्रसित होने के कारण उजला शंख भी पीला प्रतीत होता है। यहाँ दोष के साथ किया हुआ ही भ्रम का अतिरिक्त कारण है। प्रमा और अप्रमा के निःसंशय दोनों के ज्ञान में भी ज्ञानोत्पादक साधारण सामग्री को अतिक्रमित करके भ्रमनाशोत्पादक विशिष्ट कारण सामग्री विद्यमान है। जिस तरह घट और वस्त्र दोनों की वस्तु स्थिति होने पर भी दोनों में भिन्न जातीयता है उसी प्रकार प्रमा और अप्रमा के विषय में भी जानना चाहिए। जिस तरह न्याय के अनुसार ज्ञानमत प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनों की उत्पत्ति परतस्त्व की अपेक्षा करती है उसी प्रकार दोनों के ज्ञात होने पर भी परतस्त्व की अपेक्षा होती है। ज्ञानोत्पादक सामग्री के अतिरिक्त अनुमाण प्रमाण के द्वारा ज्ञानगत प्रामाण्य और अप्रामाण्य का बोध होता है। न्यायशास्त्र में ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है किन्तु ज्ञानगत प्रामाण्य सम्पूर्ण प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्फल प्रवृत्ति को प्राप्त करके तद्‌गत अप्रामाण्य का भी अनुमान किया जाता है। अतः नैयायिकों के द्वारा ज्ञाप्ति को भी प्रमाण का परतः रूप ही स्वीकार किया गया है। ज्ञान प्रमाण के विषय में नैयायिक मीमांसा से अभिप्रेत नहीं है। वे स्वतः प्रामाण्यवाद को ही मानते है।

मीमांसक एवं वेदान्ती समीक्षक ज्ञान को स्वप्रकाश मानते हैं। उनके अनुसार संपूर्ण संसार ज्ञान प्रकाश्य है न कि ज्ञान प्रकाश के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा होती है। उनके अनुसार व्यवसाय ज्ञान अन्य अनुव्यवसायात्मक ज्ञान को प्रकाशित करता है। न्यायमत पर ओक्षप करते हुए वे निरूपित करते हैं कि सत्तात्मक ज्ञान अनुव्यवसायत्मकान्तर ज्ञान को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार अनुव्यवसाय को भी प्रकाशित करने के लिए पुनः अनुव्यवसायान्तर स्वीकार किया जाता है। उसके भी ज्ञान होने से वह स्वप्रकाशित नहीं हो सकता है। उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य अनुव्यवसाय का ज्ञान, फिर भी प्रकाशित करने के लिए अन्य अनुव्यवसायात्मक ज्ञान प्रकाशित किया जायेगा। इस तरह अनवस्थापसङ्‌ग की स्थिति उत्पन्न होगी। अनुव्यवसाय परम्परा के भय से कहीं भी एक अनुव्यवसाय में विश्राम होने पर यही स्वप्रकाशत्व की आपत्ति में ज्ञानगत स्वतः प्रामाण्य ही सिद्ध है।

उपर्युक्त मत पर उदयनाचार्य ने प्रामाण्य को अनुमान से संसाधित करते हुए कहा – ''प्रमाज्ञानोत्पादक हेतत्वतिरिक्त हेत्वधीना कार्यत्वे ज्ञानविशेषत्वात् अप्रमावत्'' प्रमा के विशेष ज्ञान से ज्ञानोत्पादक सामान्य कारण से अतिरिक्त कारण विशेष उस अर्थ की अपेक्षा करता है। यही कारण विशेष प्रामाण्य में गुण और वही अप्रामाण्य में दोष कहलाता है। तर्कभाषाकार केशव मिश्र ने सफल प्रवृत्तिजनकत्वहेतुक केवल व्यतिरेकी अनुमान को इस प्रकार व्यक्त किया है– ''विवादाध्यासितं जलज्ञानं प्रमाणं समर्थ–प्रवृत्तिजनकत्वात् यन्न प्रमाणं तन्न समर्था प्रवृति जनयति यथा प्रमाणाभासः'' इति। यह जल है इस ज्ञान के होने पर बाद में जलाहरण की प्रवृत्ति दिखलायी देती है। जलाहरण की प्रवृत्ति के अनुकूल यदि जलप्राप्ति होती है, तब वह प्रवृत्ति सफल होती है।

इस प्रकार के ज्ञान हो जाने पर प्रामाण्य का आधान होता है। सफल प्रवृत्ति के अभाव में ज्ञान में अप्रामाण्य आ जाती है। यही नैयायिकाभिमत परतः प्रामाण्य का सार है। अनुमानादि प्रमाण की विवेचना करने के समय विचारकों के समक्ष एक यक्ष प्रश्न उठता है कि न्याय दर्शन में केवल चार प्रमाण ही क्यों माना गया जबकि बौद्धों एवं वैशेषिक दर्शन के द्वारा केवल दो ही प्रमाण स्वीकृत हैं। सांख्य तीन तथा मीमांसा एवं वेदान्त में छः प्रमाण स्वीकृत हैं। इस सम्बन्ध में नैयायिकों का कहना है कि अनुमानादि चार प्रमाणों में ही अन्य दर्शनों में प्रतिपादित प्रमाण की संख्या समाहित हो जाती है। अनुमानादि चार प्रमाणों में अन्य प्रमाणों के अन्तर्भाव होने के बाद यह आवश्यक है कि इन अर्थापत्ति आदि प्रमाण को भी भलीभांति समझें।

अर्थापत्ति प्रमाण को मीमांसा में स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। कार्य के ज्ञान से कारण के ज्ञान की कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वह मोटा हो सकता है। मोटा दिखलाई पड़ सकता है[5]। भोजनान्तर से भी शरीर पुष्टि संभव नहीं है। भोजन के बिना शरीर पुष्टि होने से पुष्टि रूपी कार्य से दिवाभोजन के अभाव में भी उसके कारणान्तर की कल्पना की जाती है। यहाँ भोजन के बिना अनुपपध्यमान पीतत्व उस अपवाद कर रात्रिभोजन की कल्पना की जाती है। यही अर्थापत्ति है। यहाँ उपपाद्य के पीनत्वरूपी कार्य का ज्ञान के कारण उस उपपादक रात्रिभोज की कल्पना उसका फल है। इसलिए अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्थापित है। उक्त मत को निराकृत करते हुए नैयायिकों का कहना है कि अर्थापत्ति यद्यपि एक पृथक् प्रमाण है किन्तु एक तरह से वह अनुमान ही है। यहाँ अनुपपद्यमान अर्थ व्यापक हैं और उसके उपपादकार्थभूत अर्थव्यापक है। अतः अनुपपद्यमान अर्थ के दर्शन से उपपादकी भूत अर्थ का जो ज्ञान होता है वह व्याप्य ज्ञान से व्यापक ज्ञानत्वात अनुमान ही है। जैसे देवदत्त रात में खाता है और दिन में भोजन किये बिना भी वह मोटा है इस अर्थ की प्राप्ति के लिए अलग से अर्थापत्ति की आवश्यकता नहीं है अपितु इसकी प्रतीति अनुमान से ही हो जाती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मीमांसक एवं वेदान्ती केवल व्यतिरेकी अनुमान को स्वीकार नहीं करते अतः वे उसके स्थान पर अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करते हैं। नैयायिक केवल व्यतिरेकानुमान को स्वीकार करते हैं इसलिए वे पृथक् अर्थापत्ति नामक प्रमाण को स्वीकार नहीं करते।

ज्ञानकरण से उत्पन्न अभाव के अनुभव का जो साधारण कारण है वह अभाव के अनुपलब्धी प्रमाण हैं ऐसा वेदान्तियों का कहना है। उनके अनुसार कार्याभाव के ज्ञान से कारणाभाव का ज्ञान हो यह अनुमान का विषय नहीं है[6]। किन्तु कार्याभाव ज्ञानादि से कारणाभाव ज्ञान को अनुमान का विषय नहीं माना जा सकता। अतः अभाव को भी अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती। समस्त भारतीय दर्शनों के साथ–साथ पाश्चात्य दर्शनों में भी अनुमान को प्रमाण मानने की एक परम्परा रही है। किन्तु चार्वाक दर्शन में तर्क एवं अनुमान को अस्वीकार किया गया है। पर सर्वार्थसिद्धि नामक ग्रन्थ के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चार्वाक दर्शन में तर्क की अमान्यता केवल ईश्वर प्रमाण एवं परलोक की कल्पना करने वाले तर्क के विषय में ही थी।

न्यायदर्शन प्रमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में मध्यम मार्ग का अवलम्बन करता हुआ वास्तविकता का परिचय देता है जिसका आधार ज्ञानमीमांसा है न कि तत्त्वमीमांसा। तत्त्वमीमांसा की अपेक्षा ज्ञानमीमांसा ही दार्शनिक चिंतन का आधार होता है। इसलिए न्यायदर्शन प्रमाण सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। किन्तु इसके विरोध में पाँच आपत्तियाँ भी दृष्टिगत हैं। **(1)इन्द्रियाधिपत्यपक्ष**–प्रमाणों की सारी शक्ति इन्द्रियाश्रित होती है। इन्द्रिय द्वारा ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई अवधारणा अनुमानादि लौकिक प्रमाणों का प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से सिद्धि असंभव है। **(2)अनिन्द्रियाधिपत्य पक्ष**–अनिन्द्रिय पक्ष से मन–चित्त–आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ इस पक्ष में विज्ञानवाद, शून्यवाद एवं अद्वैतवादों के मत भी समावेश दृष्टिगोचर होता है। **(3)उभ्याधिपत्यपक्ष**–इस पक्ष को सांख्य एवं योगादि का भी समर्थन है। बौद्ध और वैभाषिक इन्द्रिय एवं मन इन दोनों के प्रमाण सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं। **(4) आगमाधिपत्यपक्ष**–जो किसी अर्थविशेष के निर्णय के लिए प्रधान रूप से आगम का ही आश्रय लेते हैं उसे आगमाधिपत्यपक्ष कहते हैं। यह पूर्व मीमांसकों का मत है। **(5) प्रमाणोपप्लवपक्ष**–इस पक्ष के अनुयायी इन्द्रियानिन्द्रियागमादि को प्रमाण नहीं मानते। इनके अनुसार अवाधित एवम् अव्यभिचारी ज्ञान को उत्पन्न करने में कोई भी प्रमाण समर्थ नहीं है। उपर्युक्त सभी साधन यथार्थ ज्ञानोत्पत्ति में असमर्थ ही है। यह तत्वोप्लपवादी चार्वाक आदि हैं। न्यायदर्शन के अनुसार संसार का समस्त अर्थतत्व प्रमाण, प्रमेय, प्रमातृ एवं प्रमिति नामक कोटि में ही समाप्त हो जाती है उसमें भी प्रमाण प्रमुख है। न्याय दर्शन में ईश्वर की सिद्धि भी अनुमानादि प्रमाणों के कारण होती है। ईश्वर के आठ गुण–संख्या–परिमाण–पृथकल–संयोग–विभाग–बुद्धि–इच्छा और प्रयत्न है। उदयनाचार्य ईश्वर के नौ गुण मानते

हैं–कार्ययोजनधृत्यादेः प्रत्ययत् श्रुतेः। वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः[7]।। अर्थात् जगत्रूपी कार्य, उसका आयोजन, उसको धारण करना शब्द, ज्ञान, श्रुति, वाक्य, द्वित्व, संख्या तथा अदृष्ट सिद्ध करते हैं कि ईश्वर है। अनुमान की व्यापकता उक्त नौ तर्कों से स्वतः सिद्ध है।

निष्कर्षतः–

कहा जा सकता है कि चार्वाक् को छोड़कर प्रायः सभी दार्शनिक प्रमाण के अन्तर्गत अनुमान की सत्ता स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन में मोक्ष या अपवर्ग के उपाय को तत्त्वज्ञान कहा गया है। मिथ्याज्ञान तत्त्वज्ञान से नष्ट होता है। मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने पर दोश अर्थात् राग, द्वेष एवं मोह नष्ट होते हैं। दोष के नष्ट होने से पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति के नष्ट होने से जन्म नहीं होता और जन्म के नष्ट होने से दुःख नहीं होता। मिथ्याज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुःख के क्रमिक नाश से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि अनुमान की सत्ता है और इस सत्ता एवं उसकी महत्ता से अभिप्रमाणित मोक्ष की अवधारणा भी न्याय दर्शन में सफलीभूत है। कई कमियों के होते हुए भी न्यायदर्शन एवं ज्ञानमीमांसा में सफलीभूत है। कई कमियों के होते हुए भी न्यायदर्शन एवं ज्ञानमीमांसा में अनुमान का महत्त्व शाश्वत है। क्योंकि न्याय के द्वारा संशय का उच्छेद करना, दर्शनशास्त्र का एक प्रमुख ध्येय है जो न्याय दर्शन का प्रतिपाद्य भी है। ज्ञानमीमांसा में न्यायदर्शन तथा इसके प्रमाण चतुष्ट्य में अनुमान का महत्त्व चिरस्थायी है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची : –

1.तर्क संग्रह–प्रत्यक्ष प्रकरणम् **2.**प्रमाण समुच्चय–पृष्ठ–11 **3.**तर्कभाषा–प्रमेय निरुपण प्रकरण **4.** न्यायमुक्तावली–पृष्ठ–481 **5.**अर्थापत्ति प्रकरण–पृ0–146 **6.** न्यायभाष्य–1/1/10 **7.**न्यायकुसुमाञ्जलिः– 5/1

3.Digital India

-Dr.Sangeeta Mathur
Associate Professor,
School of Arts & Humanities,
Career Point University, Kota

Digital India scheme is a campaign launched by the Government of India. To ensure that government services are made available electronically to citizens by enhancing better online infrastructure and internet connectivity or by making the country digitally empowered in the field of technology. The initiative includes plans to connect rural areas with high-speed internet networks. This includes three main components: developing secure and stable digital infrastructure, digitally delivering government services, and universal digital literacy. Launched by the Prime Minister of India Narendra Modi on 1-July-2015, it enables and beneficiary both for other flagship schemes of the Government of India, such as BharatNet, make in India, Startup India and Standup India, Industrial Corridors, Bharatmala Yojana, Sagarmala Yojana.

The Digital India program has emerged not only as an initiative of the country but also as an aspiration. According to the Ministry of Electronics and Information Technology, "It is a flagship program of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy". The massive expansion of the Digital India program has established it as a consolidated force, which will empower people technically. Due to which change will come in the society and as a result their standard of living will be improved. According to the ministry, the envisaged areas of the program include digital infrastructure for every citizen, governance and services on demand as a basic utility, digital empowerment of citizens. Connecting the vast and remote villages of India digitally through broadband and high-speed internet is one of the major needs of the country. Through this program the government aims to provide high speed internet connectivity to every part of the country. In addition, the program aims to ensure digital identity, financial inclusion and easy access to common service centers (CSCs) through it, establishing "Aadhaar" as a tool.

E-governance was recognized as a future method through the National Governance Plan 2005 to ensure the availability of public services to the

public in India. A step forward was adopted by the Digital India program by adopting a Single Window Framework, expressing the desire to provide seamlessly integrated services across departments or jurisdictions, promoting the use of open source and open APIs. has given. The Unified Payments Interface (UPI) is a pioneering example of an open-source application, and is a significant step towards India becoming cashless. Under the Digital India program, digital literacy is considered an essential and key part of implementing e-governance programs.[1]

Digital Empowered Citizens • Making everyone digitally literate • Making all digital resources accessible to all • All government papers/certificates will be made available on the cloud • Availability of digital resources/services in Indian languages

Goals of Digital India Program Through this program, the government aims to build an ICT infrastructure so that high-speed internet can be made available up to the gram panchayat level. Health services, education and judicial services will be made accessible to the public through the use of ICT. To empower citizens through literacy through digital medium. The government will also reorganize the National Informatics Centre.[2]

Objective of Digital India-There are three main key areas of Digital India: (i) Infrastructure as a convenience for every citizen (ii) Governance and Demand Based Services (iii) Digital Empowerment of Citizens[3]

Key Services of Digital India-In order to use the services of this campaign, the government has given the burden on the process of linking all the data of Indian citizens with the Aadhar card. When all the data of Indian citizens will be linked with the Aadhar card, then everyone will be able to avail government and non-government facilities sitting at home. Due to this campaign, we will be able to do work like PAN card, ration card, driving license, gas cylinder, life insurance and election card at home. Apart from this, we will get the facility to keep our important documents like Aadhar Card, PAN Card, Driving License, Voter ID and Marksheet online. Because of which we will not need to carry our important documents with us all the time. To keep these documents and important data safe, we will also provide facility like e-locker through this campaign. Under the Digital India campaign, CCTV cameras will be installed in government offices like railway stations, bus stations, police stations and hospitals. Broadband and Wi-Fi facility will be made available in schools and universities of 2.5 lakh villages. Along with this, 1.7 crore people will get employment due to the digital campaign in the IT sector.

Big industrialists from abroad are also joining in support of Digital India. Like Facebook CEO Mark Zuckerberg promised to set up Wi-Fi hotspots in rural areas of India. Google also promised to provide broadband facility at 500 railway stations in India. After this Microsoft also promised to provide broadband facility in five thousand villages of India.Many big companies like Oracle are also planning to invest in 20 states of our country. Talking about the figures of this campaign, there were 121 crore mobile phones, 446 crore smartphones and 123 crores digital Aadhaar cards in our country as of 31 December 2018. The number of Internet users in 2017 was 481 million, which is more than 570 million today. Looking at these figures, it is known that this campaign has been successful to some extent.[4]

Pillars of Digital India- Digital India aims to provide this much awaited need through the following pillars of development sectors:**1.**Broadband Highway: A broadband highway includes Broadband for Rural, Broadband for Urban and National Information Infrastructure. **2.** Universal to Mobile Connectivity: The initiative aims to focus on network penetration and widen connectivity to all parts of the country. Universal mobile connectivity will be provided to 42,300 villages in the country. **3.** Public Internet Access Program: The two components of the Public Internet Access Program are the Post Offices as Multi Service Centers and Common Service Centers. It aims to convert post offices into multi service centers and increase the number of common service centers and strengthen them with multi-functional end points for providing government and business services. **4.**E-Governance: E-Governance is the integration of information and communication technology in all processes to improve transactions – from online interfaces between departments, to online repository of certificates and voter IDs, integration of the unique identity of the Authority of India, and exchange integration for electronic data payment gateways. **5.** Electronic delivery of

services: The electronic delivery of services is aimed at the development of technologies in the areas of agriculture, health, financial inclusion, education, justice and security. **6.**Information to all: Information to all will make the availability of information through online mode. This will result in open and easy access to information by the citizens. **7.** IT for Jobs: IT for Jobs aims to train people in small towns for IT sector jobs. Set up BPOs in villages and create telecom ready workforce. **8.**Electronic Manufacturing: It aims to strengthen electronic manufacturing in the country and target NET-ZERO imports by 2020. **9.**Early Harvest Program: IT platform for messages, government greetings for e-greetings, Wi-Fi in all universities, secure email within government, biometric attendance, public Wi-Fi hotspots, school books for e-books, Measures like National Portal are included.5

The fundamental basis of the goals of Digital India is the communication industry of the country which not only connects people but also creates jobs. It has become a tool for knowledge, as well as contributes to the exchequer and promotes economic development and financial inclusion.

These applications were also started during Digital India – 1) MyGov Mobile Application- This application has been started for all the citizens, under this everyone can share their thoughts and suggestions with everyone. Also they can give their suggestions for any problem. **2) Swachh Bharat Abhiyan Application:-**This application has been started to make all citizens aware about cleanliness. In this, complete information about the various programs that are conducted for the cleanliness campaign has also been given.[6]

Vision Areas of Digital India Infrastructure as a convenience for every citizen: • High speed internet will be made available in all gram panchayats as a main facility • Unique, lifetime, online and verifiable digital identity • Mobile phones and bank accounts will enable individuals to participate in digital and financial forms • Easy access to the Common Service Center at the local level. • Shareable private space in the public cloud. • Secure Cyber Space in the country.

Governance and Demand Based Services: • Seamless integration of departments or jurisdictions to provide easy and single window access to all • Providing government services in real time through online and mobile platforms • Making all citizen entitlements available on the cloud to ensure easy access • Digitally transforming government services to provide ease of doing business• To make financial transactions over a limit electronic and cashless • Leveraging GIS for Decision Support Systems and Development

Digital Empowerment of Citizens:• Universal Digital Literacy • Making all digital resources accessible to all• All government documents/certificates will be made available on the cloud • Availability of digital resources/services in Indian languages. • Collaborative digital platform for participatory governance. • Contact location of all entitlements for individual individuals through the cloud.[7]

Implementation-Ministry of Electronics and Information Technology along with DoT is acting as the nodal agency for several projects to ensure time bound schedule of various projects under the Nine Pillars of Digital India programme. The existing schemes need to be restructured, re-empowered and re-looked at to align them with the objectives of the Digital India programme. Projects that can be implemented quickly have already been classified under "Early Harvest Programme". The Government of India ensures that during the implementation of the extensive consultations with various stakeholders in the industry, civil society and citizens, 1 digital platform named MYGOV is set up to facilitate collaborative and participatory governance under this program. Agencies are actively cooperating such as Controller of Certification Authorities, Centre for Advanced Computer Development, Small Farmers Agribusiness Consortium, Department of Financial Services, Department of Industrial Policy and Promotion, Department of Science and Technology, National Health Mission, National Informatics Centre etc.

Challenges-The Digital India program which is having a transformative impact on the society is also facing many challenges including technological, organizational and economic challenges such as **1.Technical Challenges**: Integration on and alignment of various network interface platforms in different states has been a major challenge in the implementation of Digital India. The risk of privacy and security will be high in the face of digital illiteracy is another major challenge, which has

hindered the effective use of projects. **2.Organizational Challenges:** Lack of highly skilled person, large population, presence of different languages and different state and central control over the subject are known as major challenges in the implementation of the programme. 3.**Economic challenges**: The implementation of the Digital India program on a large scale requires a large budget family, which has been the main challenge for the implementation of the program.

The spread of the COVID-19 pandemic has not only affected the health of the common people but it has also disrupted many ongoing projects, giving a major setback to the entire program **Future Plan-** The Digital India program is known for its transformative impact on the digital landscape of India as well as the economic scenario of the country. It may be possible to bridge the digital divide in India to raise the standard of living of major sections of society, and to achieve global leadership status by leveraging the inherent potential of the pandemic, where economic and technological disruptions have plagued the world. While Govind has been instrumental in taking effective steps to counter the nineteen, effectively and dynamically developing the Digital India program for India has become a nationwide movement involving not only the government but also the industry and the country. Contribution of academicians will be expected, in this context the challenges can be met successfully by adopting the following measures-

1.Regulatory Framework Reforms: A very strong regulatory framework has been developed by the government to ensure widespread adoption of digital services and platforms. Examples of such initiatives can be seen in making the use of Aarogya Setu mandatory. Regulatory clarity Transparency is key to establishing a strong regulatory ecosystem.

2.**Effective implementation of projects**: To ensure effective implementation of projects, the government has to focus on two aspects which include skill development of the workforce and futuristic planning of the projects. Implementing agencies must have highly skilled manpower which is essential for the project. Apart from this, it is especially important to adopt efficient implementation systems to make the projects non-standard.

3.Optimum use of resources: Adequate feedback and monitoring mechanisms have to be implemented effectively to detect and address any redundant/under-utilisation of resources like manpower, budget, private sector funds etc. The production-outcome based monitoring mechanism highlights such issues effectively. Thus, such a framework should be developed for each project programme.

4.**Bridging the digital gap:** Digital illiteracy is one of the major barriers to availing the Digital India Programme, apart from programmatic digital education and information dissemination, a major effort should be made to create awareness about the Digital India Program language to the Government during the design and extension of the Digital Product/Service. Its compatibility should be confirmed in the context of Apart from this factor like ease of user should also be taken care of.

5.**Promoting Inclusive Participation in Projects**: Inclusive efforts such as the participation of industry and academia, as is widely recognized, are critical to the massive success of the Digital India programme. In addition, public private partnership models can also be explored for sustainable development of digital infrastructure. Tax incentives and quick approval of projects can also improve the Digital India program.[8] Several crores have been spent to make this campaign a success. Therefore, it is also our duty that we continue to cooperate in its success, so that our country can cross the stairs of progress and every person is associated with digitalization. We have to help uneducated and backward people to inform them about the digital process and more and more such people have to be associated with this campaign. So that the injustice and fraud being done to them ends and they all can become helpful in the development of the country.

References-

1.Digital India - Objectives, Advantages & Challenges (byjus.com) as sited on 15 January 2022
2.Pandey, Dheeraj, Digital India: Sashakt Samaaj aur gyan arthvyavastha karyakram, November 2014,Pratiyogita Darpan,86
3.Digital India - Objectives, Advantages & Challenges (byjus.com) as sited on 15 January 2022
4.https://www.educatewale.com/digital-india-essay-hindi/ as sited on 15 January 2022
5.https://hindi.theindianwire.com/ as sited on 16 January 2022
6.https://hindividyalay.com/digital-india-essay-hindi/ as sited on 16 January 2022
7.https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/ as sited on 15 January 2022
8.Kurukshetra, Dec 2020, year67, no 2, pg 6-8

4.वर्तमान समय में मानव जीवन में बढ़ रही चिन्ता व तनाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन

–[1]डा0 प्रहलाद राम, [2]डा0 शालिनी सोनी

[2]असि0 प्रो0,मनोविज्ञान विभाग,

राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ,उ0प्र0

[2]असि0 प्रो0,मनोविज्ञान विभाग,

राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा, गौतमबुद्वनगर,उ0प्र0

वर्तमान समय में चिन्ता व तनाव हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी–कभी ये हमारे लक्ष्यों की पूर्ति के मार्ग में प्रेरक का भी कार्य करते हैं। किन्तु यदि अव्यस्थित रूप से चिन्ता व तनाव हमारे व्यक्तित्व पर हावी हो जाये तो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है व इसके दुष्परिणाम हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर देखे जा सकते हैं। कुछ लक्षण जैसे नींद की समस्या, चिडचिडापन व क्रोध, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, मानसिक उलझन, एकाग्रता में कमी, अनिर्णय की स्थिति, पाचन व श्वसन क्रिया में दिक्कत आदि समान्य रूप से व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। आधुनिकता व भौतिकवादी प्रगति के इस दौर में सबसे आगे निकल जाने की होड़ की वजह सें चिन्ता व तनाव का असर बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी विकासात्मक अवस्था में देखा जा सकता है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से चिन्ता एवं तनाव से ग्रस्त है चाहे वह नौकरी में है, व्यापारी है या बेरोजगार है। नौकरी में चाहे वह सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है या प्राइवेट नौकरी वाला, दोनों ही जिन्दगी की दौड व उलझनों में इतने अस्त व्यस्त हैं कि चिन्ता व तनाव उनके दैनिक जीवन का अहं हिस्सा बनता जा रहा है। सरकारी नौकरी करने वाला प्रमोशन, वेतन एवं भत्ते को लेकर किसी न किसी रूप में तनाव में रहता है। जबकि प्राइवेट नौकरी वाले व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिये जाने के, योग्यतानुसार तनख्वाह न पाने, प्रमोशन हेतु टारगेट पूरा न कर पाने व अनेकों प्रकार की मानसिक प्रताडना का डर प्रायः तनावग्रस्त करता है। हम किसी भी व्यवसाय जगत को देखे तो सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं बल्कि प्रच्छन्न व अल्प बेराजगारी भी इस पीढी को सांवेगिक व मानसिक रूप से अस्थिर व कुसमायोजित बना रही है। साथ ही कम से कम समय व श्रम में अधिक से अधिक सफलता व पैसे कमाने की दौड तथा नौकरी पर जाना न पडे व वेतन समय से मिलता रहे यह सोच आगे चलकर भयावह स्थितियॉं पैदा कर देती है। भारी काम का बोझ खराब प्रबंधन, अनुपयुक्त परिस्थितियों में काम करना, कार्यस्थल पर पक्षपात या उत्पीडन का सामना करना आदि अनेक कारण कर्मचारियों में निराशा व तनाव का कारण बन सकता है।

आज जहॉं पर पति और पत्नी दोनों ही नौकरी में हैं उनके सामने कई तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियों के निवर्हन व समायोजन संबंधी समस्या रहती है जिससे उनमें तनाव एवं चिन्ता की स्थिति बनी रहती है। प्रायः जाति, धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर होने वाले पक्षपात व भेदभाव चाहे वह शिक्षा में हो, व्यवसाय में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति में कुंठा व तनाव का कारण बनता है। भेदभाव करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यही छोडकर चले जाना है, कहा गया है–का मांगू कुछ थिर न रहाई। देखत नयन जगत चला जाई।। प्रायः यह देखा गया है कि बहुत से युवा व युवतियॉं लोगों के बहकावे में आकर शारीरिक संबंध बना लेते हैं, बुरी संगत में पडकर नशे का शिकार हो जाते हैं या आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त हो जाते हैं। फिर जब वही लोग इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं तो ये युवक व युवतियॉं तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं व अंत में आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी घटना जिस मॉं–बाप के सामने होती है उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं।

युवाओं में आज विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता का अभाव देखने को मिलता है। जैसे ही जीवन में संघर्ष, असफलता, मनमुताबिक जीवन शैली न मिलना जैसी परिस्थितियॉं आती हैं व्यक्ति तनाव में आकर ऐसे कदम भी उठा लेता है जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वह यह भूल जाता है कि जीवन है तो समस्यायें अवश्य आयेंगीं और यदि हम जीवित हैं व मानसिक रूप से सुदृढ हैं तभी समस्याओं का समाधान निकाल पायेंगें। इस प्रकार के कुसमायोजनों व परिहार प्रवृति के उदाहरण समाचार पत्रों में बहुतायत से देखे जा सकते हैं। जैसे –'नौकरी जाने से तनाव में आकर जान दी': नोएडा, अमर उजाला, 26, फरवरी 2022, 'तनाव के कारण फंदा लगाकर युवक ने जान दी': नोएडा, से0.63' अमर उजाला, 27 फरवरी 2022, 'ग्रेटरनोएडा वेस्ट में मिला दिल्ली से लापता छात्र का शव, घर से नाराज होकर निकला था': अमर उजाला, 05 अप्रैल 2022, 'युवक ने आत्मदाह की चेतावनी दी': दनकौर, हिन्दुस्तान, 3 मई 2022, 'माता–पिता के झगडे से दुखी बेटे ने खुद को मारा चाकू, मौत' : लोनी, नई दिल्ली, नवभारत टाइम्स, 4 मई 2022, 'जान देने जा रही महिला को बचाया........पुलिस के अनुसार महिला का उसके पति से झगडा हो गया था': ग्रेटर नोएडा, हिन्दुस्तान, 5 मई 2022, 'दिल्ली की युवती ने डिप्रेशन में आग लगाई.....एडीसीपी ने बताया कि सुसाइड नोट में युवती ने आत्महत्या के लिए खुद को दोषी ठहराया है। युवती ने खुद के काफी दिनों से मानसिक तनाव से परेशान होने की बात लिखी है।': नोएडा, हिन्दुस्तान, 5 मई 2022, 'पति से झगडे के बाद पार्क में जान दी': नोएडा, हिन्दुस्तान, 5 मई 2022, 'कारोबारी ने तनाव में फंदा लगाकर आत्महत्या की': मोदीनगर, हिन्दुस्तान, 5 मई 2022, 'छठीं मंजिल से कूदकर छात्र ने खुदकुशी की' : नई दिल्ली, हिन्दुस्तान, 6 मई 2022। आज फेसबुक, वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, इन्टरनेट व मोबाइल का युग है जिसके कारण लोगों में एक अलग तरह का तनाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कारण बहुत से हो सकते है जैसे– सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स या मित्रों की संख्या, अपलोड्स पर लाइक्स में

कमी, आनलाइन माध्यमों से बने मित्रों द्वारा मिले धोखे से मिला मानसिक व अन्य प्रकार के आघात आदि।

हम किसी भी समाचार पत्र को ले लें तो हमें बहुआयत से अनेकों ऐसी घटनायें देखने को मिलती है जो नैतिक, चारित्रिक व सामाजिक मूल्यों के हनन व उसके परिणाम को उजागर करती है। ये सभी घटनायें विक्षिप्त मानसिकता और व्यक्तित्व पतन को दर्शाती हैं। अमर उजाला समाचार पत्र 22 अप्रैल 2022 में मिर्जापुर की एक घटना का जिक्र है जिसमें यह प्रकाशित है कि युवती का ही प्रेमी अश्लील फोटो बनाकर उसे परेशान कर रहा था और युवती ने आत्महत्या कर ली। 04 मार्च 2021 दैनिक जागरण समाचार पत्र में उल्लिखित घटना है जिसमें एक पिता अपनी बेटी को परिवार के ही एक सदस्य के साथ आपत्ति जनक स्थिति में देख लिया था। बेटी का गला काटकर सिर लेकर थाने पहुॅचा पिता। 25 फरवरी 2021 दैनिक जागरण समाचार पत्र में आजमगढ की एक घटना का जिक्र है जिसमें किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। 04 मार्च 2021 दैनिक जागरण समाचार पत्र में उल्लेख है कि यौन उत्पीडन के आरोप में घिरे कर्नाटक के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 25 फरवरी 2021 दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित है जिसमें गाजियाबाद में भतीजी से दुष्कर्म करने पद चाचा को उम्र कैद की सजा दी गई। 03 मार्च 2021 दैनिक जागरण समाचार पत्र प्रकाशित घटना –नवदंपती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 22 फरवरी 2021 दैनिक जागरण चंदौली की घटना है जिसमें राजधानी एक्सप्रेस में जवान ने किशोरी से छेडछाड की। 06 मई 2022 हिन्दुस्तान समाचार पत्र में नई दिल्ली की एक घटना का उल्लेख है जिसमें युवक अपने बचपन के दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध में बाधक बने दोस्त की हत्या कर देता है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं जो कि बहुत बडा चिन्ता का विषय है।

जीवन में व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीडित हो जाये तो भी व्यक्ति में जीवन मे तनाव एवं चिन्ता देखी जा सकती है। इसका कारण उस बीमारी से होने वाली शारीरिक परेशानियों के साथ–साथ इलाज के दौरान हो रहीं आर्थिक व मानसिक समस्यायें भी हैं। डॉ0 सुनील अवाना, मनोरोग विशेषज्ञ व अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइ एम ए) बताते हैं कि कोरोना काल में नौकरी जाने का डर, आर्थिक बोझ, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, बेचैनी, आर्थिक मंदी की आशंका एवं व्यग्रता लोगों में अवसाद के प्रमुख कारक बनकर सामने आ रहे है। लाखों लोगों का रोजगार चला गया। कई लोग अपनों को खोने का दुख नहीं भुला पा रहे है।....सामान्य माह की अपेक्षा लाकडाउन में घरेलू झगड़े भी तीन मुना बढ़ गए हैं। रोज–रोज झगड़ों से भी लोगों में मानसिक रोग बढ़ रहा है। (हिन्दुस्तान समाचार पत्र, 10 अक्टूबर 2021)आज हम अपनी सुख–सुविधा के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से कभी अधिक तापमान, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प का सामना करना पड़ता है। प्रकृति द्वारा भी कभी–कभी दण्ड दिया जाता है जिसमें लोग चिन्ता व अवसाद से ग्रस्त हो जाते है। आजमगढ़, प्रतापगढ़, मऊ में कई जगहों पर भिन्न–भिन्न से वजहों से किसानों के कई बीघा खेत में आग लग जाने से पूरी फसल खत्म हो गई जिसके कारण किसान सदमें में आ गये। आज लोगों में परिवार के बीच भी तनाव है जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है। अक्सर असंगत व विवाहेत्तर संबंधों की वजह से भी व्यक्ति तनाव में रहता है, लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं या आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसी ही एक घटना दिनांक 19 अप्रैल 2022 के अमर उजाला समाचार पत्र की है जिसमें गाजीपुर की घटना है कि गलत संबंधों को लेकर पूरे परिवार को जान गवानी पड़ती है।

चिन्ता व तनाव हमें शारीरिक क्षति भी पहॅुचा रहा है जैसे लोंगों में मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, डायबिटीज, दिल की धड़कन असमान्य होना, त्वचा रोग, वजन बढ़ना या कम होना व प्रजनन सबंधी समस्यायें आदि अधिक मात्रा में पाया जाना। दिनांक 24 अप्रैल 2022 के अमर उजाला समाचार में प्रकाशित है कि वाराणसी में एक सिपाही ने अवकाश न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। ऐसी बहुत सी घटना होती है जब व्यक्ति तनाव में होता है वह आत्महत्या कर लेता है। शादी–विवाह के मामले में बहुत से लोग मनचाही शादी न होने के कारण भी तनाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं।स्टेफनी वाटसन (2022) ने अपने लेख में प्राकृतिक व मानव जन्य आपदाओं को मीडिया में ज्वलंत कवरेज के प्रभाव का जिक्र किया है, 'कभी–कभी तनाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है.........जब आप नियमित रूप से समाचार पर आतंकवादी हमलों, ग्लोबल वार्मिंग और जहरीले रसायनों के खतरे के बारे में सुनते हैं, तो यह आपको तनावग्रस्त महसूस करा सकता है, खासकर क्योंकि आपको लगता है कि उन घटनाओं पर आपका कोर्इ नियंत्रण नहीं है।

आज के बदलते परिवेश मे हम अपने आप को किस तरह से तनाव एवं चिन्ता से मुक्त रखें इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सुझाव है जिससे हम अपने जीवन में तनाव व चिन्ता को कम कर सकते हैं–•सुखी एवं स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि अपने सम्बन्धों में विश्वास एवं स्नेह को स्थान दें। •हमारे पास जो भी सुख सुविधा है हमें उसी में आनन्द लेना चाहिए अगर दूसरे से तुलना करेंगें तो कष्ट होगा।•तनाव कम करने के लिए हमें प्रकृति के साथ रहना होगा जैसे– तालाब, नदी, बगीचे, झरने आदि का दृश्य।•अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दें एवं अपनी मनपसंद का संगीत सुनें।•विवाह से पूर्व संबंधों के मामलों में नैतिक व चारित्रिक पक्षों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए व विवाह के पश्चात् नये सिरे से अपने जीवन की शुरूआत करनी चाहिए।•अपने जीवन में योग एवं ध्यान को स्थान दें।•भरपूर नींद लेने से भी हम तनाव से बच सकते हैं।•अपने जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बितायें व शारीरिक व मानसिक जुड़ाव को नजरअंदाज न करें। •शांत मन से अपनी समस्यायें परिवार के

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

साथ साझा करें। 'मनोचिकित्सक डॉ0 आर0 के0 बंसल का कहना है कि जीवन में समस्या होने पर उसके निदान के लिए प्रयास करना चाहिए। उससे जूझने के बजाय उसको साझा करना चाहिए ताकि निदान हो सके। इसके अलावा परिवार के लोगों को भी अपनी परेशानी के बारे में बताना चाहिए ताकि वे मार्गदर्शन कर सकें।' (हिन्दुस्तान, 5 मई 2022)•यदि इन प्रयासों के बाद भी मनोदशा में सुधार न हो तो मनोचिकित्सक से परामर्श लेने में संकोच न करें।

संक्षेप मे हम कह सकते हैं कि यदि हमें चिन्ता एवं तनाव से रहित जीवन यापन करना है तो ऊपर बताये गये कुछ उपाय को अपनाकर कुछ हद तक तनाव एवं चिन्ता को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सब कुछ है वह बहुत खुश है उसे भी किसी न किसी तरह की चिन्तायें रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं। इसलिए हमें बहुत भौतिकता में नहीं रहना चाहिए। अपनी आवश्यकता व इच्छाओं को सीमित रखें क्योंकि यदि आप मन से खुश हैं तब ही मानसिक व सांवेगिक समस्याओं से खुद को दूर रख पायेंगें। आज व्यक्ति के पास के सब कुछ है लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं है इसीलिए चिन्तित व तनावग्रस्त है।

संदर्भ –

•डॉ0 राजीव शर्मा, तनाव मनोविकार दूर भगायें, मनोज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2011।•दैनिक जागरण समाचार पत्र– दिनांक–25 फरवरी 2021, 22 मार्च 2021, 04 मार्च 2021 । •डॉ0 सुनील अवाना, दिल की उलझनों से बीमार पड़ रहा दिमाग, हिन्दुस्तान समाचार पत्र, 10 अक्टूबर 2021 । •अमर उजाला समाचार पत्र– दिनांक– 26 फरवरी 2022, 27 फरवरी 2022, 05 अप्रैल 2022, 19 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022। •हिन्दुस्तान समाचार पत्र – दिनांक– 5 मई 2022, 06 मई 2022, •नवभारत टाइम्स समाचार पत्र – दिनांक– 4 मई 2022। •स्टेफनी वाटसन (तनाव के कारण: 16 मार्च, 2022 को जेनिफर कैसरेला, एम डी द्वारा चिकित्सकीय रूप से समीक्षित), https://www.webmd.com/balance/guide/causes-of-stress से उद्धृत।

5.महादेवी वर्मा व्यक्तित्व एवं कृतित्वः एक अध्ययन

–रवीन्द्र कुमार
(सहायक प्राध्यापक हिन्दी)
शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय,ताला जि.सतना (म0प्र0)

व्यक्तित्व महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तरप्रदेश के फरूखाबाद में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 बर्षो या सात पीढियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबा बाबू बाँके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की **देवी महादेवी** मानते हुए पुत्री का नाम **महादेवी** रखा। इनके पिता श्री **गोविन्द्र प्रसाद वर्मा** भागलपुर के एक कालेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता का नाम **हेमरानी देवी** था। हेमरानी देवी बडी धर्म परायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। जो अपने विवाह के समय अपने साथ सिंहासनासीन भगवान की मूर्ति भी लाईं थी। वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा–पाठ तथा रामायण, गीता एवं विनय पात्रिका का पारायण करती थीं और इसके **विपरित** इनके पिता नास्तिक संगीत प्रेमी, शिकार खेलने एवं घूमने के शौकीन थे। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रानंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है, जो इससे जीवन पर्यन्त राखी बँधवाते रहे। निराला जी से उनकी निकटता अधिक रही।

महादेवी वर्मा की शिक्षा **इन्दौर के मिशन स्कूल** से प्रारम्भ हुई साथ ही संस्कृत अंग्रेजी, संगीत, तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरान्त महादेवी जी ने 1919 में **क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद** में प्रवेश लिया और कालेज के छात्रावास में रहने लगीं। 1921 में महादेवी जी ने आठवीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरूवात की। वे सात वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिध्द हो चुकी थीं। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में ही सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ इनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। 1932 में जब उन्होनें इलाहाबाद विश्व विद्यालय से **दर्शनशास्त्र मे** एम0ए0 पास किया। तब तक उनके दो काव्य संग्रह **नीहार 1930** और **रश्मि 1932** प्रकाशित हो चुके थे।

1926 में उनके बाबा जी बाँके बिहारी ने इनका विवाह **बरेली** के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी **श्री स्वरूप नारायण वर्मा** से कर दिया, जो उस समय दशवीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्री

वर्मा इण्टर करके लखनऊ मेडिकल कालेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उस समय क्रास्थवेट कालेज इलाहाबाद के छात्रावास में थीं। श्रीमती महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरिक्त थी। कारण कुछ भी रहा हो पर श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कोई वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री–पुरूष के रूप में उनके सम्बंध मधुर ही रहे। दोनों में कभी–कभी पत्राचार भी होता था। यदा कदा श्री वर्मा उनसे मिलने भी आते थे। श्री वर्मा ने महादेवी जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी का जीवन तो एक संन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोईं और कभी शीसा नहीं देखा। सन् 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थाई रूप से इलाहाबाद में रहने लगीं। 1

कृतित्वः– महादेवी का कार्यक्षेत्र लेखन, सम्पादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में **प्रयाग महिला विद्यापीठ** के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। महादेवी वर्मा छायावाद युग में साहित्य लेखन की प्राण रहीं। आपने अनेक प्रकार के काव्य का सृजन किया। **कविता संग्रहः–** (1) नीहार 1930 (2) रश्मि 1932(3) नीरजा 1934(4) सांध्यगीत 1936(5) दीपशिखा 1942(6) सप्तपर्णा (अनूदित–1959)(7) प्रथम आयाम 1974(8) अग्निरेखा 1990। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिसमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किये गये हैं, जैसे– आत्मिका, परिक्रमा, सन्धिनी (1965), यामा (1936), गीतपर्व, दीपगीत, स्मारिका, नीलाम्बरा, और आधुनिक कवि महादेवी आदि। **महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य– रेखाचित्रः** अतीत के चलचित्र (1941) और स्मृति की रेखाएं (1943) **संस्मरणः** पथ के साथी (1956), मेरा परिवार (1972) और संस्मरण (1983) **चुने हुए भाषणों का संकलन** संभषण (1974) **निबंधः** श्रृखंला की कड़ियाँ (1942) विवेचनात्मक गद्य (1942), साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध (1962) संकल्पिता (1969)**लालित निबंधः** क्षणदा (1957) **कहानियाँः** गिल्लू **संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का संग्रहः** हिमालय (1963)**महादेवी वर्मा का बाल साहित्यः** महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के दो संकलन छपे है। **ऽ ठाकुर जी भोले हैंऽ आज खरीदेंगे हम ज्वाला**

साहित्यिक योगदान– महादेवी जी अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका **'चाँद'** तथा **'साहित्यकार'** मासिक की भी सम्पदिका रहीं। हिन्दी प्रचार–प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में **'साहित्यकार' संसद** और **'रंगवाणी नाट्य संस्था'** की स्थापना की। महादेवी की कविताओं में आरम्भ से ही विस्मय जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिका के भाव मिलते हैं। ये भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते गये हैं। किंतु उनमें वैसी अनेकरूपता नहीं मिलती, जैसी निराला एवं पंत में मिलती है। किन्तु महादेवी के सभी गीतों में अनुभूति और विचार के धरातल पर एकान्विति मिलती हैं। इनकी भाव भूमि गीतिकाव्य के ही उपयुक्त है, क्यों कि ये स्वानभूति की प्रत्यक्ष विवृति करती है। इनके अनुसार गीत वही है, जिसमें संयमित भावातिरेक की व्यंजना होती हैः 'सुख दुःख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने–चुने शब्दों में स्वर–साधना के उपयुक्त त्रिचण कर देना ही गीत है।' इसमें संदेह नहीं कि महादेवी के गीत भाव प्रधान हैं। महादेवी के अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय–निवेदन किया है, क्यों कि मिलन में तो व्यकितत्व का ही नाश हो जाता है, *"मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ।* "महादेवी पर **बौध्द दर्शन** का प्रभाव केवल उनकी लोकमंगल विधायिनी पीड़ा की स्वीकृति तक ही सीमित है, अन्यथा जहाँ तक सत्य के पारमार्थिक स्वरूप का सम्बंध है, वे उपनिषदों की परम्परा को ही स्वीकार करती हैं। उन्होनें सर्वात्मवादी– दर्शन को अपनाया है, फलस्वरूप उनकी आध्यात्मिक साधना और लोकसाधना में विशेष विरोध नहीं है। शुक्ल के शब्दों "कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूति की रमणीय कल्पना है, यह नही कहा जा सकता।" साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिन्दी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी छंदो के नए दौर गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन तीनों क्षेत्रों में ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जिसने आने वाली एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। **शचीरानी गुर्टु** ने भी उनकी कविता को सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण माना है। उन्होंने अपने गीतो की रचना शैली और भाषा में अनोखी लय और सरलता भरी है, साथ ही प्रतीकों और बिंबों का ऐसा सुंदर और स्वाभविक प्रयोग किया है, जो पाठक के मन में चित्र सा खींच देता है। छायावादी काव्य की समृध्दि में उनका योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। छायावादी काव्य को जहाँ प्रसाद ने प्रकृति तत्व दिया, निराला ने उसमें मुक्त छंद की अवतारणा की और पंत ने उसे संकोमल कला प्रदान की वहाँ छायावाद के कलेवर में प्राण–प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी जी को ही प्राप्त है। भावात्मक एवं अनुभूति की गहनता उनके काव्य की सर्वधिक प्रमुख विशेषता है। हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव–हिलोरों का ऐसा सजीव और मूर्त अभिव्यंजन ही छायावादी कवियों में उन्हें महादेवी बनाता है। वे हिन्दी बोलने वालों में अपने भाषाणों के लिए सम्मान के साथ याद की जाती हैं। उनके भाषाण जन सामान्य के प्रति संवेदना और सच्चाई के प्रति दृढ़ता से परिपूर्ण होते थे।

महादेवी काव्य का साध्य सत्य की उपलब्धि मानती हैं। यह सत्य अपनी पूर्णता में असीम और अपनी स्थिति में अखण्ड है। अतः "काव्य या कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्ड सत्य है।" महादेवी काव्य और कला में कोई भेदक रेखा स्वीकार नहीं करतीं। काव्य या कला को बुध्दि और हृदय का सन्धि पत्र मानते हुए स्वीकार करती हैं कि काव्य में बुध्दि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है। वैचारिक स्तर पर महादेवी के गद्य साहित्य का सर्वोत्म सामयिक प्रृवृत्तियों और समस्याओं की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत उनके निबंधों में देखा जा सकता है। उनकी मौलिक व्याख्याओं ने आधुनिक हिन्दी–साहित्य के वैचारिक स्तर को ऊँचा उठाया है और हमें काव्य प्रवृत्तियों को समझने की दृष्टि दी है। महादेवी की **"छायावाद" 'रहस्यवाद' प्रगतिवाद तथा यथार्थ और आदश**र् की व्याख्याएँ ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर चुकी हैं। **'छायावाद'** के सम्बंध में महादेवी ने बहुत विचार किया है। उसके विकास के मूल में मानव की बन्धनों को तोडने की सहज प्रवृति ने कार्य किया है। वह स्थूलता की साक्षेपता में सूक्ष्मता को महत्व देता है। वह भारतीय काव्य की मूल प्रेरणाओं के निकट हैं, आदि अनेक वाक्यों में छायावाद की व्याख्या करती हुई महादेवी कहती हैं "छायावाद" तो करूणा की छाया में सौंन्दर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है।"

महादेवी के काव्य चिंतन और आधुनिक हिन्दी–साहित्य की व्याख्याओं से सम्बध्द निबंध उनकी दो कृतियों–**महादेवी का विवेचनात्मक गद्य** 'और' **साहित्यकार की आस्था तथा निबन्ध** में आ गए हैं। महादेवी के सामाजिक विचार **"श्रृंखला की कडियाँ"** में दृष्टव्य है। महादेवी ने नारी प्रति सहानुभूति से भरा हुआ मन उन सामाजिक तत्वों के प्रति क्षुब्ध है, जो नारी के लिए 'श्रृंखला की कंडियाँ बन गये हैं। महादेवी श्रृंखला की कंडियों को काट फेंकने के लिए नारी को उदबुध्द करना चाहती हैं, किन्तु वे यह भी चाहती हैं कि विद्रोहिणी नारी अपने नारीत्व के मूलभूत आधारों को भी सुरक्षित रखे। उनका विचार है कि नारी पुरूष के सहयोग से ही आगे बढ. सकती है, प्रतिद्वन्द्विता से नहीं। महादेवी की दृष्टि में शिक्षा, चिकित्सा, कानून और साहित्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नारी पुरूष को पूरा सहयोग दे सकती है और समाज के लिए अधिक उपयोगी सिध्द हो सकती है। भारतीय समाज आज भी नारी को उचित मर्यादा नही दे सका है। आज भी जिस प्रकार भावी पति–परिवार के व्यक्ति उसे चलाकर, हँसाकर, लिखा–पढाकर देखते हैं तथा लौटकर उसकी लम्बाई–चौडाई, मोटापन, दुबलापन, नरवशिखा आदि के विषय में अपनी धारणाएँ बताते हैं, उसे सुनकर दास–प्रथा के समय बिकने वाली दासियों की याद आये बिना नहीं रहती।"नारी की हीनावस्था का मूलभूत उसका आर्थिक परावलम्बन है।" **'क्षणदा' 'संकल्पिता' संभाषण और 'भारतीय संस्कृति के स्वर'** ऐसी कृतियाँ हैं जिसमें महादेवी के चिंतन और अनुभूति के क्षणों का संश्लेष देखा जा सकता है। यहाँ हम प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। **'क्षणदा'** में संस्कृति, भाषा, कला, अभिनय, संपादकों का दायित्व, यात्रा वृतान्त, वैज्ञानिक युग की समस्या आदि बिषयों, संपादकों का दायित्व, यात्रा वृतान्त, वैज्ञानिक युग की समस्या आदि बिषयों पर स्फुट विचार व्यक्त हुए हैं। **संकल्पिता** में सबसे बडा निबन्ध **'भारतीय वाङमय एक दृष्टि'** है। इसमें वैदिक साहित्य से लेकर **जयदेव के 'गीत गोविंद'** तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात किया गया है। महादेवी ने इस विशाल वाङ्मय के मूल में एक विशिष्ट सांस्कृति, तारतम्यता लक्षित की है शेष निबंधों में सांस्कृति, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, साहित्यकार, जैसे प्रश्नों पर गम्भीर चिंतन किया गया है। इस चिंतन में भारतीय मनीषा का श्रेष्ठ रूप मूर्त हुआ है। 'संभाषण' में संकलित वक्तव्यों में कुछ तो पूर्व परिचित विषयों संस्कृति, राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, साहित्यकार और समाज से सम्बध्द हैं किन्तु कुछ नये हैं। यह नये वक्तव्य मूलतः नारी को केन्द्र में रखकर दिये गये हैं। महादेवी ने आधुनिक समाज में नारी की समस्या को नारी की दृष्टि से देखा है। उनका निश्चित मत है कि जब तक नारी अपनी स्थिति से असंतुष्ट और अने कत्र्तव्य से विरक्ति रहेगी तब तक सामाजिक जीवन में सामंजस्य नहीं आ सकता। इन वक्तव्यों की विशेषता यह है इनके एक–एक शब्द गहन संवेदन में डुबो कर व्यक्त किए गये हैं।

महादेवी की चार कृतियाँ– **'अतीत के चलचित्र' ' स्मृति की रेखाएँ ' 'पथ के साथी' और 'मेरा परिवार '**:– उनके मर्म में बसी हुई प्रतिमाओं को मूर्त करने वाली हैं। इनके अंकन में महादेवी का हृदय ही चित्राधार बन गया है। स्मृति में उभरने वाली रेखाएँ शब्दों में अवतरित हो गई हैं। **अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएँ** इन दो कृतियों में समाज के वे निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं जो जीवन प्रावह में दुःख के थपेडों को झेलते हुए किसी प्रकार महादेवी की सहानुभूति और समवेदना की परिधि में आ गये हैं। **'पथ के साथी '** में वे अंकित हुए हैं, जो महादेवी के अग्रज और सहयोगी हैं, जो उन्हें प्रिय हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की महिमा से महादेवी को प्रभावित किया है। **'पथ के साथी'** में महादेवी ने सबसे पहले रवीन्द्रनाथ ठाकुर को प्रणाम किया है और फिर मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान निराला प्रसाद पंत और

सियाराम शरण गुप्त को रेखाकिंत किया है। यह रेखांकन महादेवी की असाधारण प्रतिभा संयम एवं कलात्मक परिष्कार का द्योतक है। उनमें व्यक्ति के आंतरिक चंतन–वैशिष्ट्य को हदयंगम करने की अद्भुत क्षमता है। महादेवी ने उन स्मृति–संदर्भो को सँजोकर, जिनमे उनके अग्रज और साथी उनके परिचय एवं सम्पर्क में आये थे, जो रेखा–छवियाँ अंकित की हैं वे अपनी संश्लिष्टता में अन्यतम हैं।

यद्यपि महादेवी ने कोई उपन्यास, कहानी या नाटक नहीं लिखा तो भी उनके लेख, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, भूमिकाओं और ललित निबंधों में जो गद्य लिखा है, वह श्रेष्ठतम गद्य का उदाहरण हैं। उसमें जीवन का सम्पूर्ण वैविध्य समाया है। बिना कल्पना और काव्य रूपों का सहारा लिए कोई रचनाकार गद्य में कितना कुछ अर्जित कर सकता है, यह महादेवी को पढ. कर ही जाना जा सकता है। उनके गद्य में वैचारिक परिपक्वता इतनी है कि वह आज भी प्रासंगिक है। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता से सम्बंधित उनके विचारों में दृढता और विकास का अनुपम सामजस्य मिलता है। सामाजिक जीवन की गहरी परतों को छूने वाली इतनी तीव्र दृष्टि, नारी जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से आंकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न वर्ग के निरीह, साधनहीन प्राणियों के अनूठे चित्र उन्होंने ही पहली बार हिन्दी साहित्य को दिये। मौलिक रचनाकर के अलावा उनका एक रूप सृजनात्मक अनुवादक का भी है, जिसके दर्शन उनकी अनुवाद–कृत **सप्तपर्णा** में होता हैं। अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे उन्होनें वेद, रामायण, थेरीगाथा तथा अश्वघोष ,कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिन्दी काव्यानुवाद इस कृति में प्रस्तुत किया है। आरम्भ में 61 पृष्ठीय **अपनी बात** में उन्होंने भारतीय मनीषा और साहित्य की इस अमूल्य धरोहर के सम्बंध में गहन शोधपूर्ण विमर्श किया है जो केवल स्त्री–लेखन को ही नहीं हिन्दी के समग्र चिंतन परक और ललित लेखन को समृध्द करता है। **5**

पुरस्कार एवं सम्मानः महादेवी को प्रशासनिक, अर्धप्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले। ऽ1943 में उन्हें **मंगलाप्रसाद पारितोषिक** एवं **भारत भारती** पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गयीं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए **पद्यभूषण** की उपधि दी। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की **पद्यविभूषण** उपाधि से सम्मानित किया गया। ऽसन् 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बाराणसी ने इन्हें **डी0लिट** की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऽइससे पूर्व महादेवी वर्मा को **नीरजा** के लिए 1943 में **सक्सेरिया पुरस्कार** 1942 में **स्मृति की रेखाएँ** के लिए **द्विवेदी पदक** प्राप्त हुए। **यामा** नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऽ1968 में सुप्रसिध्द भारतीय फिल्मकार **मृणाल सेन** ने उनके संस्मरण **"वह चीनी भाई"** पर **बंगला फिल्म** का निर्माण किया था जिसका नाम था **नील आकासेर नीचे** ऽ16 सितम्बर 1999 को भारत सरकार के **डाकघर विभाग** ने जयशंकार प्रसाद के साथ उनके सम्मान में **2 रूपये का एक युगल टिकट** भी जारी किया।

निष्कर्षः– महादेवी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व ने साहित्यिक दृष्टि से अविस्मरणीय योगदान किया है। जिसके लिए हिन्दी साहित्य जगत में उन्हें **आधुनिक मीरा** के नाम से जाना जाता है। निःसंदेह महादेवी ने काव्य–कला की तात्विक और मर्मस्पर्शी व्याख्या करके उसके वैशिष्ट्य को मर्यादा प्रदान की है।

संदर्भ ग्रथ सूची–

1.डॉ0 राजकुमार सिंह (2007) विचार विमर्श महादेवी वर्माः जन्म शैशवास्था एवं बाल्यावस्था, मथुराः सागर प्रकाशन **2.** नामवर सिंह (2004) छायावाद नई दिल्ली, भारत राजकमल प्रकाशन **3.**डॉ0 नागेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल (2009) नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली पृष्ठ 588/89**4.**रामचंद्र तिवारी हिन्दी गद्य साहित्य संस्करण 2014 पृष्ठ 760/61**5.**वही पृष्ठ 762/66

6.भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

–[1]पवन कुमार वर्मा [2]डॉ. अमूल्य कुमार सिंह

[1]असि. प्रोफे.–समाजशास्त्र,

आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी.जी. कॉलेज, बभनान गोण्डा

[2]एसो.प्रोफेसर,

समाजशास्त्र, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

भारतीय समाज परम्परागत रूप से पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं की स्थिति प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान काल तक पुरुषों की अपेक्षा द्वितीयक ही रही है। इस देश का सामाजिक पक्ष हमेशा से ही धर्म प्रधान रहा है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र चाहे पुरुष हो अथवा महिला किसी न किसी रूप में धर्म के साथ अवश्य ही जुड़ा रहा है। इस देश के प्रतिष्ठित धर्मशास्त्रों, महाकाव्यो, स्मृतियो, वेद, पुराण आदि में महिलाओं को जीवन दृष्टि से गौरवपूर्ण एवं सम्मान अवश्य प्राप्त है, किन्तु उत्तरवैदिक काल के पश्चात् जिन्हें हम गौरवशाली और जीवनदात्री के रूप में सम्मानित कर रहे थे उन्हें दुर्बल बनाकर पुरुष अपने अहंकार में उन्हें सम्पत्ति या गुलाम, दासी, बनाकर उनके गौरव का विनाश कर दिया। कभी जहाँ महिलाओं को सुख, सम्पत्ति और ज्ञान की देवी कहा जाता था। शक्ति के रूप में वह पूजनीय थी, वहीं उन्हें कमजोर, दुर्बल, असहाय हो गयी। यह तथ्य सार्वजनिक सत्य है कि महिलाएँ अपने जीवनकाल में पुत्री, पत्नी तथा माता के रूप में पुरुष हित में अपना जीवन समर्पित कर देती है। पुत्र को उसके जन्मकाल से लेकर युवावस्था तक तथा पति की अर्द्धांगिनी बनकर सम्पूर्ण जीवनकाल तक अपने जीवनमूल्य की चिन्ता किये बिना पुरुष हितों की रक्षा हेतु निरन्तर तत्पर रही है। समाज निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका अतुलनीय रही है। महिलाएँ अपनी शक्ति और क्षमता प्राचीनकाल से सिद्ध करती आ रही है जिसकी पुष्टि इतिहास के विभिन्न कालों में की जा सकती है।

वैदिककाल में महिलाओं की स्थिति–वैदिककाल महिलाओं के जीवन का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। इस काल में महिलाओं की स्वतन्त्रता पुरुषों के ही समकक्ष रही है। धर्म, शिक्षा, राजनीति के साथ–साथ पारिवारिक सम्पत्ति में भी उसे पुरुषों के सदृश्य बराबर का अधिकार प्राप्त था। अथर्ववेद संहिता से स्पष्ट है कि समाज में महिलाओं का उच्च स्थान और सम्मान था, उसे पुरुषों की सहधर्मिणी भी कहा गया। उसे मन्त्रद्रष्टा के रूप में 'ऋषिका; कहा जाता था। वह जीवन के प्रत्येक क्षण हेतु स्वतन्त्र थी।[1] मनुस्मृति स्त्री और पुरुष के भेद को स्वीकार न करते हुए कहता है कि पुरुष शरीर, सन्तान तथा स्त्री तीनों मिलकर पुण्य का निर्माण करते हैं। विद्वानों का विचार है कि जो पति है वही स्त्री है अर्थात् स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता।[2] अर्थात् इसे ही अर्द्धांगिनी कहा जाता है। पुरुष स्त्री के बिना हमेशा अधूरा रहा है। जीवन के कर्तव्यों की पूति हेतु उसे विवाहोपरान्त स्त्री के रूप में जीवन साथी प्राप्त कर किया जाता था। तत्कालीन समाज में महिलाओं का अपमान सबसे बड़ा पाप माना जाता था और उनकी रक्षा करना वीरता का परिचायक था। समाज में पुत्री के स्थान पर पुत्र प्राप्ति की कामना को भी महत्त्व प्राप्त था।

बाल्मीकि रामायण स्त्रियों की उत्कृष्टता, सम्मान की पुष्टि करता है। समाज में स्त्रियों का उचित सम्मान होता था, उन्हें अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन का अधिकार प्राप्त था। जीवन की सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है, जो तत्कालीन समाज की स्त्रियों को प्राप्त थी। तारा राजनीति की ज्ञाता थी, तत्कालीन समाज के राजाओं को भी राजनीति के गुण तारा के विचारों से प्राप्त होता था। उसके निर्णय को स्वीकार करना भी अपेक्षित था। कैकेयी युद्ध विद्या में पारंगत थी तथा युद्ध में प्रतिभाग करती थी।[3] किसी भी समाज में शिक्षा एवं धर्म उस समाज की सभ्या उएवं संस्कृति का परिचायक होती है। स्त्रियों का यज्ञ में भाग लेना हिन्दू महिलाओं के आदर्श की उत्कृष्टता को दर्शाता है। कौशल्या स्वयं 'स्वस्ति यज्ञ' करती थी। यह यज्ञ सौभाग्यशाली एवं ऐश्वर्यवान् पुत्र की कामना के साथ की जाती है। सीता भी 'संध्या' करती थी। इस प्रकार तत्कालीन समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे, वाल्मीकि रामायण से इस तथ्य की पुष्टि होती थी।[4]

उत्तरवैदिककाल में महिलाओं की स्थिति–उत्तरवैदिक काल से महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट देखी जा सकती है। तत्कालीन समाज में महिलाओं के सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों में तो कभी नहीं आयी किन्तु उनके वैयक्तिक जीवनकाल में अवनति अवश्य ही शुरू हो चुका था। महिलाओं के सन्दर्भ में धर्मशास्त्रों के उद्धरणों से प्राप्त सन्दर्भों को जोड़ने पर सामंजस्य स्थापित कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। कहीं स्त्रियों को शक्ति का प्रतीक कहा गया है तो कहीं नरक का द्वार भी। जबकि संसार विना स्त्री के पूर्ण नहीं हो सकता है। महाभारत से विदित होता है कि स्त्रियाँ सदा सर्वथा पूजनीया है। जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। स्त्रियाँ प्रत्येक अवस्था में पवित्र है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ कोई भी शुभकार्य सफल नहीं हो सकता है।[5] मनुस्मृति से भी इसी बात की पुष्टि होती है। स्मृति कहता है कि ''जिस कुल में स्त्रियाँ पूजनीय है। वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ सभी धार्मिक कार्य निष्फल हो जाते हैं।[6]

धर्मसूत्रों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों को कठोरतम बन्धनों से जकड़ा जा रहा था। स्त्रियों को घर की चहारदीवारी की सीमाओं से बाँधा जा रहा था। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि परदा प्रथा का आगमन हो चुका था। बौधायन ने

स्पष्ट किया है कि ''नारी स्वतन्त्रता प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं है।[7] स्त्री को पति के सान्निध्य में रहकर धर्मादि की अनुपालन करना चाहिए।[8] बौद्धधर्म से भी स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय से स्त्रियों की प्रस्थिति में ह्रास शुरू हो चुका था। यही नहीं बल्कि बौद्धधर्म का उद्‌भव ही सामाजिक और धार्मिक स्थिति में पतन के कारण हुआ था। यहीं से मनु परम्परा का आगमन दिखाई पड़ता है। मनुस्मृति में ही सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण दिखाई पड़ता है। जन्म से मृत्यु तक स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना गया। मनुस्मृति कहता है कि ''कन्या, पत्नी और माता जैसी प्रस्थिति में वह पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवनयापन करेंगी।''[9] अर्थात् स्त्रियों का जीवन मात्र पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करना ही रह गया था। पवित्रता की धारणा को ढाल बनाकर उन्हें अनेकों धार्मिक कत्र्तव्यों से भी मुक्त रखा गया।

धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की स्थिति–धर्मशास्त्रकाल तीसरी शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी के शुरुआती काल तक का इतिहास इस बात का संकेत करता है कि तत्कालीन समय में महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू होकर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। तत्कालीन समय में स्मृतियों एवं संहिताओं की रचना हुई। ऐसे धर्मशास्त्रों ने वेदों के नियम को पीछे छोड़ते हुए मनुस्मृति को ही सबसे बड़ा धर्मशास्त्र स्वीकार कर लिया। तत्युगीन समाज और धर्म दोनों ही संक्रमण के दौर में दिखाई देते हैं। महिलाएँ इस संक्रमण काल में कुछ अधिक ही प्रभावित हुई। कभी जो गृहलक्ष्मी थी वह दासी बन गयी। शक्ति का प्रतीक कही जाने वाली स्त्रियाँ अब शक्तिहीन हो चुकी थीं। पुरुषों की शक्ति के आगे स्त्रियाँ अबला एवं असहाय हो गयी। वह मात्र वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर पुरुषों की सेवा में लीन होने योग्य रह गयी थीं। स्त्रियों को शिक्षा और सम्पत्ति दोनों से ही वंचित कर दिया गया। बाल–विवाह, बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा मिलने लगा और धीरे–धीरे वह मात्र वस्तु के रूप में अपना जीवन–निर्वहन करने के लिए बाध्य हो गयी। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री बाल्यकाल में पिता के साथ यौवनावस्था में पति के साथ और पति की मृत्यु हो जाने पर पुत्री के अधीन रहे, कभी स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन न करे।[10]

मध्यकाल में स्त्री की स्थिति–मध्यकाल का इतिहास ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में सर्वाधिक गिरावट देखी जा सकती है। तत्कालीन समाज में मुस्लिम शासकों का प्रभाव यहाँ की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। मध्यकाल में रक्त की शुद्धता का प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो चुका था। पारिवारिक सम्पत्ति के अधिकार से उन्हें वंचित किया गया। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बढ़ गया, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा सकती है। विधवा विवाह वर्जित था। तत्कालीन भारतीय समाज पूर्ण रूप से अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ दिखाई पड़ता है। पाखण्डवाद और रूढ़ियाँ चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थीं।

ब्रिटिशकाल में स्त्रियों की स्थिति–अट्ठारहवीं शताब्दी से लेकर स्वतन्त्रताकाल तक का इतिहास यह बताता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न बनी रही। किन्तु समाज सुधार आन्दोलनों के माध्यम से महिलाओं के हितों की बात अवश्य उठती रही। अंग्रेजी शासकों द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं दिखाई पड़ता है। सामाजिक निर्योग्यताएँ समाज में बनी रहीं यथा– सती प्रथा, जौहर प्रथा, परदा प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा जैसी कुरीतियों के कारण स्त्रियों की प्रस्थिति निम्न बनी रही। अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार न होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण भारतीय समाज में पुरुष सत्तात्मक सोच अंग्रेज भी इस प्रकार के किसी भी सुधार के पक्षधर इसलिए भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें भारतीय उपनिवेश पर मात्र शासन करना था।

स्वतन्त्रता पश्चात् महिलाओं की स्थिति–स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय व्यवस्था के साथ ही महिलाओं की प्रस्थिति में युगान्तकारी परिवर्तन हुआ। भारतीय समाज में पनपी विभिन्न कुरीतियाँ जन आन्दोलनों के प्रभाव से तथा भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान किये गये संरक्षण द्वारा पुनः महिलाओं को खोई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। भारतीय महिलाएँ जागृति और राष्ट्रवाद जैसी स्वतन्त्रता आन्दोलन की विशेषताओं के माध्यम से क्रान्तिकारी रूप परिवर्तन हुए।[11]

निष्कर्ष–वैश्विक परिवेश में महिलाओं को समाज में उनका अधिकार, आत्मविश्वास, गरिमा जैसी मानवीय व्यवहार प्रदान करने हेतु सामाजिक संगठनों, आन्दोलनों एवं कानून के माध्यम से पुनः समाज में खोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकीं हैं। महिलाओं ने अपनी संघर्ष यात्रा स्व्यं शुरू की और सफलता प्राप्त की है। पुरुष सत्तात्मक मानसिकता पर महिलाओं के साथ–साथ पुरुषों ने भी विजय प्राप्त की है। तभी महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान प्राप्त हो सका है।

सन्दर्भ सूची– (1)अथर्ववेद संहिता, 11/5/8 (2)एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह। विप्रः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना।। –मनुस्मृति, 9/45 (3)उद्धृत, रामेश्वरप्रसाद गुप्त, वाल्मीकि रामायण में राजनीतिक तत्त्व, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, पृ. 293 (4)प्रभु, पी.एच., हिन्दू सामाजिक संगठन, पृ.262 (5)पूज्या लालयितव्याश्च स्त्रियो नित्यं जनाधिप। स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।। –महाभारत अनुशासन पर्व, 46/5 (6)यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।। –मनुस्मृति, 3/56 (7)न स्त्री स्वातंत्र्यं विन्दते– बौधायन धर्मसूत्र, 2/3/45 (8)अस्वतन्त्रता धर्मे स्त्री– गौतम धर्मसूत्र, 2/9/1 (9)पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।। –मनुस्मृति, 9/3 (10)बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने। पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्स्त्रीस्वतंत्रताम्।। –मनुस्मृति, 5/148 (11)परमार शुभ्रा, नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार, ओरियण्ट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, पृ. 94

7.हिन्दू विवाह के उद्देश्यों एवं उनमें हो रहे परिवर्तन : एक अध्ययन

–[1]सोनी स्वर्णकार [2]डॉ.अमूल्य कुमार सिंह
[1]शोध छात्रा–समाजशास्त्र,
डॉ.रा.म.लो. अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)
[2]एसो.प्रोफेसर,
समाजशास्त्र, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

भारतीय सामाजिक जीवन पद्धति में जहाँ हिन्दू विवाह को संस्कार माना गया है, वहीं सामाजिक सन्दर्भ में विवाह प्रेम और काम के सम्पूर्ण विस्तार को प्रकट करने का संयत तथा सामाजिक कानून द्वारा स्वीकृत प्रसारण भी है। हिन्दू विवाह सृष्टि के संचालन का वह आधारभूत माध्यम है जो प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष के बीच परस्पर आकर्षण के माध्यम से एक–दूसरे के लिए पूरक है, एक ही सिक्के के दो पक्ष भी कह सकते हैं। इसी मान्यता के आधार पर पत्नी को पति की अर्द्धांगिनी कहा गया है। वास्तव में विवाह चाहे जिस धर्म और जाति का हो सभी में विवाह का मूल उद्देश्य सृजन ही है। साथ ही ईश्वर प्रदत्त काम, सुन्दर विस्तार के प्रभात पुष्प रूपी तन एवं मन को आह्लादित करने वाले प्रेम रूपी आत्मीय स्वरूप भी है। हिन्दू जीवनदर्शन में विवाह के उद्देश्यों में धर्म, प्रजा (सन्तान) तथा रति (आनन्द) को ही महत्त्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। यद्यपि काम अथवा यौन–सम्बन्ध विवाह का एक निमित्त मात्र है, किन्तु इसे तीसरा स्थान प्राप्त है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि यह उद्देश्य अति महत्त्वपूर्ण नहीं है।"[1] अति महत्त्वपूर्ण न होते हुए भी यह उद्देश्य है। मानव जीवन में विवाह के उद्देश्या में रति अर्थात् यौन प्रवृत्ति सभ्यता के विकास तथा स्त्री–पुरुष की परिस्थितियों के अनुरूप नित नवीन प्रकार से अनुकूलन स्थापित करती है, जिसे मानव का सामाजिक जीवन संतुलित रूप से निरन्तर प्रवाहमान रहे।

विवाह का आशय वर द्वारा वधू को अपने घर ले जाने से है, किन्तु इसमें धार्मिक और लौकिक विचारासें का भी समावेश होता है, जो इस संसार के पूर्ण होने हेतु प्रयोग किया जाता है। हिन्दू विवाह को जीवन पथ का एक आवश्यक संस्कार भी कहा जाता है जो शरीर और मन की शुद्धि हेतु पुरुष और स्त्री को एक निश्चित आयु एवं समय पर विवाह बन्धन में बँध जाना चाहिए। इसलिए हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में सम्पादित किया जाता है।[2] विवाह विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, संस्कारों, विचारधाराओं के साथ–साथ पीढ़ी विस्तार का समाज सम्मत ऐसा माध्यम है जो जीवन के अभाव को समाप्त कर नवीन अनुभवों से ओत–प्रोत कर देता है। जीवन मधुर कटु–अनुभवों का अप्रतिम, अभिन्न संयोग भी है जो जीवन की विकासयात्रा को उपक्रम प्रदान करता है।[3] भारत में विवाह धार्मिक कर्त्तव्यों के समापन हेतु एक पवित्र संयोग है। यह संयोग पवित्रता के साथ–साथ सम्पूर्ण जीवन निवर्हन की पद्धति भी है जो पति की मृत्यु के पश्चात् भी चलता रहता है। माता–पिता के नैतिक कर्त्तव्यों में से विवाह भी एक कर्त्तव्य है जो अपने पुत्र–पुत्रियों हेतु अच्छे और संस्कारिक जीवन साथी का चुनाव करें, साथ ही बच्चों का भी यह नैतिक कर्त्तव्य बन जाता है कि माता–पिता द्वारा चयनित जीवन साथी को स्वीकार कर उनका सम्मान करे।[4]

विवाह समुदाय तथा परिवार के प्रति एक सामाजिक कर्त्तव्य के रूप में था परन्तु समकालीन परिदृश्य में शिक्षा के प्रभाव, आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण अब महिलाओं में भी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इसी आत्मनिर्भरता के प्रभाव से हिन्दू विवाह में परिवर्तन की नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। भारत सरकार द्वारा भी विवाह जैसी सामाजिक संस्था को कानूनी रूप प्रदान कर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया था। समाज में नये आदर्शों की स्थापना हेतु सिविल मैरिज एक्ट 1954 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 भारत सरकार द्वारा बनाये गये। इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से विवाह के उद्देश्यों, नियमों तथा सीमाओं में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। सम्बन्धित साहित्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं। **कपाडिया (1966)**– के.एम. कपाडिया ने कहा है कि सपिण्ड बहिर्विवाह का नियम एक पवित्र सिफारिश थी। आठवीं शताब्दी तक यह प्रचलन में बनी रही किन्तु वर्तमान प्रस्थिति में यह नियम अधिकतर सभी हिन्दू अपनाते हैं, फिर भी सहोदरज विवाह आज अप्रचलित नहीं है।[5] **विमल शाह (1975)**– विमल शाह ने सन् 1960–61 में गुजरात विश्वविद्यालय के हिन्दू स्नातक छात्र–छात्राओं में से 281 का अध्ययन किया तथा व्यवस्थित विवाह के विषय में उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण किया उन्होंने उनकी पसन्द क्या है? वह स्वयं या माता–पिता की पसन्द मानते हैं? इसमें मात्र 4.0 प्रतिशत लड़कियाँ तथा 7.3 प्रतिशत लड़कों ने अपनी पसन्द का जीवनसाथी चुनना स्वीकार किया।[6]

शोध उद्देश्य–शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं– **1.**हिन्दू परिवारों की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता लगाना। **2.**हिन्दू परिवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का पता लगाना। **3.**हिन्दू परिवारों की आर्थिक व व्यावसायिक पृष्ठभूमि का पता लगाना। **4.**हिन्दू परिवारों की विवाह के परम्परागत स्वरूपों के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना। **5.**हिन्दू परिवारों का हिन्दू विवाह में परिवर्तन में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति दृष्टिकोण का पता लगाना।

शोध–प्रारूप–प्रस्तुत शोध–पत्र उत्तर–प्रदेश के अयोध्या जनपद में आवासित हिन्दू परिवारों पर आधारित है। यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक तथा प्रयोगात्मक प्रारूप पर आधारित है। इस अध्ययन में अयोध्या जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं

पर्याप्त निदर्श का चयन करते हुए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के माध्यम से 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है जिसमें विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म, स्त्री, पुरुष आदि को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है। समंकों तथा तथ्यों को एकत्रित करने हेतु साक्षात्कार प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग शोध पत्र में किया गया है। शोध अध्ययन में द्वितीयक तथ्यों एवं समंकों को विभिन्न पुस्तकों, जर्नल्स, समाचार पत्रों आदि से प्राप्त कर यथा–स्थान समाहित करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की उपलब्धियाँ–प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं–

सारणी सं.–01 क्या हिन्दू विवाह एक जीवन–विधि है?

क्र. सं.	हिन्दू विवाह	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	235	78.33
2.	नहीं	35	11.67
3.	कह नहीं सकते	30	10.00
	योग	300.00	100.00

उपरोक्त सारणी सं. 1 के अध्ययन में उत्तरदाताओं से विचार लिया गया कि क्या हिन्दू विवाह एक जीवन–विधि है? के क्रम में हिन्दू विवाह को जीवन विधि स्वीकार करने वाले कुल उत्तरदाताओं का प्रतिशत है, 78.33 जबकि नहीं मानने वाले 11.67 प्रतिशत उत्तरदाता हैं, वहीं लगभग 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ भी कह सकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन में सम्मिलित कुल 300 उत्तरदाताओं में से कुल 235 (78.33 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते हैं कि हिन्दू विवाह एक संस्कार होने के कारण ही एक जीवन–विधि है।

सारणी संख्या–02 क्या ग्रामीण जीवन में भी हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है? आप सहमत हैं।

क्र. सं.	सहमति के प्रति विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सहमत	210	70.00
2.	असहमत	75	25.00
3.	कह नहीं सकते	15	5.00
	योग	300.00	100.00

उपरोक्त सारणी संख्या–02 के अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या ग्रामीण जीवन में भी हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है? इस क्रम में ग्रामीण जीवन में हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन से लगभग 70.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं एवं 25.00 प्रतिशत असहमत हैं जबकि मात्र 0.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ नहीं कहा।इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 210 (70.00 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते हैं कि आज के आधुनिक परिवेश में परिवर्तन शाश्वत है इसलिए ग्रामीण जीवन में भी हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन अवश्य हो रहा है।

सारणी संख्या–03 क्या हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन संचार–साधनों की देन है?

क्र. सं.	संचार–साधनों का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	265	88.33
2.	नहीं	35	11.67
	योग	300.00	100.00

उपरोक्त सारणी संख्या–03 के अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन संचार–साधनों की देन है? के क्रम में स्पष्ट है कि कुल 88.33 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि हाँ हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन संचार–साधनों की देन है, जबकि मात्र 11.67 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते।इस प्रकार अध्ययन में सम्मिलित सम्पूर्ण 300 उत्तरदाताओं के विचारों में सर्वाधिक 265 (88.33 प्रतिशत) उत्तरदाता यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि वर्तमान आधुनिक परिदृश्य में हिन्दू विवाह भी परिवर्तन के दौर में है। आधुनिकीकरण का प्रभाव, संचार–साधनों का प्रभाव भारतीय सामाजिक संरचना पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है।

निष्कर्ष–भारतीय सामाजिक जीवन–पद्धति में हिन्दू विवाह एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। वास्तव में यह जीवन–विधि के साथ–साथ जीवन प्रदान भी करता है। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित अधिकांश पक्षों में अब आधुनिकीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तीव्रगति से प्रवाहित हो रही जीवन शैली पर आधुनिकता चरम पर है। संचार–साधनों ने उसे और गति प्रदान की है। इसीलिए हिन्दू विवाह के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है।

सन्दर्भ सूची–1.कपाड़िया, के.एम., भारत में विवाह एवं परिवार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पृ. 173 **2.**दीक्षित, प्रकाशचन्द्र, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, उ.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, पृ. 162 **3.**त्रिवेदी, मृदुला एवं त्रिवेदी टी.पी., विवाह विमर्श, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पृ. 260 **4.**भूषण, सचदेवा, समाजशास्त्र, पियर्सन, दिल्ली, पृ.113 **5.** Kapadia, K.M.; Marriage and Family in India, Oxford University Press, Delhi, 1966 **6-**Shah, Vimal; Mate Selection : Theories and Educated Hindu Youths Attitudes Towards Mate Selection in Narain Dhirendra (ed), Exploration in the Family and other Essays, Thacker and Co. Bombay, 1975.

8.ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली पर नगरीय संस्कृति का प्रभाव

–चन्द्रशेखर सिंह
शोधछात्र–समाजशास्त्र
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)

सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक संरचना का गठन समाज के सामाजिक सम्बन्घों द्वारा ही हुआ हे। समाज चाहे ग्रामीण हो अथवा नगरीय वह सामाजिक सम्बन्धों के ताने–बाने से अलग नहीं हो सकता है। गाँव जिसे हम प्रथाओं और परम्पराओं का केन्द्र मानते हैं। समय परिवर्तन की तीव्रता, वैश्विक संस्कृति, आधुनिकीकरण का बढ़ता प्रभाव कहीं न कहीं ग्रामीण समाज के ताने–बाने को प्रभावित कर रहा है। आधुनिकीकरण का बढ़ता प्रभाव, सामाजिक संरचना को असन्तुलित कर रहा है। जहाँ ग्रामीण जीवन सरल और सामुदायिक भावना का नेतृत्व करते थे, अब उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना तीव्रगति से दिखाई पड़ती है। रहन–सहन, खान–पान में भी अब परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कभी हमारा ग्रामीण जीवन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से चलता था, अब हम भौतिकवादी वस्तुओं के बिना जीवन निवर्हन नहीं कर पा रहे हैं।

आधुनिक भौतिकवादी समाज में नगरीय संस्कृति ने कहीं न कहीं ग्रामीण सामाजिक संरचना को अवश्य ही प्रभावित किया है। जहाँ ग्रामीण समाज में सम्मान की भावना, बड़े बुजुर्गों के प्रति अब धीरे–धीरे कम होने लगी है, धर्म के महत्त्व में भी पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। विकास का प्रभाव अब कार्यशैली में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। सर्वाधिक प्रभाव संचार साधनों का रहा है। एक ओर संचार–साधन जहाँ आवश्यक आवश्यकता बन चुके है वहीं संचार–साधनों कही सुलभता ने सामाजिक सम्बन्धों को औपचारिक बना दिया है। ग्रामीण समाज का युवा अब गाँव से दूर होता जा रहा है वह नगरों की चकाचौंध, संसाधनों की सुलभता का मोह उसे नगरीय संस्कृति में ढाल चुका है। कुछ उच्चवर्गीय परिवार अब गाँव में भी पूर्ण नगरीय संसाधनों को उपभोग में लाते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। आज के आधुनिक परिवेश में गाँव संक्रमण की स्थिति में है। ग्रामीण संयुक्त परिवार विघटित हो चुका है। संचार–साधन, भौतिक संसाधनों ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को पूर्णरूप से जकड़ लिया है।

ग्रामीण समाज के सन्दर्भ में नई पीढ़ी की धारणा परिवर्तित करने की आवश्यकता है। गाँव को और विकसित करना होगा, युवा पीढ़ी अगर गाँव से मुँह मोड़ लेगी तो आने वाले समय में अनेक मूल्य एवं परम्परायें समाप्त हो जायेंगी। सरकारी प्रयास और ग्रामीण जागरूकता ही आधुनिक भौतिक संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर पायेगी। ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली पर नगरीय संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है।आई.पी. देसाई (1964) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गुजरात के महुआ क्षेत्र के कुल 423 परिवारों के अध्ययन से पीढ़ी विस्तार में एक पीढ़ी की अपेक्षा दो पीढी से अधिक समय से एकाकी परिवार चलन में है जबकि तीन पीढ़ी पूर्व यही परिवार संयुक्त परिवार थे। अर्थात् ग्रामीण सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार का विघटन दो पीढ़ी पूर्व ही शुरू हो चुका था।[1] के.एम. कपाड़िया (1956) ने ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। गुजरात के नौसारी जिले के कुल 15 ग्रामों के अध्ययन में कुल 1345 परिवार सम्मिलित थे। इस अध्ययन में प्राप्त निष्कर्ष में देखा गया कि संयुक्त परिवार का ढाँचा एकाकी परिवार की ओर नहीं झुक रहा है। ग्रामीण व नगरीय परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन जाति प्रथा में आर्थिक कारकों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आया है।[2]आर.के. मुखर्जी (1975) ने पश्चिम बंगाल के 4210 परिवारों के अध्ययन में पाया कि संयुक्त परिवार की संरचना एकाकी परिवारों में तेजी के साथ परिवर्तित हो रही है। संयुक्त परिवार का स्थान अब एकाकी परिवारों ने ग्रहण करना शुरू कर दिया है। यह कहीं न कहीं नगरीय संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है।[3] दीपा माथुर (1992) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कार्यशील महिलाएँ घर की जिम्मेदारी के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु अपनी कार्यशीलता से समायोजन बना लेती हैं।[4]

शोध प्रारूप् प्रस्तुत शोध अध्ययन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के अखण्डनगर विकासखण्ड के चार गाँवों से कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्ग साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग कर उत्तरदाताओं से प्रश्नावली के आधार पर जानकारी प्राप्त की गयी तथा द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत सरकारी आँकड़ों का भी संकलन किया गयइं उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली पर नगरीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न के उत्तर में निम्न सारणी 01 में दर्शाया गया है–

सारणी सं. 01 ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली पर प्रभाव

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

क्र. सं.	प्रभाव के प्रति आवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या बनबहा सिरखिनपुर		उत्तरदाताओं की संख्या बडोरा ख्वाजापुर		उत्तरदाताओं की संख्या जगदीशपुर		उत्तरदाताओं की संख्या पारा बासूपुर		सम्पूर्ण योग
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	
1	हाँ	62	82.67	58	77.33	50	66.67	55	73.33	225
2	नहीं	10	13.33	12	16.00	20	16.67	10	13.33	52
3.	कह नहीं सकते	03	04.00	05	6.67	05	6.66	10	13.33	23
	योग	75	100	75	100	75	100	75	100	300

उक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली पर नगरीय संस्कृति प्रभाव स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं की कुल संख्या 225 (75. 00 प्रतिशत) एवं नहीं कहने वाले उत्तरदाताओं की कुल संख्या 52 (17.33 प्रतिशत) है जबकि कुछ भी कहने में असमर्थ उत्तरदाताओं की संख्या 23 (7.67 प्रतिशत) ही है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान आधुनिक परिवेश में ग्र्रामीण सामाजिक संरचना एंव कार्यशैली पर नगरीय संस्कृति पूर्ण रूप से प्रभावी है। आज ग्रामीण समाज का प्रत्येक परिवार नगरीय संस्कृति से किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही जुड़ा है जिसके कारण वह अपने साथ नगरीय संस्कृति के आचार–विचार एवं व्यवहार रखता ही है। अतः अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि नगरीय संस्कृति से ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली का कौन सा अंग अधिक प्रभावित हुआ है–

सारणी सं. 02 ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली के प्रभावित अंग

क्र. सं.	प्रभावित अंगों के प्रति आवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या बनबहा सिरखिनपुर		उत्तरदाताओं की संख्या बडोरा ख्वाजापुर		उत्तरदाताओं की संख्या जगदीशपुर		उत्तरदाताओं की संख्या पारा बासूपुर		सम्पूर्ण योग
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	
1	परिवार	15	20.00	11	14.67	18	24.00	20	26.67	64.00
2	शिक्षा	10	13.33	15	20.00	12	16.00	10	13.33	47.00
3.	धर्म	13	14.33	16	21.33	16	21.33	12	16.00	57.00
4	विवाह	14	18.67	10	13.33	18	24.00	12	16.00	54.00
5.	संस्कार, संस्कृति	20	26.67	18	24.00	07	9.33	16	21.33	61.00
6.	अन्य	03	4.00	5.	6.67	4	5.33	5	6.67	17.00
	योग	75	100	75	100	75	100	75	100	300

उक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाजिक संरचना और कार्यशैली का कौन–सा अंग प्रभावित होता है। नगरीय संस्कृति के प्रभाव के उत्तरदाताओं ने कुल 47 (15.67 प्रतिशत) ने शिक्षा को 64 ;21.33 प्रतिशत), परिवार को 54 (18. 00 प्रतिशत), विवाह एवं संस्कृति को 61 (20.33 प्रतिशत), धर्म को 54 (18.00 प्रतिशत) ऐसे उत्तरदाता हैं जो अन्य माध्यमों को ग्रामीण सामाजिक संरचना को प्रभावित करने का अंग स्वीकार करते हैं।वास्तव में सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नगरीय संस्कृति ने परिवार, शिक्षा, धर्म, विवाह आदि सभी पक्षों को प्रभावित किया है। अतः अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि क्या भौतिकवादी संस्कृति ने ग्रामीण संरचना को प्रभावित किया है–

सारणी सं. 03भौतिकवादी संस्कृति का ग्रामीण संरचना पर प्रभाव

क्र.सं.	भौतिकवादी संस्कृति के प्रभाव के प्रति आवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या बनबहा सिरखिनपुर		उत्तरदाताओं की संख्या बडोरा ख्वाजापुर		उत्तरदाताओं की संख्या जगदीशपुर		उत्तरदाताओं की संख्या पारा बासूपुर		सम्पूर्ण योग
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	
1	हाँ	47	62.67	55	73.33	53	70.67	57	76.00	212
2	नहीं	20	26.67	15	20.00	18	24.00	12	16.00	65
3.	कह नहीं सकते	08	10.66	05	6.67	04	5.33	06	8.00	23
	योग	75	100	75	100	75	100	75	100	300

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी संस्कृति ने ग्रामीण संरचना को प्रभावित किया है। भौतिकवादी संस्कृति के प्रभाव को सम्पूर्ण 300 उत्तरदाताओं में से 212 (70.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि हाँ ग्रामीण सामाजिक संरचना को भौतिकवाउदी संस्कृति ने अधिक प्रभावित किया है एवं 65 (21.67 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि 23 (7.66 प्रतिशत) उत्तरदाता कुछ भी नहीं बता पाये। इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिस्थिति में भौतिकतावादी संस्कृति नगरों ही नहीं बल्कि ग्रामीण संरचना को भी प्रभावित किया है। मूल्यों, परम्पराओं में विघटन अब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अतः अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि नगरीय संस्कृति के प्रभाव के कारण परम्परागत मूल्यों एवं रीति–रिवाजों में परिवर्तन आया है?

सारणी सं. 04 मूल्यों एवं रीति–रिवाजों में परिवर्तन

क्र. सं.	परिवर्तन के प्रति आवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या बनबहा सिरखिनपुर		उत्तरदाताओं की संख्या बडोरा ख्वाजापुर		उत्तरदाताओं की संख्या जगदीशपुर		उत्तरदाताओं की संख्या पारा बासूपुर		सम्पूर्ण योग
		संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	संख्या	प्रति.	
1	आंशिक रूप से	45	60.00	42	56.00	48	64.00	40	53.33	175
2	पूर्ण रूप से	20	26.67	23	30.67	25	33.33	28	37.33	96
3.	कोई परिवर्तन नहीं	10	13.33	10	13.33	02	2.67	07	9.33	29
	योग	75	100	75	100	75	100	75	100	300

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगरीय संस्कृति के प्रभाव के कारण परम्परागत मूल्यों एवं रीति–रिवाजों में परिवर्तन को 175 (58.33 प्रतिशत) उत्तरदाता आंशिक रूप से मानते हैं एवं 96 (32.00 प्रतिशत) उत्तरदाता पूर्ण रूप से जबकि मात्र 29 (9.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लगभग 59 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते हैं कि नगरीय संस्कृति के प्रभाव से ग्रामीण सामाजिक संरचना में परम्परागत मूल्यों एवं रीति–रिवाजों में परिवर्तन अवश्य हुआ है किन्तु आंशिक रूप से।

निष्कर्ष–

अतः निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कार्यशैली परी नगरीय संस्कृति का प्रभाव आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। परिवार, धर्म, संस्कृति पर भी यह प्रभाव अब अवश्य ही दिखाई पड़ रहा है। भौतिकवादी संस्कृति ने परम्परागत मूल्यों एवं रीति–रिवाजों को लगभग परिवर्तित ही कर दिया है।

सन्दर्भ सूची–

1.Desai, I.P.; Some Aspects of Family in Mahuva, Asia Publishing House, Bombay, p. 21
2.Kapadia, K.M.; Rural Family Patterns; "Sociological Bulletin, Vol. V, No. 2, September 1956, p. 111-126
3.Mukherjee, R.K.; Exploration in the Family and other Essays Thacker and Company, Bombay, p. 1-64.
4.Mathur, Deepa; Women, Family and Work, Rawat Publications Jaipur, p. 23.

9.पर्यावरण संरक्षण में धर्म की प्रासंगिकता

–डॉ.रमेश प्रताप सिंह
असि. प्रोफे.–प्राचीन इतिहास विभाग,
का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)

पर्यावरण मानव जीवन हेतु ईश्वर प्रदत्त सर्वाधिक अनुपम कृति है। मानव जीवन का स्वरूप भी उस पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है जिसमें व्यक्ति अपना जीवन निर्वहन करता है। प्रकृति द्वारा हमारे आस–पास की वनस्पति, खनिज–पदार्थ, जीव–जन्तु आदि इसी पर्यावरण का भाग है। यह भी सत्य है कि जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी अनुरूप हमारे आस–पास की वनस्पतियाँ एवं जीवजन्तु भी होते हैं। मनुष्य भी सामाजिक प्राणी होने के कारण इसी पर्यावरण में पैद होता है असका जीवन भी बना रहता है। मानव अपने जीवन–काल में कभी भी अकेला नहीं होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक करोड़ों जीव–जन्तुओं से घिरा और प्रभावित होता है। इसी वातावरण को ही हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं।

हमारे चारों ओर के आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं यथा– मानव केन्द्र बिन्दु है तो इस प्राणी के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह प्राकृतिक है, जैसे वायु, जल, भूमि, खनिज पदार्थ, पेड़–पौधे, तापमान, आर्द्रता आदि, जो पर्यावरण का नेतृत्व करती है।[1] इन्हीं तत्वों के बीच हमारा जीवन है। यही तत्व प्रकृति और मानव समाज के बीच सन्तुलन स्थापित करने का भी कार्य करता है, क्योंकि मानव स्वयं के जीवनयापन हेतु पर्यावरण को छेड़ता रहा है। निरन्तर पर्यावरण क्षरण के कारण असन्तुलन का भी सामना मानव समाज को ही भूकम्प, समन्दर का उफान, पर्वतों, पहाड़ों का टूटना, अधिक बरसात, तूफान, बर्फबारी के रूप में समय–समय पर करना पड़ा है। विकास के नाम पर वैज्ञानिक विकास द्वारा जहरीला गैस, धुँआ, अधिक उर्वरक का प्रयोग, नदियों में उद्योगों द्वारा छोड़ा गया कचरा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को प्रदर्शित करता है जो प्रदूषण के रूप में पर्यावरण संकट का सामना करना पड़ता है।[2]

पर्यावरण ने जहाँ मानव जीवन प्रदान किया है वहीं मानव ने अधिक पाने की चाहत में प्रकृति और मानव जीवन के बीच ऐसा असन्तुलन पैदा कर दिया है कि इस नुकसान की भरपाई करना दूर की कौड़ी लगता है। मानव का लालची स्वभाव ने उसे अपने ही सर्वनाश हेतु तैयार कर लिया है। जल, जमीन, जंगल, हवा, खनिज पदार्थों एवं वनस्पति की आवश्यकता से अधिक दोहन विकास के नाम पर जंगलों का निरन्तर काटा जाना,

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

नदियों का निरन्तर कचरे द्वारा प्रदूषित किया जाना, यातायात साधनों, भौतिक साधनों के धुए द्वारा शुद्ध वायु पूर्ण से प्रदूषित होने के कगार पर है जो अधिक कार्बन डाई–आक्साइड से वायु मण्डल का लगातार गर्म होना इस बात का संकेत है कि मानव ने प्रकृति प्रदा सम्पूर्ण जीवनदायिनी वस्तुओं संसाधनों का इतना दोहन कर लिया है कि अब वहीं संसाधन जो कभी जीवन प्रदान करते थे स्वयं के जीवन हेतु संघर्षरत हैं।

प्राचीन भारतीय समाज प्रदूषण जैसी समस्या के विषय में तो विचार नहीं करता है, किन्तु अपने आस–पास के पर्यावरण के विषय में जागृत अवश्य दिखता है। प्राचीन भारतीय ऋषि,मुनियों, विचारवान समाज प्रकृति के रहस्य को बड़े ही नजदीक से जानता और पहचानता रहा। प्रकृति के अन्यान्य घटकों का सृष्टि के विकास में अमूल्य एवं आवश्यक योगदान रहा है। हमारा पूर्वज प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर लाखों वर्षों से साथ चलने की प्रवृृि के कारण स्वयं को प्रकृति से अलग न मानते हुए हमेशा प्रकृति के अंग के रूप् में अपने को जोड़कर रखा। अपनी आवश्यकता से अधिक वह कभी भी प्रकृति से नहीं प्राप्त करना चाहा। हमारे पूर्वज प्रकृति के विज्ञान को भलीभाति जानते–समझते थे उन्होंने प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप का प्रयास कभी नहीं किया। इसीलिए पृथ्वी पर हम जैसे प्राणी अभी जीवित बचे हैं। प्रकृति को स्वयं के अनुसार ढालना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ ढल जाना ही प्राकृतिक नियम कहलाता है।

प्राचीन भारतीय चिन्तकों, ऋषियो–मुनियों ने पर्यावरण को ही जीवन का आधार स्वीकार किया था। उनकी दृष्टि में यह स्पष्ट था कि वृक्ष, वनस्पतिया एवं जंगलों से प्राप्त औषधिया बडी ही महवपूर्ण हैं जीवन के लिए। व्यक्ति जंगलों एवं औषधियों से जीवित रह सकता है, बल्कि स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, प्रयोग एवं अनुभव के आधार पर ही उन्होंने वनस्पतियों एवं औषधियों के महत्व को स्वीकार कर उन्हें मंत्रों, ऋचाओं एवं श्लोकों के द्वारा विभिन्न धर्मग्रन्थों में इसकी उपयोगिता का गुणगान करते हुए इसके संरक्षण हेतु धर्म के साथ जोड़कर मानव कल्याण की कामना की है। वैदिक साहित्य में वृक्षों, वनों, नदियों, औषधियों के महत्व को पहचान कर उन्हें धर्म के आवरण में संरक्षित करने का प्रयास किया गया। चरक संहिता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पुराणों, धर्मशास्त्रों आदि में वृक्षों, पेड़–पौधों, वनस्पतियों के महव को स्वीकार करते हुए पूजनीय, दर्शनीय कहा गया है। अनेकों ऐसे वृक्ष हैं जो धर्म के साथ संरक्षित हैं यथा–बरगद, पीपल, आम, नीम, गूलर, अशोक, बेल, तुलसी आदि को क्षति पहुचाना, काटना वर्जित किया गया, इनको काटने से पाप का भागीदार कहा गया है।[3]

धर्म एक अतिमानवीय अथवा अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित भय, श्रद्धा, भक्ति एवं पवित्रता का द्योतक है। धर्म की अभिव्यक्ति, प्रार्थना, पूजा तथा आराधना के रूप में स्वीकार होती है। दुनिया की कोई भी सभ्यता अथवा समाज नहीं रहा है जो धर्म से परे हो। जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक आदर्शों को लोक–जीवन में स्वीकार करने हेतु महत्त्वपूर्ण आधार के रूप में धर्म का स्थान रहा है। धर्म मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक तथा भावात्मक दोनों ही पक्षों का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। आध्यात्मिक जीवन के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में भी धर्म का स्थान रहा है। साथ ही परिस्थितियों का सामना करने में भी धर्म का महत्त्व रहा है।[4]

प्रसिद्ध मानवशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने स्वीकार किया है कि समाज ही धर्म का एकमात्र स्रोत है। समाज की सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। इसको हानि पहुँचाना ही पाप अथवा अधर्म कहा जाता है। दुर्खीम ने टोटमवाद की धारणा को साधारण तथा पवित्रता की धारणा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए प्राचीन जातियों अर्थात् जनजातियों द्वारा धर्म के रहस्यात्मक सम्बन्धों को टोटम के आधार पर विश्वास किया जाता है। जनजातियों में धर्म और प्रकृति के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु पशु, पौधा अथवा निर्जीव पदार्थों द्वारा गोत्र की रक्षा होती है। टोटम के माध्यम से पशु–पक्षी, पेड़–पौधे को धर्म के साथ जोड़कर पर्यावरण को भी सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य किया गया। आदिम जातियाँ पेड़–पौधे, पशु–पक्षियों को अति पावन स्वीकार करते हुए टोटम की रक्षा करता है।[5]

वैश्विक धरातल पर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति ने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुँचाई है। वृक्षों, जंगलों का विनाशकर कंकरीट के जंगल तैयार कर दुनिया को आधुनिक होने का संदेश तो अवश्य दिया किन्तु प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने पेड़ नहीं काटे, जंगल नहीं काटे बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। पर्यावरण की क्षति का उन्हें गम्भीर परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। वास्तव में प्रकृति के महत्त्व से सम्पूर्ण पश्चिमी जगत् अनभिज्ञ था। प्रकृति संरक्षण के प्रति विशेष लगाव की बात तो वह सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि पश्मिची देशों में न कोई संस्कार था न परम्पराएँ ही थी जो उन्हें प्रकृति संरक्षण के लिए सचेत करता। यह संस्कार पूरी दुनिया में मात्र भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं और नहीं दिखायी पड़ता है। वास्तव में भारत के

सनातन धर्म में इस प्रकार की परम्पराओं में प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु भण्डार पड़ा है, जो इस पृथ्वी के कल्याण के निमित्त अपना सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है।

पर्यावरण के साथ धर्म का अतुलनीय सम्बन्ध रहा है। इस देश की सभ्यता और संस्कृति इसी तथ्य को उद्घाटित करते हैं। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों कका उचित सम्मान रहा है। इसीलिए विभिन्न धर्म और संस्कृति होने के पश्चात् भी भारत दुनिया का एकमात्र श्रेष्ठ देश की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। यहाँ सभी धर्मों को हमेशा से आदर्श प्राप्त रहा है, क्योंकि सभी धर्म 'जियो और जीने दो' के पक्षधर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति में मात्र मानव समुदाय के लिए ही नहीं इस भावना का सम्मान है बल्कि प्रकृति के सभी पक्षों यथा– चर, अचर, जड़, चेतन एवं पर्यावरण के साथ भी अटूट सम्बन्ध हजारों वर्षों से गवाह रहा है।

भारतीय धर्मग्रन्थों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं अन्य ग्रन्थों में सूर्य, अग्नि, जल, वायु, इन्द्र आदि की आराधना का प्रावधान रहा है। पीपल, वृटवृक्ष, आम, बरगद, नीम, तुलसी, केला आदि वनस्पतियों को देव तुल्य मानकर उनकी पूजा–आराधना की जाती रही है। कल्पवृक्ष साक्षात कामनाओं के प्रतीक स्वरूप रहा है। यज्ञों में आहुति देने मात्र से इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। इन्हीं कर्ततव्यों से प्रकृति विकसित, प्रस्फुटित व विकसित होकर मानव कल्याण हेतु हमेशा समर्पित रही है। मनुष्य मात्र की सम्पूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति इन्हीं से सम्भव है।[6]

1. सूर्य– मनुष्य के जीवन में सूर्य का अभूतपूर्व महत्त्व है। सूर्य इस धरा पर प्रकृति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति का भी परिचायक है। मानवीय जीवन एवं प्रकृति के बीच समन्वय स्थापित करने का मूल है। मानव की दृष्टि में सूर्य के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति का भाव प्राचीनकाल से ही रहा है अर्थात् जब से इस धरा पर मानव अपने अस्तित्व को जान समझ पाया है, तभी से वह सूर्य की शक्ति को जानता और पहचानता रहा है। वैश्विक धरातल पर भी मानव सांस्कृतिक रूप से चाहे जितना अलग रहा हो किन्तु सूर्य को वह अतिप्राकृतिक एवं सम्मान के साथ दैवीय स्वरूप में स्वीकारता रहा है। ऋग्वेद में सूर्य का स्थान मुख्य देवता के रूप में स्थान प्राप्त है।

वैदिक साहित्य के सभी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों यथा– रामायण, महाभारत, वेद, पुराण एवं ब्राह्मण साहित्य में भी सूर्य के ईश्वरी उपासना के स्वरूप को श्लोकबद्ध किया गया है। पौराणिक ग्रन्थों में सूर्य के व्यापक स्वरूप का वृहद रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रन्थों में सूर्य के व्यापक स्वरूप का वृहद रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन पौराणिक ग्रन्थों यथा– भविष्य पुराण एवं साम्य पुराण सूर्य सम्प्रदाय के साक्षी हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता के रूप में सर्वविदित किया गया है।[7] वास्तविक रूप में अगर देखा जाय तो स्वतः स्पष्ट होता है कि सर्य के विना इस जीव–जगत् की कल्पना भी मिथ्या है। देव स्वरूप होकर सूर्य इस जगत् के करोड़ों जीव–जन्तुओं के साथ ही वानस्पतिक जीवों के प्राण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए प्राकृतिक देवताओं में सूर्य को सर्वोपरि स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि विना सूर्य की कृपा के सम्पूर्ण संसार की गतिविधियाँ शून्य में परिवर्तित हो सकती हैं।

2. अग्नि– अग्नि को वेदों में मूर्धन्य देव के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भौतिक अग्नि से लेकर ईश्वर तक का बोध कराते हैं। अग्नि मुख्य रूप से यज्ञिय अग्नि का परिचायक है। सभी यागों का आधार अग्नि ही है, अतः अग्नि के विना कोई भी धार्मिक कार्य असम्भव है। अग्नि को देवों का दूत कहा गया है, अग्नि ही देवों का मुख है। अग्नि के माध्यम से ही ईश्वर समस्त द्रव्यों को ग्रहण करते हैं। अग्नि सभी देवों को उनका अंश पहुँचाता है। इन्द्र के समान अग्नि को भी वृत्रहा अर्थात् ...... कहा गया है। इसका आशय है कि अग्नि पर्यावरण को शुद्धता प्रदान करता है साथ ही पाप रूपी प्रवृत्तियों का विनाश करता है।[8]

अथर्ववेद में अग्नि के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह चार प्रकार का होता है यथा–भौतिक अग्नि, जलीय अग्नि, सूर्य और विद्युत।[9] अर्थात् जहाँ भी आग्नेय तत्त्व है, वहाँ अग्निदेव हैं। अग्नि को द्युलोक, अन्तरिक्ष, पृथिवी, विद्युत, वायु और दिशाओं में समाहित माना गया है।[10] अग्नि विभिन्न रूपों में इन सभी पदार्थों में विद्यमान है।[11] मेघ में बिजली के रूप में, जल में विद्युत के रूप में, मनुष्य में स्फूर्ति के रूप में, पत्थरों में चिंगारी के रूप में, वनस्पतियों में ऊष्मा के रूप में, पशु–पक्षियों में स्फूर्ति के रूप में उपस्थित है। प्रो. ग्रिफिथ ने भी इन मंत्रों की व्याख्या में इसी भाव को प्रकट किया है।[12]

3. जल– जल ही जीवन है। इसकी कल्पना प्राचीनकाल से ही धर्मशास्त्रों, वेदों, पुराणों आदि से स्पष्ट होता रहा है। वैदिक साहित्य में जल का वरुण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अथर्ववेद में वरुण को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक कहा गया है।[13] वरुण संसार में 'ऋत' अर्थात् शाश्वत नियमों का देवता कहा गया है। वह न्याय का देवता है। अतः उसे धर्मपति भी कहा जाता है।[14] ऋग्वेद में वरुण को जलों का स्रोत कहा गया है। उन्होंने ही सरिताओं को प्रवाहित किया है। ये सरिताएँ वरुण के ऋत का अनुसरण करती हैं तथा सतत प्रवाहित होती रहती हैं। वरुण की माया की ताकत से ही नदियाँ तीव्र गति से समुद्र में गिर कर भी अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करती हैं। वरुण और मित्र सरिताओं के मित्र के रूप में हैं।[15]

4. वायु– वायु भी जीवन का आधार होता है, यह जीव जगत् के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिन पंच प्राणों से जीवन का उद्धार होता है वह शरीर संचालन हेतु महत्त्वपूर्ण होता है। पंचप्राणों यथा– उदान, व्यान, प्राण, समान और अपान। इन्हीं पंचप्राणों पर जिस मनुष्य का नियन्त्रण होता है वह जीवन को भी नियन्त्रित कर पाता है जो हठ योग के माध्यम से ही सम्भव होता है। ऑक्सीजन के कारण

ही पृथ्वी पर जीवन होता है जिसे हम प्राण वायु के रूप में जानते हैं। हिन्दू धर्म वायु को देवता के रूप में स्वीकार करता है।[16]

5. इन्द्र– जिस प्रकार सूर्य, अग्नि, जल, वायु आदि जीवन का आधार है। उसी प्रकार इन्द्र भी समस्त देवमण्डल में वर्षा के देवता के रूप में सबसे प्रतापी हैं। इन्द्र की महत्ता का गान अथर्ववेद से स्पष्ट होता है, जिसमें एक हजार मंत्रों द्वारा उन्हें महान बताया गया है। इन्द्र को प्रकाश का दाता, वर्षा का देवता, राक्षसों का विनाशक, यज्ञ का अधिष्ठाता, धर्म मानने वालों का उद्धारकर्ता कहा जाता है। इन्द्र जीवात्मा हैं। पृथ्वी के रक्षक हैं, पर्यावरण को शुद्ध बनाने, मानव जीवन की रक्षा करने वाले देवता हैं।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में हिन्दू धर्म की भूमिका हमेशा से ही अति पावन और महत्त्वपूर्ण रही है। यह सर्वविदित है कि नदियाँ, पहाड़, बादल, वृक्ष, सूर्य, चन्द्रमा की हमेशा पूजा की गयी है। पूजा इसलिए यह सभी कहीं न कहीं जीवन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि पर्यावरण की पूर्ण समझ व्यक्ति से परे है, किन्तु धर्म का आवरण सामान्य व्यक्तिम को भी इतना अवश्य समझा जाता है, उसके लिए क्या अति पावन है, जो उसे हानि और लाभ दोनों पहुँचा सकता है। प्रकृति अप्रसन्न होगी तो कष्ट पहुँचाएगी, प्रसन्न होगी खुशहाली होगी। इसीलिए प्रकृति को धर्म के साथ जोड़ा गया है जो व्यक्ति को जीवन प्रदान करती रहे।

सन्दर्भ सूची–

1.सिंह, हिरेन्द्र प्रताप, मानव समाज, मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी, पृ.141 **2.**वर्मा, सरोज कुमार, भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का द्वन्द्व, योजना, मई, 2012,पृ.29 **3.**उपाध्याय, रामबिहारी, उत्तर भारत का पुराजैव पर्यावरण, शृंखला पब्लिशिंग हाउस, फैजाबाद, पृ.18 **4.**सिन्हा, हिम्मत सिंह, संस्कृति–दर्शन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ,पृ.64 **5.**वहीं,पृ.76 **6.**गर्ग, बी.एल., पर्यावरण, प्रकृति और मानव, अभिनव प्रकाशन, अजमेर,पृ.15 **7.**प्रत्यक्षं देवता सूर्यो जगच्चक्षुर्दिवाकरः।तस्मादम्यदिका काचिद् देवता नास्ति शाश्वती।। –भविष्यपुराण, 1/48/2 **8.**द्विवेदी, कपिल देव, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ297 **9.**अथर्ववेद, 8/1/11 **10.**वही, 3/21/7 **11.**वही, 3/21/1–2 **12.**ग्रिफिथ, अथर्ववेद भाष्य–1, पृ.113 **13.**अथर्ववेद, 4/16/1–9 **14.**वरुणो धर्मपतिनामा, यजुर्वेद, 9/39 **15.**प्रसीमादित्यो अमृजद्विधतों ऋतं सिन्धवों वरुणस्य यन्ति। न श्राम्यन्ति न दि मउन्चम्त्येते।। –ऋग्वेद, 2/28/4 **16.**द्विवेदी, कपिलदेव, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ.298

10.आपदा प्रबंधन और राज्य सरकार की भूमिका

–शिवानी सिंह

शोधरत छात्रा,रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर

'संकट' शब्द से तात्पर्य एक अस्थिर अथवा संकटकालीन समय अथवा कार्य दशा से है, जिसमें अत्यधिक अवांछनीय परिणाम की स्पष्ट संभावना से एक निर्णायक परिवर्तन होता है। लोक नीति के परिप्रेक्ष्य में, किसी घटना को संकट की स्थिति कहा जा सकता है, यदि उसमें मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होता है अथवा सामान्य जीवन में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार 'संकट' की परिभाषा प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली एक अपात–स्थिति है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति को खतरा उत्पन्न होता है अथवा जिससे सामान्य जीवन में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न होती है, के रूप में दी जा सकती है।

संकट की विभिन्न श्रेणियाँ (Categories of Crisis) संकट को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः प्रकृति द्वारा उत्पन्न संकट। पर्यावरणीय ह्रास और पारिस्थितिकीय संतुलन में गड़बड़ी द्वारा उत्पन्न संकट। दुर्घटनाओं द्वारा उत्पन्न संकट। इन्हें आगे औद्योगिक, न्यूक्लियर दुर्घटनाओं और अग्नि संबद्ध दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक कार्यकलापों से उत्पन्न संकटः लोक स्वास्थ्य संकट, महामारियाँ आदि। हिंसक तत्त्वों द्वारा उत्पन्न संकटः युद्ध, आतंकवाद, उग्रवाद, घुसपैठ आदि। संचार प्रणाली सहित मुख्य अवसंरचना सुविधाओं में बाधा/विफलता बड़े स्तर पर हड़ताल आदि से उत्पन्न संकट और अनियांत्रित भीड़ द्वारा उत्पन्न संकट।

संकट/आपदा प्रबंधन के चरण(Phase of Crisis/Disaster Management

संकट पूर्व : तैयारी (Pre-Crisis Preparedness)-यह ऐसी अवधि है जब संभावित खतरे के जोखिम और सुभेद्यता का आकलन कर संकट के निवारण तथा इसके वास्तविक स्वरूप को कम करने के लिये उपाय किये जा सकते हैं। इनमें बाढ़ रोकने के लिये बांध के निर्माण, सिंचाई सुविधाएँ सृजित करने अथवा बढ़ाने, भूस्खलन की घटना कम करने के लिये वृक्षारोपण करने, भूकंप–रोधी संरचनाओं के निर्माण और सुदृढ़ पर्यावरण प्रबंधन जैसे दीर्घावधिक निवारण उपाय शामिल हैं। संकट को कई अल्पावधिक उपायों के माध्यम से भी कम किया जा सकता है, जो या तो खतरे की सीमा और तीव्रता को कम अथवा संशोधित कर सकते हैं अथवा जोखिम व प्रबंधन की क्षमता को सुधार सकते हैं, उदाहरणार्थ– भवन संहिताओं को बेहतर ढंग से लागू करना, आंचलिकरण विनियम (Zoning Regulations), जल निकासी प्रणालियों का उचित रख–रखाव, खतरों के जोखिम को कम करने के लिये बेहतर जागरूकता और जन शिक्षा अभियान आदि। विभिन्न श्रेणियों की आपदाओं को कम करने के उपाय भिन्न–भिन्न हो सकते

हैं परंतु इस बात पर बल दिये जाने की आवश्यकता है कि विभिन्न उपायों के साथ प्राथमिकता और उनका महत्त्व रेखांकित किया जाए। इसके लिये एक उपयुक्त कानूनी और प्रचालनात्मक ढाँचा अनिवार्य है।

संकट के दौरान आपातकालीन प्रत्युत्तर (During Crisis-Emergency Response) इस चरण में कई प्राथमिक क्रियाकलाप अनिवार्य हो जाते हैं। इसमें निकासी, खोज, बचाव और उसके बाद की बुनियादी आवश्यकताँ (भोजन, वस्त्र, आश्रय स्थल और दवाईयाँ) प्रभावित समुदाय का जीवन सामान्य करने के लिये जरूरी हैं।

संकट – पश्चात् (Post-Crisis) सुधारः यह ऐसा चरण है जब शीघ्र समाधान प्राप्त करने और सुभेद्यता तथा भावी जोखिम कम करने के लिये प्रयास किये जाते हैं। इसमें वे कार्यकलाप शामिल होते हैं जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण के दो चरणों को सम्मिलित करते हैं। जो निम्नलिखित हैं–1)**पुनर्वास पुनर्निर्माण आपदा जोखिम की कमी का ढाँचा (Disaster Risk Reduction Framework)**

जोखिम प्रबंधन के लिये नीति खतरा विश्लेषण और असुरक्षा सहित जोखिम का आकलन जोखिम के प्रति जागरूकता और जोखिम कम करने के लिये योजनाएँ तैयार करना योजना का क्रियान्वयन शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ ज्ञान का प्रयोग**प्राकृतिक आपदा को कम करने पर विश्व सम्मेलन, योकोहामा, 1994(World Conference on Natural Disaster Reduction YoKohama-1994)**यह आपदा प्रबंधन की दिशा में पर्याप्त और सफल नीतियाँ और उपाय अपनाने के लिये अपेक्षित कदम है।आपदा निवारण और उसके लिये तैयारी आपदा राहत की आवश्यकता कम करने में प्राथमिक महत्त्व रखती है।आपदा निवारण और तैयारी की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकास की नीति और योजना का अभिन्न पहलू माना जाना चाहिये।आपदाओं के निवारण, कम करने और प्रशासन के लिये क्षमताओं का विकास और सुदृढ़ीकरण ध्यान देने का उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र हैं ताकि आईडीएनडीआर के लिये अनुवर्ती कार्यकलापों हेतु सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सके।आसन्न आपदाओं की शीघ्र चेतावनी और उनका प्रभावी प्रचार सफल आपदा निवारण और तैयारी के लिये मुख्य कारक हैं।निवारक उपाय सर्वाधिक प्रभावी होते हैं जब उनमें राष्ट्रीय सरकार से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्थानीय समुदाय के सभी स्तरों पर भागीदारी शामिल होती है।संपूर्ण समुदाय की उपयुक्त शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा लक्षित समूहों पर ध्यान केंद्रित उचित डिजाइन और विकास की पद्धतियों के प्रयोग द्वारा असुरक्षा कम की जा सकती है।अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपदा के निवारण, उसकी कमी और प्रशासन के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी की भागीदारी करने की आवश्यकता स्वीकार करता है।निर्धनता उन्मूलन के संगतसतत् विकास के संघटक के रूप में पर्यावरणीय संरक्षण प्राकृतिक आपदाओं के निवारण और प्रशासन में अनिवार्य है।प्रत्येक देश अपने लोगों, अवसंरचना और अन्य राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से संरक्षण के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित देशों का आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदा की कमी के क्षेत्र में वित्तीय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय साधनों सहित मौजूदा संसाधनों के सक्षम प्रयोग के लिये अपेक्षित सुदृढ़ राजनीतिक संकल्प प्रदर्शित करना चाहिये।यद्यपि संकट प्रबंधन के स्थूल सिद्धांत आपदाओं की विभिन्न किस्मों पर लागू है; फिर भी प्रत्येक श्रेणी की आपदा अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं; जिन्हें संकट प्रबंधन प्रयासों में शामिल करना आवश्यक है।

भूकंप (Earthquakes)पर्वतीय शृंखलाओं में सबसे युवा पर्वत हिमालय है जो अभी तक विकसित हो रहा और संरचनात्मक संचलनों से समायोजन कर रहा है। इसके पश्चिम और पूर्व में स्थित दो मुख्य भ्रंश रेखाओं (Fault lines) की मौजूदगी से हिमालय के कई भागों और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत गंभीर भूकंप हुए हैं। यह चौदह राज्यों (पश्चिमी और मध्य हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर और भारत–गंगा पठार के भागों में स्थित) को शामिल करते आएं संपूर्ण क्षेत्र को भूकंप–प्रवण बना देता है। पर्वतीय क्षेत्र भूकंप–प्रेरित भूस्खलन प्रवण भी हैं। देश के अन्य भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में पश्चिमी गुजरात में खंभात की खाड़ी और कच्छ का क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के भाग, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।

चक्रवात (Cyclones)पूर्व और पश्चिम में 8000 किमी. से अधिक की तटीय सीमा तीव्र चक्रवातों और मानसून के पूर्व और पश्चात् संबद्ध तूफान और भारी वर्षा के खतरों का सामना करती है। मानसून–पूर्व चक्रवात संख्याओं और तीव्रता दोनों में प्रायः अधिक तीव्र होते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि चक्रवाती तूफानों के 58 प्रतिशत से अधिक, जो बंगाल खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, अक्तूबर और नवंबर में पूर्वी तट के समीप पहुँचता अथवा उसे पार करते हैं। अरब सागर पर जो तूफान उत्पन्न होते हैं उनका केवल 25 प्रतिशत ही पश्चिमी तट को प्रभावित करता है।

सुनामी (Tsunamis)सुनामी तरंगे समुद्र की सतह पर जल की बड़ी मात्रा को विस्थापित करती हैं, अचानक हुए इस विस्थापन से ऊँची तरंगे उत्पन्न होती हैं। यद्यपि, ये प्रायः भूकंप के साथ जुड़ी होती है परंतु सुनामी उप–समुद्री अथवा पृथ्वी के भूस्खलन, ज्वालामुखी के विस्फोटों अथवा यहाँ तक कि उल्कापात (अर्थात् तारों, उल्कापिंड, पुच्छलतारा) जैसी घटनाओं के प्रभावों से भी हो सकते हैं।

बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधनप्रत्येक बाढ़–प्रवण क्षेत्र के लिये बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन की एक प्रभावी योजना होनी चाहिये।आवश्यकतानुसार बेहतर बाढ़ प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिये पर्याप्त बाढ़ सुरक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिये। अत्यधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई अथवा विद्युत संबंधी लाभों का त्याग करते हुए जलाशय विनियमन नीति में बाढ़ नियंत्रण को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये।जबकि तटबंध और कुंडों जैसे भौतिक बाढ़ संरक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण बने रहेंगे वहीं बाढ़ का पूर्वानुमान करने और चेतावनी देने, क्षति को न्यूनतम करने

और बाढ़ राहत पर आवर्ती व्यय कम करने के लिये बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का क्षेत्रीकरण और बाढ़ रोधन जैसे असंरचनात्मक उपायों पर वर्धित बल दिया जाना चाहिये।बाढ़ के कारण जान और माल की क्षति को न्यूनतम करने के लिये बाढ़ रोधन के साथ बाढ़ प्रवण क्षेत्र में स्थापन और आर्थिक कार्यकलाप का सख्त विनियमन होना चाहिये।बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलापों को आधुनिकीकृत व मूल्यवर्द्धित कर शेष शामिल नहीं किये गए क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना चाहिये। जलाशयों के अंतर्प्रवाह पूर्वानुमान को उनके प्रभावी विनियमन के लिये संस्थागत किया जाना चाहिये।

भूस्खलन और हिमस्खलन(Landslides and Avalanches)भूस्खलन चट्टानों, मलबे अथवा मिट्टी का पर्वतों की ढलान से नीचे नदी तटों की ओर बड़ी मात्रा में संचलन है। ऐसा संचलन धीरे–धीरे हो सकता है परंतु भूस्खलन अचानक और चेतावनी के बिना भी हो सकता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के फटने के साथ होते हैं। कभी–कभी दीर्घकालीन वर्षा से होने वाले अत्यधिक भूस्खलन कुछ समय के लिये नदियों का प्रवाह रोक देते हैं, जो अचानक टूटने पर नीचे मानव आबादी पर कहर ढा सकते हैं।भारत में पर्वतीय विशेषकर हिमालय और पश्चिमी घाट के क्षेत्र भूस्खलन से सर्वाधिक असुरक्षित हैं। भूस्खलन को नियंत्रित करने के उपायों में खतरा–प्रवण क्षेत्रों में निवासस्थलों को विनियमित करने के लिये सूक्ष्म क्षेत्रीकरण; प्राकृतिक जलमार्गों के साथ हस्तक्षेप नहीं करना, गहरी ढलानों के लिये प्रतिधारण दीवारों का निर्माण और कमजोर क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। भारत में भूस्खलन अध्ययन के कई अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों हैं। यद्यपि इन संस्थानों तथा प्रयोक्ता एजेंसियों के बीच भी बेहतर समन्वय होने की आवश्यकता है।पर्वतीय ढलान पर बर्फ के पहाड़ों के खिसकने से हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन पर्वत की ढलान, बर्फ के आवरण की गहराई; वायु की गति और मौसम, तापक्रम, तोप अथवा बंदूक चलने से हुए कंपन और वृक्षों तथा झाड़ियों के आच्छादन जैसे प्रतिरोधी बलों की सुदृढ़ता जैसे कारकों के संयोजन से हो सकता है।

औद्योगिक आपदाएँ (Industrial Disasters)मानव निर्मित आपदाओं में संभवतः सर्वाधिक हानिकारक (युद्ध के बाद) औद्योगिक आपदाएँ हैं। ये आपदाएँ दुर्घटना अथवा लापरवाहीहेलना के कारण रासायनिक, यांत्रिक, सिविल, विद्युतीय अथवा अन्य प्रक्रियाओं की विफलता से किसी औद्योगिक संयंत्र में हो सकती है, जिनसे संयंत्र के भीतर और/अथवा बाहर व्यापक क्षति हो सकती है। वैश्विक रूप से इसका सबसे खराब उदाहरण भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से वर्ष 1984 में मिथाइल आइसो–साइनाइट गैस का रिसाव (जिसका उल्लेख भोपाल गैस त्रासदी के रूप में किया गया है) था।

महामारी (Epidemics)भारत में महामारियों के मुख्य स्रोतों को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है: (क) हैजा (और गैस्ट्रोएंट्राइटिस के रूप), टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आदि जैसी जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ ऐसी बीमारियों की महामारियों को पूर्व में दर्ज किया गया है और वे होना जारी हैं; (ख) वेक्टर–जनित (प्रायः मच्छरों से होने वाली) महामारी जैसे डेंगू बुखार, चिकनगुनिया बुखार, जापानी इन्सेफलाइटिस, मलेरिया, कालाजार आदि जो प्रायः देश के कतिपय भाग में होते हैं; (ग) व्यक्ति से व्यक्ति को संचारित बीमारियाँ अर्थात् एड्स और अन्य यौन बीमारियाँ; और (घ) इंफ्लूएंजा और खसरा जैसी वायु से उत्पन्न बीमारियाँ जो प्रयोग में लाए वस्त्रों से उत्पन्न होती हैं।

न्यूक्लीय खतरे (Nuclear Hazards)परमाणु ऊर्जा विभाग को सरकारी क्षेत्र में मानव–निर्मित विकिरण वैज्ञानिक आपातस्थितियों के संबंध में देश में नोडल एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया गया है। जनता और पर्यावरण के लिये सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत में न्यूक्लीय सुविधाओं ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत दिशा–निर्देश अपनाए हैं। न्यूक्लीय खतरे पर ध्यान रखने के लिये एक संकट प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद है।

मरुभूमि की टिड्डिया (Desert loctusts)सिस्टोसेरका ग्रेगेरिया निसंदेह टिड्डियों की प्रजातियों में सर्वाधिक खतरनाक है। अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं के अधीन ये नाटकीय रूप से कई गुणा बढ़ सकते हैं, अत्यधिक दूरी तक विस्थापित होने की क्षमता के साथ ही मध्य–पूर्व और दक्षिण–पश्चिम एशिया के बड़े भाग में —षि को खतरा उत्पन्न करने के लिये विशाल झुंड बनाने में समर्थ है।अंतर्राष्ट्रीय सहयोग टिड्डी नियंत्रण के लिये प्रभावी कार्यनीति के केंद्र में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप, टिड्डी प्रबंधन निर्णय राष्ट्रीय एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जिसमें मरुभूमि में टिड्डियों और मौसम का उनके कृषि क्षेत्र में पहुँचने से पूर्व नियमित रूप से अनुवीक्षण शामिल है) द्वारा संग्रहित और आदान–प्रदान की गई सूचनाओं पर आधारित है। यह कार्यनीति काफी प्रभावी सिद्ध हुई है क्योंकि विभिन्न देशों ने यह स्वीकार किया है कि मरुभूमि की टिड्डियों के विरुद्ध लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएँ (Slow Onset Disasters)भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूनामी तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं की श्रेणी में आएंगे। मौसम में परिवर्तन (वैश्विक उष्मन), मरुभूमिकरण, मृदा अवनमन और सूखा धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं की श्रेणी में आएंगे। धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं को धीरे–धीरे आने वाली आपात स्थिति भी कहा जाता है। यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन चक्र का एक अभिन्न भाग होने वाले निवारण से वैश्विक उष्मन और मरुभूमिकरण जैसे धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं को आपदा की तैयारी में पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिये। ये घटनाएँ धीरे–धीरे पारिस्थितिकी प्रणाली की सुदृढ़ता नष्ट करती है और समाज को प्राकृतिक कठिनाईयों के समक्ष खड़ा कर देती है।ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण हुआ वैश्विक उष्मन वातावरण

में परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। वैश्विक उष्मन से ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र की सतह में वृद्धि होती है और निचले तटीय क्षेत्रों जैसे सुंदरवन क्षेत्र तथा बांग्लादेश तथा मालदीव जैसे राष्ट्रों को खतरा उत्पन्न होता है। हाल ही में हुई अप्रत्याशित बेमौसम वर्षा और सूखे से वैश्विक उष्मन बढ़ा है।

सूखा (Drought)सूखे का अर्थ मुख्यतः वर्षा की कमी के कारण जल की उपलब्धता में कमी है, जो कृषि, पेय जलापूर्ति और उद्योगों को प्रभावित करता है। भारत में सूखे की अपनी विशिष्टताएँ हैं, जिनके कुछ मूलभूत तथ्यों पर विचार करना अपेक्षित है। ये निम्नानुसार हैः
भारत में लगभग 1150 मिमी. की औसत वार्षिक वर्षा होती है, जिनके लिये कुछ इतना अधिक वार्षिक औसत नहीं है; तथापि, काफी वार्षिक भिन्नता होती है।80 प्रतिशत से अधिक वर्षा दक्षिण–पश्चिमी मानसून के दौरान 100 से कम दिनों में होती है और इसका भौगोलिक विस्तार असामान्य है।21 प्रतिशत क्षेत्र में वार्षिक रूप से 700 मिमी. से कम वर्षा होती है, जो ऐसे क्षेत्रों को सूखे का संभावित स्थल बना देती है।प्रतिकूल भूमि–मानव अनुपात के साथ वर्षा की अपर्याप्तता देश के बड़े भाग में किसानों को वर्षा–पोषित कृषि करने के लिये बाध्य करती है।भू–जल का प्रयोग करते हुए सिंचाई दीर्घावधि में स्थिति गंभीर बना देती है क्योंकि भू–जल का दोहन पुनः पूर्ति से अधिक हो जाता है; प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता वर्षा की अपर्याप्तता वाले क्षेत्रों में कम हो जाती है।देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता स्थिर रूप से घट रही है।1953 घन किमी. की कुल वार्षिक जल उपलब्धता की तुलना में, जल का लगभग 600 घन किमी. और भूजल संसाधनों से 396 घन किमी. का प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक लगभग 600 घन किमी. की मात्रा का प्रयोग किया गया है।पारंपरिक जल कृषि प्रणालियाँ मोटे तौर पर छोड़ दी गई हैं।

मरुस्थलीकरण और मृदा अवक्रमण(Desertification and Soil Degradation)भूमि अवक्रमण के किसी भी भाग को मरुस्थलीकरण कहा जा सकता है। यह मृदा क्षरण, मृदा में बढ़ती हुई क्षारीयता और जल–जमाव के कारण हो सकता है। भूमि अवक्रमण द्वारा देश का एक–तिहाई क्षेत्र प्रभावित है। भारत में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 8.6 मिलियन हेक्टेयर जल क्षारीयता और लवणीयता की दोहरी समस्याओं से ग्रस्त है, जो गंभीर रूप से कृषि उत्पादकता कम कर देती है और इससे हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली के लिये गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

समुद्री क्षरण (Sea Erosion)तरंगों और लहरों से उत्पन्न बल द्वारा तटरेखा का भूमि की ओर विस्थापन क्षरण कहलाता है। तटीय क्षरण उस समय होता है जब वायु तरंगे और दीर्घ तटीय तरंगे तट से रेत लाती है और उसे कहीं अन्यत्र जमा करती हैं। रेत गहरे समुद्री तल तक, समुद्री खाई में अथवा भूमि के किनारे तक ले जाया जा सकता है। रेत–अंतरण प्रणाली से रेत हटाने से तट के आकार और संरचना में स्थायी परिवर्तन होता है। प्रभाव देखने में महीनों अथवा वर्षों लग जाते हैं। इसलिये इसे साधारणतया दीर्घावधिक तटीय खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की मुख्य भूमि की 5423 किलोमीटर की तटरेखा का लगभग 23 प्रतिशत भाग क्षरण से प्रभावित हो रहा है, जो लगभग 1248 किलोमीटर का क्षेत्र है इसमें से केरल के 569 किलोमीटर की तटरेखा में से 480 किलोमीटर तक का भाग प्रभावित है।समुद्र क्षरण के रोकथाम उपायों में (i) समुद्री दीवार; (ii) ओट, (iii) शिलाखंड, (iv) पलस्तर लगाना, (v) चट्टान के रोधक और (vi) अपतटीय चट्टानी बाधाएँ शामिल हैं। महासागर विकास विभाग ने कई तटरेखा प्रबंधन परियोजनाएँ प्रारंभ की है। राज्य सरकारों ने भी समुद्र–क्षरण–रोधी निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है।

भारत में संकट/आपदा प्रत्युत्तर कार्यतंत्र(Crisis/Disaster Response Mechanism in India)अर्थशास्त्र, (चौथी सदी ईसा पूर्व में चाणक्य द्वारा लोक प्रशासन पर लिखी गई एक पुस्तक) ने सूखे का सामना करने के लिये प्रशमन उपायों को एक खंड समर्पित किया है। पहले सूखा आयोग ने सूखे से रक्षोपाय के रूप में कृषि उत्पादन सुधारने तथा साथ ही वर्षा की बारंबार विफलता द्वारा हुए अत्यधिक अभाव से निपटने के लिये प्रारंभिक उपाय करने के लिये सूखा संहिता तैयार करने और प्रांतों में कृषि विभागों की स्थापना का सुझाव दिया था।राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिनियमित किया गया था। कई राज्यों ने भी राष्ट्रीय अधिनियम के पूर्व आपदा प्रबंधन पर स्वयं अपने विधान भी पारित किये थे।

प्रत्युत्तर कार्यतंत्र (The Response Mechanism)किसी आपदा के मामले में प्रायः समुदाय ही पहला प्रत्युतर–दाता होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से क्षेत्र स्तर का प्रत्युत्तर निकटतम पुलिस स्टेशन और राजस्व पदाधिकारी (पटवारी/पटेल/तलाती/करनाम आदि) द्वारा होता है; शहरी क्षेत्रों में प्रत्युत्तर नागरिक प्राधिकारियों, फायरबिग्रेड और स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा दिया जाता है।भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों की विशिष्ट भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। तथापि आपदा प्रबंधन के विषय का उल्लेख भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में से किसी में भी नहीं किया गया है।

राज्य सरकार की भूमिका (Role of State Government)भारत में प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने का बुनियादी उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। अधिकांश राज्यों में राहत आयुक्त है, जो राहत और पुनर्वास का प्रभारी होता है। राहत आयुक्त कार्यालय सामान्यतया राजस्व विभाग का सहायक है, जिसका मुख्य कार्य भू–स्वामित्व, भू–राजस्व और ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारी की शर्तों को प्रशासित करना है। राहत आयुक्त राजस्व विभाग के सचिव के अधीन कार्य करता है। कुछ राज्यों में राजस्व सचिव राहत आयुक्त भी होता है। इसमें जिला समाहर्ताओं और तहसीलदारों, जो प्रशासन की बुनियादी इकाइयों, जिले और उप–जिले में मुख्य क्षेत्र पदाधिकारी होते हैं।प्रत्येक राज्य में संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों

को शामिल करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन समिति है जो संकट के समय दिन–प्रतिदिन के आधार पर संकट की स्थितियों की समीक्षा करती है, सभी विभागों के कार्यकलापों को समन्वित करती है तथा जिला प्रशासन को निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करती है।जिलाधीश/समाहर्ता पर जिले में आपदा के समग्र प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। उसे प्रत्युत्तर कार्यतंत्र को एकजुट करने का प्राधिकार है और उसे सामान्य वित्तीय नियम/राजकोषीय संहिताओं के उपबंधों के अधीन धनराशि आहरित करने की वित्तीय शक्तियाँ दी गई है।जिला समाहर्ता परिस्थितियों के अनुसार सशस्त्र सेनाओं से सहायता का अनुरोध करने का प्राधिकार भी रखता है। गैर–सरकारी संगठन भी हाल के समय में राहत प्रदान करने, बचाव और पुनर्वास कार्यों में प्रभावी रहे हैं।

<u>संघ सरकार की भूमिका (Role of Union Government)</u>शीर्ष स्तर पर प्राकृतिक आपदा पर मंत्रिमंडल समिति संकट की स्थितियों की समीक्षा करती है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक उच्च–स्तरीय समिति केंद्रीय राहत निधि के अधीन राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधियों के अपर्याप्त होने पर राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता निधि से राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के मुद्दों पर कार्रवाई करती है। परमाणुविक, जैविक और रासायनिक आपातस्थितियों की देख–रेख सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा की जाती है।

उच्चतम कार्यपालक अधिकारी के रूप में मंत्रिमंडल सचिव, राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति (एन.सी.एम.सी.) के प्रमुख होते हैं। एन.सी. एम.सी. संकट की स्थिति का सामना करने के लिये आवश्यक विशिष्ट कार्रवाई के लिये किसी मंत्रालय, विभाग अथवा संगठन को निर्देश दे सकती है।

पूर्व में कृषि और सहकारिता विभाग के पास आपदाओं के प्रबंधन का केंद्रीय उत्तरदायित्व था, परंतु वर्ष 2001 में गुजरात, भूकंप के बाद यह उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

(**1**)शिवगोपाल मिश्रा–आपदा प्रबंधन(**2**)सविंदर सिंह–आपदा प्रबंधन(**3**)भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन–उदयभान सिंह(**4**)आपदा प्रबंधन–मासिक पत्रिका

11.स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्रीय परिदृश्य और रेणु का कविकर्म

–डॉ0 सुभाषचन्द्र गुप्त,
सहायक प्राध्यापक
हिन्दी–विभाग, करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर, झारखण्ड

प्रेमचन्द की कथा–चेतना के वाहक फणीश्वरनाथ रेणु जितने महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, उतने ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार भी। पर उनकी रचनाशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी कविताएँ। यह ठीक है कि उन्होंने विपुल मात्रा में काव्य–सृजन नहीं किया, पर अपनी कविताओं के रूप में जो कुछ भी रचा है, उससे हिन्दी की प्रगतिशील काव्यधारा प्राणवान व वेगवान हुई है। सच यह है कि रेणुजी की रचना–यात्रा कविता से ही शुरू हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि एक कथाकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के बाद भी उन्होंने कविता लिखना बंद नहीं किया। <u>उनकी पहली कविता साप्ताहिक विश्वमित्र के होली विशेषांक ***26*** फरवरी ***1945*** को प्रकाशित हुई थी और उनकी अंतिम कविता आपातकाल के दौरान साप्ताहिक धर्मयुग के ***26*** जून ***1977*** अंक में प्रकाशित हुई थी</u>। इस तरह काव्य–सृजन के स्तर पर भी उनकी निरन्तरता व गतिशीलता बनी रही। उन्होंने अपनी पहली कविता से अंतिम कविता तक की बत्तीस वर्षीय काव्य–यात्रा में मात्र तीस कविताएँ लिखी जो प्रकाशित भी हैं और उपलब्ध भी हैं, लेकिन ये तमाम कविताएँ अपने समय और समाज के विविध परिदृश्यों से पूरी जनपक्षधरता व संघर्षशीलता के साथ जुड़ी हैं। बाबा नागार्जुन ने लिखा है – <u>''फणीश्वरनाथ रेणु की साहित्य–सर्जना का आरंभ कविता से ही हुआ था। पूर्णिया नगर से निकलनेवाले उस युग के (40–50) साप्ताहिकों की फाइलें यदि कहीं मिल जाएँ तो रेणु की तुकबंदियों और मुक्त छन्दों के अनेक नमूने हासिल होगें।''</u>[1]

रेणु के लिए कविता जीवनबोध व समयबोध की आत्मपरिभाषी संवाद की प्रक्रिया रही है। अपने एक संस्मरणात्मक लेख **'अपने–अपने त्रिलोचन'** में रेणु लिखते हैं –<u>''कविता मेरे समझने–बूझने या समझाने का विषय नहीं है, जीने का विषय है। कवि नहीं बन सका, यह कसक सदा मेरे कलेजे में सालती रहेगी।''</u> [2] दरअसल रेणु ने जिस दौर में लिखना शुरू किया, वह जटिलाओं, संशयों अन्तर्विरोधों और सामाजिक–राजनीतिक व वैचारिक टकराहटों का दौर था जिसकी समग्र अभिव्यक्ति कविताओं के जरिए संभव नहीं थी। वस्तुतः <u>''साहित्य के रूपों का विकास समाज के विकास से जुड़ा होता है, इसलिए साहित्य–रूपों की संरचना का उस सामाजिक संरचना से गहरा संबंध होता</u>

है जिसमें साहित्य के रूप पैदा होते हैं। प्रत्येक साहित्य–रूप का एक विचारधारात्मक आधार भी होता है जो सामाजिक विकास की विशेष अवस्था में व्याप्त विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित होता हैं महाकाव्य का जन्म सामंती दौर से पहले के जनपक्षीय समाजों में हुआ था और उसका विकास सामंती समाजों में होता रहा। ऐसे सामाजिक आधार के कारण ही महाकाव्यों की संरचना में एक ओर जनपदीय समाजों का खुलापन मिलता है, तो दूसरी ओर सामंती समाजों की सांस्कृतिक और विचारधारात्मक परिणतियों की अभिव्यक्ति भी..........सामंती समाज–व्यवस्था के अंत के साथ दुनिया भर में महाकाव्यों का युग समाप्त होता दिखायी देता है। आधुनिक काल में यह काम उपन्यास के माध्यम से होने लगा है, इसलिए उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। उसमें सामाजिक यथार्थ की जटिल समग्रता का चित्रण ही नहीं, विश्लेषण भी होता है।...कविता में कवि का स्वर प्रमुख और निर्णायक होता है, जबकि उपन्यास में समाज के इतिहास के अनेक रूपों में व्यक्त होता है। जिन कवियों ने जन–जीवन के इतिहास की जटिल प्रक्रिया और गति को कविता में व्यक्त करने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी की संरचना को उपन्यास से जोड़ा।''[3] जाहिर है, प्रत्येक साहित्य– रूप की अपनी प्रकृति होती है जो उसकी संरचनात्मक प्रक्रिया को अनुशासित करती है। किसी संदर्भ को जिस रूप में हम कथा–साहित्य में व्यक्त करते हैं, उसी रूप में कविता में व्यक्त नहीं कर सकते। इसका मूल कारण है–साहित्य–रूपों की प्रकृतिगत तथा संरचनात्मक भिन्नता। गौरतलब है कि जब देश का विभाजन हुआ उस समय छायावाद के तीन प्रमुख कवि–निराला, पंत और महादेवी तथा प्रगतिवाद के मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह जीवित थे, पर इनमें से किसी ने विभाजन पर कोई कविता नहीं लिखी। अज्ञेय ने भी विभाजन की त्रासदी पर कहानियाँ लिखी हैं, पर उनकी भी कोई कविता नहीं है। इसका बुनियादी कारण था कविता और गद्य विधा की बनावट का फर्क। यही कारण रहा कि आधुनिक काल के हिन्दी के अनेक महत्वपूर्ण कवियों ने कविता के साथ–साथ कहानी और उपन्यास की विधा को भी अपनाया, मसलन निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन, राजकमल चौधरी आदि। निश्चित रूप से रेणु ने बदलते परिदृश्य के समानांतर विधाओं की सीमाओं के मद्देनजर अपने रचनाकर्म का माध्यम कविता की जगह कथासाहित्य को अपनाया जो उनके युगबोध का परिचायक है।

रेणु जी से जुड़ी एक घटना महत्वपूर्ण भी है और उल्लेखनीय भी। ज्ञातव्य है कि ''1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हुई और उसके ठीक एक महीना बाद पूर्णिया जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से आयोजित एक कविता–प्रतियोगिता में रेणु ने प्रेमचंद पर एक लम्बी कविता पढ़ी थी। इस कविता के लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला था।''[4] उक्त घटना इस तथ्य को रेखांकित करती है कि मात्र पन्द्रह वर्ष के किशोरवय में ही प्रेमचंद से रेणु परिचित हो चुके थे। यदि वह कविता आज उपलब्ध होती तो पता चलता कि किशोर रेणु हिन्दी–कथासाहित्य के शिखर व्यक्तित्व प्रेमचंद को किस गहराई से समझ रहे थे। पर रेणु की वह कविता प्रेमचंद के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को तो उजागर करती है, साथ ही इस गौरवशाली सत्य को भी सामने लाती है कि उस दौर की युवा–पीढ़ी पर साहित्य का, विशेषकर प्रेमचंद के सृजनकर्म का कितना व्यापक और कितना सकारात्मक प्रभाव था। उस दौर की रचनाशीलता युवा–पीढ़ी से जिस तरह सक्रिय व सार्थक संवाद कायम कर रही थी और साहित्य में अभिव्यक्त मानवीय मूल्यों से जिस तरह युवापीढ़ी अनुप्राणित हो रही थी, निश्चित रूप से वह हिन्दी की प्रगतिशील सृजन–यात्रा की गौरवशाली विरासत है जिसका सर्वथा अभाव मौजूदा परिदृश्य में दिखायी दे रहा है। निर्विवाद रूप से प्रेमचंद को समर्पित रेणु की उस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व इस अर्थ में कि इस कविता के माध्यम से इतिहास के पृष्ठों पर दर्ज हो चुके एक महान कथाकार से अचेतन रूप में भविष्य का एक महान कथाकार संवाद कर रहा था। इस कविता के जरिए भविष्य का एक महान जन–कथाकार आँखें खोल रहा था जिसने कालान्तर में प्रेमचंद की जनपक्षीय कथा–परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उसे एक नई ऊँचाई व समृद्धि दी।

आजादी के साथ ही देश–विभाजन का अभिशाप भी जुड़ा। देश–विभाजन की त्रासदी पर रेणु ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है – **'अपने जिले की मिट्टी से'**। यह कविता 16 जनवरी 1948 को पूर्णिया से प्रकाशित होनेवाले **'राष्ट्रसंदेश'** नामक एक साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी। कविता में विभाजन की त्रासदी से व्यथित रेणु की मनोदशा व्यक्त हुई है। इस कविता के शीर्षक में **'जिला'** शब्द का प्रयोग है जिसके संबंध में विष्णु खरे ने लिखा है – ''शायद हिन्दी कविता में 'जिला' शब्द पहली बार यही आया है।''[5] इस कविता में 9 अगस्त 1942 को पूर्णिया जिला न्यायालय के भवन पर आंदोलनकारियों द्वारा तिरंगा फहराने की क्रांतिकारी पहल के क्रम में हुई पुलिस फायरिंग के दौरान बारह वर्षीय किशोर ध्रुव कुन्डु की शहादत की भी चर्चा है। रेणुजी ने अपनी कथाकृति **'कितने चौराहे'** को भी शहीद ध्रुव कुन्डु के नाम समर्पित किया है। साथ ही, उन्होंने अपनी इस कविता में पूर्णिया जिले के **'रूपौली'** गाँव का भी जिक्र किया है जहाँ 1942

के आंदोलन में सैंकड़ो लोग शहीद हुए थे। बाबा नागार्जुन ने भी अपनी चर्चित कविता '**प्रेत का बयान**' में रूपौली गांव का उल्लेख किया है – ''पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार सीवान पर/ थाना धमदाहा, बस्ती रूपउली/ जाति का कायस्थ/ उमर है लगभग पचपन साल की/ पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था।'' [6] नागार्जुन ने रूपौली केन्द्रित अपनी कविता में स्वाधीन भारत की सामाजिक–आर्थिक बदहाली का चित्रण किया है, जबकि रेणु ने रूपौली केन्द्रित कविता में आजादी के लिए किये गये संघर्ष और विभाजन के रूप में उसकी परिणति की घटनाओं पर दुख व्यक्त किया है। हालाकि यह कविता भावुकता से भरी है, पर गहराई से नजर डालें तो यह कविता विभाजन की त्रासदी का शोकगान है। रेणु का कवि इस बात को लेकर संशकित है कि विभाजन की रक्तरंजित परिणतियों के कारण यहाँ की मिट्टी में रची–बसी साझी संस्कृति की सुगंध कहीं मर न जाये। जहाँ की भूमि पर रहनेवाले एक–दूसरे के सुख–दुख में सहभागी बनते रहे हैं, वहाँ मानवीय संवेदनशीलता कहीं क्षतिग्रस्त न हो। साम्प्रदायिकता की आग में झुलसे, विद्रूप हुए और चारों तरफ व्याप्त एक श्मशानी सन्नाटा कवि को बैचेन करता है। कवि को लगता है कि हवा में वह ठण्डक नहीं है, जो पहले होती थी क्योंकि विभाजन के बाद उसकी मिट्टी भी सरहदी हो गयी है। इसीलिए कवि प्रत्येक सुबह अपने जिले की मिट्टी, वहाँ के पेड़, पत्ते, नदियों, हवा से पूछता है – ''कि बोलो ! रात को गुजारी खुशी से ?/ कि बोलो ! डर नही ंतो है किसी से ? / सदा एकांत में मैं सूंघता हूँ/ उठाकर चन्द ढ़ेले/ उठाकर धूल मुट्ठीभर/ कि मिट्टी जी रही है तो।'' [7] कवि की कामना है कि चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियाँ पैदा हों, हजारों जूल्म ढाए जाएँ, लेकिन साझी संस्कृति की चेतना बची रहेगी, तो फिर सबकुछ सहज व सौम्य हो जायेगा।

भारतीय इतिहास और समाज की दुखद परिघटना रही आजादी के साथ ही शरणार्थियों के आते–जाते काफिलों का दिखायी देना। सरकारी कैम्पों में जिन्दगी तलाशते लोग, अपनी जड़ों से उखड़ने की पीड़ा, अमानवीय यातनाएँ, उन्मादी साम्प्रदायिक शक्तियों का नंगा नाच तथा मानवीय मूल्यों की हत्या जैसी दुर्घटनाओं ने जनमानस में एक त्रासद अनुगूंज छोड़ी। मुट्ठीभर नेताओं की छद्मवेशी राजनीति और सत्तासुख की गहरी पिपासा ने आम आदमी के भीतर साम्प्रदायिकता का जहर भरकर आजाद भारत और पाकिस्तान के सपने दिखाये। देश वही था, बदला था देश का भूगोल। इस बदली हुई 'परिस्थिति' और 'मनः स्थिति' में आम आदमी के भीतर जो 'समझ' निर्मित व विकसित हुई, उससे हमारे देश की साझी संस्कृति की जड़े हिल गयीं – ''मादरजाद नंगी औरतों पर/ हमल की बोझ ढ़ोती औरतों पर/ खिलौनों–सी अबोली बच्चियों पर/ गली, बाजार, सड़कों, नुक्कड़ों पर/ हमल को चीर नन्हों को निकाला/ नचाया झोंककर भाला/ लगाकर कौम का नारा/ हर–हर बम : अल्लाह हो अकबर।'' [8] यह केवल हमारे देश की ही नहीं, संभवतः मानव–समाज की त्रासदी है कि किसी प्रकार की हिंसा या संघर्ष की भरपाई औरतों पर अत्याचार से की जाती है, यहाँ तक कि जहाँ उनका कोई लेना–देना नहीं होता। संघर्ष चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, औरतों पर अत्याचार सिर्फ उनके औरत होने के कारण होता है। वह खुद औरत को तोड़ने के उद्देश्य से हो या उससे संबंधित पुरूष अथवा समूह का (परिवार) या समाज के मनोबल को तोड़ने के लिए हो। भारत विभाजन में भी सर्वाधिक यातनाओं की शिकार औरतें हुईं। उनकी यातनाएँ साम्प्रदायिकता से पैदा हुई अमानवीयता और घृणा के कारण हुई और बाद में राजनीतिक फैसले के तहत 'गैरमुल्क' में रह गयी औरतों की वापसी के फैसले के कारण भी हुईं।''[9] रेणु भारतीय आजादी पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि यह कैसी आजादी है ? जिस दिन हमारे देश की आजादी का पौधा लहराया , उसी दिन यह मिट्टी मर गयी – ''उगा जिस दिन हमारे देश का आजाद पौधा/ उसी दिन मर गयी मिट्टी/ कहो यह व्यंग्य कैसा ?''[10] यही वही दौर है जब भारत की आजादी और भारत के जनतंत्र पर सवाल उठाते हुए प्रगतिशील शायर फैज ने **''ये दाग–दाग उजाला''** जैसी पंक्तियाँ लिखी थीं।

लम्बे शोषण और ज्ञात–अज्ञात अनगिनत कुर्बानियों के बाद आजादी मिली, लेकिन आजादी का लाभ आम जनता को नहीं मिला। आदमी की विडम्बनाओं–वास्तविकताओं को रेणु ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। मजदूरवर्ग के शोषण और उसकी लाचारगी का मार्मिक स्वर है रेणु की कविता '**मालिक ! आज माफ करो**' में। इस कविता में एक ओर मेहनतकशवर्ग की आशाओं–आकांक्षाओं के साथ–साथ उसकी आर्थिक विवशताओं का चित्रण है, तो दूसरी ओर धनाढ्यवर्ग की संवेदनहीनता उजागर हुई है। कविता में एक मजदूर की पत्नी गर्भवती है, लेकिन देहतोड़ श्रम करने के बाद भी मजदूर अपनी पत्नी के लिए जरूरत लायक पौष्टिक भोजन नहीं जुटा पाता है। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद वर्षा हुई है। वातावरण में शीतलता व सुकून है, इसलिए मजदूर का मन उल्लसित है। उसकी घरवाली मछली–भात खाना चाहती है, इसलिए वह अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगता है ताकि नदी से मछली पकड़कर ला सके। मजदूर अपने मालिक के सामने

गिड़गिड़ाता है – ''आज कोई काम नहीं होगा/ मछलियों के शिकार के सिवा/ मालिक ! आज माफ करो/ घरवाली का है पैर भारी/ मछली खाने को जी हुआ है/ दो जीवा है/ मछली–भात खाने की साध है/ डेढ़ सेर चावल घर में है/ पिछवाड़े में कद्दू।''[11] इस कविता में '**डेढ़ सेर चावल**' और '**पिछवाड़े में कद्दू**' जैसी पंक्तियाँ मर्मस्पर्शी बिम्बों की रचना करती हैं। ये बिम्ब एक ओर मजदूर की गरीबी–बदहाली का संकेत देते हैं तो दूसरी ओर कविता में उक्त वाक्यों की आवृत्ति है मानों वह मजदूर अपने मालिक को समझाना चाहता है कि उसे चावल या सब्जी की जरूरत नहीं है, बल्कि वह सिर्फ छुट्टी चाहता है ताकि लालायित अपनी गर्भवती पत्नी के लिए मछली का प्रबंध कर सके। प्रकारान्तर से कवि वर्ग–विभाजित समाज की एक हल्की झलक भी पेश कर रहा है जहाँ एक ओर अभाव है, विवशता है, जदोजहद है और छोटी–छोटी चीजों के लिए तड़पते–गिडगिड़ाते लोगों की कुरूप दुनिया है और दूसरी ओर तीन चौथाई लोगों की धूप, हवा, पानी पर काबिज एक चौथाई लोग की चमचमाती व वर्चस्वशाली दुनिया। मजदूर की याचना पर जब उसका मालिक ध्यान नहीं देता मानों मजदूर की पत्नी की इच्छा का कोई महत्व ही नहीं हो, तो मजदूर के भीतर का गुस्सा तीखे व्यंग्य के लहजे में फूट पड़ता है – ''बाबा, रामचन्दर भगवान थे/ हम दास हैं, सेवक हैं/ हमारी स्त्रियाँ/ सोने के हिरण की खाल खिंचवाकर/ नहीं मंगवाएँगी।''[12] यकीनन रेणु की स्पष्ट और जनपक्षीय वर्ग–दृष्टि यहाँ परिलक्षित होती है। ऐसे दौर में जब हिन्दी की अधिकांश रचनाशीलता मध्यवर्गीय समाज के ईद–गिर्द सिमटी थी और समय व समाज को मध्यवर्गीय नजरिए से देखा–समझा जा रहा था – रेणु श्रमजीवीवर्ग के जीवन को कविता का विषय बनाते हैं। इस कविता की कुछ बातें संवेदनात्मक भी हैं और विचारोत्तेजक भी। पहली बात है मजदूर का अपने परिवार के लिए मालिक से छुट्टी मांगना जो उसके आधिकार–बोध का संकेत देता है, दूसरी बात है मजदूर की अपनी पत्नी के प्रति गहरी रागात्मकता व संवेदनशीलता और तीसरी महत्वपूर्ण बात है मजदूर को इस बात के लिए गर्व होना कि उसकी स्त्री उच्चवर्ग की स्त्रियों की तरह (सीता की तरह) लालची व क्रूर नहीं है। इतनी गरिमामयी बातों के साथ कविता में श्रमजीवी वर्ग की उपस्थिति हिन्दी की शायद ही किसी कविता में हो।

'**खड़गहस्त**' शीर्षक कविता 26 मार्च 1948 को साप्ताहिक '**राष्ट्र संदेश**' में प्रकाशित हुई थी जो स्वतंत्र भारत के यथार्थ को चित्रित करती है। स्वतंत्र भारत का मजदूर जीने लायक मुट्ठीभर अन्न और थोड़ा–सा प्यार चाहता है, पर यह भी उसे नसीब नहीं होता। इस कविता में रेणु सदियों से सामंती व्यवस्था के चक्र में पिसती ग्रामों की विराट मनुष्यता की अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष और उस संघर्ष में अपनी प्रखर मूल्य–चेतना के साथ यातनाग्रस्त मनुष्यता के पक्षधर बनकर सामने आये हैं और सतह के जीवन से आगे बढ़ते हुए एक मजदूरी की नियति को संपूर्ण शोषित समुदाय की नियति से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए आर्थिक और सांस्कृतिक दासता बनाये रखनेवाली जातिमूलक–धर्ममूलक समाज–व्यवस्था पर टिकी '**महाजनी सभ्यता**' का पर्दाफाश करते हुए समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं – श्रमबल और दिमाग खपावें/ तुम भोगो, हम भिक्षा पावें/ जाति–धर्म–धन के पचड़े में/ प्यार नहीं हम करने पावें/ मुँह की रोटी, मन की रानी/ छीन बने सरदार/ रक्खो अपना धरम–नियम अब/ अर्थशास्त्र–कानून गलत सब/ डोल रही है नीवं तुम्हारी/ वर्ग हमारा जाग चुका अब/ हमें बसाना है फिर से/ अपना उजड़ा संसार।''[13] स्पष्ट है कि भारतीय समाज की संरचना, विषमताओं और अन्तर्विरोधों पर रेणु की गहरी नजर है और वे समाज–बदलने के पक्षधर हैं। इसी जनपक्षधरता के कारण उनकी कविताओं में कला की अवधारणाएँ टूटती नजर आ रही हैं या एक अजीब–सी खींज की ध्वनि सुनायी देती है। उनकी कविताएँ ज्यादा खुरदुरी तथा जीवन की जड़ों से ज्यादा मजबूती से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जनवादी परिप्रेक्ष्य कहीं भी ओझल नहीं हुआ है। इसी भत्ते रेणु को जनपक्षीय कविता की सर्जना का मानक उदाहरण मानना शायद गलत नहीं होगा।

रेणु की एक कविता है – '**मँगरू मियाँ के नए जोगीड़े**' जो 2 मार्च 1950 को 'नई दिशा' मासिक के होली विशेषांक में छपी थी। यह कविता एक ओर आजादी के बाद सत्ता–हस्तान्तरण की वास्तविकताओं को बेनकाब करती है और दूसरी ओर नेहरू–सरकार के असली चरित्र को सामने लाती है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की घोषणा हुई और ठीक इसके दो महीने के बाद ही रेणु ने देश की राजनीतिक सत्ता पर काबिज तथाकथित जनप्रतिनिधियों के घिनौने चेहरे को जनता के सामने लाना शुरू कर दिया था, जो इस बात की ओर भी संकेत करती है कि बनते–बिगड़ते परिदृश्य के प्रति रेणु कितना चौकस, सचेत और जागरूक थे ? यह कठोर सत्य है कि 1947 के बाद ब्रिटिश हुकूमत के दलाल, जमीन्दार, देशी रियासत के शासक और वैसे लोग जिन्होंने विदेशी शासन के साथ सहयोग व साझेदारी की थी, स्वतंत्र देश की शासन–संरचना के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो गये। देश की समस्त पूंजी, वितरण–प्रणाली, नीति–निर्धारण तथा लाभांश पर उस वर्ग का एकाधिकार होने के कारण अर्थतंत्र

का केन्द्रीयकरण हुआ और देश में गरीबी बढ़ी है, कालेधन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था पैदा हुई है, मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिला है और भारतीय समाज की शक्ति के ढाँचे में बदलाव हुआ है। गुलेलधर्मी तेवर में रेणु भारतीय समाजतंत्र व शासनतंत्र का विवस्त्र चित्रण करते हैं – ''एक रात में महल बनवाया, दूसरे दिन फुलवारी/ तीसरी रात में मोटर मारा, जिनगी सुफल हमारी/ जोगी जी एक रात में, जोगी जी एक रात में/ जोगी जी भेद बताना, जोगी जी कैसे–कैसे ?/ कांग्रेस का टिकट कटाया बनकर खद्दरधारी/ मोरंग की सीमा पर हमने रात में पलथी मारी/ बाप हमारा पुलिस सिपाही, बेटा है पटवारी/ हाल साल में बना सुराजी, तीनों पुश्त सुधारी/ चच्चा मेरा कंट्रोल की चोर–दुकान चलाता/ मैं लीडर हूँ खादीधारी अंगुली कौन उठाता/ टर–टर करनेवाले जितने निसपिट्टर/ रघुपति राघव राजा जी का राम धुन जो गावै/ राममंत्र यह रामवाण है, राज तुरंत ही पावे/ खादी पहनो, चाँदी काटो, रहे हाथ में झोली/ दिन–दहाड़ें करो डकैती/ बोल सुदेशी बोली।''[14] जाहिर है, संविधान ने जिस समाज–संरचना का प्रारूप सामने रखा, वह नंगा हो गया। सत्ता में बैठनेवाले लोग लोकतंत्र के मूल्य और मर्यादा की दृष्टि से जनता के मापदण्डों पर नाकाम सिलसिलों से ऊबे–उकताए और अदेख कसावों में कसमसाते आम लोगों की जो चीजें लगातार मिलती गयी हैं – वो रही हैं राष्ट्रीय कर्णधारों का स्वार्थवाद, सुविधावाद और अवसरवाद। लोकतंत्र को क्रमशः ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया गया है जहाँ जनता को नीति और कार्यक्रम के आधार पर समेटने तथा अनुप्राणित करने की जगह जातिवाद, भाई–भतीजावाद, परिवारवाद आदि संकीर्णताओं के साथ समझौता करने के अलावा जैसे कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। लोकतंत्र के मुखौटे में राजनीति के निर्लज्ज व घिनौने रूप सामने आये हैं।

एक अन्य कविता **'मिनिस्टर मँगरू'** भी उल्लेखनीय है जिसमें रेणु चित्रित करते हैं कि एक गँवार व उदण्ड आदमी जो आजादी से पहले 'छोर पर बैठी मक्खियों को उड़ाता रहता था, वही आजादी के बाद गाँधी टोपी व कुरता पहन मंत्री पद पर विराजमान हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि आजादी के बाद यह देश संकीर्ण दृष्टिवाले बौने लोगों को उत्तराधिकारी में मिला है और लम्पट पूँजीवादी विकास का प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा है ? सत्तासीन लोगों ने नई–नई समस्याएँ पैदा की हैं और पुरानी समस्याओं को जटिल बनाया है। विवेक और चरित्र की राजनीति में प्रासंगिकता खत्म की गयी है। असहमति के अधिकार पर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हमले बढ़ते गये हैं तो हिंसक व माफियावर्ग के लोग अहिंसा की रामनामी ओढ़कर सत्ता की गलियारे में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। सत्ता और संसाधनों पर एकाधिकार प्राप्त करने के जो नये–नये तिकड़म एवं हथियार पूँजीवाद लोकतंत्र ने विकसित किये हैं, उसने व्यक्ति और समाज दोनों को विसंगतियों तथा विरोधाभासों से भर दिया है। पूंजीवादी लोकतंत्र की तसवीर इससे भिन्न हो भी नहीं सकती थी। इसीलिए रेणु के यहाँ व्यंग्य इतना धारदार है कि तथाकथित अहिंसावादी जनप्रतिनिधियों के चरित्र तार–तार हो जाते हैं – ''मुझे मालूम है कुछ गुर निराले दाग धोने के/ अहिंसा की लाउण्ड्री में रोज/ मैं कपड़े धुलवाता हूँ।''[15] क्या यह सच नहीं है कि अहिंसा का पाखण्ड रचनेवाले तथाकथित गाँधीवादी शासकवर्ग ने देश में जन–आंदोलन व जन–चेतना को रौंदने के लिए हिंसा के नये–नये उपकरण का ईजाद किया है ? अहिंसा शब्द का प्रयोग सिर्फ जन–विद्रोह की भावना को कुंद करने के लिए हुआ है मानो जनता की हिंसा, हिंसा हो और राजकीय हिंसा विशुद्ध अहिंसा हो।यह कैसा लोकतंत्र है ? यह कैसा विकास मॉडल है जिसमें दस प्रतिशत लोग सुख–सुविधओं में अवगाहन कर रहे हों और नब्बे प्रतिशत लोग अन्न के एक–एक दाने को मोहताज हो – ''भूखी–नंगी जनता रोवे/ नेहरू रोपत पियाज/ जमीन्दरबन के पीठि ठोकि के/ पोसे पटेल सरदार।''[16]

रेणु की काव्य–चेतना का आयतन कितना फैला हुआ है, यह उनकी कविता **'गतमाह का साहित्य'** से पता चलता है। इस कविता में एक ओर महान रूसी कवि **बोरिस पास्तरनाक** को श्रद्धांजलि दी गयी है, तो दूसरी ओर हिन्दी के ओजस्वी कवि **बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'** को। ज्ञातव्य है कि दोनों कवियों की मृत्यु एक ही रोग से और एक ही माह में हुई थी। एक ओर विश्व–स्तरीय कवि और दूसरी ओर एक भारतीय कवि–दोनों को एक साथ रेणु याद करते हैं। आज के दौर में जबकि हम 'ग्लोबल' बनने की होड़ में देशज मिट्टी के बोध से दूर होते जाते रहे हैं, रेणु की कविता हमें दुनिया के साथ–साथ अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की चेतना देती है – ''गत महा दो बड़े घाव/ धरती पर हुए/ हमने देखा/ नक्षत्र खचित आकाश से/ दो बड़े नक्षत्र झरे/ इसके, रंग के दो बड़े–बूंद/ ढूलक–ढूलक गये/ कानन–कुन्तला पृथ्वी के दो पुष्प/ गंधराज सूख गये ।''[17] साथ ही इस कविता में रेणु साहित्य जगत से शिकायत भी करते हैं कि इन दोनों महान कवियों का जितना मूल्यांकन होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। अपने समकालीन हिन्दी और समानधर्मी दूसरे देश के कवियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता व आत्मीयता वर्तमान हिन्दी–समाज के सामने एक आदर्श है–''वह जो जीवन–भर उपेक्षित/ अवहेलित/ दमित–द्वित्रि कारामजव (अर्थात बोरिस पास्तरनाक अर्थाक एक नवीन जयघोष मानव का) के अन्दर का कवि/ क्रांतिदर्शी जनयिता, रचयिता।''[18]

रेणु 1942 के भारत छोड़ों आंदोलन में सक्रिय रूप में शामिल थे। इस आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वे लगभग तीन वर्षो तक नजरबंद रहे। ब्रिटिश शासन के विरोध में धरना–प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बूटों से रेणु के शरीर को बुरी तरह

से जख्मी कर दिया गया था। उन्हें भागलपुर सेंट्रेल जेल में रखा गया था जहाँ वे गंभीर रूप से टी0बी0 रोग से ग्रस्त हो गये थे। इन घटनाओं के कारण उनके भीतर इतना गुस्सा था कि उन्होंने उस दौर की लिखी गयी कविताओं में ब्रिटिश प्रशासन के लिए खुलकर गालियों का प्रयोग किया है। 1942 के आंदोलन के दौरान ही उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई थी जिसकी उल्लेख उन्होंने अपनी बंगला भाषा में लिखी एक कविता में किया है – ''जेपी जखन जीप थेके लाफिये नेम/ मारो–मारो, मुझे मारो/ निजेर माथा पेते/ यहाँ मारो/ तारपरे जा घटे गेल/ जा घटे छे आमि/ देखे छि अद्भूत सब व्यापार।''[19] रेणु की कई कविताएँ हैं जो बांग्ला भाषा में लिखी हैं। उनकी बांग्ला में लिखी कविताओं में एक उल्लेखनीय कविता है – '**शब्द कहेगा**' जो कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक '**चौरंगी वार्त्ता**' के 2–9 दिसम्बर 1974 के अंक में छपी थी। यह कविता बांगला की '**भूखी पीढ़ी**' के एक महत्वपूर्ण कवि समीर राय चौधरी को संबोधित और पत्र–शैली में लिखी गयी है। यह एक लम्बी कविता है जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

आपातकाल भारतीय राजनीति का एक काला दौर रहा है। इस दौर के शासन–प्रशासन की निरकुंशता और फासिज्म के उभरते चेहरों को रेणु ने अपनी महत्वपर्णू कविता '**इमरजेन्सी**' में संदर्भित किया है। यह कविता 26 जून 1977 को **साप्ताहिक धर्मयुग** में छपी थी जिसमें एक अस्पताल के इमरजेन्सी वार्ड के माध्यम से भारतीय राजनीति की असलियत का पर्दाफास है। रेणु के शब्दों में –''इतिहास लिखनेवाले लोग इतिहास की इस अवधि को काली स्याही से पोत देगें। यहाँ मेरा दम घुटा जा रहा है। यहाँ तो लेखनी और वाणी पर भी प्रतिबंध है।... ....मेरा दिमाग एक टेप है। अभी देश में जितनी घटनाएँ हो रही हैं और जो मुझे मालूम है, सारी बातें मेरे दिमाग में टेप हो रही हैं। इमरजेन्सी समाप्त होने दो, मैं अपने दिमाग के टेप को घुमाऊँगा और दुनिया के सामने रखूँगा।''[20] पर दुर्भाग्य यह रहा कि 1977 में ही उनकी मृत्यु हो गयी और आपातकाल से जुड़ी जिन बातें को वे लिपिबद्ध करना चाहते थे, वो सामने नहीं आ सकीं। रेणु ने आपातकाल के भयानक दौर को प्रतीकात्मक ढंग से चित्रित किया है –''रोग–मुक्त किन्तु बेहोश काया से/ बूंद–बूंद टपकती रहती है इमरजेसी/ रक्तरंजित सफेद/ खरगोश की लाश/ ईथर की गंध में उँघती जिन्दगी/ रोज का यह सवाल, कहिए, अब कैसे हैं ?/ रोज का यह जवाब–ठीक हूँ, सिर्फ कमजोरी है/ थोड़ी खाँसी और/ तनिक सा यहाँ पर मीठा–मीठा ददर्।''[21] 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक की स्याह अवधि रेणु के शब्दों में '**हर रात काली बिल्ली**' की मानिन्द गुजरी। इस कविता के जरिए भारतीय लोकतंत्र के जटिल चरित्र और उस दौर की परिस्थितियों को समझा जा सकता है। आपातकाल के काले दौर पर केन्द्रित ऐसी सघन और विचारोत्तेजक बुनावट की कविता हिन्दी में बहुत कम है।

इस तरह रेणु का काव्य–संसार गतिशील, संवेदनशील और विचारशील कविताओं से भरा है जिनसे गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो रेणु का रचनात्मक व्यक्तित्व मौलिक रूप से कवि का रहा है। रेणु का काव्य–संसार वस्तुगत सच्चाईयों से जुड़ाव का अहसास कराता है। वे कभी किस्सागो बनकर तो कभी इतिहासकार बनकर, कभी व्यंग्यकार बनकर तो कभी एक आंदोलकारी बनकर अपनी कविताओं में समय एवं समाज के जलते प्रश्नों तथा परिदृश्य से टकराते दिखायी देते है। उनका कविकर्म मंनोरजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समय सभ्यता की पड़ताल करने के पैने हथियार हैं। लेकिन तमाम विषाद, तनाव, नाउम्मीदी व गुस्से के बावजूद रेणु की कविताओं से एक गहरी करूणा की धारा फूटती दिखायी देती है। इस करूणा का विशेष अर्थ है क्योंकि इसी के भीतर मानवीय संवेदना की सच्चाईयाँ निहित हैं जो बाजारवाद व उपभोक्तावाद के मौजूदा अंधेरे दौर में थोड़ी रोशनी और संभावना की ओर ले जाती है – ''नव स्फूर्ति भर दे नवचेतन/ टूटे पेड़, जड़ता के बंधन/ शुद्ध, स्वतंत्र वायुमंडल में/ निर्मल तन, निर्भय मन हो/ प्रेम पुलकमय जन–जन हो।''[22]

संदर्भ–

(1)भारत यायावर (संपादक) रेणु का जीवन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ–10 (2)रेणु रचनावली, खण्ड–5, संपादक भारत यायावर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ–92 (3)मैनेजर पाण्डेय, उपंयास और लोकतंत्र, पहल–77, 2004, पृष्ठ–67 (4)रेणु रचनावली, खण्ड–5, संपादक भारत यायावर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ–10 (5)वही–, पृष्ठ–111 (6)नामवर सिंह, (संपादक) प्रतिनिधि कविताएँ : नागार्जुन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 1988, पृष्ठ–95 (7)रेणु रचनावली, खण्ड–5, संपादक भारत यायावर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ–385 (8)वही–, पृष्ठ–385 (9)नमिता सिंह, हिन्दी कहानी में विभाजन की त्रासदी, वर्तमान साहित्य, शताब्दी कथा साहित्य अंक 2005, पृष्ठ–117 (10)रेणु रचनावली, खण्ड–5, संपादक भारत यायावर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ–111 (11)वही–, पृष्ठ–111 (12)वही–, पृष्ठ–556 (13)वही–, पृष्ठ–407 (14)वही–, पृष्ठ–408 (15)वही–, पृष्ठ–390 (16)वही–, पृष्ठ–422 (17)वही–, पृष्ठ–408 (18)दृष्टिकोण, (संपादकीय) नया समाज मार्च 1952, पृष्ठ–6 (19)रेणु रचनावली, खण्ड–5, संपादक भारत यायावर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2007, पृष्ठ–384 (20)वही–, पृष्ठ–384 (21)वही–, पृष्ठ–410 (22)वही–, पृष्ठ–403

12.समाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं का उन्नयन

–[1]डॉ.कृपाल सिंह आठिया [2]डॉ.किरण आठिया

[1]प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला खिरिया दमोह

[2]सहायका प्राध्यापक, इतिहास विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह

अनादिकाल से ही हमारा देश महानतम नारियों की तापोभूमि रहा है। हमारे देश की पहचान सीता, सवित्री, उर्मिला वृंदा, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, सवित्री बाई फुले एवं अनेक ऐसी ही नारियों से है। भारतीय समाज मे नारी का स्थान सर्वोपरि रहा है। कुछ समय सन् 1192 से 1947 ई. तक का काल महिलाओं की सामाजिक स्थिति मे गिराबट का काल रहा मुस्लिम काल में शासकों ने महिलाओ को पैरो की जूती माना। अंग्रेजो ने अत्याचार किए, वहीं हिन्दू परिवारों मे भी महिलाओं को पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ा। सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त कराकर लार्ड विलियम बेटिग ने महिलाओं को बहुत बडा उपहार दिया। महिलाओं के स्थिति के लगभग 800 वर्ष घोर निराशा से भरे दुःखदायी रहे। क्योंकि बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दाप्रथा, सतीप्रथा इसी युग की देन थे। 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हम सभी को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। किंतु आर्थिक व सामाजिक स्वंतत्रता मिलने मे काफी वक्त लग रहा है। सामाजिक क्षेत्र मे नारियों की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संसद ने अनेक विचार रखे गये। नारी उन्नयन के लिए अनेक अधिनियम बने, कुछ पारित होने के इंतजार मे आज भी है। आज भी प्रस्ताव पेश किये जा रहे है। महिला आरक्षण बिल आज भी पारित होने का इंतजार कर रहा है। आज भी आधी आबादी वास्तविक रूप से अपने अधिकार व सम्मान से वंचित दिखाई दे रही है जिसकी व अधिकारणी है। इसी पर मेरा यह शोध पेपर प्रस्तुत है।

सामाजिक क्षेत्र में–

भारत मे महिलाओं की सामाजिक स्थिति सदैव एक समान नहीं रही। प्राचीन काल मे जहाँ पुरूषों के समान बराबरी का दर्जा, तो मध्यकाल मे निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारको द्वारा समान अधिकारो को बढ़ावा दिये जाने तक भारत मे महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। सामाजिक क्षेत्र मे नारी उन्नयन के लिए बाल विवाह अधिनियम सन् 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया। जिसमे लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष की जगह 18 वर्ष एवं लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष की गई। इससे प्रयोजक हरिविलास शारदा थे जिनके नाम पर इसे "शारदा" अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 ई. मे बना। इससे अब एक पुरूष एक ही स्त्री से विवाह कर सकता यह मुस्लिम संप्रदाय पर लागू नही है। तो वही कुछ आदिवासियों मे बहु विवाह प्रथा आज भी लागू है। पिता की संम्पत्ति पर पुत्री को आज भी अधिकार नही मिल पा रहा है। उत्तराधिकार अधिनियम सन् 1956 के बावजूद भी, उक्त अधिनियमों के बाद भी भारतीय नारियों को बहू अधिकार और सम्मान नही मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए था।

भारत मे महिलाओं के तीन वर्ग है –

(1) निम्न वर्ग–

समाज मे जो निम्न वर्ग की महिलाएँ है उनमे शिक्षा का प्रतिशत बेहद कम है। ये ग्रामीण महिलाएँ कृषि कार्य, मजदूरी ,बीडी बनाना, लकड़ी बेचना ,वनोपज आधारित कार्य करती है। इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण सामजिक स्थिति भी निम्न है। इनकी प्रगति के लिए सरकारी योजनाओं स्वंय सेवी संस्थाओ के साथ–साथ पंचायतो को भी प्रयास करने होगे। महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तीकरण नीति का लाभ इनको मिले ऐसे प्रयास करना होगे। म.प्र. शासन ने इस दिशा मे वर्ष 2006 मे निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम सरकारी स्तर पर आयोजित किये गये है। जिसके तहत वर्तमान मे सरकार द्वारा 51000/– रूपये एवं दहेज की व्यवस्था की जाती है। यह सरकार द्वारा किया जाने वाला अद्वितीय कार्य है। "गांव की बेटी" योजना इनकी प्रगति मे एक और सार्थक कदम था। कक्षा 6 से दूर–दराज शिक्षा पाने के लिए सरकार द्वारा साइकिल वितरत की जाती है जिससे ड्राप आऊट छात्राओ के प्रतिशत मे भारी कमी आई। शिक्षा ही महिलाओं को उन्नति के द्वार पर लाने का कार्य करेगी। महिलाओं की उन्नति से ही देश की उन्नति हैं। निम्न वर्ग की बेटियों को 100 प्रतिशत शिक्षित बनाना होगा ऐसी व्यवस्था हम सब मिलकर करे।

(2) मध्यम वर्ग–

देश मे मध्यम वर्ग की महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। शिक्षा का प्रतिशत भी इनमे लगभग 75 प्रतिशत है। इस वर्ग की महिलाएँ शासकीय नौकरी, निजी संस्थानों मे नौकरी, दुकान चलाना, आदि क्षेत्रो मे कार्य करती है। इस वर्ग की छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति की है। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर मेरिट सूची मे इनका दबदबा होता है। तकनीकी क्षेत्र मे भी ये आगे है। इस वर्ग की छात्राएँ आज इंजीनियर ,डॉक्टर, प्रशासिक पदो पर विराजमान है। किंतु दूसरी और समाज मे इनको उचित सम्मान प्राप्त नही है। तलाक, दहेज हत्या, आत्महत्या

के केस इसी वर्ग मे सर्वाधिक है। भ्रूण हत्या इसी वर्ग मे अधिक है। हमारा समाज पुरूष प्रधान है, साथ ही साथ 800 वर्षो की गुलामी के साये मे रहा है। गुलामी की मानसिकता को छोड़ना होगा। पिता को "पुत्र एवं पुत्री को समान मानना होगा। पति अपनी पत्नी को वास्तविक रूप से अर्धांगिनी स्वीकार करना होगा। उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित कर आदर्श बनना होगा। उसकी प्रतिथति को स्वीकार करना होगा। इस वर्ग की महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र मे भागीदारी निभानी होगी। दहेज लोभियों से विवाह से साफ इंकार कर देना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप मे भागीदार नही बनना चाहिए। एक महिला को अपने सभी रूप की भूमिका अच्छे से निभानी होगी। चाहे वह बेटी, पत्नी, बहू, मॉ, सास, ननद, किसी के रूप मे हो। इस वर्ग की महिलाओं को उच्च वर्ग की महिलाओं के जीवन स्तर अपनाने की होड से बचना चाहिए। सरकार द्वारा पंचायती राज्य मे दिये जा रहे आरक्षण एवं सरकारी नौकरी मे दिये जा रहे लाभ को लेते हुए पुरूष की बराबरी से देश की प्रगति पथ मे सहयोग देते हुए अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुद्ढ़ करना चाहिए।

(3) उच्च वर्ग–

इस वर्ग की महिलाएँ लगभग 100 प्रतिशत शिक्षित होती हे। जिससे परिवार, समाज व देश मे इनका सम्मान सूचक पद है। इनकी सामाजिक स्थिति उच्च है। इनका अपमान या शोषण न के बराबर है। परंतु इस वर्ग की महिलाओ का तलाक प्रतिशत सर्वोधिक है। भ्रूण हत्या आम बात है। दहेज इस वर्ग की कोई समस्या नही है। इस वर्ग की अधिकांश महिलाएँ अभिमान से भरी होती है। धैर्य की कमी होती है। शिक्षा के क्षेत्र मे असीम प्रगति करती है। फिल्मों, टी.वी., सीरियल एवं विज्ञापन के माध्यम से लाखों करोडो रूपये कमाती है। चाहे उसके लिए अंग प्रदर्शन ही क्यों न करने पड़े। इस वर्ग की महिलाएँ अपनी प्रस्थिति के अनुरूप भूमिका नही निभाती है। नैतिकता का अभाव दिखाई देता है।

(4) राजनैतिक क्षेत्र में–

भारत मे राजनैतिक क्षेत्र मे महिलाओं को उचित सम्मानीय स्थिति प्राप्त थी रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। नूरजहॉ के चारो और जहॉगीर का शासन घूमता था। सवित्री बाई फुले ने शिक्षा की अलख जगा कर राजनैतिक क्षेत्र की समझ बढ़ायी। आजादी के बाद विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी वही भारतीय के क्षितिज पर भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री के रूप मे श्रीमति इंदिरा गॉधी जो ख्याति अर्जित की वह बेमिसाल है। सन् 1971 मे उन्ही के शासन काल मे भारत –पाकिस्थान युद्ध मे 1 लाख पाकिस्तानी सेना का समर्पण विश्व की अद्वितीय घटना थी। इस विजय पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उन्हे दुर्गा का अवतार कहा। तमिलनाडू मे जयललिता ने मुख्य मंत्री पद संभाला तो म.प्र. मे वर्ष 2003 के चुनाव मे उमाभारती ने प्रचंड जीत प्राप्त कर भा. ज. पा की सरकार बना कर प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। राजस्थान मे वंसुधरा राजे वही दिल्ली मे शीला दीक्षित ने कॉग्रेस की सरकार बनाई तो वही बिहार मे रावडी देवी। उ. प्र. मे 4 बार मायावती ने बी. एस. पी. की सरकार बनाई।पश्चिम बंगाल मे ममता बर्नेजी मुख्यमंत्री है। जम्मू कश्मीर मे महबूबा मुफ्ती भारतीय क्षितिज पर यू .पी. ए. की अध्यक्ष पद पर सोनिया गॉधी के नेतृत्व मे डॉ0मनमोहन सिंह ने लगातार 10 वर्ष केन्द्र मे सरकार चलाई।देश के सबसे बडे सवैधानिक पद पर श्रीमति प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई। तो वही लोकसभा के अध्यक्ष पर पर श्रीमति सुमित्रा महाजन एवं मीरा कुमार जैसी शक्तिशाली महिलाएँ विराजमान रही। 17 वी लोकसभा मे 78 महिलाएँ चुनी गई मोदी सरकार ने 2014 से अभी तक 8 राज्यपाल और एल. जी. महिला बनाई है।

आज रक्षा मंत्री पद पर भी महिला निर्मला सीतारमन विराजमान है। 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण पंचायतों मे ग्रामीण महिलाओ को नेतृत्व मिला है। घर की चार दीवारी से बाहर की दुनिया के देखने–समझने का मौका मिला है पर देश की संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मे यह बिल आज भी लटका हुआ है। इस सबके बाद भी भारतीय राजनीति मे अभी भी महिलाओं की स्थिति बेहद असंतोष जनक है। राजनीति मे पर्याप्त मात्रा मे महिलाएँ नही है। ग्लोबल जेडंर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत राजनैतिक सशक्तिकरण के मामले मे 18 वे स्थान पर है। शीघ्र ही संसद मे महिला बिल पारित हो जिससे आधी आबादी के साथ न्याय हो।

सन्दभर्–1.कुरूक्षेत्र **2.**योजना **3.**ग्लोबल जेडर गेप रिर्पोट 2020 **4.**समाचार पत्र–दैनिक भास्कर, नवभारत, नई दुनिया, पत्रिका, हरिभूमि

13.पद्मश्री गिरिराज किशोर के लेखन में देश–काल

–रंजेश गुप्ता
(टीजीटी हिंदी)जवाहर नवोदय विद्यालय,अमीरपुर,बडायला,गाज़ियाबाद,उ.प्र.

08 .07.1937 को मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में आविर्भूत गिरिराज किशोर समकालीन हिंदी साहित्य के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं. अपनी रचनाओं से उन्होंने सिद्ध किया है कि समय सापेक्षता ही किसी रचना को सजीव और ऊर्जावान बनाती है. रचना चाहे किसी की हो, कहीं की हो, समयबोध ही उसकी वास्तविक शक्ति है. समयबोध ही हमें संवेदनशील बनाता है और जीवन को असहज बनाने वाली स्थितियों से संघर्ष करने के लिए तैयार करता है. जीवन को असहज बनाने वाली स्थितियों का विरोध करते हुए पाठक को प्रतिवाद के लिए प्रेरित करना साहित्य का प्रमुख उद्देश्य होता है. स्थितियाँ यदि निजी हों तो निजी रूप से और वे अगर सामाजिक हों तो सामूहिक रूप से हस्तक्षेप की प्रवृत्ति का विकास करना साहित्य का दायित्व है.गिरिराज किशोर समय से बहुआयामी संधि स्थापित करने वाले रचनाकार हैं. स्वाधीनता से पहले हम राजनीतिक–आर्थिक रूप से ही विपन्न थे किन्तु आज़ादी के बाद हमारी विपन्नता तब और विकट हो जाती है जब हमारे नैतिक पतन और राष्ट्र के प्रति आत्मीयता का आभाव दिखने लगता है. इस तरह हमारा जीवन देश–काल के हिसाब से अत्यंत असहज हो उठता है, गिरिराज किशोर का लेखन इस अछोर असहजता से उबरने का साहस है.

गिरिराज किशोर की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामंती थी. वे मूलतः सामंत थे परंतु उनका व्यक्तित्व सामंती अहंकार से अछूता था. परिवार के सामंती परिवेश, खासकर बाबा और पिता की सामंती प्रवृत्ति से गिरिराज को असहमति थी. कभी–कभी टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी. गिरिराज को बचपन से ही किसी पर अत्याचार मंजूर नहीं था. गिरिराज किशोर के वाह्य व्यक्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें असाधारण सिद्ध कर सके. उनका साधारण मझोला कद तथा गेहुवां वर्ण है. दातों की शुभ्र पंक्ति और हँसमुख चेहरा, विस्तीर्ण मस्तिष्क एवं आंखों पर चश्मा वाह्य व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं. स्वभावतः संघर्षशील, स्पष्टवादी, गंभीर तथा विनम्र चरित्र उनके व्यक्तित्व का आतंरिक पक्ष है जिसके बदौलत वे अपनी रचनाओं में आज़ादी के बाद से अद्यावधि समाज के सभी आयामों का निदर्शन पाठक को करवाते हैं.गिरिराज किशोर ने अपने जीवन में जो कुछ देखा और भोगा उसे यथार्थ भावभूमि पर शब्दों का परिधान प्रदान कर अपने डेढ़ दर्जन उपन्यासों, एक दर्जन कहानी संग्रहों, सात नाटकों, आठ आलोचना कि कृतियों, चार बाल साहित्य की पुस्तकों तथा एक एकांकी सहित पचास से अधिक कृतियों के माध्यम से हमारे समक्ष पेश कर दिया. आपने अपने उपन्यासों में अधिकांशतः नगरीय जीवन के यथार्थ को स्थान दिया है. आपके उपन्यास साहित्य को यदि हम रचनाक्रम के अनुसार देखें तो उनमें अपने समय, समाज और परिवेश की एक मनोरम और प्रतिक्रियात्मक यात्रा है. आपके लेखन में उपस्थित देश–काल को कुछ इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है–

उपन्यास –1. लोग (1966)–यह आपका पहला उपन्यास है. इसमें आज़ादी से थोड़े पहले का परिदृश्य और अंग्रेजों के समर्थक सामंतों की मानसिकता का यथार्थ अंकन किया गया है. इसे एक ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है. इसमें सामंतों द्वारा अपनों के शोषण और अंग्रेजों के पोषण की कथा कही गयी है.'लोग' के पत्रों के सन्दर्भ में बताते हुए स्वयं लेखक का कहना है–मेरा संघर्ष उपन्यास में दो स्तरों पर था. एक स्तर यह था जो जमाना गुजर रहा है, जिसके लोग, आज ऐसा वक्त आ गया है कि देखने को नहीं मिलते. उन लोगों की जिंदगी को कैसे पकड़ा जाए? और जो आने वाले आधुनिकतावादी लोग हैं उनके सामने इस तस्वीर को कैसे रखा जाए जिसको मैंने अपनी आँखों से बदलते हुए देखा है. यह बदलाव का जो जमाना था, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बदलाव मेरे अंदर हुआ है और अपने अंदर होने वाले बदलाव को मैं कैसे जल्दी से जल्दी अर्थवत्ता देकर प्रस्तुत कर सकूँ यह मेरा बहुत बड़ा संघर्ष था. **2.चिड़ियाघर (1968)** – यह एक लघुकाय सामाजिक उपन्यास है. इसमें एम्प्लायमेंट ऑफिस के माध्यम से दफ्तरों में फैली बुराइओं का अंकन किया गया है. यह उपन्यास हमारे शोषित सामाजिक वातावरण पर आधारित है. कार्यालयों में पसरे भ्रष्टाचार ने जीवन मूल्य ही बदल दिया है. इसमें उन्हीं बदलते नैतिक प्रतिमानों और विघटित होते मूल्यों की ओर इशारा है. **3. यात्राएँ (1971)** – यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो नव विवाहित दम्पति के जीवन पर आधारित है. इसमें बाहरी स्थितियों की तुलना में नव दम्पति के मानसिक विचरण को लक्षित किया गया है. **4.जुगलबंदी (1973)** – यह अंग्रेजी परस्त सामंती जीवन पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है. 'लोग' में जहाँ आज़ादी के थोड़ा पहले का चित्रण है वहीँ इसमें आज़ादी के बाद का किन्तु कलेवर बिलकुल अलग है. इसमें तत्कालीन भारतीय राजनीति की उथल–पुथल और सामंतों की मौकापरस्त सोच का लेखा–जोखा है. यह उपन्यास प्राथमिक तौर पर दो मार्मिक त्रासदियों की ओर इशारा करता है. पहली सत्ता या पूँजीवादी व्यवस्था से जुड़े रहने वाले सामंतों की त्रासदी और दूसरी कांग्रेस के भीतर की त्रासदी. ये दोनों त्रासदियाँ संपूर्ण उपन्यास में फैली हुई हैं, जिन्हें जमींदार शिवचरण के माध्यम से उभारा गया है. **5. दो (1974)** – स्त्रीविमर्श/नारी मुक्ति को विषय बनाकर गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया यह पहला उपन्यस है. इसमें एक असंतुष्ट नारी और उसके दो पतियों का मनोवाज्ञानिक अंकन है. 'दो' उपन्यास की नीमा अपने पति के असहनीय अत्याचारों से त्रस्त होकर उसे त्याग देती है और एक ढाबे वाले पंडित के साथ रहने लगती है. निम्न वर्क की अनपढ़ नारी होते हुए भी नीमा अपने पति में तथाकथित देवत्व का रूप न देखकर एक अत्याचारी वासनाप्रिय पुरुष का रूप देखती है जिस कारण वह उसे छोड़ने के लिए विवश होती है. यहाँ वह परम्परा से प्रतिकार करते हुए दिखाई देती है. ढाबे वाले के साथ भी नीमा संतुष्ट नहीं रह

पाती है. उसे लगता है कि ढाबे वाला पति हद से जादा उसपर कुर्बान है जिसे देखकर उसे कुधन का अनुभव होता है. नीमा के अंदर की घुटन और असंतुष्टि का कारण ढाबेवाले पति का सीधापन, उसका सरल सौम्य स्वभाव है. वह उससे कहती है, '' तुम जब देखो मिनमिनाया करते हो, अपनी बात जोर से क्यों नहीं कहते. वह (पहला पति) इतनी जोर से चिल्लाता था कि कान के परदे हिल जाते थे.'' यहाँ स्पष्ट जाहिर होता है कि नीमा का नारीत्व दूसरे पति से भी खुश नहीं होता है जिस कारण वह ऐसे सन्दर्भों में अपने पहले पति के क्रूर और पुरुषत्व से युक्त स्वभाव का जिक्र करती है. नीमा की व्यथा ढाबेवाले को कचोटती रहती है. वह रोगग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है. पति की मृत्यु के पश्चात् नीमा उसकी संतान को जन्म देती है जिसे लेकर उसे दर – दर भटकना पड़ता है. अनेक लोगों की दृष्टि उसके यौवन पर पड़ती है. अपनी इज्जत बचने के लिए वह न चाहते हुए भी अपने पहले पति के पास लौट जाती है.**6. इंद्र सुने (1978)**–यह कृषकों कि समस्याओं पर आधारित फंताशी शैली का उपन्यास है. इसमें तीन अध्यायों मृत्युलोक व्यथा, देवलोक कथा और मृत्युलोक यथा के वितान पर भारत की सामाजिक–आर्थिक विषमता का प्रतिबिम्बन किया गया है. यह उपन्यास गाँव की धरती को कारखाना बनाने के लिए शहरी लोगों द्वारा हड़प लिए जाने तथा गाँव का शहरीकरण किये जाने की प्रक्रिया का लेखा –जोखा है. **7. दावेदार (1978)** –यह फंताशी शैली में रचा गया सत्य की खोज/आत्मसंघर्ष/जीवन के यथार्थबोध पर आधारित उपन्यस है. यह उपन्यास उनके अन्य उपन्यासों से अनन्य है. 'इंद्र सुनें' और 'असलाह' जैसे उपन्यासों में यद्यपि उन्होंने फंताशी शैली का उपयोग किया है फिर भी वे ऐसी रचनाएँ हैं जो सीधे हम्मरे समय से टकराती हैं. राजनीतिक–सामाजिक गतिविधियों का सीधा असर उनमें उपलब्ध है किन्तु 'दावेदार' की विभ्रामात्मक स्थितियाँ स्वयं विषय हैं. उसका 'आदमी' जो प्रमुख पात्र के रूप में उपन्यास में आरंभ से अंत तक है, इच्छा और समय के द्वंद्व की यात्रा में अनवरत गतिमान है. **8.तीसरी सत्ता (1982)**–यह शिक्षित मध्यवर्गीय पति–पत्नी और ड्राइवर की कथा है. पति–पत्नी सम्बन्धी पारंपरिक एवं नई मान्यताओं की टकराहट इस उपन्यास में आद्यंत विद्यमान है. उपन्यास में नारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बाल दिया गया है. नारी के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और पारंपरिक पुरुष दृष्टि के संघर्ष के अंत में नारी अपने में निहित ममता और प्रेम के कारण सिर झुका लेती है. यह स्वीकृति पराजय को व्यक्त नहीं करती है बल्कि अपने में निहित मातृत्व की महिमा को व्यक्त करती है. इसीलिए यह उपन्यास वर्तमान नारी के स्वातंत्र्य को अभिव्यक्ति देता है साथ ही निम्नवर्गीय वफादारी, मध्यवर्गीय चालाकी और बाल मनिविज्ञान आदि मुद्दों को भी प्रदीप्त करता है. **9.यथा प्रस्तावित (1982)** – इसका मूल कथ्य दलित विमर्श है. यह कार्यालयी वातावरण में व्याप्त ऊँच – नीच की भावना का चित्रण करने वाला एक सामाजिक उपन्यास है. वैसे दलित साहित्य के नाम पर लगातार तरह – तरह के नारे बुलंद किये जाते रहे हैं, विविध साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी समुचित आकार ग्रहण करती रही हैं. इन सब में दया तो पर्याप्त मात्रा में उमड़ती दिखाई देती है किन्तु दलित जन की आशाओं – आकांक्षाओं और उन व्यथाओं के चित्रण का आभाव है जो उनके इस वर्ग में पैदा होने मात्र से उन्हें सहनी पड़ती हैं. इस विन्दु पर गिरिराज किशोर का लेखन अत्यंत अन्तरंग स्तर का है जो उन्हें दलितों पर दया करने वालों से कहीं अलग स्तर प्रदान करता है. दलित समाज का जीवन परिवेश, तमाम आरक्षणों के बावजूद जस का तस है. उपन्यास के मुख्य पात्र बालेसर के माध्यम से एक ओर प्रशासन की उदासीनता तथा दूसरी ओर जातिगत वैमनस्य के कारण लगातार इन पर होने वाली अमानवीय हरकतों के प्रक्षेपास्त्रों की मार से विह्वल दलित वर्ग की वास्तविक स्थिति का चित्र 'यथा प्रस्तावित' में उभरा है. **10. परिशिष्ट (1984)** – यह असम्मान की यातना से गुजरती जिंदगी का आख्यान है. उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त ऊँच – नीच की भावना को दर्शाने वाला यह एक सामाजिक उपन्यास है. आई आई टी कानपुर इस कथा का केन्द्रिंदु है. उपन्यास के दो परिशिष्ट हैं–'एक, जाँच रिपोर्ट का खुलासा' और 'दो, जाँच अधिकारी के नाम सुबरन चौधरी का पत्र.' पहला परिशिष्ट, अभिजात्य के द्वारा दलित की प्रतिभा को उभरने न देने या उसे आवरित रखने के प्रयास को सूचित करता है तो दूसरा उसके दुखद परिणाम को. दलित तबके के लोगों के प्रति अभिजात्य की असम्मान की भावना ही उपन्यास का कथ्य है. **11. असलाह (1987)** – मिथकीय शैली में सृजित यह उपन्यस साम्राज्यवादी देशों और शक्तियों का विरोध और मानव संवेदना के समर्थन पर आधारित है. इसमें विज्ञान, बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति से मानवता का टकराव दर्शाया गया है जिसमें अंततः मानवता और ममता की विजय होती है.**12 अंतर्ध्वंस (1990)**–यह युवा वैज्ञानिकों के पलायन पर आधारित एक अनूठा उपन्यास है. इसमें लेखक हमरा परिचय विज्ञान के महत्वपूर्ण विनाशकारी पक्ष से कराता है, वह विज्ञान का बाहरी विनाशकारी पक्ष नहीं है, बल्कि अंदरूनी है. लेखक के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मकता धीरे–धीरे लुप्त होती जा रही है, फलतः मानवता के प्रति विज्ञान की प्रतिबद्ध दृष्टि कमजोर पड़ने लगी है. **13.ढाई घर (1991)**–1992 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत यह 'लोग' और 'परिशिष्ट' के बाद सामंती जीवनपर आधारित तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है. इसमें आज़ादी के थोड़े पहले और थोड़े बाद का परिदृश्य और सामन्ती मनोभाव अंकित किया गया है. **14.यातनाघर (1997)**–इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों (IITs) में व्याप्त बुराइयों और विसंगतियों का चित्रण है. गिरिराज किशोर के अनुसार 'यातनाघर' उनका अपूर्ण उपन्यास है, ''मेरा पहला उपन्यास है जो अपूर्ण है लेकिन कई बार अधकही बातें भी पूर्णतया संप्रेषित हो जाती हैं.'' **15. अष्टाचक्र**–यह दो खण्डों में आठ लघु उपन्यास का संकलन है. **16. पहला गिरमिटिया (1999)** – भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित गिरिराज किशोर की यह पहली रचना है. इसके 904 पृष्ठों के वृहद् वितान पर महात्मा गाँधी के अफ्रीका प्रवास के दौरान संघर्ष की कथा

का शब्दांकन है. इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता है. **17. आंजनेय जयते –** यह हनुमान कि शक्ति और संघर्ष पर आधारित मिथकीय शैली में सृजित उपन्यास है.

कहानी संग्रह –गिरिराज किशोर ने अपने लेखन का प्रारंभ कहानी विधा से ही किया था. समकालीन कथा साहित्य में आपके पास समाज और जीवन की सबसे समृद्ध अनुभव दृष्टि है. आपने अस्तित्वबोध के समस्त पहलू अपने कहानी संग्रहों में सँजोया है. आपने हिंदी साहित्य को लगभग 155 अद्भुत कहानियाँ समर्पित किया है जो विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं और संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं. **1.नीम के फूल (1964) –** यह आपका पहला कहानी संग्रह है. इसमें कुल 19 कहानियाँ संकलित हैं. 'पीली पत्तियां नीम की' कहानी इस कहानी संग्रह की सर्वप्रमुख कहानी है. इसी के आधर पर कहानी संग्रह का नामकरण किया गया है. **2. चार मोती बेआब (1964) –** इसमें कुल 17 कहानियाँ संकलित हैं. इस कहानी संग्रह में आधुनिकताबोध, अस्तित्वबोध, अजनबियत, जीवन मूल्यों का विघटन, आस्थाहीनता और संबंधों की क्षणभंगुरता आदि को कथ्य का आधर बनाया गया है.**3. पेपरवेट (1967) –** इसमें कुल 9 कहानियाँ हैं. 'पेपरवेट' कहानी में राजनीति के इंद्रजाल को दर्शाया गया है और इसी के आधार पर संग्रह का नामकरण भी किया गया है. पीढ़ियों के अंतराल/संक्रमण पर केन्द्रित आपकी बहुचर्चित 'चूहा' कहानी इसी संग्रह में संकलित है.**4. रिश्ता और अन्य कहानियां (1968) –** यह कुल 10 कहानियों का एक गुच्छ है. रिश्ता इस संग्रह की अंतिम कहानी है. इसी के आधार पर संग्रह को शीर्षक प्रदान किया गया है. इस संग्रह में दरकते मानवीय मूल्यों और तार–तार होती मानवता का यथावत अंकन किया गया है. 'रेप' और 'गाउन' जैसी विलक्षण कहानियाँ इसी में संकलित हैं.**5.शहर –दर –शहर (1975/76)** इसमें कुल 7 कहानियाँ हैं. इन कहनियों में लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, फिल्मों के ग्लैमरस जीवन का अन्धानुकरण और आधुनिकताबोध को विषय बनाया गया है.**6. हम प्यार कर लें (1980) –** इसमें कुल 10 कहानियाँ संकलित हैं जिनमें आर्थिक विषमता के मानवमन पर प्रभाव और शासन–प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को केन्द्रिंदु बनाया गया है. संग्रह की अंतिम कहानी के आधार पर संग्रह को शीर्षक प्रदान किया गया है. **7.जग तारनी एवं अन्य कहानियां (1981) –** यह कुल 4 कहानियाँ का संग्रह है. इसमें सरकारी कार्यालयों के दमघोटू माहौल और उनमें कार्यरत कमचारियों की स्वाधीनता और गुलामी के सनातन प्रश्न को चिन्हित किया गया है. कहानियों में लेखक ने प्रतीकों का सहारा लिया है. जैसे 'घोड़े का नाम घोड़ा' कहानी में घोड़े के माध्यम से आम आदमी का मूल्यांकन किया गया है. **8. गाना बड़े गुलाम अली खां का (1985) –** इसमें कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं. 'वह हँसा क्यों नहीं', 'गुनाहगार' और 'खरबूजे' जैसी चर्चित कहानियाँ इसी संकलन का हिस्सा हैं. अंतिम कहानी के आधार पर संग्रह का नाम रखा गया है. **9.वल्द रोजी (1989) –** इसमें कुल 10 कहानियाँ संकलित हैं. प्रतिभापलायन, प्रतिभापलायन की वजह से टूटते पारिवारिक संबंध और विज्ञान तथा मानव के संबंधों को कहानियों का विषय बनाया गया है. विज्ञानी अन्वेषण यंत्रमानव और प्रत्यावर्तन जैसी कहानियाँ आधुनिक मानव की त्रासदी को अनावरित करती हैं. **10. यह देह किसकी है? (990) –** यह कुल 20 कहानियों का संकलन है. बहुचर्चित कहानी 'लालघर' इसी संग्रह में संकलित है. इसमें साम्प्रदायिकता की आग में स्वाहा होते मानवीय मूल्यों का प्रतीकात्मक अंकन किया गया है. 'यह देह किसकी है?' कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है. इसी के आधर पर संग्रह का नामकारण किया गया है. **11. मेरी राजनीतिक कहानियाँ–** यह राजनीति पर केन्द्रित कहानी संग्रह है. **12. हमारे मालिक सबके मालिक –** यह आत्ममुग्धता और अंधभक्ति पर केन्द्रित संग्रह है. **13. आंद्रे की प्रेमिका एवं अन्य कहानियाँ (1995) –**साम्प्रदायिकता, निम्नमध्यवर्गीय जीवन, राजनीति में धन–बल का बोलबाला आदि को इस कहानी संग्रह का विषय–वस्तु बनाया गया है. इसमें कुल 19 कहानियाँ संकलित हैं. संग्रह की पहली कहानी के अधर पर संग्रह को शीर्षक दिया गया है.

नाटक –सफल कहानीकार और उपन्यासकार होने के साथ–साथ गिरिराज किशोर एक विलक्षण नाटककार भी हैं. उन्होंने अपने समय को बड़ी संजीदगी से जिया है और नाटक जैसी विधा में आपने अपने संवेदन को समसामयिक परिस्थितयों में बड़ी निष्ठा और सतर्कता से प्रस्तुत किया है. **1. नरमेध (1970–71) –** यह आपका पहला नाटक है. यह परिवार को केंद्र में रखकर लिखा गया है. इसमें पारिवारिक विघटन की शिकार एक नारी और त्रिकोणात्मक प्रेम कथा का अंकन किया गया है. **2.प्रजा ही रहने दो (1977) –** इस नाटक में महाभारत कालीन सन्दर्भ के सहारे आधुनिक भावबोध का अंकन किया गया है. सत्ता का मोह, विकृत राजनीति, अन्याय, अनिश्चय, नारी शोषण, कुलीनता–अकुलीनता का टकराव और प्रजा की विवशता आदि जो महाभारत में दर्शित है वह आज भी बदला नहीं है. **3.घास और घोड़ा (1980) –** इसमें न्याय व्यवस्था के क्रूर यथार्थ का व्यंग्यात्मक अंकन है **4.केवल मेरा नाम लो (1984) –** यह नाटक सामाजिक जीवन के उथल– पुथल का मनोवाज्ञानिक चित्रण है. इसमें रिश्तों के बदलते समीकरण और सामाजिक दायित्वों से विलगन का मनोवैज्ञानिक रेखांकन किया गया है. **5.चेहरे–चेहरे किसके चेहरे (1985) –** इसमें संभ्रांतों द्वारा आम आदमी के शोषण का चित्रण किया गया है. यह लेखक का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है. **6. जुर्म आयद (1987) –** यह नाटक स्त्रियों की दयनीय स्थिति और दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था का अंकन है. इसमें एक स्त्री पति के शक का शिकार है और उसे न्याय व्यवस्था से कोई सहयोग नहीं प्राप्त है. **7. मोहन का दुःख–** यह बच्चों के लिए एक लघुनाटक है. **8. बादशाह–गुलाम–बेगम (1979) –** यह 4 विविध एकांकियों का एकांकी संग्रह है. यह राजनीति और दफ्तरी वातावरण पर आधारित है **9.काठ की तोप (1999) –** यह भारत–पाकिस्तान के रिश्तों पर आधारित एक प्रतीकात्मक व्यंग्य नाटक है.

निबंध/लेख–1. संवादसेतु (1983)–यह गिरिराज किशोर के लेखों का संकलन है. यह 'कृतिकार' और 'विचार' दो खण्डों में विभक्त है. **2.लिखने का तर्क (1991)**–यह लेखक के 15 निबंधों का संग्रह है. **3.सरोकार (1994)**–यह 19 निबंधों का संकलन है. यह दो खण्डों में प्रकाशित है–विज्ञान सरोकार और भाषा आदि सरोकार. **4 कथ–अकथ (1991)**–इसमें कुल 11 निबंध संकलित है. इसमें गिरिराज ने आधुनिक हिंदी के प्रमुख कथाकारों की प्रमुख रचनाओं की समीक्षा की है. **5.सप्तर्णी** – यह एक संस्मरण है जिसमें 1965 के युद्ध और लेखक की अन्य अमिट अनुभूतियाँ कुल चार अध्यायों में संगुम्फित हैं. **6. एक जनभाषा की त्रासदी (1998)**–यह समसामयिक विषयों पर 10 निबंधों का संकलन है. **7.जन–जन सनसत्ता**–यह गिरिराज जी के वैचारिक लेखों का संग्रह है जो हिंदी के साथ–साथ अन्य मानविकी विषयों की लिए भी समान रूप से उपयोगी है. **8 अकार**– यह गिरिराज जी द्वारा प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है. उन्होंने इसके 35 अंकों का संपादन किया था. इसके सम्पादकीयों को 2014 में 'फ़िलहाल' शीर्षक से प्रकाशित किया गया.

इक्कीसवीं सदी का समय अत्यधिक जटिल और अपरिभाषेय रहा है . समय की भयावहता की चेतावनी हमेशा बनी रही. गंभीर प्रवृत्ति के रचनाकारों के सामने यह समस्या दुहरी थी. सरलीकरण के विषम वृत्त से स्वयं को बचाना और समय के दबाव को सही अंदाज में महसूस करना. गिरिराज किशोर ने गंभीर लेखन का पल्ला कभी नहीं छोड़ा. इसलिए उन्होंने अपने समय और परिवेश के सभी सवालों को अपनी रचनाओं में मुखर स्वर प्रदान किया है. मनुष्य ने मनुष्य के विरुद्ध का आचरण बहुत ही सहज बना लिया है. संस्कृति की इस नपुंसकता के रहते हुए भी हम सभ्यता की शिखरता की चर्चा में मग्न हैं. यही हमारे जीवन का विरोधाभाष है. विषयवस्तु के स्तर पर ही नहीं बल्कि लेखकीय दायित्व के रूप में गिरिराज किशोर ने हमारे इस टुच्चेपन को अपने लेखन का केन्द्रिंदु बनाया है. उनकी रचनाओं में हमारे समय के कमोबेश सभी मुद्दे सम्मिलित हैं जैसे–सामंतवाद, पूंजीवाद, भ्रष्टाचार, मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन की विसंगतियां, मौका परस्त सोच, स्त्रीविमर्श, दलित विमर्श,किसानों/ग्रामीणों की समस्या, व्यक्ति का आत्मसंघर्ष, पति–पत्नी सम्बन्ध, बाल मनोविज्ञान, असम्मान की यातना, साम्राज्यवाद, प्रतिभा पलायन, उच्च शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भेद–भाव, महात्मा गाँधी का जीवन और संघर्ष, अस्तित्वबोध, आधुनिकताबोध, विघटित होते मानवीय मूल्य, राजनीतिक पतन, आत्ममुग्धता, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, आम आदमी का शोषण, भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, 1965 का युद्ध इत्यादि.

सन्दर्भ सूची – (1)जनसत्ता समाचार पत्र (10.02.20)(2)https://en.wikipedia.org/wiki/Giriraj_Kishore_(writer)(3)https://bharatdiscovery.org/india(4)https://www.amazon.in/BooksGirirajKishore/s(5)https://www.bbc.com/news/worldasiaindia28289362(6)आजकल(04.20)(7)https://www.livehindustan.com/news//article1-story-43611.html(8)समकालीन भारतीय साहित्य (9)गिरिराज किशोर के उपन्यास और कहानियाँ (10)गिरिराज किशोर पर विभिन्न पत्रिकओं में प्रकाशित लेख

14.अमीर खुसरो का रचना संसार

–प्रो0राजीव कुमार
लाल बहादुर शास्त्री पी0जी0कालेज,मुगलसराय, चन्दौली उ0प्र0

अपने युग के महान कवि एवं शायर अब्दुल हसन खुसरों जिन्हें हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, विशेषतः आज की खड़ी बोली हिन्दी के प्रवर्तक कवि थे। उन्होंने संस्कृत में विद्यमान प्रहेलिका साहित्य की विरासत अपनी पहेलियों के रूप में हिन्दी को प्रदान की। कबीर और उनके परवर्ती संत कवियों ने समस्त उत्तरी व मध्य भारत में हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त कर भारत की एक व्यापक भाषा का रूप प्रदान किया। अवधी, भोजपुरी, ब्रज, मैथिली, बुन्देलखण्डी, कन्नौजी, राजस्थान की बोलियाँ और खड़ी बोली अपने–अपने क्षेत्र में विकसित हो रही थी।

अमीर खुसरों को ''जन्म 1253 ई. (हिजरी सन् 625) में वर्तमान एटा (उत्तर प्रदेश) जिले के पटियाली नामक गाँव में हुआ था। इसके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था, जो दुर्कों के लाचीन कबीले के सरदार थे। अमीर सैफुद्दीन महमूद मूलतः 'किश मावराउन्नाह' के रहने वाले थे। चंगेज खाँ के आक्रमणों से आक्रान्त होकर वे हिन्दुस्तान में आ वसे थे। हिन्दुस्तान आकर उन्होंने दिल्ली के बादशाह अल्तुमिश के दरवार में गौरवपूर्ण पद प्राप्त किया।''1 खुसरो ने संवत् 1340 के आस–पास रचना आरंभ की। ''इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबद्दीन मुबारकशाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत् 1381 में हुई।''2 अमीर खुसरा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरों की पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई जिनमें उक्ति वैचिन्त्य की प्रमुखता है। इनकी दो प्रकार की रचनाएँ मिलती है–ठेठ बोलचाल की खड़ी बोली और दूसरी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के तौर पर प्रयुक्त करने वाले वे पहले कवि थे। यथा–''एक नार ने अचरण किया, साँप मारि पिंजड़े में दिया। जों जों साँप ताल को खाय, सूखे ताल साँप मरि जाय।''3 अमीर खुसरो लोकशास्त्र और लोक साहित्य का भी ज्ञान था। इसीलिए वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिन्दी में पर्याप्त रचनाएँ रचने में समर्थ हो सके। अमीर खुसरो की 199 रचनाएँ बताई जाती हैं, लेकिन प्राप्त रचनाओं की संख्या 28 के आस–पास है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध फारसी रचनाएँ है–''तोहफा हुस्सिग्र, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमाल, वकीयः नकीयः, निहायतुल कमाल, किरानुस्सादैन, ताजुल–मुफ्तूह,

नुह सिफ्हर, खम्स–ए–खुसरो, तारीख–ए–अलाई, एजाज–ए–खुसरवी, खिज्रनामा, अफजल–उल–कवायद, तुगलकनामा।''4

अमीर खुसरो की हिन्दी में कोई प्रामाणिक रचना प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने हिन्दी में रचनाएँ की ही नहीं। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने खुसरो की प्राप्त हिन्दी कविताओं को बारह वर्गों में विभाजित किया है– **1.**पहेलियाँ– (क) अंतर्लापिका, (ख) बहिर्लापिका**2.**मुकरियाँ**3.**निस्बतें**4.**दो सुखन–(क) हिन्दी, (ख) फारसी और हिन्दी**5.**ढकोसले**6.**गीत**7.**कब्वाली**8.**फारसी हिन्दी मिश्रित छन्द**9.**सूफी दोहे**10.**ग़ज़ल**11.**फुटकल छन्द**12.** खालिकवारी'' अमीर खुसरो का हिन्दी के लिए आदि महत्व है। उन्होंने जनसाधारण की बोलचाल में अपने काव्य की रचना की और वह भी हिंदवी के माध्यम से। सूफियाना काव्य की रचना करते हुए उन्होंने काव्य विधाए तो निर्धारित की ही, साथ ही भावी कवियों के लिए विषय भी सुझाए। वे कहते है ''तुर्क ऐ हिंदुसतानियम दर हिंदवी गोयम जवाब। शककरे मिस्त्री न दारम कज अख गोयम सुखन।''5 अमीर खुसरो को अपनी मातृभाषा पर गर्व था। वे हिन्दवी को तुर्की और फारसी से भी श्रेष्ठ मानते हैं–''इस्बात मुफ्त हिन्द व हुज्जत कि राजेह् अस्त। बर पारसी व तुर्की अज़ अल्फाज़े खुशग़वार।''6 खुसरो को फारसी–साहित्य के रूप में विदेशों व सीमित वर्ग में ख्याति प्राप्त हुई हो पर जनसाधारण में तो उनकी ख्याति जनसामान्य की बोलचाल की भाषा में रचित हिन्दवी साहित्य से ही हुई है। डॉ. भगवती प्रसाद खुसरो के बारे लिखते है कि– ''खुसरो काल निरपेक्ष कवि के रूप प्रतिष्ठित हैं। भारतीय जनमानस पर इनकी कृतियों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि उसने इन्हें परिनिष्ठत भाषा के कवि के ऊपर उठाकर लोक कवि के आसन पर बैठा दिया। पृथ्वीराज रासो, आल्हखण्ड जैसे महाकाव्यों की भांति उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ भी पोथियों से निकलकर लोककण्ठ की सम्पत्ति बन गई। खुसरो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, किन्तु अपनी हिन्दी रचनाओं से वे लीजेण्ड बन गये, अनुश्रुति और स्मृति लोक के प्राणी हो गये।''7

खुसरो की जनसामान्य में अतिशय प्रतिष्ठा का कारण उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ, निस्बतें, दो सखुन आदि है। ये लोक जीवन से ही केवल सम्बद्ध नहीं है वरन् लोकजिह्वा पर भी विद्यमान हैं। पहेलियाँ बौद्धिक व्यायाम से सम्बद्ध होती है, मुकरियाँ, मुकरने के भाव से जुड़ी हैं और निस्बते शब्दक्रीड़ा से युक्त है। यहा पर नमूने के तौर पर एक पहेली और एक मुकरी दे रहा हूँ **पहेली–** बीसो का सिर काट लिया। न मारा न खून किया। **मुकरी–**सगरी रैन मोरे सँग जागा। भोर भयी तो बिछुड़न लागा। बके बिछुड़े फाटक हिया। ऐ सखि साजन, न सखि दिया।''8 **खु**सरो का साहित्य गंगा जमुना तहसीब से भरा हुआ है। वहीं उनकी भाषा के प्रयोग में अद्भूत है। यहाँ पर खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले खड़ी बोली का उदाहरण प्रस्तुत है। यथा–''एक नार दो को ले बैठी। टेढ़ी होके बिल में पैठी। जिसके बैठे उसे सुहाय। खुसरो उसके बल बल जाय।''**9** अब एक उदाहरण ब्रजभाषा का भी देखे– ''चूक भई कुछ वासों ऐसी। देस छोड़ भयो परदेसी।''10 अब काव्य भाषा में कुछ दोहों के उदाहरण देखिए– ''उज्जवल बरन, अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। **खु**सरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। तन मेरो मन पीउ को, दोउ भए एक संग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देस।''**11** अमीर खुसरो प्रेम और सौन्दर्य के विशिष्ट रचनाकार है। उनकी प्रेम चेतना और सौन्दर्य भावना पर भारतवर्ष के अध्यात्म का गहरा रंग देखने को मिलता है। निस्संदेह इसी रंग से कबीर और जायसी दोनों प्रभावित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ''अमीर खुसरो की अध्यात्म चेतना लोक चेतना से भरपूर अभिषिक्त है। इसमें प्रकृति का, रहस्य का, जीवन का, समाज का सच्चा और अच्छा उन्मेष देखा जा सकता है।''12 अमीर खुसरो द्वारा रचित बाबुल का गीत उनकी सौन्दर्य और राग की समग्र रंगिमा को उसकी सम्पूर्णता में उजागर करने में समर्थ है। यथा– ''काहे को बियाहे बिदेस, सुन बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे बाग की कोयलिया, कुहकत घर–घर जाऊँ, सुन बाबुल मोरे। चुग्गा चुगत उड़ि जाऊँ, सुन बाबुल मोरे।''**13**

खुसरो भारतवर्ष के बहुत बड़े कवि है। सौन्दर्य, संस्कृति, प्रकृति, हास्य–व्यंग्य आदि विषयों को अपनी अनुभूति के केन्द्र में रखकर उन्होंने भारतवर्ष को कालजयी और उजासमयी रचनाएँ प्रदान की है। हास्य और व्यंग्य भी अमीर खुसरो की कविता की अन्यतम प्रकृति है। दरबार ने उसकी इस प्रवृत्ति को पैदा किया और उसी ने इसको विकास और प्रकाश भी दिया। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से खुसरो ने बन्धुत्व, सद्भाव, निरभिमानता, आशा, आह्लाद, आनन्द, मैत्री आदि को सम्प्रेषित करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। ''जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना, बनाय बतियाँ। कि ताबे हिज्राँ न दारम, ऐ जाँ! न लेहु काहें लगाय छतियाँ। शबाने हिज्राँ दराज चूँ जुल्फ व रोजे वसलत चूँ उम्र कोतह। सखी! पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अँधेरी रतियाँ।''**14** हिंदवी परम्परा के खुसरो ने हिन्दी भाषा और साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने हिन्दी को खड़ी बोली का मुकुट

पहनाया। फारसी के नगीने लागए। ब्रजभाषा की मिश्री को माधुर्य दिया। गीतों, ग़ज़लों के परिधान को अंलकृत किया। लोकजीवन की आत्मा फूंकी। प्रेम विरह की सुगंध भरी। गुरु के महत्व को प्रकाशित किर आने वाले साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। सारी दुनिया के लोकप्रिय हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमीर खुसरो वास्तव में हिन्दी साहित्य के खुसरो (बादशाह) हैं। उनकी छत्रछाया में हिन्दवी की सह परम्परा पल्लवित एवं पुष्पित होकर आगे बढ़ी है।

सन्दर्भ – (1)डॉ. रामसजन पाण्डेय, हिन्दी साहित्य का इतिहास, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2020, पृ.90 (2)आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृ.34 (3)डॉ. मंजु चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य का समग्र इतिहास, हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, सं. 2009, पृ.47 (4)डॉ. रामसजन पाण्डेय, हिन्दी साहित्य का इतिहास, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2020, पृ.91 (5)मंगला जैन, खुसरोकालीन हिन्दी भाषा का स्वरूप, शब्द ब्रह्म, मासिक शोध पत्रिका, 17 अप्रैल 2044,46 (6)डॉ. रामसजन पाण्डेय, हिन्दी साहित्य का इतिहास, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2020, पृ. 91 (7)मंगला जैन, खुसरोकालीन हिन्दी भाषा का स्वरूप, शब्द ब्रह्म, मासिक शोध पत्रिका, 17 अप्रैल 2044,49 (8)डॉ. रामसजन पाण्डेय, हिन्दी साहित्य का इतिहास, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2020, पृ.92 (9)आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृ.36 (10)आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृ.36 (11)आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृ.36 (12)डॉ. रामसजन पाण्डेय, हिन्दी साहित्य का इतिहास, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2020, पृ. 92 (13)डॉ. रामसजन पाण्डेय, हिन्दी साहित्य का इतिहास, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2020, पृ.92 (14)आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृ.36

15.हिन्दी साहित्य में डिजिटल मीडिया की भूमिका

–*सुनीता बारिया*

आदि काल से ही हिन्दी में साहित्य सृजन होता चला आया है। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। इसलिए क्षेत्रीय एवं लोक भाषाओं में साहित्य का सृजन होता था। टंकण कला, प्रिण्टिग कला के विकास के साथ–साथ साहित्य में खड़ी बोली के प्रादुर्भाव के कारण साहित्य सृजन प्रचुर मात्रा में होने लगा। वर्तमान में सूचना क्रांति और प्रिण्ट मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया ने आज इसे गति प्रदान कर दी है। राम विलास शर्मा के अनुसार– ''सभी जानते है कि हिन्दी के लेखकों ने सोने के कौर नहीं खाये। उनका जीवन त्याग, तपस्या और संघर्ष का जीवन रहा है। वे केवल किसी प्रवचना या भुलावे में आकर या हिन्दी लिखने बोलने वालों का उससे कोई हित नहीं हुआ।''1 आदिकाल से अद्यतन अवधि तक साहित्यकार ने साहित्य का सृजन–'स्वातः सुखाय' ही किया है किन्तु मौतिकवादी और उत्तर आधुनिकतावादी परिवेश ने इसे जीवकोपार्जन का साधन भी बना दिया है। हिन्दी साहित्य में अनेक विधाएं है जिनमें गद्य साहित्य में कहानी, लघुकथा, निबन्ध आदि प्रमुख है। कबीर, रहीम, रसखान आदि के काल का जो साहित्य हमारे पास उपलब्ध है उससे केवल उस समय की भाषा का बोध होता है टंकण का बोध नहीं होता। आदि काल ने साहित्य साधक अभावों में घिरा रहा है। राहुल सांस्कृतयायन के अनुसार– ''लेखक की एक–एक कहानी के पीछे उस युग के सम्बन्ध की वह भारी सामग्री है जो दुनियां की कितनी ही भाषाओं, तुलनात्मक भाषा–विज्ञान, मिट्टी, पत्थर, तांवे, पीतल, लोहे पर सांकेतिक या लिखित साहित्य अथवा अलिखित गीतों, कहानियों रीति–रिवाजों 'टोकटे टोनों में पाई जाती थी।''2 आज की हिन्दी में आंग्ल भाषा के शब्दों का पुट भी समाहित होता जा रहा है। डिजिटल मीडिया को समझने से पहले हमे मीडिया को समझना चाहिए। मीडिया का अर्थ है एक प्रकार का साधन। दूर संचार के लिए जिन साधनों का या मीडियम का प्रयोग किया जाता है। उसे संचार मीडिया कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें किसी जानकारी को इन्टरनेट के माध्यम से पाना है या इन्टरनेट पर प्रकाशित करना है तो हमें वेबसाइट खोजनी या खोलनी पड़ती है। ये वेबसाइट हमारे सामने तबतक नहीं आ सकती जब तक हम इन्टरनेट से जुड़े हुए न हों। इस उदाहरण में इन्टरनेट एक साधन है और डिजिटल मीडियम है। कई डिजिटल मीडियम मिल कर डिजिटल मीडिया बन जाते है।

समय के साथ–साथ साहित्य भी परिवर्तनशील होता है जब जैसे साधन होते थे वे भावों के आदान–प्रदान के तरीकों में शामिल हो जाते है। लोगों के बीच वार्तालाप के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती हैं। वह भाषा मानव के बीच कितनी लोकप्रिय हो यह उसके बोलने और समझने वालों की संख्या पर निर्भर रहती है। ''21वी संदी का वर्तमान समय संचार क्रांति का समय है, नित नये परिवर्तन नये उपकरण नये अविष्कार ने संचार की दुनिया में आश्चर्यजनक कदम बढ़ा लिए है। संचार के विभिन्न माध्यमों ने जिनकी कल्पना की जाती थी, उसे साकार रूप दिया जा चुका है। वर्तमान समय में संचार के माध्यमों पर हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार के विभिन्न माध्यमों में प्राचीन समय में टेलीफोन, सिनेमा स्लाइड आदि उपकरण के पश्चात् अब कम्प्यूटर बेबसाइड, इन्टरनेट, एस.एम.एस., एम.एम. एस. दूरसंचार यंत्रो, उपग्रह वायरलेस, सेलफोन, मोबाइल, फैक्स, पेजर के रूप में संचार की नई तीव्रगामी तकीनीक विकसित हो रही है। इस सब के पास हिन्दी है। समाज के आधुनिकीकरण के साथ–साथ एवं भाषा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो जाती है। भाषा में भी परितर्वन होने लगता है और उसकी स्थिति में अन्तर आ जाता है। संचार क्रांति की इस प्रक्रिया ने हिन्दी भाषा नयी दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। संचार माध्यमों में हिन्दी के इस आगमन से सुखद परिवर्तन है।''3 सूंचना प्राप्त के लिए वेबसाइट को खोजने के लिए हमें एक फोन या लैपटॉप चाहिए जिसमें इन्टरनेट होना चाहिए या तो लेन के माध्यम से या फिर बाईफाई के माध्यम से हमारे उपकरण से जुड़ होना चाहिए। ये सभी साधन डिजिटल या इलेक्ट्रानिक मीडियम है। इन सभी माध्यम का उपयोग मार्केटिग में भी किया जा सकता है। हम ये भी कह सकते है कि इन माध्यम का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ध्यान में रख के मार्केटिग के नए तरीके सोचे व खोजे जा सकते है।

वर्तमान परिवेश में सूचना क्रांति में सूचना मुद्रित माध्यम अधिक सशक्त माना जाता है। क्योंकि यह सुरक्षित एवं संग्रहीत रहती है। जिससे भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। ''आज देश के प्रत्येक प्रान्त, क्षेत्र और भाषा में लगभग एक लाख से अधिक दैनिक समचार पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक पाक्षिक और मासिक पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित होते है। इनमें प्रकाशित लेख, खेल–जगत, युवा जगत, महिला जगत, फिल्म जगत व राजनीति सम्बन्धी सूचनात्मक जानकारियों के साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें जहाँ व्यक्ति की सबसे बड़ी मित्र होती हैं वहीं महापुरुषों की जीवनी पर आधारित पुस्तकें समाज व व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं। इनमें चित्रों के प्रयोग ने विषय को अधिक सहज, ग्राह्य व उपयोगी बना दिया है। प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने व समाचार पत्रों के स्तर को सुधारने के लिए 1954 में प्रेस परिषद की स्थापना की गई। आज समाचार पत्र प्रकाशन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों में साहसिक उदारतापूर्ण व रचनात्मक साहित्य का अभाव गम्भीर चिन्ता का विषय है। किन्तु यह सत्य है कि मुद्रित सामग्री में चिन्तन मनन से भरपूर अवसर की सम्भावना रहती है। संचार के इस माध्यम का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।''4 आज हिन्दी में भी बेवसाइट उपलब्ध है। जिसके माध्यम से ज्ञान कौशल को विकसित किया जा सकता है।

आज भारत में संचार के अनेक माध्यम है इन माध्यमों से जहाँ सूचना का आदान–प्रदान, ज्ञान–विज्ञान की जानकारी, मनोरंजन का आनन्द, राजनीतिक हल–चल, मौसम की जानकारी, खेल–कूद की जानकारी प्राप्त होती है वहीं रोजगार के अवसर भी प्रदान किये है। जिससे मानव जीवन को गति प्राप्त हुई और जीवन के विविध आयामों को पारकर उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हुए। टेलीविजन की बात करें तो इसका लाभ सार्वभौमिक है। हमारे जीवन के विभिन्न पक्ष इसके द्वारा उद्घाटित होते है और लाभान्वित होते है। नाटक, गीत–संगीत, खेलकूद, आध्यात्म आदि दृश्यों को टेलीविजन पर देखकर हम मनोरंजन का लाभ तो उठाते ही है साथ–ही–साथ स्फूर्ति का नव संचार भी हमें प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी टेलीविजन का प्रयोग सफलता के साथ किया जा रहा है। खेलकूद में भी टेलीविजन का उपयोग बहुत अधिक हुआ है। टेलीविजन के प्रचलन के कारण आज इसमें रोजगार के भी अवसर भी प्राप्त है अनेक चैनलों में दिखने वाले धारावाहिकों का कोई न कोई पटकथा लेखक होता है उसका लेखन कार्य उसे धनोपार्जन का साधन बना देता है। हिन्दी साहित्य ही नहीं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, खेल जगत, आदि अनेक जगहों पर उनके लेखकों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जहाँ टी0वी0 से मानव जीवन को फायदा हुआ है वहीं इसके दुष्प्रभाव भी सामने आये है। ''नील पोस्ट मैंने की मान्यता है कि– ''विवेक के ह्रास के लिए टी0वी0 विशेष रूप से जिम्मेदार है। यह नहीं कि दूरदर्शन के द्वारा निर्मित ज्ञान–मीमांसा मुद्रण आधारित ज्ञान मीमांसा की अपेक्षा हीन है, बल्कि यह खतरनाक और एब्सर्ड भी है।''5 तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के प्रभाव से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। सूचना की क्रांति और इंटरनेट का मीडिया के क्षेत्र पर भी व्यापक असर दिखाई देता है। जहां

एक तरफ मीडिया की उपलब्धता सिर्फ न्यूज पेपर और टी.वी. के रूप में थी, वहीं अब सूचना और जानकारी का एक बड़ा स्रोत इंटनेट के रूप में उभरकर हमारे समाने आया है।

जहाँ पर टी0वी0 कार्यक्रम खेलकूद, संगीत, ज्ञान विज्ञान की बाते करते है वहीं सैर सपाटे, विभिन्न संस्कृतियों से ओत–प्रोत कार्यक्रमों का निर्माण करते है। लेकिन 'इलैक्ट्रानिक मीडिया ने एक नई पेज थ्री की संस्कृति गढ़ी है। सेक्स सनसनी राजनीति और क्राइम को विकाऊ माल बनाया। भारत में अमेरिका छा गया। मार्डन से पोस्ट माडर्न बनने की धुन लग गई। जहाँ पीने को पानी नहीं वहाँ कोल्डड्रिंक और बियरवार पहुंच गये और जहाँ दवाई को पैसा नहीं वहाँ मोबाइल। संवेदनाएं शून्य हुई। किसान आत्म हत्याओं के बावजूद राजनीति मुस्कराती रही। परिवार बाजार बने। व्यक्ति महज उपभोक्ता हो गए। स्त्रियाँ माल हो गई। यहाँ हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या–क्या खरीदोगें।''6 माना कि आज संचार क्रान्ति के माध्यम से हम मनोरंजन, समाचार, ज्ञान, शिक्षा आदि का अर्जन कर रहे है फिर भी इसमें अभी अत्याधिक प्रगति की अपेक्षा की जा सकती है। भारत में अगर आज टी0वी0 चैनलों की बात करे तो उनकी गिनती करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा फिर भी हिन्दी में कुछ लगभग **200** से **250** चैनल चल रहे है। जिसमें से कुछ चैनल विषय विशेष की दृष्टि से पृथक–पृथक है जैसे समाचार से सम्बन्धित स्टार न्यूज, जी मरुधर, सहारा समय, आज तक, न्यूज **24**, ई0टी0वी0 आदि खोज से सम्बन्धि चैनल डिसकवरी, काटून चैनल पागो, आध्यात्मिक चैनल आस्था, पारस, संस्कार आदि। वैज्ञानिक युग के अन्य उपकरणों की भांति समाचार पत्र भी आधुनिक जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। आज इसके माध्यम से देश–विदेश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती रहती है और साहित्यिक भी क्योंकि दैनिक समाचार पत्र सप्ताह में एक बार साहित्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित कुछ न कुछ जरूर निकालते रहते हैं। जैसे कविता, छन्द, गीत, ग़ज़ल, नवगीत, कहानियाँ, साक्षात्कार, पुस्तक समीक्षा, लेख, लघुकथा आदि। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के माध्यम से वर–वधू, नौकरियां, फिल्मी जानकारी, गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी भी मिलती है। राजनीतिक हलचल, समस्याएं और उनके समाधान भी समाचार पत्रों में बहुत अच्छे ढंग से छापे जाते है। भारत एक बहुत बड़ा देश है यहाँ पर अनेक संस्कृतियां है, अनेक भाषाये, अनेक धर्म है फिर भी एकता है। आज के आधुनिक परिवेश में, जब नव जागरणकाल, उत्तर आधुनिका, नव उदारवाद की चर्चा हो रही है तो पत्र–पत्रिकाओं की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आती है– ''समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी संचार के अत्यन्त सशक्त माध्यम हैं, आज भी राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय सभी मुद्दों पर प्राथमिक जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिलती है। साहित्य और कला के विकास में भी समाचार पत्र ने सशक्त प्रहरी की भूमिका निभायी है।''7यू ट्यूब, फेसबुक और व्हाटसेप ने मानव के विचारों को आदान प्रदान के नवीन ढंग प्रस्तुत किये है।

संचार माध्यम का एक साधन और है कम्प्यूटर। आज इन्टरनेट पर कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपलब्ध है जिनमें फेसबुक, आरकुट, टयूटर, यूटियूब आदि है। वर्तमान में दिल्ली सरकार आप पार्टी की है जो विगत वर्ष भी सत्ता पा गयी। क्योंकि वह नेटवर्किंग का उपयोग करता और अपनी बात फेसबुक, यूटियूब, आदि माध्यम से जन मानस तक पहुंचा देता है। 'प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का त्वरित प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रसारित होते ही ये जन–जन तक पहुंचती है। किन्तु इसमें जहाँ एक और व्यावसयिकता का समावेश हो रहा है वहीं योग्य सम्वाददाताओं के अभाव के कारण बिना परिश्रम किए सरलता से उपलब्ध सामग्री से आज इस मीडिया द्वारा औपचारिकता का निर्वाह हो रहा है। समाज को सजग एवं सक्रिय बनाने वाली सामग्री का संचार माध्यमों में आज हर सजग अभाव दिखाई दे रहा है।''8 सोशल मीडिया पर प्रस्तुत सामग्री में भाषायी अशुद्धियाँ अधिक होती है जो ज्ञान के विस्तार में हानिकारक है। आज डिजिटल मीडिया में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे है। डिजिटल पत्रकारिता एक इसका उदाहरण है। यू ट्यूब पर आज अनेक छोटे–छोटे न्यूज चैनल देखने को मिल जाते है। जो अपने शहर या जिले की घटित होने वाली घटनाओं को सुनाते रहते है। सरकार के डिजिटल मीडिया पर एफडीआई नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण पर जेहिल ठक्कर ने कहा कि यह सरकार का बड़ा कदम है क्योंकि इससे मीडिया कंपनियों को अपने डिजिटल मीडिया खं डमें अतिरिक्त पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा सरकार को क्षेत्र में एफडीआई सीमा के बारे में स्थिति करनी चाहिए। और यह बताना चाहिए कि एफडीआई को स्वतः मार्ग से मंजूरी है या नहीं।

साहित्य समाज का दर्पण है इसलिए यह कह सकते है कि जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य का सृजन होगा विश्व में अनेक संस्कृतियां है और अनेक साहित्य। किन्तु साहित्य का सृजन कर पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है साहित्य सृजन में अपनी शैली विशेष होती है। संचार क्रांति ने आज एक आम आदमी को सृजन का भी हक प्रदान कर दिया इन्टरनेट पर लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है उन्हें किसी

अपरिमार्जित और परिमार्जित शैली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी समीक्षा करने के लिए कोई विद्वान उतावला नहीं बैठा है। 'भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण ने समाज में लोगों के जीवन को अत्याधिक प्रभावित किया है। आज भूमण्डलीकरण का सांस्कृतिक ऐजण्डा मुख्य रूप से यही है कि दुनिया के तमाम देशों में मौजूद सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधताओं को समाप्त करो अर्थात सारी संस्कृतियों को नष्ट करो।''9 इस प्रकार आज के वर्तमान परिवेश में संचार माध्यम भी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अपनी निजता, संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्परा, कला सौन्दर्य आदि को बचाया जा सकता है। इसलिए 'संचार माध्यम वर्तमान युग की अग्रणी आवश्यकता है। इसके अभाव में हम सम्पूर्ण संसार से अलग हो जायेगे।''10 संचार माध्यम से ही हम अपने मान–सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव आदि की रक्षा कर पायेगे। जब से वैश्विक महामारी कोवड 19 (को रोना) आयी है। तब से डिजिटल मीडिया का काम और अधिक बढ़ गया है। इस रोग से बचने के उपाय आदि आज डिजिटल मीडिया के व्हाटसैप के माध्यम, यू ट्यूब के माध्यम, ट्यूटर के माध्यम से सभी लोगों को बताये जा रहे है। आजकल सरकारी आदेश इन्हीं के माध्यम से पहुंचाये जा रहे है। भारत में लॉकडाउन के चलते डिजिटल थिएटर ने भी अपनी भूमिका का निर्वाहन किया है।

''बेगलुरु का लिटिल थिएटर शहर का सबसे पुराना इंग्लिश थिएटर ग्रुपहै। इस साल ग्रुप के 60 साल पूरे हो रहे हैं। लाइव शो न कर पाने से ग्रुप ने खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारा। ग्रुप ने पहला डिजिटल प्ले 'सिक्स डेड क्वींस एंड वन इन्फ्लेटेबल हेनरी' बिना मेकअप, स्टेज और लाइटिंग के प्रस्तुत किया। प्ले की निर्देशक शतरूपा भट्टाचार्य के मुताबिक, सभी के लिए यह एक नया अनुभव था।''11

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि संचार क्रांति ने भारत के साहित्य को उन्नत बनाने के लिए साहित्यकारों को एक नया मंच प्रदान किया है। जिसने भारत को विकास की एक और गति प्रदान की है। इसके माध्यम से हम जीवन के विविध परिदृश्यों का सही सही आंकलन कर सकते है। जैस–रीति–रिवाज, संस्कृतियाँ, खान–पान, रहन–सहन, वेश–भूषा आदि तथा अपने आप को अपने देश को उत्कर्ष की नवीन ऊंचाईयाँ प्रदान कर पायेगे। डिजिटल मीडिया आज हमे अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी लिखकर पोष्ट कर दे और कुछ भी कह दें। हमें अपनी संस्कृति के स्वरूप को भी बचाये रखना है।

सन्दर्भ–

(1)रामविलास शर्मा, परम्परा और मूल्यांकन, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, सं0 2004, पृ0218 (2)राहुल सांस्कृत्यान, बोल्गा से गंगा तक, किताब महल एजेंसी, इलाहाबाद, सं0 2005, प्राक्कथन से (3)डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, बदलते परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, सं02010, पृ0370 (4)डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, बदलते परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, सं02010, पृ0 381 (5)हृदय नारायण दीक्षित, सांस्कृतिक अनुभूति, राजनीतिक प्रतीति, पृ0 132 (6)हृदय नारायण दीक्षित, सांस्कृतिक अनुभूति, राजनीतिक प्रतीति, पृ0132 (7)डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, बदलते परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, सं0 2010, पृ0392 (8)डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, बदलते परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, सं0 2010, पृ0385 (9)पूरन चन्द्र जोशी, सांस्कृतिक विविधता बचाये और आगे बढ़ाये मीडिया और संस्कृति, सं0 रूपचन्द्र गौतम पृ0 99 (10)डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, बदलते परिदृश्य में नई सहस्त्राब्दी का भारत, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, सं0 2010, पृ0398 (11)राजस्थान पत्रिका, बांसवाड़ा, 8 मई 2020, पृ012

16.आदिवासी स्त्री की समस्याएँ

–तोंडचिरकर मीना बाबुराव
शोधछात्रा, हिन्दी विभाग,
कर्नाटक राज्य अक्कमहदेवी महिला विश्वविद्यालय, विजयपूर

आदिवासी स्त्रियों की समस्या का मूल कारण ही अंधविश्वास और रूढी परम्पराओं ने उनका शोषण दौहरा हुआ है। इस लाचार बेबस का लाभ इतर लोग तो उठाते रहे पर पिता–पती आदि भी इनको भोग वस्तु के बराबर माना है। इस संबंध में मंगलू काका के शब्दों में लेखकाखते हैं "बिटिया को क्या पढ़ाना ट्राखाना बबुआ, पढ़ सके तुम लोग जैसे सो तो हो बबुआ मगर बिटिया को चूल्हा ही तो फूँके है उसकेलिए कौन सा कहाँ से राजकुमार आवे है जौ।"1 यह बडी दुखद समस्या है कि आदिवासी लडकियाँ आज भी शिक्षा से वंचित है। उसे एक भोग वस्तु से भी बिता देखा जाता है।

एक दिन मंगलू काका चंदा केलिए मेले से कुछ सामान लाने जाता है, उस बाजार से चंदा केलिए नयी साडी, चूडियाँ, कंघी–बिंदी, दर्पण, फीतो आदि वस्तुएँ लाने केलिए चला जाता है। जब वह मेले से घर लौट कर घर आ जाने पर उसकी दुनिया ही उजड जाती है। इसका कारण यह कि वह बाजार जाने का देखकर उस रात को पूरन पंडित, पटेल साव, दरोगा बाबू–एक साथ उस छोटी सी मासूम लडकी की इज्जत लुटने केलिए सबने मिलकर जानवरों की भाँति चंदा का शील हरन किया सब लोग जानते हुए भी कोई कुछ नहीं कह रहा था।

इसी घटना को सुनकर मंगलू काका यह सारी बातें सुनकर पागल सा बैठ गये। इतना क्रोध आया कि क्या करूँ पर कुछ न कर सके। इन सभी आदिवासियों पर ठेकेदारों की धाक थी। उनका ही राज था। इसाए भोली भाली आदिवासी लडकी की इज्जत लुट ली गयी। यह समस्या बेहद दुःखद समस्या रही है। ऐसी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तब मात्र अपना देश तरकी कर सकता है, वरना कभी नहीं, अपनी घर की इज्जत ही सबसे बढ़कर होती है। रुपया–पैसे आते जाते है, पर इज्जत को खरिदनेवाली वस्तु नहीं है। वह उसे बाजार में किसी चिज की भाँति खरीदा जाए। इसाए लेखक का मत है कि सब लाचार माता बहनों को जागरूक करने का प्रयास किया है।

लेकिन आदिवासी स्त्री की समस्या के भीतर सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, आर्थिक समस्या, शैक्षणिक समस्या, सांस्क्रुतिक समस्या, भाषा शैली की समस्या आदि का चित्रण इन उपयुक्त कहानियों में प्रस्तुत किया गया, इतना ही नहीं परिवार में भी उनका इज्जत करनेवाला कोई नहीं मिलता, कारण उसे सही दिशा देने का प्रयास किया गया है। यह आदिवासियों की स्त्री की समस्या प्रत्येक क्षेत्र में पायी जाती है। जो कि आज भी अनेक सुविधाओं से वंचित है।

'रोजी' कहानी में एक चौदह–पंद्रह की बालिका पर नज़र और उसको किसी न किसी रूप से फँसाने का प्रयास किया जाता है। यह रोजी की बहन रीना में बहुत अंतर था पर कहना आसान नहीं है। इस संबंध में वर्णन करते लेखकाखते हैं "देखकर सोचा–चौदह–पंद्रह की होगी। फ्राक पहनती तो बच्ची लगती, पर उस सस्ती रंगीन साड़ी में काफी बड़ी लग रही थी। पतला, साँवला तन, बिखरते केश–गुच्छे को छोटे–से लाल रिबन में समेटने की कोशिश की गयी थी। चूडीविहीन कलाई और खाली पाँव। हर किसी से उनको सवाल पूछती बडी–बडी आँखों, होठों में कभी न खत्म होनेवली चहक रंगों की हल्की–पतली सी मुसकान देखकर छोटी बहन रीना की याद आयी। कान्वेंट में पढ़नेवाली स्कर्ट–ब्लाउज में कितनी स्मार्ट लगती है। शहरी परिवेश में घुली–घुली एनाऊन्सर के मनिंद बोलनेवाली, शोख, चंचल, चहकती, बुलबुल। रोजी और रीना में क्या समंजस्य हो सकता है यह कहना मेरेलिए उतना आसान नहीं है।"2 फिर भी रोजी स्कूल छोड दिया था। ये खेती जमीन के लिए लडाई में पिता जी की मृत्यु हुई माताजी तो जब पाँचवी कक्षा में थी। तब माता की छया उड जाने से ही यह अपने पूरे परिवार का वहन वे स्वयं करके अपने दो चोटे भाई–बहनों के लिए वह सब कुछ बनी दीदी, माँ, पिता आदि। वे बिखरते परिवार को संभालने का प्रयास खूब किया पर घर संभल न सका, इसका कारण ही स्त्री समस्या ही है।

दूसरी समस्या वे सुंदर भी थी उसे देखकर टी.टी. आई निध्य्ल था। रोजी की सहेलियों के पास परमनेन्ट टिकट थे। परन्तु रोजी के पास नहीं ताकि उसे स्त्री होने के कारण ही नहीं सुंदर स्त्री होने के कारण टिकट नहीं दिया उसे अलग नजरिया से देखता था। इस संबंध में लेखकाखते हैं "मेरे बंगले तक कभी चलो, रोजी, तुम्हें भी परमनेन्ट टिकट दिला दूँगा।"3 इस प्रकार से कहता तो शरीर को मैला दूषित करना रोजी पसंद नहीं किया था। उस टी.टी.आई. की बात नहीं मानती स्वाभिमानी लडकी होने के कारण उसे हर रोज टिकट बढ़ाकर लेता था और उसे घूरना सहती थी।

इस प्रकार से स्त्री के जीवन में अनेक शोषण सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आदि से किसी न किसी रूप से किया जाता है। यह बेहद दुःखद मनता है। अगर एक मजदूर

लडकी की यह दशा है कि उसी तरह निम्न जाति की कोई और लडकी की होने पर उसका तो दौरहा शील हरण होगा समाज में हीन भाव से देखा जयेगा। यह कैसा न्याय है। पुरुष वर्ग भी गलत हर्कतें करता है पर उसे कोई नहीं पूछता है। लेकिन उच्च जाति की हो या निम्न आदि महिला की दशा दुर्दशा यह एक बहुत बडी समस्या है। आदिवासी स्त्री की समस्या तो बडी चिंता का विषय है।

आदिवासी, राज्य और पुलिस दमन :

आदिवासी समाज में अराजकता फैलाने वले अनेक पुलिस कर्मी है। इसका उल्लेख करना असान नहीं है जो कोई आदिवासी अपनी गृहस्थी बसाना चाहता है पर उसे कौन छाया देता है कोई नहीं बेसहारा ही रहजाता है। आज भी देखिए उनकी हालत बहुत दुःखद है उन्हें बिच्छु या साँप जैसे जहीरेलें पशु काटने पर उन्हें दवा दारू करने कहीं आस–पास में कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। वे खेती को साफ सुधरा करके जंगल को काटकर खेती बनवाकर खाने लगे तो सरकार उन्हें रोक लगा देगी। पर इन लाचारों को क्या चाहिए क्या नहीं यह देखना परखना चाहिए।

ताकि जब इन आदिवासियों की बेटी पत्नी की इज्जत भी नहीं है। उनकी इज्जत लुटी जाती है उन्हें सताया जाताहै। कई सावकार लोग अपने रुपयों के बल पर इन मासुम माता बहनों की इज्जत के साथ भी खेल खेलते हैं। राजकुमारों के देश में इस कहानी में मंगलु काका एक दिन अपनी खेती काका माला बेचने व बाजर से किराणा लाने बाजार जाता है इधर उसकी मासुम बेटी की इज्जत लुटते हैं। जब वह मंगलू काका आकर देखकर अवक रोते हुए चुप हो जाता है, किसी ने यह नहीं बताते की किसी ने ऐसा किया किसी यह मुँह खोलनेकी आपकी बेटी की इज्जत लुटते देखा देखकर भी कुछ नहीं कहते है। यह दुनिया कैसी है सोंचकर मंगलू काका क्रोध में पागल हो गया था। परन्तु क्या करता वह लाचार गरीब अपनी कमजोरी थी। उस जमाने में ठेकेदारों का राज था, उनका मन जिस किसी पर आता था। उसको नोच–नोचकर खा जाते थे।

इस संदर्भ में जिस रात मंगलू काका मेला जाने पर इधर का चित्रण लेखकाखते है "जब सुना तो अंदर तक कितना तडप उठा था। मंगलू काका के मेला जाने पर उस रात पूरन पंडित, पटेल साब, दरोगा बाबू–एक साथ उस छोटी, मासूम, पवित्र, बेफिक्र झोपडी तक चले आये थे। जंगली जानवर और भी वहशी हो गये थे, और गाँववाले जानते हुए भी नहीं देखने–सुनने का बहाना कर कहे थे। छोटी–सी दुनिया लुट गयी थी। आने में बहुत देर हो गयी थी। उस रात आने पर मंगलू काका ने उसी अंदरुनी पीड़ा में जाने कौन सा सोमरस तैयार किया था। अगली सुबह जब लोगों ने देखा वे चिर–निद्रा में सोये पडे थे।"4 अर्थात ऐसी घटना को देखकर मंगलू काका इस दुनिया से ही चल बसा। दुनिया देखती रही पर उस अनहोनी को कोई नहीं टाला सके। कैसे पुलिस का दमन और ठेकेदार का तो राज ही था।

इस प्रकार से ये ठेकेदार व पुलिस सभी बडे लोग मिलकर के ही इस बालिका की इज्जत लुटते हैं। लेकिन किसी ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं उधर ऐसी गम्भीरता को देखकर मंगलू काका भी अपनी जान गँवा बैठता है। यह दमनकारी पुलिस और ठेकेदार आदिवासी छोटी सी बालिका की इज्जत लुटकर भी वह खुले आम मजा कर रहे है इधर मंगलू काका इज्जत के कारण बेइज्जत को नहीं सहकर जान गँवा बैठत है। इस देश में समाज कितना आगे बड़ा है यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

(1)राजकुमारों के देश में फा.पीटर फैल एकका. एस्. जे. पृ.7 (2)वही– पृ.19 (3)वही–प्र्.20 (4)वही–पृ.सं.8

17.आदिवासी स्त्रीयों के शिक्षा की परिस्थितियाँ

–डा.नागनाथ शंकरराव भेंडे
बीदर, कर्नाटक राज्य

आदिवासियों के पुत्र हो या पुत्री पर शिक्षा पाना बड़ा कठिन कार्य है ताकि हम यहाँ उनकी दशा का अंकन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन की परिस्थितियों का चित्रण करने का प्रयास करते हुए शिक्षा से वंचित आदिवासियों का विवरण निम्नाखित प्रस्तुत किया है।

स्कूलों की कमी :

आदिवासियों के आस–पास में स्कूलों कमी और रास्तों की कमी के कारण ही वहाँ पर उन्हें ठीक ढंग से ज्ञान यानि शिक्षा नहीं मिल पाती है, यह परिस्थिति ही उन्हें कुण्ठित बना दिया जीवन के रास्ते सही गलत का पता उन आदिवासियों को नहीं चलता है। इसाए की इनका विकास होना असंभव सा प्रतीत होता है। इधर 'रोजी' कहानी में अपनी माँ बाप की मृत्यु के कारण से वह अपनी पढ़ाई छोदकर अपने दो भाई बहन की परिवरिश करने के लिए ही पाँचवी कक्षा तक ही पढ़ाई करती है और स्कूल छोड़कर के रेल गाडी में मैले कपडे पहने ही वह जंगल के फलों को बेचकर अपना परिवार चलाने का प्रयास करती है। इस संदर्भ में लेखकाखत्ले है "मैं अब फिर कब उन राहों से गुजरुँगा। और जब भी गुजरुँगा तो जंगली फल बेचनेवाली जिस रोजी से मिलूँगा वह कैसी होगी। क्या वह उतनी ही सुंदर और पवित्र होगी, या परिस्थितियों, मजबूरियों, जिंदगी के दुःख–दर्दों, गमों से उलझते हुए उन्हीं गली–कूचों में खो जायेगी। ये अंदेशों क्यों उभरे मैं कह नहीं सकता। उस वक्त तो हमें रोजी की मासूमियत पर यकीन था, पर आनेवाला कल किसने देख है।"1 लेखक यह सभी दृष्य देखता रह गया चारों ओर से छोटा नागपुर की मटमैली घाटियाँ थी और वह भी बहुत दूर दूर तक फैली थी। अर्थात भावहीन भावना की रेखाएँ मन में उभरने लगी थी।

ऐसे ही एक शिल्पहीन जीवन कहानी में भी अपनी संतान को पढ़ाने की साहस करने की कोशिश की जाती है। परंतु परिस्थितियाँ उन्हें सुधरने नहीं देती है। इस संबंध में लेखकाखते है "पर ये छवियाँ रुकती नहीं है, किन्हीं अनदेखी दिशाओं में खो जाती हैं, और तब रह जाता है, वही दर्दीला, झोपडीनुमा शहर , नयी सभ्यता से अछूती, एक दबी–दबी सी बेचान स्मृति। शेशा की स्कूल भेज तेरेस खुद भी मजदूरी के लिए चल पडी होगी। झोपडी के इर्द–गिर्द खामोशी की गहरी, काली परत जम गयी होगी। बस दो–चार नंगे बच्चे सडकर के धूल में सने घरौंदा की अपनी दुनिया में खोये पडे होंगे।"2 इन तस्वीरों को अनदेखा कर के शेसा किसी धुंध में खो जाती है। इस प्रकार से आदिवासी हो या कोई गरीब निम्न जाति की दशा ऐसी ही है आज भी अनेक स्थल देखने को मिलत्ले है।

वैसे ही क्षितिज की तलाश में कहानी में भी शिक्षा की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। जो कि आज के समाज में बहुत समस्या आ जाए तो भी उस रास्ते को किसी–न–किसी रूप से सम्भालकर अपना जीवन सँवारना है। इस संदर्भ में लेखकाखते है "जीवन की बेहद टेढी मेढी पगडंडियों में मुसीबतों, झंझटों से आँख–मिचौनी खेलकर भी मुस्कराते हुए किसी अनदेशे क्षितिज की तलाश में चलनेवाला वैसा मुसाफिर फिर हमें कभी नहीं मिला।"3 यह भी हुआ कि रस्ते की छवि बनकर मन में घर मरके सहती है। ऐसे ही दिन ही नहीं साल भी ऐसे ही निकल गया पता ही नहीं चला। इधर से नीत भी रेमी को परीक्ष उत्तीर्ण होने के लिए सुभकामनाएँ देती है। उधर रेमी आदर्श सपनों को देखता है सोचता है कि वह मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ।इसी के बीच में नीत को कहता है, कि आपका प्यार मुझे मिला या, उसके लिए रेमी ने सहानुभूति के साथ बहुत बहुत शुक्रिया भी कहता है साथ ही खुदा से यह भी मन्नत माँगता है कि नीत को सदा कुशल मंगल की कामना करता है। लेकिन पढ़ाई में अलग–अलग दिशाएँ बन जाती है। इसका भी उल्लेख अलग–अलग दिशाएँ।"4 इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

एक हास्टल में चार छात्र थे जिनमें सभी की मित्रता बढी थी, सभी ने साथ में सुख दुःख झेला था। ये सभी साथ में हँसते थे, रोये थे और पढ़ाई भी की थी। कभी कभार मुसाफिर की तरह एक ही कमरे में मुँह टेडा करके अजनबी की भाँति खामोश पडते थे। इतना ही नहीं मुँह फेर कर अद्ययन करने का बहाना ढूँढ रहे थे। कालेज खुले केवल दो–चार दिन भी नहीं हुए थे। ये सभी पढ़ाई करने का ढोंग करने लगे थे।

एक ने कहा की आज पढ़ने की आवस्यकता है क्या फिर एक दूसरे को बात करते ग्रंथालय तक घूमकर आने की बात करते हैं। फिर एक दूसरे से बात–चित करने पर लगा की हजारों की भीड में अकेला समझ रहा था। वह आज अकेला महसूस नहीं हुआ। बहुत देर तक सोंचता रहता है ये अलग दिशाएँ कब कैसे अलग होकर चले जाते है। लेकिन ये बच्चें तीन लोग अलग–अलग होकर भी एक ही कमरे में रहते हैं। इस संबंध में लेखकाखत्ले हैं "कमरे में डाक्टा, इंजीनियर, सहित्यकार पूरे बुद्धिजीवियों का अड्डा होगा।"5 यानी की बंधु–मित्रता का भाव बढ़ गया। साथ ही दो साल कैसे बित गये इन छात्रों को पता तक

नहीं चला। संजय ने पाँच साल के बाद फैलोशिप में विदेश जा रहा था। उस समय में संजय के मित्रों ने संजय से कहने लगते हैं कि कहीं हमें भूल मत जाना भाई। प्रत्येक व्यक्ति के जिवन की राह अलग–अलग है यह सबको समझ लेना है।

ताकि कौन कब कैसे भूल सकता है इसकी कोई ग्यारंटी नहीं न कोई प्रमाण है। अमर नाम का एक लडका। इधर लूसी का हाल, बेहाल उधर संजय की टोली का मित्र रफीक के साथ में लूसी दिल्ली भाग गयि थी। इस संदर्भ में अमर के शब्दों में .–

"हमने उन्हें स्नेह, प्यार, ममता और जिंदगी देनी चाहि थी, पर मेरी जिम्दगी तो दर्दों का एक वेतरसीब सिलसिला होना था। अब न किसी का खत आता है न हमें किसी का पता है। गुमराह की धुँध में हर मटमैला चेहरा गुम हो गया। अब बिलकुल अकेली हूँ। किसी के करीब आने में भी दहशहत होती है। जब भी पुरानी बातें कुरेदने लगती है मैं इश–जननी की इस प्रतिमा के करीब चली आती हूँ।"6

इस प्रकर से जसी की अंदर की समस्या का चित्रण क्षितिज के उस पर कहानी में समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। एक काम के बहाने ही क्यों न हो पर अंदर के दुःख को भूलने का प्रयास करना ही महत्वपूर्ण विषय है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ की शिक्षा व्यक्ति को सुधरने का प्रयास ही नहीं करती पर ढ़ालने का भी प्रयास करती जो कोई जिस प्रकार से वह मुडकर आकर बनकर खडा होगा वैसे ही उसकी विचार धारा, रहन, सहन, खान–पान आदि।

बदलकर उस व्यक्ति में विकास का वातावरण निर्माण होगा पर यहँ पर यह भी ध्यान देनी की बात है कि आदिवासियों के छात्रों की ही बात नहीं पहले तो आदिवासी छात्रों को खाने अन्न नहीं मिलता तो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है। दुसरी बात उसे पहनने को अच्छे कपडे नहीं मिलने पर वह गलत राह पर चलकर मार काट चोरी डकैयत आदि करने का प्रस्न भी उठता है। इसाए उसे रहने के लिए घर भी नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति वह भले ही वह कितना भी मृधुल हो पर उसका दिल्ल कठोर उसकी परिस्थितियों ने उसे वैसा बना डालती है, इसाए उन्हें शिक्षा दिलाकर सही दिशा दिखने का प्रयास करना चाहिए। तब मात्र अपना देश विकास बनकर दिखाई देगा, नाम मात्र के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए।

हम सब का कर्तव्य यह है कि, प्रत्येक आदिवासियों को शिक्षा दिलाकर उसकी भावना बदलना चाहिए। उसकी, गलतियों को दूर करने के लिए शिक्षा का अर्जन करना ही पड़ता है, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करता वह व्यक्ति पशु के बराबर माना जाता है। इतना सही है कि मनुष्य बात करता प्राणी पशु नहीं लेकिन जो शिक्षा से वंचित है वह पशु के बराबर है। इसाए हमें इन मासूम आदिवासियों की सहायता करना है तो उन्हें पहले शिक्षा देना चाहिए। तब मात्र अपना देश तरक्की कर सकता है। नहीं तो केवल तरकी का नाम और देश पुरा पतन की ओर चला जायेगा। कृपया मेरी इन बातों पर ध्यान देने का प्रयास करें और अपने देश की वृद्धि करने का प्रयास किया जाय यह मेरी मनोकामना है। तब मात्र आदिवासियों की परिस्थितियों में बदलाव आ जायेगा तो देश का भी विकास होगा।

संदर्भ ग्रंथ :–

(1)राजकुमारों के देश में फा.पीटर फैल एकका. एस्.जे. पृ.24 (2)वही– पृ.29 (3)क्षितिज की तलाश में फा. पीटर फैला एकका. एस्.जे. पृ.10 (4)वही–पृ.सं.144 (5)वही–पृ.सं.167

18.विश्व परिदृश्य में मानव अधिकारों का बदलता स्वरुप

–डॉ.उमा देवी,
राजनीति विज्ञान विभाग

इस पेपर में लेखक ने किताबों व कुछ रिसर्च पेपरों का अध्ययन करके और उसमें अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए यह दर्शाने की कोशिश की है कि मानव अधिकार और सतत् विकास किस प्रकार से आपस में जुडे हुए हैं और किस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कुछ गलत प्रवृत्तियों की वज़ह से ही सतत् विकास का रुप कुरुप होता जा रहा है जिससे जीवाश्म ईंधनों की मात्राओं में गिरावट आती जा रही है। तथा कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने हेतु संघर्ष किया गया, और आन्दोलनों ने बल पकडा। इन्ही अधिकारों की रक्षार्थ हेतु ही समय समय पर कई संस्थाएं व सन्धियॉं, अभिसमय आदि अभिनिर्मित किए जा चुके हैं तथा भारतीय संविधान द्वारा भी किस प्रकार से कुछ गंभीर समस्याओं पर चिन्ताएं दर्शाते हुए इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं तथा राज्यों में किस प्रकार से इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। और अपने विचारों को इन्हीं समस्याओं की ओर सचेत करते हुए पीढी दर पीढी की विशेषताओं को बताते हुए उनकी चिन्ताओं की ओर एक नज़र डालते हुए कुछ पहलों को सजग करने की कोशिश की है।

मानव अधिकार और सतत् विकास–मानव अधिकारों को हम प्रकृति प्रदत्त तथा जन्म से समानता के आधार पर ही परिभाषित करते आए हैं, तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार भी सभी मनुष्य जन्म से समान और स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार प्रकृति द्वारा मनुष्यों में भेद नही किया जाता ठीक उसी प्रकार मूल निवासियों द्वारा प्रकृति को ही अपना दाता समझा जाता है। अगर हम उदाहरण स्वरुप देखतें है तो चिपको आन्दोलन 1973, अप्पिको आन्दोलन 1983 तथा नर्मदा बचाओ आन्दोलन 1980, चिल्का झील आन्दोलन आदि ऐसे आन्दोलन हैं जो प्रकृति के प्रति चिन्ताओं को दर्शाते हैं। प्रकृति के विभिन्न घटक, जोकि आपस में किसी न किसी रुप में जुडे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। यदि हम प्रकृति को मनुष्यों को जन्म से समान अधिकार प्रदान कराने वाले की संज्ञा देते हैं तो यह अवधारणा कहीं धूप तो कहीं छॉंव की अवधारणा पर आधारित होती है, क्योंकि यहॉं आक्षेप विकसित व कम विकसित देशों की धरोहरों के मध्य है। विकसित देशों द्वारा अपनी आकांक्षाओं की निरंतर बढती जरुरतों की पूर्ति हेतु इन कम विकसित देशों की अपार प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन किया जाता रहा है जोकि आज भी बेतुकी शर्तों के अधीन जारी हैं। इस प्रकार मनुष्यों द्वारा ही मनुष्यों की तबाही निश्चित कर ली गई है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, (2006) द्वारा मानवाधिकारों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि मानवाधिकार की संकल्पना का जन्म मानव की गरिमा और मानव में जन्मजात मूल्यों से हुआ है, जो कुछ भी मानव की गरिमा और मानव की मौलिक स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, मानवाधिकार कहलाता है। तथा मानवाधिकार पुरुष, महिला और बच्चों को इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वे मानव हैं। तथा तपन बिसवाल, (2008) में मानवाधिकार वे अधिकार बताए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही मानवोचित गुण होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये हमारी मानवीय सद्भावना पर आधारित होते हैं। और आभा सिन्हा (2006) ने मानवाधिकारों को लोकतंत्र की सफलता के साथ जोडा है जिसमें भेदभाव रहित अधिकारों की बात की गईं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुसार भी सभी मनुष्य जन्म से समान और स्वतंत्र हैं। तथा भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रुप में मानवाधिकारों को दर्शाते हुए बताया है कि किसी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नही किया जाएगा। तथा अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार को किसी के भी अधीन न करते हुए व्यक्ति का सर्वप्रथम व सर्वोच्च अधिकार माना है। उच्चतम न्यायालय ने एस सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए आई आर, 1997 एस सी 734 में कहा था कि प्रदूषण मुक्त वायु और जल भी मानवाधिकारों के अन्तर्गत आते हैं। तथा मोहिनी जैन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक ए आई आर 1992 एस सी 1852 और उनी किशोर जे पी जयाल बनाम स्टेट ऑफ ए पी ए आई आर 1993 एस सी 2178 केस में शिक्षा का अधिकार भी मानवाधिकारों के अन्तर्गत आता है।

सतत् विकास : मुद्दे और चुनौतियां, (2005, इग्नू) में सततशीलता शब्द को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है कि सतत्शीलता का अर्थ एक प्रक्रिया या स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहें तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार हो जिससे पारिस्थितिकी सम्बन्धी कोई असंतुलन न हो, प्रकृति की ग्रहण एवं उत्पादन क्षमता का अतिशोषण न हो। स्पेशल इशु ऑन सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, (1993) आई जे पी ए, आई आई पी ए, जुलाई–सितम्बर, के अनुसार सतत् विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। तथा ब्रण्टलैंड आयोग ने अपनी

रिपोर्ट 'अवर कॉमन फयूचर'(1987) में देते हुए सतत् विकास को ऐसा विकास कहा है जो भविष्य की पीढीयों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। ऐसी आर्थिक अभिवृद्धि जो संसार के सीमित प्राकृतिक संसाधनों एवं उसकी ग्रहण क्षमता को और नष्ट किए बिना, विश्व के सभी लोगों को न्याय तथा अवसर प्रदान करें। विश्व परिरक्षण कार्यनीती रिपोर्ट में सतत् विकास को रिरक्षण तथा विकास के एकीकरण के रुप में परिभाषित किया गया जिससे यह सुनिश्चित हो कि ग्रह में संशोधन से वास्तव में सभी लोगों का जीवन बना रहे तथा उनका कल्याण हो। ब्रूण्टलैण्ड की रिपोर्ट (1983) में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नार्वे की प्रधानमंत्री श्री ग्रो हारलम ब्रण्डटलैण्ड की अध्यक्षता में पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। यह रिपोर्ट 1987 में ''ऑवर कॉमन फ्यूचर'' के नाम से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में दी गई सतत् विकास की परिभाषा में दो प्रमुख अवधारणाएं निहित हैः एक, आवश्यकता की अवधारणा तथा दूसरे, सीमितता का विचार। यह रिपोर्ट तब ज़ारी हुई जबकि अंटार्कटिका, (1985) में ओजोन छिद्र पाया गया व चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई। इसी रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट ने रियो में एक सम्मेलन किया जिसे लोकप्रिय भाषा में ''पृथ्वी सम्मेलन'' कहा गया। इसके अनुसार विकास के अधिकार की प्राप्ति इस प्रकार हो जिससे कि वर्तमान तथा भविष्य की पीढियों की विकासात्मक व पर्यावरणीय आवश्यकताओं की न्याययुक्त पूर्ति हो, जिनके दस्तावेजों में जलवायु परिवर्तन पर रुपरेखा संबंधी अनुबंध, जैविक विविधता पर अनुबंध, वन सिद्धांतों पर वक्तव्य, रियो घोषणा, कार्यसूची 21 आदि हैं। रियो सम्मेलन के दस वर्ष बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर सम्मेलन हुआ। इसे रियो+10 कहा गया। 1972 में संस्थापित 'पर्यावरणीय नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति' पहले पर्यावरण संरक्षण संबन्धी सर्वोच्च निकाय थी। 1980 में एक पृथक पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई। एक पूर्ण शक्ति सम्पन्न 'पर्यावरण एवं वन मंत्रालय' को 1985 में स्थापित किया गया ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय सुरक्षा कार्यक्रमों की देखभाल कर सके। इस मंत्रालय के अधीन 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

सतत् विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। सतत् विकास का उद्‌भव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ती तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने या उनके बंद होने के भय से हुआ। यह अवधारणा उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालचपूर्ण दुरुपयोग का परिणाम है। सतत् विकास कोयला, तेल तथा जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की न्यायोचित नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करता है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत ने कृषि निर्भर ग्रामीण जनता वाले इंग्लैण्ड को कारखाने में उत्पादन करने वाले एक शहर केन्द्रित समाज में बदल डाला। 1750 से 1830 के वर्षों में उद्योग के अन्य हिस्सों में भी प्रगति हुई और इन सबने मिलकर एक दूसरे को परस्पर मज़बूत करते हुए उद्योग के बढते क्षेत्र में आगे फायदे दिए। शीघ्र ही अन्य यूरोपीय देशों में भी औद्योगीकरण आरम्भ हो गया। इस औद्योगिक क्रान्ति में यह निहित था कि मानव के पास अब केवल अवसर और ज्ञान ही नही बल्कि प्रकृति को पराजित करने के भौतिक साधन भी थे। लेकिन एक तरफ जहां वह सम्पन्नता लाई तो दूसरी तरफ उसने काफी दुर्दशा को भी जन्म दिया। औद्योगिक क्रान्ति को संसाधनों, विशेषकर कच्चे माल की आवश्यकता थी जो गरीब देशों में उपलब्ध था। जबकि दक्षिण के देशों से संसाधनों को निचोडा गया, मूल्य जोड केवल उत्तर के देशों में किया गया जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। तथा स्वतंत्रता के बाद नई सरकारों ने तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान दिया और भौतिक संसाधनों पर उचित व न्याययुक्त पहुंच की ओर कम ध्यान दिया। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगीकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए, तथा एक वैज्ञानिक रॉकल कारसन ने 'दी साइलेंट स्प्रिंग', 1962 शीर्षक से लिखी एक पुस्तक में कीटनाशक डी डी टी के प्रयोग से वन्य जीवन के सर्वनाश की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भलाई के बीच परस्पर सम्बंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। 'दी साइलेंट स्प्रिंग' के बाद शीघ्र ही जानवर जनसंख्या जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इहरलिच ने 1968 में अपनी पुस्तक 'पापुलेशन बम' प्रकाशित की जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा 'पर्यावरण के बीच सम्बंधों पर प्रकाश डाला। और इन सबके चलते पर्यावरण संबंधी अरल सागर का सूख जाना, नाभिकीय दूषण तथा वायु तथा जल का उच्च स्तर पर प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा हो गई। इससे प्राकृतिक संसाधनों का असतत् शोषण हुआ और उसके साथ साथ उष्णकटिबंध वर्षा वनों जैसे प्राकृतिक तौर पर पर्यावरण पर नियंत्रण करने वाले तत्वों पर दबाव बढा।

पर्यावरण के अन्तर्गत हमारे चारों ओर के परिवेश जिनके अन्तर्गत प्राकृतिक, अप्राकृतिक, जड एवं चेतना सभी वस्तुएं, मनुष्य, अन्य जीव जन्तु, भूमि, जल, पेड पौधे, वायु आदि आते हैं। इस अर्थ में सारा वायुमण्डल समा जाता है। धरती पर हम रहते हैं, वायुमण्डल हमें ऑक्सीजन देता है तथा जलमण्डल से जल प्राप्त होता है। पर्यावरण के ये घटक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रकृति के कार्यकलापों से इन घटकों का संतुलन बना रहता है, जिसे पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। और किसी भी वजह से यदि एक घटक भी खतरे में पडता है तो वह सम्पूर्ण पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड कर रख देता है। वैश्वीकरण के कारणवश प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर है। और इसी निर्भरता के कारणवश पर्यावरण की समस्या किसी देश विशेष, क्षेत्र या देशों की समस्या न बनकर सम्पूर्ण विश्व की समस्या बन गई है, जहॉ पर एक देश की गतिविधियों का प्रभाव दूसरे देशों पर व्यापक रुप से पडता है। उदाहरण के लिए यदि पर्यावरण में कोई देश क्लोरो फ्लोरो कार्बन जैसी गैसों को छोडता है तो उसका प्रभाव ओज़ोन परत पर पडता है। जिससे कि वातावरण व पर्यावरण गर्म होता है। इसी प्रकार से यदि कोई देश कार्बनडाईऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में वातावरण में छोडता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पर्यावरण की समस्या सम्पूर्ण विश्व की समस्या है और इसी कारणवश सन् 70 के दशक में संयुक्त राष्ट् संघ ने अपने आपको पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जोडा। स्टोकहॉम में पर्यावरण की समस्या को लेकर सन् 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण को लेकर विचार विमर्श किया गया और इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि पर्यावरण व उसकी समस्याओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पर्यावरण का प्रबंध ठीक प्रकार से किया जाए तथा यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा, प्रशिक्षा, जनसम्पन्न व जनसूचना, वित्तीय व आर्थिक मदद व राज्यों के बीच में पर्यावरण की समस्याओं को लेकर तकनीकी सहयोग होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण की समस्या सुलझाई जा सके। इस सम्मेलन के परिणामस्वरुप ही संयुक्त राष्ट् संघ की पर्यावरण से सम्बंधित एक एजेंसी का निर्माण किया गया जिसको 'संयुक्त राष्ट् पर्यावरण कार्यक्रम' का नाम दिया गया। इस एजेंसी का मुख्य कार्य विभिन्न राज्यों के बीच व संयुक्त राष्ट् की विभिन्न एजेंसियों के बीच पर्यावरण को लेकर आपसी तालमेल व सहयोग स्थापित करने का था। तथा विश्व में पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं व इसके परिणामों से विश्व को शिक्षित करना था, तथा पर्यावरण को लेकर राज्यों के बीच में सहयोग व सामंजस्य स्थापित करने में भी सफल रहा है इसीलिए पर्यावरण को लेकर 200 से भी अधिक बहुराष्ट्रीय समझौते हुए व सभी राज्यों ने पर्यावरण को और अधिक बिगडने से रोकने की शपथ ली है। इसमें पर्यावरण से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिनमें ओजोन परत डिप्लीशन, जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग सम्मिलित थे। इससे व्यापक रुप में मौसम प्रभावित होता है। पर्यावरण के अन्तर्गत जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और इसमें छेडछाड ना करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं हुई हैं। जैव विविधता के अन्तर्गत पेड पौधों की विभिन्न जातियां, प्रजातियां, जानवरों की प्रजातियां और मानव की विभिन्न जातियां सम्मिलित होती हैं। इसी तरह से अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रकृति ने भौगोलिक रुप से काफी अधिक विविधता रखी है, कहीं पर पहाड तो कहीं पर जंगल, नदियां, समुद्र व समतल धरती सभी इन्हीं के अन्तर्गत आते हैं। सन् 80 के दशक से जैव विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैव विविधता अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाती है, पैदावार को भी बढाती है। और इसी विशेषता को आज रौंधने की कोशिश की जा रही हैं जो प्राकृतिक विपदाओं से बचाने का कार्य करती है।

पिछले कई सालों से मानव जाति अपने विभिन्न कार्यकलापों के कारणवश इस जैव विविधता से छेडछाड करता रहा है, जिससे पिछले 1000 वर्षों में जानवरों व पेड पौधों की काफी जनजातियां समाप्त हो गई हैं। और यह ऐसे हुआ है कि मानव ने जानवरों के रहने की जगह अपने रहने की जगह बनाई है। भूमि का अधिक प्रयोग करके इसकी क्षमता को कम किया है। वातावरण में विभिन्न प्रकार का प्रदूषण फैलाया है। जिसके परिणामस्वरुप ही विश्व की जातियों का 1/5 भाग लगभग समाप्त हो गया है। बहुत से विकसित देश विकासशील देशों के प्राकृतिक साधनों पर निर्भर हैं और इन विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक साधनो को बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता क्योंकि प्राकृतिक साधन इन देशों की पूँजी है जिनके प्रयोग के माध्यम से इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, सम्पूर्ण विश्व में लकडी की मांग का 80 प्रतिशत आज मलेशिया, इंडोनेशिया व फिलीस्तीन से आता है। इस प्रकार से व्यापार व लाभ की दृष्टि से ये विकासशील राज्य अपने प्राकृतिक साधनों को कम करने के लिए विवश हैं। इसी कारणवश जैव विविधता को संभाल कर रखने के लिए व इसमें किसी प्रकार की छेडछाड न करने का विषय सम्पूर्ण विश्व का विषय बन गया है। ये मानव निर्मित आपदाए ही हैं जिनकी गिनती शायद कठिन है। मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं हैं जिनका कारण मानवीय गतिविधियां ही हैं। मानव जीवन हमेशा

से ही प्राकृतिक विपदाओं से संघर्ष करता रहा है। पिछले कुछ दशकों में विश्व विपत्तियों पर हुई सांख्यिकी के अध्ययन से पता चलता है कि विपत्तियों के प्रभावों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जैसे –मृत्यु दर, नुकसान व जनहानि आदि।

संयुक्त राष्ट् संघ के यूनेस्को सम्मेलन में इस बात का निर्णय लिया गया कि विभिन्न पेड पौधे व जातियां विश्व की धरोहर हैं इसलिए इनके जेनेटिक्स को विभिन्न बैंकों के अन्दर रखा जाए व इसी उद्येश्य से विभिन्न देशों में इस प्रकार के बैंक स्थापित किए गए। सन् 2007 की यूनेस्को रिपोर्ट से ये बात स्पष्ट हो गई कि मानव गतिविधियों के अन्तर्गत हर एक घण्टे में 3 या 3 से भी अधिक जानवरों व पेड पौधों की जनजातियां समाप्त हो रही हैं। मानव गतिविधियो के कारणवश ही डाइनासोर की समाप्ति के बाद विभिन्न जानवरों की जातियां तेज़ी से समाप्त हो रही हैं व ऐसा मानव गतिविधियो के कारण ही हुआ है जिसकी वजह से ही मानव जाति के जैव विविधता से छेडछाड को रोकना आवश्यक बन गया है। जैव विविधता के साथ साथ जीवाश्म ईंधनों के रिक्तीकरण पर भी ध्यान दिया गया है। आर्गेनिक रुप से पृथ्वी के अन्दर लाखों वर्षों में विभिन्न परिवर्तन हुए जिन्होने धीरे धीरे जीवाश्म ईंधनों का रुप धारण किया। मुख्य रुप से जीवाश्म ईंधनों के तीन रुप हैंः कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ये अपने आप में सीमित हैं। इनको दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। औद्योगिक क्रान्ति के बाद मानव जीवन बदलने में व आर्थिक, सामाजिक स्थिति बदलने में इन जीवाश्म ईंधनों ने काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अमेरिका व विकसित देश इन्हीं जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग व उपयोग से इतने अधिक समृद्ध बने हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो संचार क्षेत्र हो यातायात हो तकनीकी हो या विज्ञान हो सभी को जीवाश्म ईंधनों ने प्रभावित किया है। विकसित देशों की आज की आराम की ज़िंदगी इन्ही जीवाश्म ईंधनों के कारणवश है। जीवाश्म ईंधन पूरे विश्व की 66 प्रतिशत विद्युत शक्ति की पूर्ति करते हैं तथा 95 प्रतिशत उर्जा की पूर्ति करते हैं। कोयला कुल उर्जा का 28 प्रतिशत, तेल 40 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस 20 प्रतिशत भाग देता है। और इनके सीमित होने की वजह से ही यह अनुमान सामने आया है कि तेल ज़मीन में सीमित मात्रा में रह गया है। इसी रफ्तार के चलते ही 35 वर्षों में तेल के खत्म होने का अनुमान लगाया गया है। विश्व में कोयला उर्जा बनाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। लाखों टन कोयला जलाया जाता है, जिसके कारणवश पर्यावरण में कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा काफी तेजी से बढी है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा की है। जो आज विश्व में सबसे बडी समस्या है।

ग्लोबल वार्मिंग का विज्ञान इस बात से शुरु होता है कि पर्यावरण में पिछले 200 वर्षों से कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा 30 प्रतिशत से भी अधिक बढ गई है। यह समस्या तब होती है जबकि धरती गर्म हो जाती है व धरती ग्रीनहाउस गैसों – सी ओ टू, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन से मिलकर बनती है जोकि पर्यावरण में सूर्य से आई गर्मी को अपने अन्दर समा लेती है व भूमी को गर्म कर देती है। बर्फीली चोटियों का समुद्र, नदियों, झीलों, जलवायु व भूमि पर प्रभाव दिखना आरम्भ हो गया है। 1992 में इस समस्या को लेकर रियो में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया व इस सम्मेलन के प्रस्ताव में 153 देशों ने हस्ताक्षर किए और यह प्रस्ताव सन् 1994 में लागू किया गया। पर्यावरण की समस्या को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण कदम क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से उठाया गया। इस सम्मेलन में सभी विकसित राज्यों में पर्यावरण में कार्बनडाइऑक्साइड को कम करने का प्रण लिया तथा विकसित देश विकासशील देशों में पर्यावरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न वित्तीय, तकनीकी सहायता प्रदान करेंगें व इसका सारा खर्चा विकसित देश उठाएंगे, परन्तु अमेरिका व आस्टेलिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। सन् 2009 में क्योटो प्रोटोकॉल के बाद कॉपनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और काफी वाद विवाद के बाद सामने आया कि अमेरिका व इसके सहयोगी क्योटो प्रोटोकॉल को एक ठण्डे बस्ते में डालने के पक्ष में हैं। जबकि विकासशील देश इसका विरोध कर रहें है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की विपदा का तब पता चला जब सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र पाया गया, तब पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा सभी संगठनों का केंद्रिय विषय बन कर सामने आया जिसमें सर्वप्रथम 1986 में एकल यूरोपीय एक्ट द्वारा रोम संधि के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करके पर्यावरण नीति को शामिल किया गया। उसके बाद से ही नाफ्टा, नाएक, आसियान, सार्क आदि संगठनों में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया तथा कुछ संधियॉं भी हो चुकी हैं, जिनमें वियना कन्वेंशन फोर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, वियना, 1985, कन्वेंशन ऑन बायलोजिकल डायवर्सिटी, रियो डि जेनेरो, 1992, क्योटो प्रोटोकोल टु द यू एन फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो, 1997 आदि सम्मिलित हैं, परंतु ये संधियॉं भी कुछ भेदभावपूर्ण थी इसलिए इनका कार्यान्वयन भी सही रुप में नही हो पाया है। समय समय पर इनमें संशोधन के द्वारा पर्यावरण पर चिन्ताऍं दर्शाते हुए उनमें प्रमुख सुधार लाने की बातें की गईं हैं,

परन्तु ये सुधार व नीतियॉ कुछ देशों को आपसी वैमनस्यों के कारण छल कपटपूर्ण लगती हैं, जिसके चलते देश अन्धेपन का नाटक सा करने लगे हैं, जिससे यह पृथ्वी, यह प्रकृति विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। यदि यही प्रवृत्ति चलती रही तो मनुष्य जीवन खतरे में पड जाएगा जो पूर्ण रुप से मानव अधिकारों का हनन होगा। जब मानव सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, संपत्ति व पर्यावरण के साथ मनमानी छेडछाड करता है तो मानव संकट उत्पन्न होना तो स्वाभाविक ही है। इन सभी संकटों के लिए मनुष्य खुद ज़िम्मेदार है। मनुष्य द्वारा की गई छोटी बडी गलतियां ही इन संकटों का कारण बनती हैं।

पिछले कई दशकों में 130 से अधिक युद्ध व हिंसक लडाईयां हो चुकी है जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बहुत हानि हुई है जिससे पर्यावरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव पडे हैं। सबसे बडे नुकसानों में एक उदाहरण हिरोशिमा व नागासाकी पर गिरे परमाणु बम हैं जिससे पर्यावरण को काफी हानि हुई थी। युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र या उन दो देशों के बीच ही नहीं रहता जो लडाई कर रहे हैं बल्कि इन हथियारों का प्रभाव महाविनाश के रुप में सामने आता है, जैसे– मारधाड, चीख पुकार, व जनक्षति आदि। पर्यावरण की बहुत सारी गंभीर समस्याएं युद्ध के कारण ही पैदा हुई हैं। उदाहरण के लिए इग्लैण्ड की लडाई के समय जहाज बनाने के लिए बहुत सारे ओक के पेड काट दिए गए थे। जिसके कृषि भूमि पर भी दीर्घकालीन प्रभाव पडे। इसी प्रकार से द्वित्तीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देशों मे वनों को काटा गया जिससे पारिस्थिकी तंत्र बिगडा और अन्य तरीकों से भी इन सीमाओं को पार किया गया। वे देश जो नाभिकीय अस्त्रों पर आधिपत्य चाहते हैं नाभिकीय उपकरणों का परीक्षण करते हैं। और अपनी इन्ही लालची गतिविधियों के कारण ही वे प्राकृतिक साधनों का अन्धाधुंध दोहन करते रहते हैं। पर्यावरण सुरक्षा पृथ्वी के अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। मानव का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर है इसलिए पर्यावरण के संकट के साथ साथ इस पृथ्वी पर हमारे हर जीवनोपयोगी कार्यकलाप का भविष्य ही संकट में पड गया है। अफसोस की बात तो यह है कि विकास की अंधाधुंध दौड में पर्यावरण महज़ एक नारा बनकर रह गया है। स्वच्छ जल व वायु का सेवन करना हमारा अधिकार है तो उसे स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान देना भी हमारा कर्त्तव्य है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन लंबा हो। परंतु लंबे जीवन के साथ साथ स्वस्थ रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बडी धरोहर है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, रोग अथवा दुर्बलता का न होना ही स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थता ही स्वास्थ्य ही परिभाषा है। यदि मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रुप से स्वस्थ है तो ही उसे पूर्णता स्वस्थ कह सकते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग का ठीक से काम करना ही अच्छे स्वास्थ्य में सम्मिलित है। परन्तु इन गतिविधियो की वज़ह से ही शारीरिक दुर्बलताएं मानव विकास में बाधा डालती हैं।

पर्यावरण की सुरक्षा विश्व की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक हैं। इसका अनुमान राज्यों के आंतरिक प्रयासों व अन्तर्राष्टीय गतिविधियों में भागीदारी से लगाया जा सकता है। भारत ने भी इस दिशा में अन्तर्राष्टीय उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। भारत ने स्वयं अनेक पर्यावरण कानूनों का निर्माण किया है, जिनका संबन्ध पर्यावरण के लगभग सभी क्षेत्रों से है। सन् 1976 में भारत के संविधान में किए गए संशोधन के एक प्रावधान में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48 a जोडा गया, जिसके द्वारा राज्य से अपेक्षा की गई कि वह 'पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे, तथा देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करें। तथा अनुच्छेद 51 a(g) भी शामिल किया गया, जिसके द्वारा नागरिकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे 'प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार करे, जिसमें वन, झीलें, नदियां एवं वन्य जीवन शामिल होते हैं, तथा वे सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त, पर्यावरण के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित अनेक कानून, नियम तथा घोषणाएं भी हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860, की धारा 268 में 'सार्वजनिक बाधा की परिभाषा करते हुए कहा गया कि 'यह ऐसी कार्यवाही है जोकि जनतंत्र धारणा के लिए साझी चोट पंहुचाती है, या खतरा बनती है, या फिर उनके मार्ग में बाधा का खतरा बनती है जोकि अपने किसी सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। दंड संहिता के अन्तर्गत लगभग 200 अन्य कानून हैं जिनका प्रत्यक्ष सम्बंध पर्यावरण संरक्षण से है जिसके चलते सतत् विकास को सुनिश्चित करने हेतु पहलें की जा सकें। प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए जिनमें जल अधिनियम 1974 ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की ताकि वह जल प्रदूषण रोकने के उपाय करके स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। इस कानून ने एक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की। इस कानून के अनुसार, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर ज़हरीले या प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को पानी में

प्रवेश करने देता है, जोकि निर्धारित मानकों की अवहेलना करते हैं, तब वह व्यक्ति अपराधी होगा, तथा उसे कानून में निर्धारित दंड दिया जा सकेगा। जल नियमों का निर्धारण 1975 में किया गया, जिनमें उद्योगों को एक निर्धारित फार्म में सूचना प्रदान करनी थी तथा इनमें कुछ अनुसूचियां शामिल थीं। वायु अधिनियम 1981 के अनुसार, वायु कानून के अन्तर्गत वायु प्रदूषण को रोकने का कार्य आरक्षित क्षेत्रों की घोषणां, प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर प्रतिबंध इत्यादि के द्वारा किया जाता है। वायु नियम 1982 में अपनाए गए।

सन् 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक प्रकार से विशाल कानून है जोकि अनेक विस्तृत क्षेत्रों पर लागू होता है। इसके अनुसार केन्द्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके अन्तर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता के सुधार और संरक्षण के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है। 1989 में जोखिम भरे मलबे के रख रखाव और उनके निपटान के लिए जोखिम उत्पादन प्रजनकों को उत्तरदायी ठहराया गया है। कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका उद्येश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की वंशगत प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीवों से रक्षा करना है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि पशु नाशक, पौधों के कीटाणुओं तथा वांशिक परिवर्तित जीवों से सम्बंधित समितियों की स्थापना की जाए। वर्ष 2002 में पारित जैव विविधता कानून का उद्येश्य है कि 'जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके विभिन्न अंशों का टिकाउ उपयोग किया जाए, तथा जीवविज्ञान संसाधन ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभ का समान विभाजन हो।' अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान है, राज्य स्तरों पर जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना की जाए ताकि इस कानून के प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। भारत में पर्यावरण संरक्षण तथा सतत् विकास की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। सामाजिक हित और विशेषकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति, न्यायपालिका की वचनबद्धता के कारण ही 'जनहित मुकदमों' का विकास हुआ है ताकि सामाजिक एवं पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित हो सके। न्यायपालिका ने कई मामलों में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया है कि गुणवत्तापुर्ण जीवन की यह मूल आवश्यकता है कि मानव स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करें। पर्यावरण के अधिकार को न्यायिक मान्यता देहरादून की चूने की खान के मामले में 1987 में दी गई, तथा 1987 में ही श्रीराम गैस रिसाव के मामले में इस पर पुनः बल दिया गया। यद्यपि भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी नागरिको को दिलाया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार में संशोधन करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मनुष्य की मौलिक आवश्यकता माना है। 1980 और 1990 के दशकों में, भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन–हित याचिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के कार्य में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के आरंभिक क्षेत्राधिकार का संविधान के अनुच्छेद 32 और 326 का आश्रय लेकर महत्वपूर्ण उपाय किए गए। जिन अन्य विषयों पर जन–हित याचिकाओं के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किए उनमें शामिल हैं: नगरों के ठोस मलबे को ठिकाने लगाने, जाखिम भरे मलबे को निपटाने, कीटाणुनाशक दवाओं के उत्पादन और उसकी बिक्री का नियमन, दिल्ली के भूमिगत पानी में होती कमी, कोलकता में हुगली नदी के साथ साथ स्थापित प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमों को बंद करने, तटीय क्षेत्रों की प्रबंधन समितियों की स्थापना, पशुओं के प्रति दया, जनजातीय नागों और मछुआरों के विशेषाधिकार, हिमालय तथा वनों की पारिस्थिकी व्यवस्था, पारिस्थिकी पर्यटन, भूमि के प्रयोग के प्रतिमान तथा विकास परियोजनाएं इत्यादि। परन्तु कुछ भी कर लें ये विकास की होड मनुष्य को जीने के लायक नहीं छोडेगी। सतत् विकास की ओर कदम बढाते हुए भी विकासशील देशों की बुनियादी आवश्यकताएं आज पूरी नहीं हो पा रही हैं रोटी, कपडा, मकान और रोज़गार जैसी न्यूनतम आवश्यकता के सभी हकदार हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को उपर उठाने की पहली सीढी है।

सतत् मानव विकास की संकल्पना वह विकास है, जो हमेशा चिरस्थायी होता है। सतत् मानव विकास निर्धारित करता है कि वर्तमान पीढी को भविष्य में आने वाली पीढी की आवश्यकताओं की परिपुर्ति से समझौता नहीं करना चाहिए। इसीलिए पर्यावरण धरोहर के विघटन को हमें रोकना होगा, जिससे कि संसाधन आधारित व पारिस्थिकी आधारित मानव गतिविधियों को हमेशा के लिए बनाए रखा जा सके। मानव जीवन को संरक्षित करना हमारी परम आवश्यकता है। मानव जीवन व विकास संरक्षित हो सकता है यदि उसकी सही देखभाल की जाए। सतत् विकास की संकल्पना इस मुद्ये पर लागू होती है कि प्रत्येक पीढी अपनी आवश्यकताओं को अपने समय के संसाधनों से अपनी पूर्ति करे, न कि उधार के पर्यावरण पर जीवित रहें, जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती। सतत् मानव जीवन के विकास का केंद्रबिन्दु केवल भविष्य पर न रखा जाए, बल्कि उसका ध्यान वर्तमान के पर्यावरण पर भी होना आवश्यक है।

प्रकृति से खिलवाड करने का मतलब ही जीवन का विनाश है। इस प्रकार से यह मानव जीवन के सुनिश्चित विचार को आघात करता है। और यदि हम सिर्फ वर्तमान संदर्भ में देखें तो यह आज के प्राणियों का अधिकार हनन होगा, परन्तु हम भविष्य की ओर देखते हुए अपनी भावी पीढीयों की बात करें तो उन्हें हम क्या दे रहें हैं? हमने तो प्रकृति की छॉव में रहते हुए कुछ तो अर्जित किया है, भले ही कुछ

भ्रष्ट तृप्तियों की वजह से संकट बना हुआ है, परन्तु जो भावी पीढीयॉ हैं उनको तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जन्मजात अधिकार भी नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि यह सतत् विकास की धारणा पर भी कटाक्ष करती है। इसलिए सतत्ता को खतरे में डालते हुए हम मानव अधिकारों को सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जरुरत है कि हम खुद इस ओर पहल करें, और ये सब सिर्फ बडे बडे पोस्टर लगा देने मात्र से या लोकप्रिय भाषण दे देने मात्र से ही इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता। हमें जितना ज़्यादा हो सके लोगों को पर्यावरण की ओर सतर्क व जागरुक बनाना होगा। क्योंकि जिस प्रकार परिवारों से समुदाय, समुदायों से गॉव व गॉवों से राज्य बनते हैं जिससे एक देश का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से पहल हम परिवारों से होकर ही देशों की पहलों की अवधारणा के रुप में सामने आएगी और एक देश का वातावरण कैसे दूसरे देश के वातावरण को प्रभावित करता है, यह जानकर विभिन्न देशों द्वारा भी आपसी वैमनस्य को छोडकर एक दूसरे के वातावरण की रक्षा के लिए कार्यरत होंगे। क्योंकि अभी हाल ही के चुनावों का उदाहरण लें तो उनमें भी सिर्फ खोखले भाषणों के अलावा पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे यह साबित होता है कि पर्यावरण की समस्या को अभी तक राज्यों द्वारा ही नहीं समझा गया है। इसलिए इस ओर पहल अभी बाकी है।

तथा यह निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि आज विश्व के परिदृश्य में देखें तो वास्तव में पर्यावरण की समस्या एक मुख्य समस्या है जिसका समाधान करना सम्पूर्ण मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है अन्यथा मानव जाति का अस्तित्व और अर्थव्यवस्था का अस्तित्व खतरे में है। और इसी का ही नतीजा है कि शायद कोरोना जैसी महामारी ने ना जाने कितनी ही ज़िन्दगियां तबाह कर डाली। विकास का कोई भी पहलू देखें तो वह बिना पर्यावरण को हाशिये पर रखे पूरा नहीं हो सकता इसलिए ज़रुरत है कि विश्व एक ऐसा आवरण तैयार करे जिससे मानव अधिकारों के साथ साथ विश्व धरोहर को भी संजो सकें।

संदर्भ सूची–1.ऑवर कॉमन फयूचर, 1987. वर्ल्ड्र कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एण्ड डेवेलपमेंट, ऑक्सफोड प्रेस, दिल्ली, **2.**तपन बिसवाल, 2008. मानवाधिकार, जेन्डर एवं पर्यावरण, वीवा, **3.**स्पेशल इशु ऑन सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, 1993. आई जे पी ए, आई आई पी ए, जुलाई–सितम्बर, 1993. **4.**एच ई डाले, 1996. बियाण्ड ग्रोथः दी इकोनॉमिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, बीकन, बोस्टन. **5.**कोठारी,एस, 1993 इनकम्पटीएबलटी ऑफ सस्टेनएबिलिटी एण्ड डेवलपमेंटः इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुलाई–सितम्बर, खण्ड 39, अंक 3,पृष्ठ315. **6.**लीलाकृष्णन, पी, 1999. इनवायरनमेंटल लॉ इन इंडिया, बटरवर्थस इंडिया, नई दिल्ली .

19.गिल्लू की मानवीय संवेदनाएं

–डॉ.मीना शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी विभाग,
रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

गिल्लू की मानवीय संवेदनाएं लेखिका के प्रति थीं। लेखिका की गिल्लू के प्रति थीं। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। जो आधुनिक काल के छायावाद के चार लेखकों–प्रसाद, निराला, पंत में से एक महिला लेखक थीं। यह उनका संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। यह मेरा परिवार संग्रह से लिया गया है। इसमें उन्होंने अपने संपर्क में आए हुए जीव जन्तुओं को स्मरण किया है। उनके जीवन, स्मरण को शब्दों के रेखाचित्र के माध्यम से बताया है। उनके द्वारा लिखा गया गिल्लू भी एक ऐसा ही जीव है। यह गिलहरी का बच्चा है। उसका गिल्लू नाम लेखिका ने रखा था। जिसे प्राण त्यागने के बाद सोनजुही की जड में समाधि मिली थी। "सोनजुही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरीतिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कन्धे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुप्राण की खोज है। परन्तु वह तो अब तक इस सोनजुही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो।" [1]

लेखिका घायल गिल्लू को कौवों से बचाकर उसका उपचार करती है। जो कौवों के द्वारा घायल कर दिया गया था। वह उसे अपने घर के आँगन में मिला था।

"अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोचों से छुआ–छुवौरल जैसा खेल–खेल रहे हैं। यह काकभुशुण्डि भी विचित्र पक्षी है–एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कॉव कॉव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि दीवार की सन्धि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रूक गयी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा–सा बच्चा है, जो सम्भवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब

कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघुप्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट–सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परन्तु मन नहीं माना–उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आयी फिर रुई से रक्त पौंछकर घावों पर पेन्सिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगाकर जैसे – तैसे उसके नन्हें से मुँह में लगायी। पर मुँह खुल न सका और दूध की बूँदें दोनों ओर ढुलक गयीं।कई घण्टे के उपचार के उपरान्त उसके मुँह में एक बूँद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि मेरी उँगली अपने दो नन्हें पंजों से पकड़कर, नीले काँच के मोतियों जैसी आँखों से इधर–उधर देखने लगा। तीन–चार मास में उसके स्निग्ध रोयें, धब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें **सबको विस्मित करने लगी।** "[2]

उपचार के बाद लेखिका ने उसे गिल्लू नाम दिया। फूलों की डलिया में उसका घर बना। गिल्लू उस घर में दो वर्ष रहा। वह अपने कार्यों से लेखिका का ध्यान अपनी ओर कर लेता था। वह तेजी से परदे पर चढता और उतरता। वह काजू और बिस्कुट खाता था।"**हमने** उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रूई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया । वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा । वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी काँच के मनकों–सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परन्तु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती , तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता, जब तक मै उसे पकड़ने के लिए न उठती।कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लम्बे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बन्द रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी–कभी घण्टों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक्–चिक् करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति मे लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे **कुतरता रहता।** "[3]

चिक्–चिक् की आवाज में गिल्लू बड़ा होने पर अन्य गिलहरियों से बातें करता। "**फिर गिल्लू** के जीवन का प्रथम वसन्त आया । नीम–चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले – हौले आने लगी । बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक्–चिक् करके न जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झाँकते देखकर मुझे लगा कि मुझे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की साँस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते , बिल्लियों से बचाना भी एक **समस्या ही थी।** "[4] लेखिका के कॉलेज से लौटने पर वह उनके साथ खेलने लग जाता। वह अपने घर से बाहर चला जाता भीतर आ जाता पता नहीं चलता। वह गिलहरियों का नेता बन गया। वह लेखिका की थाली से एक एक चावल खाता। काजू उसको अच्छे लगते थे। वह न मिलने पर बाकी सबको अपने घर से बाहर फेंक देता। लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल रहना पड़ा। तब वह उसे काजू नहीं दे पाई थी। गिल्लू उन दिनों लेखिका के पास ही बैठा रहता था। अपरिचित को देख भाग जाता। वह दूसरे के दिए काजू नहीं खाता था। लेखिका ने स्वस्थ होने पर जब उसके घर की सफाई की तब पता चला।

"**आवश्यक** कागज–पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बन्द ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुण्ड का नेता बना , हर डाल पर उछलता–कूदता रहता और ठीक चार बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा इसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गयी थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी परदे की चुन्नट में और कभी सोनजुही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परन्तु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँची, वह खिड़की से निकलकर आँगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुँच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया , जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक–एक चावल बड़ी सफाई से खाता

रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बन्द कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर–दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन, अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते , परन्तु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिये पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हें–नन्हें पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले –हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के **समान लगता।**" [5]

लेखिका गरमी में बाहर नहीं जाती थीं। घर में रहकर कार्य करती थीं। तब गिल्लू सुराही के पास बैठ जाता। इस प्रकार वह लेखिका के पास भी रहता और गरमी से भी बच जाता। दो वर्ष बाद गिल्लू की जीवन यात्रा समाप्त हो गयी। उसका झूला उतार दिया गया। सोनजूही की लता में उसकी समाधि बना दी गई। उसका जीवन उसी में बीता था। फिर नयी गिलहरियों ने आना आरम्भ कर दिया। पर उनमें गिल्लू नहीं था। वह सोनजूही की कली में अमरनिन्द्रा में सो रहा था।

"गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता, न अपने झूले मे बैठता । उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठण्डक में भी रहता। 'गिलहरियों के जीवन की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होती । अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अन्त आ ही गया । दिनभर उसने न कुछ खाया, न बाहर गया। रात में अन्त की यातना में भी वह मेरी ऊँगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठण्डे पंजों से मेरी वही उँगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था।पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का यत्न किया। परन्तु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बन्द कर दी गयी, परन्तु गिलहरियों की नयी पीढ़ी जाली के उस पार चिक्–चिक् करती ही रहती है और सोनजुही पर वसन्त आता ही रहता है।सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गयी है इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी–इसलिए भी कि उस लघुगात का, किसी वासन्ती दिन, जुही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे **सन्तोष देता है।** " [6]

निष्कर्ष – गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा के साथ एक परिचित की तरह रहता है। लेखिका को उससे गहरी ममता हो जाती है। गिल्लू भी लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके लिए वह तरह तरह के खेल करता है। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परन्तु गिलहरियों का जीवन बहुत छोटा होता है। गिल्लू के प्राण त्यागने पर सोनजुही की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई गई। पूरा जीवन उसने उसी में बिताया था। गिल्लू के जाने के बाद लेखिका जब उस लता को देखती थीं तब उनको गिल्लू का स्मरण हो जाता था और उसका लघुगात उनको संतोष देता था। गिल्लू की लेखिका के प्रति और लेखिका की गिल्लू के प्रति यही मानवीय संवेदनाएं थीं जो एक दूसरे से अलग होने पर भी एक दूसरे को बांधे हुई थीं। यही इसका नयापन है।

सन्दर्भ – **1.**हिन्दी गद्य उद्भव और विकास (ग), सम्पा.डॉ.प्रवीन भारद्वाज, प्रकाशक–श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली–110053, प्रथम संस्करण : 2017, पृष्ठ–92 **2.**हिन्दी गद्य उद्भव और विकास (ग), सम्पा. डॉ.प्रवीन भारद्वाज, प्रकाशक–श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली–110053, प्रथम संस्करण : 2017, पृष्ठ 92–93 **3.**हिन्दी गद्य उद्भव और विकास (ग), सम्पा. डॉ.प्रवीन भारद्वाज, प्रकाशक–श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली–110053, प्रथम संस्करण : 2017, पृष्ठ–93 **4.**हिन्दी गद्य उद्भव और विकास (ग), सम्पा. डॉ. प्रवीन भारद्वाज, प्रकाशक–श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली–110053., प्रथम संस्करण : 2017, पृष्ठ–93–94 **5.**हिन्दी गद्य उद्भव और विकास (ग), सम्पा.डॉ.प्रवीन भारद्वाज, प्रकाशक–श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली–110053 ., प्रथम संस्करण : 2017, पृष्ठ–94 **6.** हिन्दी गद्य उद्भव और विकास (ग), सम्पा. डॉ.प्रवीन भारद्वाज, प्रकाशक–श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली–110053., प्रथम संस्करण : 2017, पृष्ठ–95

20.Law relating to Unconventional Trademarks in India

-Dr. Salim Jawed[*] *Mr. Majid Mahboob Khan*[**]
* Assistant Professor (Senior Scale),
Patna Law College, Patna University, Patna
** Research Scholar,
P.G. Department of Law, Patna University, Patna

Introduction - Trademark law is one of the most exciting areas of intellectual property law to research, and it has undergone a lot of changes in recent years. A trademark, to put it another way, is a piece of intellectual property that allows customers to recognise a specific brand, service, or product on the market. It protects the maker or owner of the goods against illegal product imitation, protects consumers' interests, and helps to minimise inadvertent confusion. More traditional marks, such as logos and insignia, as well as photographs and captions, signs, and names, are often protected by trademarks. However, with today's fierce and ever-increasing competition among physical commodity manufacturers, standing out in the commercial sector is becoming increasingly vital. As a result, companies have become more innovative, adopting new non-traditional trademarks to set themselves apart in the marketplace.Non-conventional or non-traditional trademarks are those that do not fall under the usual definition of a trademark and, as a result, can include senses such as a product's feel, smell, colour, form, texture, sound, and taste. Non-traditional trademarks are registered and protected because they have the power to create a specific level of identity in customers' thoughts. The TRIPS agreement governs trademark registration and protection. According to the agreement, a trademark must be able to perform its basic tasks, but it is not necessary to be palpable, visually detectable, or graphically representable to be protected. As a result, the registration of non-traditional trademarks, particularly sound trademarks, has risen in popularity in the United States and the European Union.Only trademarks that are able to distinguish themselves from other things and have the ability to be graphically displayed are eligible for registration under the *Indian Trade Marks Act*, 1999. Non-conventional trademarks have proven difficult to register in the country, owing to the distinctiveness criterion and the incapacity of the brand to be visually displayed, despite the fact that they fulfil the core purpose of a trademark. There's also the possibility that these trademarks will confuse consumers, defeating the purpose of trademarks in the first place. Non-traditional trademarks, on the other hand, are still a relatively new notion in India, and there has been much disagreement over whether they should be called trademarks.

2.Historical Development of Unconventional Trademarks Branding strategies have changed dramatically in recent years as a result of a paradigm shift. Unconventional marks such as colour, shape, smell, and taste have been used by different companies to distinguish their products in the global market to differentiate them from their competitors.[1] Over the course of more than a century, trademark debates and discussions have centred on the protection of non-conventional marks.[2] Despite the fact that non-conventional trademarks have only recently gained legal protection and registration, many well-known brands have been using them for more than a decade. Non-conventional trademarks include, for example, the shape of the Coca-Cola bottle and the blue gift box of the Tiffany company, which help to create a distinct identification among consumers, as well as the pink colour trademark used by Owens Corning Corporation, which was the first non-conventional trademark to be registered.The World Intellectual Property Organization (WIPO) established the Standing Committee on the Law of Trademarks to conduct research on trademarks. The committee examined non-conventional trademarks and divided them into two categories: visual trademarks and non-visual trademarks. Colour, shape, and holograms are examples of visual trademarks, whereas sound, taste, smell, and texture are examples of non-visual trademarks, respectively. Later on, in 1956, it was realised that the definition of trademark provided was extremely broad in scope and nature. The issue was raised for the first time at the Vienna meeting, and then again at the Brussels meeting.[3] The *TRIPS agreement*, which was signed in 1994, sanctioned the beginning of the development of trademark rights. The *TRIPS agreement* provided a broad definition of trademarks, which was based on the nature of the marks that could be considered trademarks. According to the functional definition, trademarks must also perform a specific function in order to be protected, and this function must be distinct from that of other marks. A trademark is defined by

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

Article 15 of the *TRIPS agreement*, which includes a very broad list of what can be considered a trademark. This list includes signs, logos, symbols, letters, and even combinations of colours or signs. When it comes to trademark protection under the TRIPS agreement, unconventional trademarks should be protected as well because they are used as trademarks and also have a distinctive character that will aid in the differentiation of a particular product.Since the nineteenth century, a great deal of solid scholarly work, as well as debates, has been conducted in Europe on the subject of trademark protection for non-conventional goods and services trademarks. During the early twentieth century, an argument was also conducted in Bolivia, in which non-conventional marks such as sound and shape, among other things, were granted protection because they were capable of being represented graphically and had a distinctive character.[4] The registration and protection of non-conventional trademarks has been continuously stirring for the past 20 years, but they still face a number of challenges, particularly in the case of visually imperceptible trademarks like smell, touch, and taste, which can cause a great deal of confusion in the minds of consumers and are also difficult to graphically represent because of the inability of these marks to be represented graphically.

3. Legal Status of Unconventional Trademarks in India In Indian trademark law, the statutory definition of a trademark is the most comprehensive definition available. *Section* 2(1)(zb) of the *Trade Marks Act*, 1999 defines a trademark as "a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others, and which may include the shape of goods, their packaging, and combination of colours," and *Section* 2(1)(m) defines a trademark as "a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging, or combination of colours or any combination "As a result, unconventional trademarks are slowly but steadily making their way into Indian legal precedent.

(i) Sound Trademark: Yahoo Inc.'s three-note yodel[5] and ICICI Bank's corporate jingle,[6] both granted trademark status in 2008 and 2011, are two of the most notable examples of sound marks in India; the former was the first sound trademark granted in India, and the latter was the first sound trademark granted to an Indian entity, both granted in 2008. Britannia Industries' four-note bell sound, Nokia's default ring tone, an MGM film's lion's scream, the musical scene from Raymond: The Complete Man, Edgar Rice Burroughs' Tarzan yell, and the National Stock Exchange's theme tune are just a few instances of sound marks in the country.[7]According to Section 26(5) of the *Trade Marks Rules*, 2017, an MP3 recording of the jingle, chime, or musical composition must be supplied to the Office of the Registrar of Trade Marks in India. This is required by Section 26(5) of the *Trade Marks Rules*, 2017. A graphical representation of the notations must also be included in the programme. The application must mention specifically that the trademark is being sought for a sound, according to the Draft Manual of Trade Marks Practice and Procedure. If this isn't the case, the trademark will be evaluated as if it were for a word during the inspection process.The distinctiveness of the mark, i.e., whether or not the sound has become synonymous with the product or service in the minds of customers, will be the fundamental basis for approval or rejection of the mark, just as it is with traditional trademarks. A musical note may also be used graphically to depict a jingle, chime, musical composition, or other sound effect, according to the draft manual, which clarifies *Section* 26(5) of the *Rules*. In this regard, the Shield Mark doctrine has also been applied in India.

(ii) Colour Trademark: There are two types of colour marks: those that apply to a single colour and those that pertain to a combination of colours.[8] Sections 2(1)(m), 2(1) (zb), and 10(1) of the *Trade Marks Act*, 1999, as well as *Sections* 2(1)(m), 2(1) (zb), and 10(1) of the *Trade Marks Act*, 1999, all refer to colour combinations (m). As a result, Section 26(2) of the *Trade Marks Rules*, 2017 stipulates those applications for trademark registration for a colour combination must include a copy of the mark. The Act, on the other hand, makes no mention of single-color trademark patents. Furthermore, trademarks that are not distinct from one another should not be registered, according to *Section* 9(1)(a) of the *Act*. Colour trademarking is restricted in India because single colours are generally available and widely utilised, making them less distinctive and hence less eligible for trademark protection. In addition, the colour depletion theory is taken into account, which relates to the limited availability of

colours around the world. As a result, it can be inferred that India's law on colour trademarking is vague, and that the judiciary has been given considerable latitude in this regard.[9] Furthermore, it has been highlighted that over the years, courts have frequently issued contradictory or conflicting judgements. As a result, it's impossible to pinpoint the exact location of colour trademarks in India. In *Colgate Palmolive Company* v. *Anchor Health and Beauty Care Pvt. Ltd.*,[10] the Delhi High Court held in 2003 that the defendant was not allowed to utilise the plaintiff's red and white colour scheme in the packaging of their products, and that imitating the colour of another product constituted passing off. The court held four years later in *Cipla Ltd.* v. *MKI Pharmaceuticals*,[11] in which the plaintiff sought an interim injunction prohibiting the defendant from using an orange colour similar to the plaintiffs in the manufacture of their products, that a monopoly on colours could not exist and that copying the colour of another product did not constitute passing off.The Delhi High Court later upheld the *Colgate Palmolive Co.* judgement in *Dabur India Ltd.* v. *Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt. Ltd.*[12] and *Seven Towns Ltd. and Ors.* v. *Kiddiland and Ors.*[13] In *Deere and Company* v. *S. Harcharan Singh and Others*,[14] a similar conclusion was reached. In *Britannia Industries Limited* v. *ITC Ltd.*,[15] the Delhi High Court found that ITC was not entitled to an interim injunction because it failed to prove that the yellow and blue colour combination of ITC’s Sunfeast Farmlite Digestive All Good Biscuit had become a ‘badge of its goodwill’. The court found that single colours could not be trademarked in *Christian Louboutin Sas* v. *Abu Baker and Others*,[16] citing *Sections* 2(1)(m) and 2(1)(zb) of the *Trade Marks Act* to justify its decision. As a result, the court dismissed the claim, concluding that the defendant had not infringed on the plaintiff's trademark, which comprised of a red colour on the soles of females’ footwear.

(iii)Shape Trademark: Shape of goods is recognised as a trademark under *Sections* 2(1)(m) and 2(1) (zb) of the *Trade Marks Act*, 1999, in the same way that colour combination is recognised as a trademark; provided, however, that the shape is distinctive in nature and can be represented graphically. Also included in this section, *Section* 9(3) of the *Act*, which stipulates that the shape of a trademarked good or service must stand out as being unique and not due to the product's inherent characteristics. The Section also specifies that the shape must not be influenced by functional considerations, i.e., it must not be designed in order to achieve a technical outcome. A further requirement of the Section is that the shape should not add any additional value to the good or service to the point where trademarking it would result in a loss in value for manufacturers of similar goods and services. According to the Draft Manual of Trade Marks Practice and Procedure, shape marks and their registration in India have been clarified even further.In their judgements on the use of shape as a trademark, Indian courts have been very consistent. In the case of *Lilly ICOS LLC and Anr.* v. *Maiden Pharmaceuticals Ltd.*,[17] the Delhi High Court ruled in favour of the plaintiff and ordered an injunction against the defendants, alleging that the defendant had deceptively replicated the plaintiff's almond form. In the case of *Gorbatschow Wodka KG* v. *John Distilleries Ltd.*,[18] the Bombay High Court found the plaintiff's vodka bottles to be trademarked and granted them an injunction against the defendants because it agreed with their claim that the shape of their bottle was distinctive in nature and contributed to the goodwill of their product.It's also worth noting that, prior to the current Act’s introduction, the Indian judiciary had already recognised the shape of a trademark as being protected by law. The Delhi High Court found in favour of the plaintiffs in the case of *MRF Ltd.* v. *Metro Tyres Ltd.*,[19] which happened in 1990 and in which the plaintiff sought a permanent injunction barring the defendant from making and distributing tyres with tread patterns similar to their own. Tread patterns identical to those in the current case, the court reasoned, would cause consumer misunderstanding regarding the product's provenance. In the case of *Zippo Manufacturing Company* v. *Anil Moolchandani and Others*,[20] which was decided in 2011, a similar judgement was obtained.

(iv)Other Unconventional Trademarks: Aside from the sound, colour, and shape trademarks listed above, India offers a range of other odd trademarks, including smell, taste, touch, and movement markings, among others. The *Trade Marks Act* of 1999, the *Trade Marks Rules* of 2017 and the *Draft Manual of Trade Mark Practice and Procedure in India* do not protect these marks. Furthermore, while terms like ‘form of goods’ and ‘colour combination’

are included in the *Trade Marks Act's* definition of 'trademark', others like 'smell marks', 'taste marks', 'touch markings', 'movement marks', and so on are not. As a result of the lack of regulation in this field in India, it is difficult to ascertain the actual legal status of these markings in the country at this moment. *Section* 26(1) of the *Trade Marks Rules*, which requires trademarks to be graphically depicted in order to be awarded trademark status, makes it even more difficult to register these marks and acts as an obstacle.[21]

4.Issues related to Non-Conventional Mark

Except for a few judgments involving trade dress protection, Indian courts have seen no significant cases involving the registration of Non-Conventional Marks. Non-Conventional Marks have several issues, including the following:**(i)**Non-Conventional Marks recognition is made more difficult by the absence of clear guidelines. As a result, legislation on Non-Conventional Marks is urgently needed. How far would the law acknowledge Non-Conventional Marks such that it does not become an overreaching limit? Because they lack a written form, sensory markings are difficult to identify. Even in the case of odour and contact marks, this is true. With regards to Non-Conventional Markings, there is a lot of grey area that requires careful consideration to avoid giving the well-known marks an unfair advantage. **(ii)**Non-Conventional Marks are exempt from trademark protection under the TRIPS international treaty on intellectual property rights. As a result, many nations have been debating whether the TRIPS Agreement itself needs to be changed to include Non-Conventional Marks. TRIPs set minimum criteria for all member nations to adhere to, on the other hand. Because of this, there are no TRIPS-free countries. For example, Non-Conventional Marks are included in the legislation of countries like the United States because of this. **(iii)**Another difficulty is the use of graphical representations and criteria for uniqueness or secondary meaning. Smell markings are very challenging here. Writing down the chemical formulae for smell marking can be done, but this becomes more difficult when dealing with high-quality goods. Smell markings are also difficult to record because of storage issues. Smells can be registered in virtual reality by establishing a framework with sensory capabilities to address this issue. To keep the scent indefinitely without the risk of evaporation or distortion is possible.

5.Conclusion-Trademarks assist consumers in recognising the source of a product and, as a result, aid in the development of goodwill, brand image, reputation, and other such attributes. Consumers are more likely to become loyal to a brand if it has a distinctive trademark. In order to differentiate their goods and services from those of competing firms manufacturing and selling similar products, businesses nowadays invest a significant amount of time, money, and effort into making their goods and services stand out from the competition. However, the days when product differentiation could be achieved solely through the use of conventional trademarks are long past us. All of a consumer's senses, including smell, sound, taste, touch, and other physical sensations are now being targeted and utilised by businesses in this regard. The likelihood of trademark infringement, passing off, and other forms of unfair competition will increase in such a situation, which will have a negative impact on businesses. This is where trademarks that are out of the ordinary come into play. Accordingly, there is a paucity of legal jurisprudence in India on the subject of unconventional marks because the concept has not been thoroughly explored. However, despite the fact that the country has several trademark laws and regulations in place, including the trademark Act of 1999, Trade Marks Rules of 2017 and Draft Manual of Trade Marks Practice and Procedure, not all types of unconventional trademarks have received adequate legal acceptance. In addition, when compared to other countries such as the European Union and the United States, the number of unconventional marks that have been registered in India is extremely low. It is highly recommended that India borrows a page from the trademark laws of some of these developed countries and incorporate the necessary provisions into the country's existing legislation. Since the Trademark Act 1999 made it mandatory for trademarks to be able to be represented graphically, there has not been a single instance of sensory trademarks such as smell, taste, and touch being registered in the country. Developing non-visual, nonconventional trademarks in India should be dealt with in accordance with the TRIPS agreement, which states that graphical representation is not considered an impediment to the registration of a trademark if it

passes the test of distinctiveness.22 In order for international brands to sell their products in different jurisdictions without difficulty, there should be a uniform international policy for the registration and protection of non-conventional trademarks.

Reference-(1) Lindstorm Martin, Brand Sense, Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound, Kogan Page Publisher (2005).**(2)**Rachna R. Kurup & Nimita Aksa Pradeep, "Non-Conventional Trademarks in India: The What, The Why and The How", 1(1) E-Journal of Academic Innovation and Research in Intellectual Property Assets 131-148 (2020).**(3)**Tanisha Ranjan, India: Protection of Non-Conventional Trademarks, Fast forward Justice's Law Journal, available at: https://fastforwardjustice.com/india-protection-of-non-conventional-trademarks/. (last visited on 05.04.2022)**(4)**Shikhar Sinha & Kunal Gopal, 'Tracing the Jurisprudence of Smell Marks as a Trademark', 1 HNLU Student Bar Journal 61, 61-69 (2017).**(5)**P. Manoj, Yahoo Awarded India’ s First Sound Mark; Nokia in Queue, Live Mint, Aug. 22, 2008.**(6)**ICICI Secures Rights for Corporate Jingle, The Indian Express, Mar. 12, 2011.**(7)**Labna Kably, 'Jingles and Chimes can make Trademark Noise', The Times of India, Mar. 27, 2017**(8)**Althaaf Marsoof, 'The Registrability of Unconventional in India and Sri Lanka: A Comparative Analysis', 12 Journal of Intellectual Property Rights 497, 497-506 (2007).**(9)**Dev Gangjee, 'Non-Conventional Trade Marks in India', 22 National Law School of India Review 67, 67-96 (2010).**(10)**Colgate Palmolive Co. v. Anchor Health and Beauty Care Pvt. Ltd., (2003) DLT 51**(11)**Cipla Ltd. v. MKI Pharmaceuticals, (2007) (36) PTC 166 Del.**(12)**Dabur India Ltd. v. Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt. Ltd., (2012) (51) PTC 441 (Del).**(13)**Seven Towns Ltd. and Ors. v Kiddiland and Ors., (2016) (68) PTC 308 (Del).**(14)**Deere and Co. and Ors. v. S. Harcharan Singh and Ors., (2015) (63) PTC 433 (Del).**(15)**Britannia Industries Ltd. v. ITC Ltd., 2017 (70) PTC 66 (Del).**(16)**Christian Louboutin Sas v. Abu Baker and Ors., (2018) 250 DLT 475**(17)**Lilly ICOS LLC and Anr. v. Maiden Pharmaceuticals Ltd., 2009 (39) PTC 666 (Del).**(18)**Gorbatschow Wodka KG v. John Distilleries Ltd., 2011 (47) PTC 100 (Bom).**(19)**MRF Ltd. v. Metro Tyres Ltd., 1990 PTC 101.**(20)**Zippo Manufacturing Company v. Anil Moolchandani and Ors., 2011 (48) PTC 390 (Del).**(21)**Neha Mishra, 'Registration of Non-Traditional Trademarks', 13 Journal of Intellectual Property Rights 43, 43-50 (2008).**(22)**Rachna R. Kurup & Nimita Aksa Pradeep, "Non-Conventional Trademarks in India: The What, The Why and The How", 1(1) E-Journal of Academic Innovation and Research in Intellectual Property Assets 131-148 (2020).

21.Electronic Voting Machine And Vvpat An Analytical Study

-Prof. (Dr.) Ashok Kumar Rai
Head & Dean, Department/Faculty Of Law
K.S. Saket Post Graduate College, Ayodhya (U.P.)
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya

Introduction : The world is radically moving towards a governance system where every individual has a voice and all are held accountable. There is simply no shying away from the technology that can be harnessed to achieve a government "of the people, for the people, and by the people". Having successfully used EVMs over the years at such a large scale with little to no error, India is now moving towards becoming a 'techno-democracy'. The reform of its electoral system has been truly innovative and revolutionary in reshaping governance that can be replicated in other democracies.Electronic Voting Machine (also known as EVM) is voting using electronic means to either aid or take care of the chores of casting and counting votes. An EVM is designed with two units: the control unit and the balloting unit. These units are joined together by a cable. The control unit of the EVM is kept with the presiding officer or the polling officer. The balloting unit is kept within the voting compartment for electors to cast their votes. This is done to ensure that the polling officer verifies your identity. With the EVM, instead of issuing a ballot paper, the polling officer will press the Ballot Button which enables the voter to cast their vote. A list of candidates names and/or symbols will be available on the machine with a blue button next to it. The voter can press the button next to the candidate's name they wish to vote for. The slip generated shows serial number, name and symbol of the candidate to whom the vote was cast. With this slip, the voter can verify his casted vote. The slip is displayed for 7 seconds before it automatically cuts.

VVPAT is a machine that prints a paper slip of the candidate's name, serial number and the party's symbol after a voter has cast his vote. To avoid election fraud, it also displays the paper slip for seven seconds for the voters to check if their vote has actually been cast for their chosen candidate. The paper slip then drops down to a locked compartment that only the polling agent can access. A polling agent is appointed by candidates to observe voting.

The passes to these agents are issued by the returning officers.

History of Electronic Voting Machine : In electoral democracies, free and fair elections convert voters' preferences into a political mandate that forms the basis for policymaking. More precise and efficient voting procedures boost the strength of democratic institutions. The literature on democracy and development suggests that enhanced representation—giving the marginalized and vulnerable sections of the society a voice—leads to greater development.

The Electronic Voting Machine (EVM), the replacement of the ballot box is mainstay in the electoral process. First conceived in 1977 in the Election Commission, the Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL), Hyderabad was assigned the task to design and develop it. In 1979 a proto-type was developed, which was demonstrated by the Election Commission before the representatives of political parties on 6th August, 1980. The Bharat Electronic Ltd. (BEL), Bangalore, another public-sector undertaking, was co-opted along with ECIL to manufacture EVMs once a broad consensus was reached on its introduction. First time use of EVMs occurred in the general election in Kerala in May, 1982; however, the absence of a specific law prescribing its use led to the Supreme Court striking down that election. Subsequently, in 1989, the Parliament amended the Representation of the People Act, 1951 to create a provision for the use of EVMs in the elections (chapter 3)•1977: CEC- S. L. Shakdhar talked about introducing an Electronic machine.•1980-81: EVMs developed and demonstrated by ECIL and BEL.•1982-83: EVMs used first time in 50 polling stations of Parur AC in Kerala. And then in 11 Assembly Constituencies: 8 states, 1UT.•1984: SC suspends EVM usage: cannot be used till RP Act is amended.•1988: RP Act amended: enabling use EVMs wef 15.03.1989.•2018: SC dismissed petition asking for return to Ballot papers.

Voter-verifiable paper audit trail : On 8 October 2010 Election Commission appointed an expert technical committee headed by Prof. P. V. Indiresan (former Director of IIT-M) when at an all-party meeting majority of political parties backed the proposal to have a VVPAT in EVMs to counter the charges of tampering. The committee was tasked to examine the possibility of introduction of a paper trail so that voters can get a printout that will show symbol of the party to which the vote was cast. After studying the issue, the committee recommended introduction of VVPAT system.

Subramanian Swamy vs Election Commission of India 2013: The use of the old M-2 EVMs without VVPAT is in contravention of the express directions issued by the Supreme Court in Subramanian Swamy vs Election Commission of India. This case emphatically recognised that the incorporation and implementation of a system of paper trail in EVMs is an indispensable requirement of free and fair elections. Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) is an independent system attached with the Electronic Voting Machines (EVM) that allows the voters to verify that their votes are cast as intended. Serial numbers, names of candidates and symbols allotted to them are loaded in the VVPAT unit with the help of engineers of the manufacturer. When a vote is cast, a slip is printed containing the serial number, name and symbol of the candidate and remains exposed through a transparent window for 7 seconds. Thereafter, this printed slip automatically gets cut and falls in the sealed drop box of the VVPAT.

Constitutional Provisions : Article 324: Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission.Article 325: No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special electoral roll on ground of religion, race, caste or sex.Article 326: Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.Article 327: Power of Parliament to make provision with respect to elections to legislature.Article 328: Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.Article 329: Bar to interference by courts in electoral matters.

National Legal Mechanism of Electronic Voting Machine:(A) The Representative of the People Act, 1951 (B) The Conduct of Election Rules, 1961 (C) Information and Technology Act, 2002 (D) Indian Evidence Act. 1872. The Congress candidate was defeated by a razor-thin margin of 123 by Pillai. He challenged the election of his rival in the Kerala High Court, arguing that **the Representation of the People Act, 1951** and the **Conduct of Elections Rules, 1961** did not empower the Election Commission to use EVMs. The High Court refused

his plea. But on an appeal, the Supreme Court in 1984 ordered a re-poll. According to the Supreme Court, the Election Commission should have conducted the poll by ballot papers as prescribed by the then existing provisions of the Representation of the People Act, 1951 and the Conduct of Election Rules, 1961. It held that the **Commission could not ''innovate a new method"**.

In 1992, Parliament inserted **Section 61A** in the Act and rules validating the use of the EVM and paving way for their use in elections. The EC started using EVMs widely since 1998. **Section 61 A of the Representation of the Peoples Act 1951 allows the use of EVMs by ECI**. Following the direction of the Hon'ble Supreme Court, the ECI has introduced the technology of VVPAT in order to ensure **public verifiability**. Thus there will be 100% **voter verifiability and auditability** of every vote cast as opposed to lack of such facility in the NEDAP machines, which was struck down by the German Supreme Court as un-Constitutional, whereas Indian Supreme Court has upheld the validity of use of EVM for conducting elections in the country.

International Legal Aspect of Relating to Electronic Voting Machine : According to the Court, elections in democratic Germany necessarily require to be public in nature. It should enhance the possibility of public scrutiny and not diminish it. It was held. "Each citizen must be able to comprehend and verify the central steps in the elections reliably and without any special prior technical knowledge. The principle of the public nature of elections requires that all essential steps in elections are subject to public examinability." The German Court struck down the use of EVMs as unconstitutional. Thus, for all effective purposes, it ended our deployment in Germany. Japan, like Germany, is one of the most technologically advanced countries in the world. These countries have reverted to the ballots.

Indian Judicial View on the Electronic Voting Machine : EVM and electronic voting have been the subject of numerous court cases in Indian courts including the Supreme Court of India. The first case was filed in the 1980s even before EVMs were used in any election. The **AC Jose vs. Sivan Pillai** case was a case seeking a stay order on the use of EVMs for Kerala election. The case was reviewed by the Supreme Court. It ruled on March 5, 1984, that the extant laws of India – in particular, Sections 59–61 of the Representation of People Act 1951 – specified paper ballots and it, therefore, forbade the use of any other technology including electronic voting. And it was used in 1982 in Kerala for a limited number of polling stations. The EVMs were first time used on an experimental basis in selected constituencies of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Delhi. The Court stated that the use of an alternate technology would require the Indian parliament to amend the law. In the 2002 ruling on the **J. Jayalalithaa and Ors vs. Election Commission of India** case, the Supreme Court of India stated that the use of EVMs in elections was constitutionally valid **All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam vs. Chief Election Commissioner & Anr:** Validity of Section 61(A) of the R.P. Act, 1951, as challenged in A.C. Jose Vs. Sivan Pillai and others 1984 (3) SCR 74, was questioned in the petiton but the Supreme Court held that High Court of Madras was right to uphold the validity of said section. It also observed that Articles 326 and 327 cannot be so interpreted as to enable the taking away the jurisdiction or to abridge the powers of the Election Commission under Act 324. The SLP was dismissed.

Conclusion and Suggestion : Kannan Gopinathan, the young IAS officer who quit civil service in August over lack of freedom and expression, pointing out the vulnerabilities in the voter-verified paper audit trail (VVPAT). In a series of tweets, he alleged that the EVMs have been compromised with the introduction of the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) units. Former chief election commissioner T.S. Krishnamurthy said, "If the information is not comprising the inherent security mechanism of the system, the ECI can certainly clarify these issues to satisfy the public and political parties."

Another former chief election commissioner N. Gopalaswami said "It has not convincingly been proven anywhere that the machine can be tampered with. It is all in the realm of imagination. If for every imagination, the election commission has to answer, they will not be able to conduct elections and will keep answering all these imaginary allegations." The ECI has maintained that their EVMs are robust and tamper-proof and even the manufacturers cannot manipulate them at the time of production. Vote integrity should not only be done in a election, but also must be seen to be done. No matter what the results are

forthcoming assembly elections, irrespective of whether the opposition wins in all or many of the state assemblies or not, it is important that the faith in the system is never ever doubted. As Munshi said, the process should be "above suspicion". I am sure all political parties including the ruling party would welcome greater and more transparent scrutiny. For integrity matters to all.

References-1.CEC Sushil Chandra calls EVMs pride of India, says countries eager to know about fast, accurate poll resultshttps://www.aninews.in/news/national/general-news/cec-sushil-chandra-calls-evms-pride-of-india-says-countries-eager-to-know-about-fast-accurate-poll- **2.**Electronic Voting Machine and VVPAT July 2018 Document 2 - Edition3 **3.**The Constitution of India **4.**The Representation of the People act,1951 **5.**CIVIL APPEAL NO.9093 OF 2013 (Arising out of SLP (Civil) No. 13735 of 2012) Dr. Subramanian Swamy .... Appellant(s) Versus Election Commission of India .... Respondent(s) **6.** Madras High CourtAll India Anna Dravida Munnetra ... vs The State Election Commissioner on 12 January, 2007 **7.** Supreme Court of India A. C. Jose vs Sivan Pillai & Ors on 5 March, 1984 Equivalent citations: 1984 AIR 921, 1984 SCR (3) 74 **8.** EC initiates scrutiny after ex-IAS officer’s questions on EVMs https://indianexpress.com/article/india/ec-initiates-scrutiny-after-ex-ias-officers-questions-on-evms-6029720/ via @IndianExpress

22.ग्रामीण विकास में नगरीकरण की भूमिका

–डॉ0प्रवीण कुमार मिश्र
असिस्टेण्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र,
लाल बहादुर शास्त्री स्मा0पी0जी0कालेज, आनन्दनगर–महराजगंज, (उ0प्र0)

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज तथा सहकारी समितियों आदि के माध्यम से ग्रामीण विकास तथा पुनर्निर्माण के सभी प्रयास अपेक्षित मात्रा में सफल सिद्ध नहीं हो सके हैं। विकास के लाभ धनी किसानों तथा अन्य सम्बन्धित वर्गों तक ही सीमित रहे हैं। छोटे किसानों, कृषक मजदूरों, हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा नहीं उठ सका है; यानी गरीबी तथा बेरोजगारी के रेगिस्तान में चन्द नखलिस्तान बनाने में ही हम सफल हो सके है। गाँव के साधारण व्यक्ति के लिए विकास के लाभ आज भी एक मृगमरीचिका हैं। इस बात पर विशेष जोर दिये जाने के बावजूद कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय जनशक्ति को क्रियाशील कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है तथा प्रशासन की भूमिका मात्र एक मार्गदर्शक की भूमिका है, उक्त कार्यक्रम अन्ततः नौकरशाही तौर तरीकों के शिकार हो गये हैं। प्रशासनिक कर्मचारी केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त निर्देशों को बिना हीले हवाले के मानने के लिए बाध्य रहे। उनमें कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की भावना का अभाव रहा। कार्यक्रमों की असफलता का एक कारण यह भी बताया जाता है कि उनका निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। कार्यक्रमों के निर्धारण एवं मूल्यांकन दोनों में ही एकरूपता को आधार मानने की गलती मौजूद रही। आवश्यक जन सहयोग नहीं बढ़ाया जा सका। उक्त कमियों को दूर करने तथा राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से पंचायती राज की स्थापना की गयी, किन्तु दुर्भाग्य से इसका भी वही हाल हुआ जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का हुआ। गाँवों में सामाजिक संघर्ष तथा राजनीतिक दलबन्दी के चलते सामूहिक निर्णय लेना सम्भव नहीं हो सका। पंचायती व्यवस्था से उन्हीं निहित स्वार्थों को बल मिला जो पहले से ही अच्छी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में थे। पंचायती व्यवस्था को हथिया कर उन्होंने अपने क्रियाकलापों के लिए राजनीतिक अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया। सहकारी समितियों के क्षेत्रों में भी यही कहानी दुहरायी गयी। संक्षेप में, ग्रामीण विकास योजनाओं के समस्त प्रयास ऐसे सामाजिक–आर्थिक ढाँचे में फँसकर रह गये हैं जिसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सुझाव रूप में प्रायः यह कहा जाता है कि

ISSN-2454-62 ... Peer Reviewed Journal

जब तक शोषणवादी सामाजिक आर्थिक संस्थाओं और सम्पत्ति सम्बन्धों में परिवर्तन को असरदार नहीं बनाया जाता, ग्रामीण विकास के लाभ केवल सुविधा सम्पन्न वर्ग को ही प्राप्त होंगे।[1] गरीबों तक उनकी पहुँच नहीं हो पायेगी। अतः आवश्यक है कि विकास कार्यक्रमों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं जैसे अशिक्षा, सामाजिक असमानता, भूमि वितरण में असमानता, ऋणग्रस्तता आदि पर पहले चोट की जाए। इस प्रकार की माँग अनेक अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने की है। इसी प्रकार विकास योजनाओं को वितरण–न्याय, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन जोड़े जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

सुझावों की इसी कड़ी में कुलदीप माथुर का कहना है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक सुधारों में नहीं वरन् राजनीतिक क्रियाशीलता में खोजा जाना चाहिए।[2] अर्थात् कुछ ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता है जिनसे कमजोर वर्गों को संगठित कर निहित स्वार्थी की हिस्सेदारी को समाप्त किया जा सके और ग्रामीण यथास्थिति को तोड़ा जा सके। संस्थागत संरचना को भी इस प्रकार का मोड़ देने की आवश्यकता है कि वे स्थानीय स्तर पर पहल करने एवं निर्णय लेने के लिए उपयुक्त हों। इस सबके लिए माथुर के अनुसार एक नयी राजनीतिक रणनीति तथा इच्छाशक्ति की जरूरत है। आपातकाल के दौरान दिए गए इस सुझाव के सन्दर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अनेक कारणों से किसी सरकार द्वारा इस सुझाव पर अमल करना राजनीतिक खतरा लेना है। कोई सत्तारूढ़ दल अपने अस्तित्व की कीमत पर राजनीतिक खतरा लेने के लिए तैयार नहीं होगा। सभी सुझाव सिद्धान्ततः ठीक हैं, मगर उन पर अमल करना तब तक कारगर सिद्ध नहीं होगा जब तक कि उन्हें किसी एकीकृत विकास रणनीति का अंग नहीं बनाया जाता। यही कारण है कि अब तक के सरकारी प्रयास किसी रिलीफ सोसाइटी के दान दक्षिणा की तरह होने के कारण गरीबों का उद्धार करने में असफल रहे हैं।

अतः आवश्यक है कि विकासशील समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को दूरगामी संरचनात्मक परिवर्तन लाने वाली सामाजिक–आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाए। दूसरे शब्दों में इन कार्यक्रमों के दर्शनशास्त्र एवं समाजशास्त्र की हमारी समझ स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि इनके नीति–निर्धारण तथा क्रियान्वयन में आसानी हो। दुर्भाग्य से अब तक के विकास कार्यक्रमों के पीछे किसी स्पष्ट दर्शनशास्त्र का नहीं तो स्पष्ट समाजशास्त्र का अभाव अवश्य है। इसका कारण शायद यही है कि समाजशास्त्रियों को अभी भी सरकारी नीति–निर्धारण में उचित सहभाग नहीं मिल सका है। यह स्थिति एक ओर जहाँ सत्ता में घुसपैठ के लिए शैक्षणिक राजनीति की देन है वहीं दूसरी ओर इस बात की भी सूचक है कि समाजशास्त्रियों को अपनी पहचान अधिक ठोस एवं प्रामाणिक बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण पुर्ननिर्माण योजनाओं के पीछे समाजशास्त्रीय दृष्टि के अभाव का एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि इनमें शहर एवं गाँव की परस्पर निर्भरता एवं सम्बन्ध को कोई महत्व नहीं दिया गया है। निकट एवं दूर के नगरों से भारतीय गाँव किस प्रकार जुड़े हैं, कौन–सी प्रक्रियाएँ गाँव–शहर के सम्बन्धों के पीछे काम कर रही है और इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है? इन सबकी न तो गहरी छानबीन की गयी है, और न ही उन्हें विकास योजनाओं की रणनीति का अंग बनाया गया है। यह कार्यक्रम गांव एवं शहर के कठोर भेद को मात्र विश्लेषण की सुविधा न मानकर यथार्थ मानकर बनाये गए हैं। दूसरे शब्दों में, गाँव को प्रायः एक स्थिर आत्मनिर्भर इकाई के रूप में ही चित्रित किया गया है। विकास कार्यक्रम भी तद्नुरूप ही बनाये गए हैं। यह मात्र आकस्मिक घटना नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों तक जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, नातेदारी आदि को लेकर होनेवाले अधिकांश ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन इसी स्थिर धारणा पर आधारित रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि ग्रामीण जीवन के गतिविज्ञान को समझ कर ही विकास एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का निर्धारण हो। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण विकास एवं पुर्ननिर्माण कार्यक्रमों को सामाजिक–आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की किसी व्यापक प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है जिसके सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त संस्थात्मक परिवर्तन की दृष्टि से दूरगामी परिणाम हो ? प्रश्न का उत्तर है "हां"। और वह प्रक्रिया हो सकती हैः नगरीकरण। यद्यपि यह बात विरोधभासी लग सकती है। क्योंकि पश्चिमी मानकों की दृष्टि से भारत सहित अधिकांश एशियायी देश 'अति–नगरीकृत' माने जाते हैं। इसका कारण है नगरीकरण की वे अधिकांश परिभाषाएं जो नगरीकरण को महानगरीय वृद्धि तथा नगरवाद का पर्याय मानती हैं। कहना न होगा कि विकासशील देशों के सन्दर्भ में नगरीकरण को इन पश्चिमी पूर्वाग्रहों से मुक्त करके परिभाषित करने की आवश्यकता है।

नगरीकरण सामाजिक–आर्थिक विकास तथा आधुनिकीकरण का एक जीवंत तत्व है। अनेक अध्ययन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक मूलभूत परिवर्त्य के रूप में नगरीकरण के समाजशास्त्रीय महत्व को स्वीकार करते हैं। इस बात प्रोफेसर डेनियल लर्नर द्वारा प्रस्तुत मध्यपूर्व देशों का

प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार बढ़ते हुए नगरीकरण से साक्षरता की दर में वृद्धि होती है, साक्षरता संचार प्रभाव अन्ततः आर्थिक सहभाग या प्रति व्यक्ति आय एवं राजनीतिक सहभाग या मतदान को प्रभावित करता है।[3] भारत में सामाजिक परिवर्तन में नगरीकरण को भूमिका के सन्दर्भ में कुछ अर्न्तष्टिपूर्ण अध्ययन हुए हैं। डी0एन0 मजूमदार का अध्ययन 'कास्ट एण्ड कम्यूनिकेशन इन एन इण्डियन विपेज' ग्रामीण–नगरी–बाजार सम्पर्कों को रेखांकित करते हैं।[4] बेली ने अपने शोधकार्य में उड़ीसा के एक गांव के अध्ययन में राजनीतिक प्रशासन तथा व्यापारिक अर्थव्यस्था के आगमन से होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है।[5] पारम्परिक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से पारम्परिक हस्तकला कौशल का पतन तथा व्यापारियों तथा विचौलियों का बढ़ता महत्व एम0एस0ए0राव के अध्ययन का विषय है।[6] कैथलीन गफ ने अपने निबन्ध 'एक तंजोर गांव की एक सामाजिक संरचना' में दर्शाया है कि किस प्रकार कुम्बापेट्टि गांव सामंतवादी अर्थव्यवस्था से आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए संक्रमण कालीन अवस्था से गुजर रहा है और बाहरी दुनिया से परिचित हो रहा है।[7] रिचर्ड डी0 लैम्बर्ट के अनुसार यह और इस प्रकार के अध्ययन सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक सरचना में होने वाले परिवर्तनों को ही प्रतिविम्बित करते है। इन अध्ययनों को ग्रामीण सन्दर्भ में नगरीकरण के प्रकार्यों का अध्ययन नहीं माना जा सकता।[8] यह तर्क काफी हद तक सही प्रतीत होता है। नगर–ग्राम सम्पर्क को लेकर जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं उनमें फिज–विलेज अध्ययनों की अधिकता दिखाई देती है। इनमें कुछ उल्लेखनीय हैः चापेकर[9], कापड़िया[10], देसाई[11], आचार्य[12], घुरिये[13], सोमजी[14], राव[15] आदि के अध्ययन।

ग्रामीण विकास तथा आधुनिकीकरण के सन्दर्भ में नगरीकरण की भूमिका को लेकर होने वाले अध्ययन कम ही हैं। एलेफसेन द्वारा बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद एवं बड़ौदा के पृष्ठप्रदेशों पर आधारित लघु अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति सम्बन्धी प्रश्न का समाधान करता है। 'सेक्टर एप्रोच' पर वल देते हुए एलेफसेन का कहना है कि नगर से पृष्ठप्रदेशों की बढ़ती हुयी 'दूरी' बनाम घटती हुयी 'पहुँच' में पहुँच, रेलवे एवं सड़कों के माध्यम से, नगरीकरण के ग्रामीण जीवन पर प्रभाव के सन्दर्भ में सहसम्बन्धात्मक कारक है।[16] भारत में ग्रामीण विकास सम्बन्धी नीतिनिर्धारण के लिए यह तथ्य विचारणीय है। आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण दिल्ली के किसानों का एक अध्ययन नगरीकरण की प्रक्रिया के समाजशास्त्रीय महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से उजागर करता है। नगरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता एवं शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति में सुधार तथा प्रसार अधिकरणों से सम्पर्क आदि को बढ़ाती है। साथ ही कृषि के तरीकों में परिवर्तन, संचार साधनों के उपयोग, राजनीतिक जागरूकता, विश्वचेतना तथा एक हद तक मूल्य–परिवर्तन आदि सभी की गति को नगरीकरण त्वरित करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीकरण का क्या अर्थ है? व्यवहारिक स्तर पर नगरीकरण की गति को किस प्रकार बढ़ाया जाए? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहां इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि वर्तमान समाज में नगरीकरण एवं औद्योगीकरण का सहसम्बन्ध है। अतः आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण का रूप क्या हो, यह विवाद का विषय हो सकता है। भारतीय परिस्थितियों में जहाँ अतिरिक्त श्रम अधिक है, छोटे उद्योग खोलने की स्पष्ट आवश्यकता है। बड़े उद्योगों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जा सकता है। जो हो, औद्योगीकरण का उद्देश्य बेरोजगारी कम करना होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगीकरण बढ़ाने से कृषि एवं सम्बन्धित उद्योग का भी आधुनिकीकरण सम्भव हो सकेगा जिससे भूमि पर दबाव कम होगा, कृषि उत्पादन तथा आय बढ़ सकेगी। औद्योगीकरण नगरीकरण की प्रक्रिया तेज करने, छोटे उद्योगों को विकसित करने तथा औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जिलों में 'जिला उद्योग केन्द्र' की स्थापना एक उचित कदम है। यदि इन केन्द्रों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो और भी अच्छा है। औद्योगीकरण–नगरीकरण में सहायक एक अन्य व्यवहारिक कदम होगा यातायात तथा संचार सुविधाओं का विकास। विशेष रूप से दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधाएं को वरीयता दी जानी चाहिए। 'काम के लिए अन्य कार्यक्रम' बड़े पैमाने पर लागू करके न केवल यातायात तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है बल्कि काफी समय तक बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सकता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निरक्षरता एवं अशिक्षा विकास कार्यक्रमों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इनके उन्मूलन को भी प्राथमिक देने की आवश्यकता है। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम राजनीतिक दलों को सौंपने के बजाय शिक्षा संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। इनमें विश्वविद्यालय भी सहभाग कर सकते हैं।

विकास कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय क्षेत्रीय विषमताओं और विशेषताओं को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए संसाधनों का व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। इससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास

योजनाओं की अन्तर्वस्तु को निश्चित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास योजनाओं को सार्थक दिशा प्रदान की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–1.पी0सी0 जोशी, 'सोशल डायमैनसन्स आफ द प्राब्लम अफ पावर्टी', ए0जे0 फौन्सिका (सम्पा0) 'चैलेन्ज आफ पावर्टी इन इन्डिया' में विकास पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1971, पृ0 105–111। **2.**कुलदीप माथुर, 'रुरल डिवलवमेन्ट प्लैन्स : प्राब्लम्स डिमैन्ड पोलिटिकल आनसर्स', द टाइम्स आफ इन्डिया, मार्च, 4, 1976। **3.**डेनियल लर्नर, द पासिंग आफ ट्रेडीशनल सोसायटी, फ्री प्रेस, ग्लेनको, 1963। **4.**डी0एन0 मजूमदार, कास्ट एण्ड कम्यूनीकेशन इन एन इन्डियन विलेज, एशिया पब्लिशिंग, बम्बई, 1958। **5.**एफ0जी0 बेली, कास्ट एण्ड इकोनोमिक फ्रन्टियर, द यूनीवर्सिटी प्रेस मैनचेस्टर, 1957। **6.**एम0एस0ए0 राव, सोशल चेन्ज इन मलबार, पापुलर बुक डिपो, बम्बई, 1957। **7.**कैथलीन गौग, 'द सोशल स्ट्रक्चर आफ ए तंजौर विपेज', मैकिम मेरियट द्वारा सम्पा0 ग्रंथ विलेज इंडिया में। **8.**रिचर्ड डी0 लैम्बर्ट, 'अर्बन सोसायटी एण्ड द विपेज', राय टर्नर द्वारा सम्पा0 ग्रंथ इन्डियाज अर्बन फ्यूचर में, यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले, 1962 पृ0 126। **9.**एन0जी0 चापेकर, 'सोशल चेन्ज इन रूरल महाराष्ट्र', के0एम0 कापड़िया द्वारा सम्पा0 ग्रंथ, प्रो0 जी0एस0 घुरिये फैलिसिटेशन वाल्यूम, बम्बई, 1954, पृ0 169–182 में। **10.**के0एम0 कापड़िया, 'रूरल फेमिली पैटर्न्स', सोशियोलोजिकल बुलेटिन, 5, सितम्बर 1956, पृ0 111–126। **11.**आई0पी0 देसाई, 'द ज्वाइन्ट फैमिली इन इंडिया', एन ऐनैलिसिस, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 5, सितम्बर 1956, पृ0 144–156। **12.**हेमलता आचार्य, 'अर्बनाइजिंग रोल आफ ए वन–लैक सिटी', सोशियोलोजिकल बुलेटिन, जिल्द5, संख्या 2, 1956, पृ0 89–101। **13.**जी0एस0 घुरिये, ऐनेटोमी आफ ए अर्बन सिटी, बम्बई, 1963। **14.**एम0एच0 सोमजी (सम्पा0), पालिटिक्स आफ ए पेरीअर्बन कम्यूनिटी इन इन्डिया, बम्बई, 1965। **15.**एम0एस0ए0 राव, अर्बनाईजेशन एण्ड सोशल चेन्ज, ओरियन्ट लॉगमैन्स, नई दिल्ली, 1970। **16.**आर0ए0 अलैफसेन, 'सिटी–हिण्टरलैण्ड रिलेशनशिप इन इन्डिया विट् स्पेशल रेफरैन्स टू बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद एण्ड बड़ोदरा', राय टर्नर द्वारा सम्पा0 ग्रंथ इन्डियाज अर्बन फ्यूचर में, यूनीवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले, 1962। **17.**सुमति मुले तथा जी0एल0 रे, टुवर्डस मार्डनाइजेशन ए स्टडी आफ पीजेन्ट्री इन रूरल दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1973।

23.कंकाल: सामाजिक यथार्थ का चित्रण

–संजना खारी

K 134, करावल नगर, शास्त्री गली–10,क्रांति कृष्ण चौक, दिल्ली

"साहित्य का मुख्य सरोकार होता है–मनुष्य का सामाजिक जगत, उस जगत के प्रति उसकी अनुकूलता और उसे बदलने की इच्छा। उपन्यास औद्योगिक समाज की प्रमुख साहित्यिक विधा है। अतः उसमें परिवार, राजनीति तथा शासन के साथ मनुष्य के संबंधों के सामाजिक जगत के पुनःसृजन का ईमानदार प्रयास दिखाई पड़ता है। उसमें परिवार एवं अन्य संस्थाओं के भीतर उसकी भूमिका के साथ विभिन्न समुदायों और सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष और तनाव का चित्रण भी किया जाता है।" निःसंदेह निर्मला जैन की यें पंक्तियां साहित्य और उपन्यास की उपादेयता को वर्णित करती हैं। बेशक साहित्य समाज का आईना होता है। जिसमें समाज के यथार्थ को काल्पनिक और वास्तविक पात्रों के माध्यम से लेखक उपन्यास में दिखाता है। उपन्यास में समाज के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को लेखक पाठक के समक्ष रखता है। पात्रों की जीवंतता के साथ वह अपने लेखन को भी जीवंत कर देता है।

सन् 1929 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का उपन्यास 'कंकाल' अपनी कथावस्तु में तत्कालीन समाज के भीतरी यथार्थ और समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को बखूबी उद्घाटित करता है। कंकाल का अर्थ होता है– 'अस्थि–पंजर का ढांचा'। ऊपर से स्वर्णिम दिखाई देने वाला भारतीय समाज और इसकी सभी संस्थायें एक कंकाल ही तो हैं। उपन्यास में प्रसाद इसी बात को दिखाते हैं। स्थान है प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा और वृन्दावन के आसपास का क्षेत्र। प्रसाद कंकाल में उच्च सामाजिक वर्ग और धर्म गुरुओं के पाखंड की वास्तविक स्थिति का पर्दाफाश कर यह बताते हैं कि समाज जिन्हें पूजता है, वे भीतर से कितने खोखले अर्थात् कंकाल स्वरूप हैं और इसके विपरीत उन सामाजिक चरित्रों में भी गरिमा हो सकती है जिन्हें नीच और हीन कहकर ठुकराया जाता है। यही बात प्रसाद की आलोचनात्मक कृति 'काव्यकला तथा अन्य निबंध' की इन पंक्तियों से समझी जा सकती है– "साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति क्या है? इसको दिखाते हुए उसमें आदर्शवाद का सामंजस्य स्थिर करता है।"2. कंकाल एक सामाजिक व्यंग्य है जो समाज की विकृतियों, कमजोरियों, सामाजिक मूल्यों की कृत्रिमता को अनावृत करता है। इसमें वे विवाह संस्था की पोल खोलते हैं। जहां सच्चे प्रेम को जाति से परे रखा है। प्रयाग, काशी, वृंदावन और मथुरा जैसे तीर्थ स्थानों

में होने वाले पाप को लेखक ने खोल कर रख दिया है। उपन्यास का पुरुष पात्र विजय धर्म नायकों से प्रश्न पूछता है कि–'क्यों हिंदू होना परम सौभाग्य की बात है? जब उस समाज का अधिकांश पद दलित और दुर्दशाग्रस्त है। जब इसके अभिमान और गौरव की वस्तु धरापृष्ठ पर नहीं बची उसकी संस्कृति विडंबना, उसकी संस्था सारहीन और राष्ट्र बौद्धों के शून्य के सदृश बन गया है, जब संसार की अन्य जातियां सार्वजनिक भ्रातृत्व और साम्यवाद को लेकर खड़ी है तब आपके इन खिलौनों से भला उसकी संतुष्टि होगी?'3.

प्रसाद ने सच्चे प्रेम का समर्थन व्यक्ति स्वातंत्र्य के संदर्भ में ही किया है और तत्कालीन समाज में विवाह संस्था की पोल खोली है। उपन्यास का नायक विजय घंटी (बाल–विधवा) से कहता है– "जो कहते हैं कि अविवाहित जीवन पाशव है। उच्छृंखल है, वे भ्रांत है। हृदय का सम्मिलन ही तो ब्याह है। मैं सर्वस्व तुम्हें अर्पण करता हूं और तुम मुझे, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता क्यों– मंत्रों का महत्व कितना? मैं स्वतंत्र प्रेम की सत्ता स्वीकार करता हूं समाज न करें तो क्या?' 4. विजय भी घंटी से प्रेम करता है पर वह विवाह की बात स्वीकार नहीं करना चाहता। वह विवाह संस्था को नकारता है। डॉ. शिवनारायण श्रीवास्तव अपनी पुस्तक 'हिंदी उपन्यास' में कहते हैं– "व्यक्ति की स्वतंत्रता की पुकार ही 'कंकाल' की पुकार है।" 5.समाज की विकृतियों और विडंबनाओं के मूल में वस्तुतः मानव की कमजोरियां ही वर्तमान रहती है। क्योंकि समाज मानव का ही समग्र रूप, व्यष्टि का समष्टि रूप है और उसकी रूढ परम्पराएं कालक्रम से सुधर गई व्यक्ति मानव की ही दुर्बलताएँ हैं। कंकाल में व्यक्ति की इन कमजोरियों पर व्यंग्य किया है जहाँ उपन्यास के अन्य पुरुष पात्र मंगल और देव निरंजन के व्यक्तित्व के माध्यम से व्यक्त हुआ। मंगल तारा को गर्भिणी अवस्था में मंडप में सिर्फ इसलिए छोड़ आता है कि उसकी माँ के अपराध का वह फल थी। वह कहता है– " लोकापवाद संसार का एक भय है। एक महान अत्याचार है। आप लोग जानते होंगे कि श्रीरामचन्द्र ने भी लोकापवाद के सामने सिर झुका लिया।... सीता – निवार्सन एक इतिहास विश्रुत महान सामाजिक अत्याचार है और ऐसे अत्याचार अपनी दुर्बल संगिनी स्त्रियों के साथ प्रत्येक जाति के पुरुषों ने किया है ... यह भ्रांत मनोवृत्ति अनेक सामाजिक व्यवस्था के भीतर काम कर रही है। 6." यहां प्रसाद ने पत्रों में दोहरी मानसिकता का उदाहरण दिया है मंगल जहाँ लोकापवाद को " भ्रांत मनोवृत्ति " कहता है वहीं वह तारा को लोकापवाद के भय से ही छोड़कर चला जाता है। वही देव निरंजन जो प्रयाग के मेले का सबसे बड़ा महात्मा देव है वह किशोरी के संसर्ग से विजय को और रमा के संसर्ग से तारा को उत्पन्न करता है। परितत्प निरंजन के शब्द ही पाखण्ड पूजा की धारणा के कितने विरुद्ध है– "पुण्य का सैकड़ों मन धातु निर्मित घण्टा बजाकर जो लोग अपनी ओर संसार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं , वे यह नहीं जानते कि बहुत समीप अपने हृदय तक (भी) वह भीषण शब्द नहीं पहुँचता।"7. समाज में व्याप्त पाखण्ड और बाह्याडंबरों पर प्रसाद सीधा व्यंग्य करते हैं जब विजय के घर गरीब लोगों के लिए भोज का आयोजन होता है तो एक भिखारिन को झूठे पत्तलों के सिवा कुछ नहीं मिलता। जहाँ पुण्य और भोज के साथ 'भूख' भी केवल अमीरों के लिए है। यथा– "मालकिन झरोखे से अपने पुण्य का यह उत्सव देख रही थी और देख रही की थकी हुई भूखी दुर्बल युवती थी। उसी भूख की , जिससे वह स्वयं आशक्त हो रही थी। यह विभत्स लीला थी। वह सोच रही थी– क्या संसार भर में पेट की ज्वाला, मनुष्य और पशुओं को एक ही समान सताती है ? ये भी मनुष्य है उसी धार्मिक भारत के ... जो धर्म के नाम पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं , उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है। यह पत्तलों के लूटने का दृश्य बतला रहा है। भगवान! तुम अंतर्यामी हो।"8.

जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य में सर्वत्र नारी को प्रतिष्ठा दी है। उनके अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी (समस्या नाटक प्रवर्तन) में रामगुप्त जैसे क्लीव पति से मुक्ति दिलाना और नाटक में विवाह समस्या को दिखाते हुए रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त का ध्रुवस्वामिनी द्वारा परिणय स्वीकार कराना तत्कालीन समाज को जयशंकर प्रसाद ने नया संदेश दिया कि नारी को 'स्व'(इच्छा) के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हिंदू समाज की मूल समस्या वर्णभेद , छूत–अछूत , तर्कातीत रूढ़ियों और स्त्रियों के प्रति अविचार है जिसके कारण समाज उन्नति नहीं कर पाता। कंकाल उपन्यास में भी समाज में नारी पात्रों के साथ समस्याएं है जैसे तारा(अस्पृश्यता), घंटी(बालविवाह और बालविधवा), किशोरी (पति परित्यकता)। इन पात्रों के साथ ये समस्याएं समाज में व्याप्त रूढ़ी, अंधविश्वास के कारण होती हैं जहां 'भारत संघ' नामक संस्था जो मंगल और उसे साथियों द्वारा स्थापित हुई इसकी कल्पना इसी कारण प्रसाद करते हैं ताकि समाज की मनोदृष्टि बदली जा सके। जिसका उद्देश्य स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु, वर्णभेद से परे एक नवीन हिंदू जाति का संगठन करना, नीच और पतित समझे जाने वाले मनुष्यों को मानवता के नाम पर गले लगाना , स्त्रियों को सम्मान देना क्योंकि "सामाजिक परिवर्तन तो साहित्यिक परिवर्तनों की पहचान कराते ही हैं, साहित्य में भी यह शक्ति होती है कि सामाजिक चेतना को प्रेरित और प्रभावित करे।"9. उपन्यास कंकाल तत्कालीन समाज में व्याप्त समस्याओं के साथ उसका निदान भी अंत में 'भारत संघ' संस्था द्वारा सुझाया जाता है। जो समाज सुधार और जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई। लेकिन प्रसाद उसका सुधार देख पाए हैं तो व्यक्ति में जिसे उन्होंने स्वामी जी के शब्दों में कहलवाया है– "मुझे व्यक्तिगत पवित्रता के उद्योग में विश्वास है।"10. देव निरंजन के अनुरोध पर भी स्वामी जी कहते हैं–"संस्थाएं विकृत हो जाती हैं व्यक्तियों के स्वार्थ उसे कलुषित कर देते हैं। "11.

कंकाल में तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति का भी रूप देखने को मिलता है। तीर्थ स्थान कैसे स्त्री के लिए अभिशाप बन जाता है यह तारा के द्वारा समझा जा सकता है। "तुम्हारे सामने जिस दुष्टा ने मुझे फँसाया था, वह स्त्रियों का व्यापार करने वाली एक संस्था की

कुटनी थी। मुझे ले जाकर उन सबों ने एक घर में रखा, जिसमें मेरी ही जैसी कई अभागिनें थीं, परंतु उनमें सब मेरी जैसी रोनेवाली न थीं। बहुत–सी स्वेच्छा से आयी थीं और कितनी ही कलंक लगने पर अपने घरवालों से ही मेले में छोड़ दी गयी थीं"। 12. कलंक लगने का अर्थ स्त्री की यौन शुचिता खत्म हो जाना है। भारतीय पैतृक समाज में विवाह पूर्व संबंध बनाने की मनाही है। मंगल कहता है।"यह स्त्री कुचरियों के फेर में पड़ गयी थी; परन्तु इसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं पड़ा"। 13. स्त्री की पवित्रता उसकी देह से संबंधित है। तारा वेश्यालय में रही इसलिये अब वह घर में रखने योग्य नहीं है। उपन्यास की यह घटना भारतीय समाज के यथार्थ को बताती है। यहाँ अनेक स्त्रियाँ समाज के नियमों के कारण वेश्यावृत्ति में लिप्त होती हैं। भारतीय समाज में बाल–विवाह की प्रथा काफी पुरानी है। यहाँ बच्चों को नासमझी की आयु में ब्याह दिया जाता है। बाल–विवाह का दुष्परिणाम बाल–विधवा है। जो लड़की संसार को जानती तक नहीं वही विधवा होकर उसके कठोर नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाती है। कंकाल में घंटी एक बाल–विधवा है। वह समाज के कारण भले ही अपनी भावनाओं को दबाये पर उसकी भावनाएं मरती नहीं हैं। घंटी ब्रज में अपनी चंचल मनोवृत्ति के कारण कुख्यात हुई। घंटी जैसी बाल–विधवा को कुरीतियों से भरे भारतीय समाज में कहीं आशय नहीं था। वह कभी भीख माँगती है तो कभी विभिन्न पुरुषों के आशय में रहती है। उसका कोई नहीं है पर वह सबकी सम्पत्ति बन जाती है। कंकाल में तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव के फलस्वरूप विधवा के पुनर्विवाह के प्रश्न को उठाया गया है।

विजय जिसे आरंभ से ही ईश्वर की पूजा के विरुद्ध दिखाया जाता है। वही अंत तक आते–आते उसी ईश्वर को याद करता है–"उसकी धड़कन बढ़ गई वह तिलमिला कर देखने लगा अन्तिम सांस में कोई आंसू बहाने वाला ना था, यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई उसने मन ही मन कहा– "इस अंतिम घड़ी में भगवान ! मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ। आज तक कभी नहीं किया था। इस नास्तिक का समर्पण स्वीकार करो। अन्यायों के नाथ तुम्हारी जय हो उसी क्षण उसके हृदय की गति बंद हो गई।" 14. विजय के इस रुदन का कारण तारा होती है जब उसे यह पता चलता है कि जिससे वह आकर्षित होता है वह उसकी बहन है। तब उसके मानसिक ताप को पाप की मुक्ति प्राप्त करा देने वाली भगवत कृपा के प्रति आस्था प्रकट करने के अलावा कोई और उपाय नहीं रहता। जहाँ समाज के नियमों बंधनों के तहत वह तारा को स्वीकार नहीं कर पाता। प्रसाद ने कंकाल उपन्यास में सभी पात्रों को जारज संताने दिखाया है। कथा के आरंभ में सभी पात्रों की विचारधारा अंत तक आते–आते बदल जाती है। कथा का कलेवर अनेक घटनाओं को अपने में बांधे हैं। जहां मंगल, विजय, तारा और घंटी को अंत में आकर अपने वास्तविक माता–पिता के बारे में पता चल जाता है। इस प्रकार उपन्यास के अंत में "विजय का कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाना दरअसल भारतीय समाज का कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाना है। यह भारतीय समाज का खोखलापन सामने रखता है।" 15.

अंततः कंकाल उपन्यास समाज में व्याप्त विकृतियों कमजोरियों को पाठक के समक्ष रखता है। इस उपन्यास में शोषण को बढ़ावा देने वाली धार्मिकता के प्रति विद्रोह नज़र आता है। दरअसल प्रसाद कंकाल के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें सभी इकाइयाँ स्वतंत्र हो और प्रत्येक दायित्व का वहन मनुष्य स्वयं कर सके। कंकाल में अंत तक भी किसी भी पात्र की नैतिकता का निर्वाह नहीं हो सका है। जहाँ कंकाल पाठक के सामने सामाजिक विसंगतियों का एक भयावह रूप खड़ा कर देता है। उपन्यास का अंत भी विजय के शरीर का कंकाल में परिणत हो जाना ही है। लेखक यहां बताना चाहता है कि यह कंकाल मात्र विजय के शरीर का नहीं है वास्तव में समाज में जो धार्मिक आडम्बर और विसंगतियों ने जो पैठ बनाई उसका है। जिस प्रकार मनुष्य का कंकाल ऊपरी तौर पर माँस से ढका है उसी प्रकार समाज की विकृतियों को दिखाकर प्रसाद ने समाज के भीतरी सच को 'कंकाल' नाम देकर उसके आंतरिक रूप को बाहर उजागर किया है। कहा जा सकता है– "कंकाल 'प्रसाद' की तीव्र अनुभूति और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रतीक है।"16.

संदर्भ ग्रंथ सूची–1.निर्मला जैन– साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन, पृष्ठ–26, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्विद्यालय प्रकाशन–1986 **2**.जयशंकर प्रसाद–काव्यकाला तथा अन्य निबंध, पृष्ठ–42 **3**.जयशंकर प्रसाद– कंकाल, पृष्ठ–17, सन्मार्ग प्रकाशन, सन् 1999 **4**.उपरिवत्, पृष्ठ–162 **5**.डॉ.शिवनारायण श्रीवास्तव–हिंदी उपन्यास, पृष्ठ–121 **6**.कंकाल, पृष्ठ–260–261 **7**.कंकाल, पृष्ठ–62 **8**. कंकाल, पृष्ठ–63 **9**.निर्मला जैन–साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन, भूमिका पृष्ठ–11 **10**.कंकाल, पृष्ठ–63 **11**.उपरिवत्–पृष्ठ–223 **12**. उपरिवत्–पृष्ठ–23 **13**.उपरिवत्–पृष्ठ–24 **14**.उपरिवत्–पृष्ठ–273 **15**. गिरीश रस्तोगी, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव–प्रसाद का कथा साहित्य, पृष्ठ– 74, मैकमिलन पब्लिकेशन **16**.सूर्यप्रसाद प्रसाद दीक्षित–प्रसाद का गद्य , पृष्ठ– 56, राधाकृष्ण प्रकाशन, प्रकाशन 1968

24.उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में बदलते जीवन मूल्य (ममता कालिया के उपन्यास 'दौड़' के संदर्भ में)

–ज्योति ढींगरा
शोधार्थी (पीएच.डी, दिल्ली विश्वविद्यालय)

बीसवीं सदी का अंतिम दशक परिवर्तन का एक नया अध्याय लेकर आया। परिवर्तन समय की मांग है जिसके तहत समाज स्वचालित होता है ।यह परिवर्तन भूमंडलीकरण के सांचे में ढलकर बाजारवाद, निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, नगरीकरण तथा उपभोक्ता संस्कृति के रुप में विकसित हुआ, जिसने समाज की हर वस्तु को 'उपभोग' की दृष्टि से देखने का भौतिक नजरिया निर्मित किया है। इस नजरिये ने मनुष्य की संवेदनाओं का भी मशीनीकरण कर दिया। मनुष्य उपभोक्तावादी संसार के मायावी व्यूह में धसता चला गया। पूरी दुनिया उपभोक्तावादी संस्कृति में तब्दील होने लगी जिसके कारण हमारी संस्कृति की जड़ हिल गई। नई पीढ़ी पुरातन जीवन संदर्भों को नकार कर अपने लिए नए आदर्श स्थापित करने लगी। युवा पीढ़ी के जीवन मूल्य बदल गए। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन प्राप्ति की ललक के चलते मानव में मानवीयता, संबंधों की गरमाहट, नैतिकता लुप्त होने लगी तथा मनुष्य दिन–ब–दिन आत्मकेंद्रित बनने लगी। इन सबके चलते,तेजी से बदलती दुनिया हमारे जीवन को बाह्य धरातल पर ही नहीं बल्कि आंतरिक धरातल पर भी प्रभावित कर रही है। भूमंडलीकरण के गर्भ से बाजारवाद पनपा और बाजारवाद से उपभोक्तावाद। आज इंसान की पहचान एक उपभोक्ता के रूप में ही रह गई है। आज बाज़ार बोलता है और आदमी सुनता है।बाज़ार के शोर में आदमी की आवाज़ मंद पड़ गई है। 'मुनाफ़ा' कमाना ही बाज़ार का एकमात्र लक्ष्य एवं धर्म बन गया है।बाजारवाद का जीवन दर्शन ही है– ' निर्लज्ज उपभोक्तावाद'। उपभोक्तावादी संस्कृति ने नई–नई वस्तुओं की भूख पैदा की, चाहे वे वस्तुएं जीवनयापन में उपयोगी हो या न हो। व्यापार का पुराना नियम था 'मांग के अनुसार पूर्ति' वैश्विक बाजारवाद ने इस नियम को उलट दिया है पहले हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बाजार होता था अब बाजार के अनुसार हमें ढाला जा रहा है।

उपभोक्तावादी संस्कृति में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है, चीजों से भरे हुए इस मायावी संसार में अजनबी ।बाजारवाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर रहा है। हमारे रिश्ते–नाते टूट रहे हैं। नैतिकता दम तोड़ चुकी है मानवीय मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। बाजारवाद मानव जीवन के सभी पक्षों– धर्म, संस्कृति, राजनीति, व्यक्ति, समाज और विचार को गहराई से प्रभावित कर रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति के मायावी व्यूह से बचाने का प्रयास साहित्य और विविध कलाएं ही कर सकती है। बाजार हमेशा था और हमेशा रहेगा, किंतु मानव निर्मित होकर भी यदि मानव पर हावी हो जाए तो समाज के सचेतक साहित्यकार की मुख्य भूमिका हो जाती है कि वे बाज़ार के खतरों के प्रति आम आदमी को सचेत करें।समकालीन उपन्यासों की समृद्ध परंपरा में ऐसे अनेक लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बाजार की विद्रूपताओं का पर्दाफाश किया है तथा यह दिखाया है कि ऐसा असंवेदनशील समय आज से पहले कभी नहीं था जब बाज़ार के नियम सामाजिक मूल्यों पर हावी हो गए हों। बाजारवादी शक्तियां अपनी ताकत से महाशक्ति बनकर बाजार के तिलस्म का सृजन कर मनुष्य को मनुष्य रहने नहीं देती और उसे हृदयहीन मशीन में परिणत कर उत्पाद बना देती है।

हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया द्वारा लिखित उपन्यास 'दौड़' इस कड़ी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 'दौड़' उपन्यास बीसवीं सदी के अंतिम दशक के आर्थिक उदारीकरण व युवा पीढ़ी की बदलती मानसिकता का परिणाम है।उपन्यास की भूमिका में स्वयं लेखिका ने लिखा है:–"आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय बाजार को शक्तिशाली बनाया है । इसने व्यापार प्रबंधन की शिक्षा के द्वार खोलें और छात्र को व्यापार व्यापार प्रबंधन में विशेषता हासिल करने का अवसर दिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए। युवा वर्ग ने पूरी लगन के साथ सिमसिम द्वार को खोल और इसमें प्रविष्ट हो गया। वर्तमान सदी में समस्त अन्य वाद के साथ एक नया वाद आरंभ हो गया–बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद। इसके अंतर्गत बीसवीं सदी का सीधा साधा खरीदार एक चतुर उपभोक्ता बन गया। जिन युवा प्रतिभाओं ने यह कमान संभाली उन्होंने कार्य क्षेत्र में तो खूब कामयाबी पाई पर मानवीय संबंधों के समीकरण उनसे कहीं ज्यादा तो कहीं ढीले पड़ गए। 'दौड़' इन प्रभावों और तनावों की पहचान कराता है। 'दौड़' उपन्यास एक लघु उपन्यास है जो अपने कलेवर में विस्तृत अर्थ लिए हुए हैं या आज के उत्तर आधुनिक समय की सटीक टिप्पणी है जहाँ संस्कृति की जगह उपभोक्ता संस्कृति है और एथिक्स की जगह प्रोफेशनल एथिक्स।इस संदर्भ में खगेन्द्र ठाकुर का कहना है– "दौड़ लघु उपन्यास है लेकिन आकर में लघु है यह कथा,कथ्य,चरित्र, शिल्प, शैली,भाषा आदि के समन्वित रूप में आज की एक महान रचना है।"1 लगभग सभी पात्र शिक्षित एवं रोजगार प्राप्त हैं। पवन और सगाई नई उम्र के युवा लड़के इस उपन्यास ही नहीं बल्कि समकालीन समय की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व दोनों तरक्की

पसंद आधुनिक चरित्र है जो अपने माता–पिता के पास इलाहाबाद जैसे छोटे से रहने की बजाय ऐसे महानगरों में रहना चाहते हैं जो नगर उन्हें मुकाम दे सके। पवन स्पष्ट शब्दों में कहता है–" मैं ऐसे शहर में रहना चाहता हूं जहाँ कल्चर हो न हो, कंज़्यूमर कल्चर जरूर हो । मुझे संस्कृति नहीं उपभोक्ता संस्कृति चाहिए, तभी मैं कामयाब रहूंगा।2

सुशिक्षित और संस्कार युक्त चरित्र रेखा व राकेश को अपने पुत्र पवन व सघन की बाज़ारवाद की अंधी दौड़ में संवेदनहीन, मूल्यहीन व नैतिक विहीन जीवन शैली रास नहीं आती। निजी जीवन में भी व्यवहारिकता को महत्व देने वाला पवन माता–पिता की असहमति को रौंद कर स्टैला जैसी अत्याधुनिक व संगणकीय दुनिया की नारी से वैवाहिक संबंध कायम करता है। स्टैला बाज़ारवाद की नीतियों को आत्मसात करती हुई कामयाबी की दौड़ में पवन की भागीदार बनती है। पवन स्टैला के बारे में कहता है– " जो गुण है इस लड़की के उन्हें देखो। कंप्यूटर विजर्ड है यह। इसके पास बिल गेट्स के हस्ताक्षर से चिट्ठी आती है।"3 किसी जमाने में अपनी सास की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाली माँ पवन की पसंद स्टैला पर खाना पकाने जैसा 'स्त्रियोचित' काम सीखने के लिए दबाव डालती है, लेकिन जब वह माँ की तमाम रचनाएं कंप्यूटर की फ्लॉपी में उतारकर उसे देती हैं तो वह चमत्कृत रह जाती है। अक्सर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष चलता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच टकराव की खाई और गहरी होती जाती। लेखिका माँ और पत्रकार पिता का बेटा पवन एम.बी.ए करके तरक्की के लिए एक के बाद दूसरी कंपनी बदलता हुआ 'प्रोफेशनल एथिक्स' की बात करता है, जबकि पिता को यह कृतघ्नता जान पड़ती है। पवन का जीवन विषयक दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है ,वो कहता है – " मंजिलों के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा । उसकी लाइन में चलते रहना ही तरक्की है। वह जिस दुनिया में है वहाँ एथिक्स नहीं प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत है।"4 पवन के यह विचार युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ कामयाबी संबंधी विचार है जोकि बाज़ारवाद की देन है।पवन के बारे में पिता राकेश के विचार समाज को सचेत करने वाले हैं:–" पवन के बहाने एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को पहचानो । ये अपनी जड़ों से कट कर जीने वाले लड़के समाज की कैसी तस्वीर तैयार करेंगे।"5 आज मनुष्य कर्तव्य ,मूल्य , मान्यताओं और जरूरतों को नजरअंदाज करता हुआ बाजार के नियमों से संचालित होने लगा है।पवन का छोटा भाई सघन भी अपने भाई के नक्शेकदम पर चलता है । सघन ताईवान में सॉफ्टवेयर कंपनी में नियुक्ति पाता है और अपनों को छोड़ कर वहां चला जाता है जहाँ का नाम भी मां– बाप ने नहीं सुना था। अपने बेटों की दौड़ रेखा व राकेश को असहाय स्थिति में धकेल देती है। दोनों बच्चों को नौकरी की वजह से दूर जाने के बाद राकेश और रेखा को अपना घर वनवास की तरह लगता है–" रामायण की कथा में पिताजी बच्चों को वनवास भेजते हैं मगर आधुनिक काल में बच्चे विदेश जाते है और माँ–पिता वनवास भुगतते हैं। कालचक्र को उल्टा घुमाया जा रहा है।"6 यही कहानी आज हर दूसरे घर की कहानी बनती जा रही है।रेखा और राकेश जिस कॉलोनी में रहते हैं वह सीनियर सिटीजन कॉलोनी बनती जा रही है क्योंकि सभी के घरों के चिराग अपने माँ–बाप को छोड़कर करियर बनाने के लिए दूसरे शहरों तथा विदेश चले जाते हैं। रह जाते हैं तो सिर्फ एक बूढ़ा, एक बूढ़ी, एक कुत्ता और एक कार तथा उनके बच्चों द्वारा भेजी गए महंगी चीजें ।

आज के जमाने में बच्चे अपने भविष्य को लेकर इतनी भौतिकवादी मनोवृत्ति के शिकार हो गए हैं कि उनके जीवन में माँ–बाप को कोई स्थान नहीं रहता। कॉलोनी में रह रहे सोनी साहब जब स्वर्ग सिधार जाते हैं तो उनका पुत्र विदेश से आने में अपनी असमर्थता को जताते हुए अपनी माँ से कहता है कि किसी को भी बेटा बनाकर सारे क्रियाकर्म के काम करवा लो। इस संदर्भ में माँ का कथन है:–"ऐसा भी कभी हो कि रेडीमेड बेटा मिल जाए यह कहां मुमकिन है। बाजार में सब चीज मोल मिल सकती है पर बच्चे नहीं मिलते।"7 इस उपन्यास में मनुष्य के पारंपरिक संबंधों की परम्परा और वर्तमान संबंधों के अंतराल की सूक्ष्म पड़ताल करके बाज़ारवाद की अंधी दौड़ का प्रतिपादन किया है।इस संदर्भ में कृष्ण मोहन लिखते हैं– "बीसवीं सदी के अंत में भारतीय समाज के सबसे गहरे सांस्कृतिक संकट का आख्यान है 'दौड़'। हमारा समाज आज ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ से एक रास्ता बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चरम उपभोक्तावादी संस्कृति के अंधे कुएँ को जाता है , तो दूसरा संस्कार, सुरक्षा और सामन्ती सामुदायिकता की पुरानी और गहरी खाई की ओर।दोनों एक–दूसरे की कमजोरियों से ताकत पाते हैं। तीसरा रास्ता इलता नहीं।........पुरानी पीढ़ी की उपेक्षाएं नई पीढ़ी की उमंगों से टकराकर कदम–कदम पर टूटती हैं लेकिन यह प्रक्रिया भी एक रेखीय नहीं है। एक ऐतिहासिक मुकाम को दर्ज करनेवाली,तरल आवेगों और गहरे मानवीय संस्पर्श से बुनी हुई कथा है 'दौड़'।बेहद नाजुक विषय का समूची संशिलष्टता में निर्वाह करने का रचनात्मक जोखिम उठाती हुई,मानो 'तलवार की धार पर'दौड़ती हुई।"8 दौड़ उपन्यास में ममता कालिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाज़ार

में दिन–प्रतिदिन स्पर्धा कड़ी होती जारही है। उत्पादन,विपणन और विक्रय के बीच तालमेल बैठा पाना काफी दुष्कर कार्य हो चला है। आज एक–एक उत्पाद की टक्कर में बीस–बीस वैकल्पिक उत्पाद खड़े हो गए हैं। मार्केटिंग के लिए विज्ञापन झूठ पर झूठ बोलते हैं तथा जनता की उम्मीदों को बढ़ाकर उनका पैसा नष्ट करवाते। अभिषेक का स्पष्ट कथन हैः– "विज्ञापन की दुनिया ख़र्च और बिक्री की दुनिया है। हम सपनों के सौदागर है,जिसे चाहिए बाज़ार जाए,सपनों और उम्मीदों से भरी ट्यूब खरीद ले। यह विज्ञापन का ही कमाल है कि हमारी तीन सदस्यों वाले परिवार में तीन तरह के टूथपेस्ट आते हैं।"9

विज्ञापन के संसार में नैतिकता की कोई भूमिका नहीं होती सिर्फ उत्पाद को बेचना ही ओर मुनाफ़ा कामना ही इसका उद्देश्य होता है भले ही इसके लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े या धोखा देना पड़े कुछ गलत नहीं माना जाता। अभिषेक, जिसके लिए विज्ञापन की दुनिया ही उसका कार्यस्थल है ,नैतिकता के प्रश्न पर कहता है कि– "सीधा–सादा एक प्रोडक्ट बेचना है,इसमें तुम नैतिकता और सच्चाई जैसे भारी–भरकम सवाल मेरे सिर पर दे मार रही हो। मैंने आई.आई. एम में दो साल भाड़ नहीं झोंका। वहाँ से मार्केटिंग सीखकर निकला हूँ। आई कैन सैल ए डैड रैट(मैं मरा चूहा भी बेच सकता हूँ) यह सच्चाई, नैतिकता सब मैं दर्जा चार तक मॉरल साइंस में पढ़कर भूल चुका हूं।"10 आज हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली अपने व्यावसायिक कोर्सों द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी तैयार क रही है जहाँ मूल्य,नैतिकता तथा संवेदना का कोई काम नहीं सिर्फ मुनाफ़ा कामना ही जीवन का उद्देश्य है ।'जहाँ हर महीने वेतन मिले, वही जगह अपनी होती है।'11इस वाक्य को मंत्र की तरह जीती युवा पीढ़ी है जो भूरे–पूरे बाज़ार में खड़ी है। इस बाज़ार में महत्वाकांक्षाएं है, भारी–भरकम वेतन प्राप्त करने की लालसाएं हैं। खुद को साबित करने का जुनून है और हर क्षण में जीने की ज़िद। प्रतिस्पर्धा से प्रतिस्पर्धा की तरफ जाती इस अंधी दौड़ में रिश्ते– नाते, मानवीयता, संवेदना, सपनें ,परंपरा सबका सब अर्थहीन,दकियानूसी और बीता हुआ उच्छ्वास भर है। यहाँ शहर का अर्थ केवल रोजगार में खुलता है और सपने सिर्फ तरक्की से जुड़े है। इस बाज़ार ने वह सबकुछ लील लिया है जो मनुष्य को मनुष्य बने रहने की ताकत देता है। इस संदर्भ में धीरेंद्र अस्थाना ने लिखा हैः– "प्रतिस्पर्धा से प्रतिस्पर्धा की तरफ जाती अंधी दौड़ में सबकुछ हुआ बेमानी।"12 पवन, सघन, अभिषेक और स्टैला नए उम्र के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े व्यावसायिकता और आजीविकावाद के दौर के, ये भारतीय अधुनातन चरित्र है जब जीवन अत्यंत कठिन , संवेदनशून्य और मूल्यहीन हो गया था। यह वह प्रतीकात्मक चरित्र है जो थोड़ी–बहुत कतरब्योंत के साथ महानगरों में दौड़ भाग का आधुनिक जीवन जीते मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में अनवरत सांस ले रहे हैं। इन चरित्रों ने अपना अपने लिए अपना जीवन खुद गढ़ा है। इनका अपना एक गणित है और अपना ही सौंदर्यशास्त्र है। यह साहित्य और संस्कृति के बीच पल–बढ़कर जवान हुई पीढ़ी नहीं, इंटरनेट और 'सर्फिंग' की सरगम है इस सरगम में रिश्ते नातों का कोई संवदेनात्मक स्तर नहीं है इन रिश्तो में सारी समस्याएं तभी पैदा होती है जब हर बार की तरह इसके बार भी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचार आपस में टकराते हैं।

अंततः हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास में लेखिका ने भूमंडलीकरण और आधुनिक समय का दर्दनाक आख्यान इतने बड़े फलक पर रच दिया है कि लघु उपन्यास लंबी कहानी के प्रचलित से ही टूट गए है। यह उपन्यास आज के समय की सटीक टिप्पणी है। आधुनिक के नाम पर समाज में आ रहे जबर्दस्त बदलावों का असर पड़ रहा है मानवीय संबंधों पर। पैसे,ग्लैमर,भव्यता और चकाचौंध की दीवानी यह पीढ़ी किसी के भी कंधे पर रखकर सफलता का चरम छूना चाहती है। रेखा, राकेश, पवन, सघन और के ईद–गिर्द बुनी यह साधारण–सी कहानी आज हर तीसरे परिवार में दोहराई जा रही है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मां–बाप जहां मिलकर सुख–सुविधाएं समेटते हैं उन्हें महंगी और ऊंची शिक्षा देकर स्वप्निल दुनिया का दरवाजा दिखाते हैं वही बच्चे इस बदले परिवेश से सरसराते इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें अपने ही संबंधों की गर्माहट, उसकी कसक बेमतलब लगने लगती है। इस प्रकार 'दौड़, उपन्यास आज के मनुष्य की कहानी है जो बाजार के दबाव–समूह उनके परोक्ष–अपरोक्ष मारक तनाव आक्रमण और निर्ममता तथा अंधी दौड़ में नष्ट होते मनुष्य के आसन्न खतरे में पड़े मनुष्य के आसन्न खतरे में पड़े मनुष्यत्व को उजागर करती है। जिस कथित आर्थिक उदारीकरण ने बाज़ारवादी व्यवस्था को ताकत दी हैं वहीं उसने पारंपारिक नाते रिश्ते को अनुदार, मतलबी और अर्थ केंद्रित बनाते हुए जीवन मूल्यों को बदल दिया।

सन्दर्भ–

(1)दौड़–ममता कालिया,भूमिका से उद्धृत, पृष्ठ–6,वाणी प्रकाशन,संस्करण –2013 **(2)**दौड़–ममता कालिया,वाणी प्रकाशन, संस्करण –2013, पृष्ठ–40–41 **(3)**दौड़–ममता कालिया,वाणी प्रकाशन, संस्करण –2013, पृष्ठ–63 **(4)**दौड़–ममता कालिया,वाणी प्रकाशन, संस्करण–2013,पृष्ठ–65 **(5)**दौड़–ममता कालिया, वाणी प्रकासन,संस्करण–2013,पृष्ठ– **(6)**दौड़–ममता कालिया,वाणी प्रकाशन, संस्करण–2013,पृष्ठ–65 **(7)**दौड़–ममता कालिया,वाणी प्रकाशन,संस्करण–2013,पृष्ठ–82 **(8)**दौड़–ममता कालिया, चंद संतरे ,पृष्ठ–7 वाणी प्रकाशन,संस्करण–2013, **(9)**दौड़–ममता कालिया,वाणी प्रकाशन,संस्करण–2013,पृष्ठ–38 **(10)**उपरोक्त, पृष्ठ–37. **(11)**दौड़ उपन्यास के परिशिष्ट में संकलित लेख–'बाज़ार में खड़े रिश्ते'– धीरेंद्र अस्थाना,पृष्ठ–87 **(12)**दौड़ उपन्यास के परिशिष्ट में संकलित लेख–'बाज़ार में खड़े रिश्ते'– धीरेंद्र अस्थाना,पृष्ठ–86

25.भारतीय ग्रामीण समुदाय में हाशिये के समाज पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार

–हेमन्त कुमार
शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग,
हंडिया पी0जी0 कालेज, हंडिया, प्रयागराज, उ0प्र0

देश की आबादी का बहुसंख्यक भाग गावों में निवास करता है। भारत में ब्रिटिश शासन कायम होने तक यहाँ के समाज को मोटे तौर पर 'सामंतवादी' समाज कह सकते हैं। गावों में जीवन निर्वाह योग्य एक अर्थव्यवस्था रही है। समूहों एवं व्यक्तियों के बीच संबंधों के निर्धारण भी अनुबंध के आधार पर नहीं बल्कि हैसियत के आधार पर होता था। इस प्रकार से व्यक्ति जिस जाति एवं परिवार में जन्म लेता था उसी आधार पर उनके कर्तव्य एवं अधिकार का निर्धारण किया जाता था। वस्तु–विनिमय की व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें व्यक्तियों, जातियों एवं समुदायों के सम्बन्ध बहुआयामी होते थे। जिससे समुदाय के लोग कई प्रकार से आपस में जुड़े होते थे।[1] ग्रामीण समुदाय एक ऐसे भू–क्षेत्र का नाम है जहां के व्यक्तियों का जीवन कृषि एवं सम्बंधित कार्यों पर निर्भर होता है, तथा उनमें एक दूसरे के साथ बहुत ही करीबी सामान्य सम्बन्ध होता है। जिससे उनका जीवन सामाजिक मूल्यों एवं संस्थाओं से प्रभावित होता है। **आगबर्न** व **निमकाफ** बताते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण संगठन को ग्रामीण समुदाय के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण समुदाय कि कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिसमें संयुक्त परिवार, मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि, जजमानी व्यवस्था, जातिवाद एवं धार्मिक रूढ़िवादिता, ग्राम पंचायत, भाग्यवाद में विश्वास तथा सरल एवं सादा जीवन इत्यादि को देखा जाता रहा है। जिसमें जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी सेवा करती है अथवा वस्तुओं के रूप में भुगतान प्राप्त करती है। इस तरह भारतीय समाज में जाति विहीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में कल्पना करना हिन्दू लोगो के लिए बहुत ही मुश्किल है।[2]

ग्रामीण संरचना एवं जाति समुदाय भारत में ग्रामीण समुदाय की अवधारणा का राष्ट्रीय विकास में बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसके प्रभाव को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़कर भारतीय गावों को स्वच्छंदतावादी दृष्टि से देखा गया है। रामचंद्र गुहा के अनुसार–'सामाजिक संगठन की बुनियादी इकाई के रूप में गावों में प्रायः विभिन्न अंतर्जातीय जाति समूहों की आबादी निवास करती थी और ये ग्रामीण समुदाय कई प्रकार से आत्मनिर्भर होते थे। गांव एक समुदाय के रूप में राज्य, भारतीय विचारकों तथा नेताओं और पाश्चात्य एवं औपनिवेशिक लेखकों ने भारतीय गांव को सामाजिक संगठन का एक आदर्श रूप और ग्रामीण समुदाय को छोटे–छोटे गणराज्य कहा है किन्तु इसके विपरीत डॉ. अम्बेडकर का मत है कि हमारे गांव और समुदाय ने मिलकर मानव श्रम और प्रकृति पर नियंत्रण किया है।[3] डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रवादी एवं पाश्चात्य विचारकों से इतर गांव के विषय में एक दूसरी राय रखी। अम्बेडकर के लिए गांव एक ऐसी सामाजिक ईकाई है जिसमे आर्थिक स्थिति में स्पृश्य शक्तिशाली और अस्पृश्य हाशिये पर है। उनके अनुसार प्रत्येक गांव में रहने वालो के लिए स्पृश्य और अस्पृश्यों के लिए कठोर नियम बनाये गए हैं, जिनका ग्रामीण लोगो को उसका निर्वहन करना होता है।

जाति आधारित आवासीय स्थिति डॉ.अम्बेडकर का विचार था की अछूत एवं हाशिये का वर्ग हिन्दू समाज का हिस्सा नहीं हो सकता जिसे गांव की बस्तियों की संरचना भी इस मूल सिद्धांत को दर्शाती है। हिन्दू सभ्यता जो मुख्य रूप से भारतीय समाज के बहुसंख्यक हाशिये के वर्गों और विशेष रूप से दलितों के बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है। भारतीय गांव में दो तरह की आबादी होती है–'स्पृश्य',जो गांव में ही निवास करते है। दूसरे 'अस्पृश्य', जिनको गांव की बस्ती से बाहर अलग घर बनाकर रहना होता है। इसमे स्पृश्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिनकी गणना शासक वर्ग की जाति में होती है, वही अस्पृश्य गरीब और पराश्रित होते हैं जिनको स्पृश्यों के यहां बंधुआ मजदूर के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। भारतीय गांवों की अपनी एक आचारसंहिता होती थी जिसका अस्पृश्य और स्पृश्य दोनों को कठोरता पूर्वक निर्वहन करना होता था। जिसमें ऐसा नियम था कि एक अछूत को एक हीन की स्थिति के अनरूप होना चाहिए और उसे अपनी हीनता के चिन्ह धारण करने चाहिए जिससे उन्हें हिन्दू पहचान सके, जैसे–एक हीनता बोधक नाम धारण करना, साफ कपडे न पहनना, खपरैल या पक्की छत के घर में न रहना, सोने एवं चांदी के आभूषण न पहनना।[4] इस नियम को न मानने वाले अस्पृश्य वर्ग के व्यक्ति को अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। अम्बेडकर ब्रिटिश भारत के अंतर्गत वे पहले विचारक है जिन्होंने गांवों की आतंरिक गतिशीलता का दस्तावेजीकरण ही नहीं किया अपितु वे अपने अध्ययन में गांवों की आंतरिक संरचना के सूक्ष्म विवरणों के आधार पर यह भी बताने का प्रयास किया की कैसे हिन्दू जाति की एक व्यवस्थित संरचनात्मक प्रक्रिया तैयार

करके दलितों को व्यवस्थित रूप से समाज की मुख्य धारा से बाहर करते हैं।[5]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों कि वितरण प्रणाली में कृषि, भूमि, जंगल और पानी अम्बेडकर का तर्क है कि अछूतों के प्रति उच्च जाति के हिंदुओं के प्रतिबंध और दृष्टिकोण उन मूल्यों से निर्धारित होते हैं जो हिंदू सभ्यता पैदा करती है और उनकी वकालत करती है। यह गांधी द्वारा प्रस्तावित भारतीय सभ्यता के विचारों के विपरीत है जो इसे एक सजातीय अवधारणा के रूप में मानते हैं, जो समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करती है।[6] लेकिन अम्बेडकर अछूतों को मुख्यधारा के जीवन से बाहर करने की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करते हैं। उनके चिन्तन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों तक पहुँचने में दलितों को हिंदू समाज द्वारा बाहर किए जाने के तरीके की खोज करना है। अम्बेडकर का निम्नलिखित प्रतिबिंब प्रकृति और उसके संसाधनों से दलितों के बहिष्कार की प्रक्रिया को दर्शाता है।

"एक कृषि प्रधान देश में, कृषि जीवनयापन का मुख्य स्रोत हो सकती है। लेकिन जीविकोपार्जन का यह स्रोत आमतौर पर अछूतों के लिए खुला नहीं है। यह अब तक विभिन्न कारणों से है। बात यह है कि जमीन की खरीद उनके साधनों से परे है। दूसरी बात यह कि अगर किसी अछूत के पास जमीन खरीदने के लिए पैसा है तो भी उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं है। अधिकांश भागों में हिंदुओं ने भूमि खरीदने के लिए आगे आने वाले एक अछूत का विरोध किया और इस तरह उच्चवर्गीय हिंदुओं द्वारा अछूत वर्ग को बराबर न बनने देने की कोशिश की गयी। कुछ हिस्सों में उन्हें जमीन खरीदने से कानून द्वारा अक्षम कर दिया गया है। उदाहरण के लिए पंजाब प्रांत में एक कानून है जिसे भूमि अलगाव अधिनियम कहा जाता है। यह कानून उन समुदायों को निर्दिष्ट करता है जो भूमि खरीद सकते हैं और अछूतों को इस सूची से बाहर रखा गया है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश भाग में अछूत भूमिहीन मजदूर होने को विवश हैं। मजदूर के रूप में वे उचित मजदूरी की मांग नहीं कर सकते। उन्हें हिंदू किसानों के लिए उतनी मजदूरी के लिए काम करना पड़ता है, जितना उनके मालिक देना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हिंदू किसान मिल कर मजदूरी को न्यूनतम संभव स्तर तक रख सकते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके हितों के लिए है दूसरी ओर अछूतों के पास कोई धारण शक्ति नहीं है। उन्हें कमाना चाहिए या भूखा रहना चाहिए। न ही उनके पास सौदेबाजी की कोई ताकत है। उन्हें तय दर पर जमा होना चाहिए या हिंसा का शिकार होना चाहिए।"[7]

अम्बेडकर स्पष्ट रूप से इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं कि जाति व्यवस्था के तहत अछूतों को कृषि भूमि तक पहुंच की अनुमति नहीं है। वास्तव में, अम्बेडकर के अनुसार भूमि पर स्वामित्व के लिए अछूतों को रोकने के लिए हिंदू समाज द्वारा एक संगठित प्रयास किया गया था। साथ ही, अम्बेडकर अंग्रेजों की उन नीतियों पर भी प्रकाश डालते हैं, जिन्होंने भूमि पर अछूतों के स्वामित्व को हतोत्साहित किया। हर तरह से उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हिंदुओं और औपनिवेशिक राज्य के संयुक्त प्रयास ने दलितों को कृषि भूमि तक पहुंच से दूर कर दिया।[8] अम्बेडकर के लेखन से भारतीय समाज के भीतर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कैसे उच्च जातियों की संगठित रणनीति द्वारा हाशिए के वर्गों और विशेष रूप से दलितों को सार्थक जीवन से बाहर रखा गया। निम्नलिखित प्रतिबिंब इस दृष्टिकोण को दर्शाता है:

"जब कृषि का मौसम समाप्त हो जाता है तो अछूतों के पास न तो रोजगार होता है और न ही जीविकोपार्जन का कोई साधन। ऐसे मौसम में वे जंगल से घास और जलाऊ लकड़ी काटकर गुजारा करते हैं और उन्हें पास के शहर में बेच देते हैं। यह जो वन क्षेत्र खुला भी था तो अब वह वन रक्षक पर निर्भर करता है। केवल अगर उसे रिश्वत दी जाती है तो वह उन्हें सरकारी जंगल से कुछ घास और जलाऊ लकड़ी लेने देगा। जब इसे शहर में लाया जाता है तो उनके पास हमेशा एक खरीदार का बाजार होता है। खरीददारों की मुख्य संस्था हिंदू हमेशा मजदूरी को कम करने की साजिश करते है। रोकने की शक्ति न होने के कारण, अछूतों को जो कुछ भी दिया जाता है, उसके लिए उन्हें अपना सामान बेचना पड़ता है, कई बार उन्हें गाँव से शहर तक 10 मील पैदल चलना पड़ता है और अपना सामान बेचने के लिए वापस जाना पड़ता है।"[9] अम्बेडकर जिस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अछूतों के लिए जिन स्रोतों से एक व्यक्ति सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता है, वे बंद हैं। फिर स्वाभाविक प्रश्न आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अछूतों के जीवन के लिए क्या स्रोत छोड़े गए हैं। अम्बेडकर के निम्नलिखित मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अछूतों के लिए आजीविका के स्रोतों को प्रकट करते हैं:

"कमाई के ये सभी स्रोत स्पष्ट रूप से अनिश्चित और क्षणभंगुर हैं। कोई सुरक्षा नहीं है देश के कुछ हिस्सों में अछूतों के लिए आजीविका का केवल एक सुरक्षित स्रोत खुला है जो मुझे ज्ञात है। गांव के हिंदू किसानों से भीख मांगना अधिकार है। हर गाँव में प्रशासन की अपनी मशीनरी होती है, गाँव के अछूत गाँव

के प्रशासन में नियोजित वंशानुगत नौकर होते हैं। उनके पारिश्रमिक के हिस्से के रूप में, अछूतों के पूरे शरीर को प्राचीन काल में सौंपी गई भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जो निश्चित है और कभी नहीं बढ़ाया जाता है और अछूत इसके अत्यधिक विखंडन के कारण छोड़ना पसंद करते हैं। इसके साथ ही उन्हें भीख मांगने का अधिकार दिया गया है।''[10]

दलितों को महत्वपूर्ण संसाधनों से बाहर करने के प्रति अम्बेडकर की संवेदनशीलता का पता दो स्तरों पर लगाया जा सकता है: दलितों को भूमि से वंचित करने के उनके विचार एवं जाति व्यवस्था और जंगलों तथा पानी तक पहुंच के बीच संबंध पर उनके विचार। दलित बुद्धिजीवियों के आख्यानों में, दलितों का भूमि तक पहुंच से बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। उनके तर्क का मुख्य आधार यह है कि भले ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने अभूतपूर्व कृषि विस्तार को गति दी, दलित उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामाजिक बहिष्कार की प्रथा के कारण भूमि तक पहुंचने में असमर्थ थे। अम्बेडकर का तर्क है कि औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में उच्च जाति के हिंदू अधिकतम और दलितों को और अधिक हाशिए पर रखा गया था।[11]अम्बेडकर के लेखन से पता चलता है कि कैसे दलितों को पानी तक पहुंच के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है। यह दलितों के सामाजिक बहिष्कार और पीने के पानी तक पहुंच के बीच सांठगांठ के प्रति अम्बेडकर की उल्लेखनीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में अखबारों में छपी कई घटनाओं का हवाला दिया। अम्बेडकर एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं जहां एक चमार (उत्तर भारत की अछूत जातियों से संबंधित व्यक्ति) को गांव के कुएं से पानी खींचने के लिए बुरी तरह पीटा गया था। इस सजा का औचित्य यह था कि चमार के स्पर्श से जल प्रदूषित होता है।[12]

अम्बेडकर ने एक दिलचस्प बात पर प्रकाश डाला कि अछूतों को न केवल सार्वजनिक कुओं से पानी तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया जाता है बल्कि कुओं के निर्माण के अधिकारों से भी वंचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँचने में जाति के नियतात्मक चरित्र को अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है: 'सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में, स्कूल, कुओं, मंदिरों और साधनों से अछूतों के बहिष्कार में भेदभाव की भावना प्रकट होती है।[13]औपनिवेशिक भारत के दलितों ने माना कि आम लोगों पर राज्य के नियंत्रण में वृद्धि के वेष में आशीर्वाद है। 1878 का भारतीय वन अधिनियम, 1882 का मद्रास वन अधिनियम और 1882 का सुगमता अधिनियम ने एक दोहरी प्रतिमान प्रक्रिया शुरू की: जंगलों और पानी पर राज्य के नियंत्रण के विस्तार ने उच्च जाति के पारंपरिक नियंत्रण को कमजोर कर दिया जो कि ग्रामीण अभिजात वर्ग के बहुमत का गठन करता है और स्थान प्रदान करता है। अछूतों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए पानी पर राज्य के नियंत्रण को दलितों द्वारा पानी तक पहुँचने से पारंपरिक प्रतिबंधों से बचने के साधन के रूप में माना जाता था। आमतौर पर औपनिवेशिक कानून ने सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान बना दिया। इस प्रक्रिया को दलितों द्वारा संसाधनों के अधिकारों का दावा करने के साधन के रूप में माना जाता है, जिन्हें पूर्व–औपनिवेशिक शासन में वंचित कर दिया गया था। अम्बेडकर से पहले जोतिबा फुले ने अछूतों को पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँचने से रोकने के खिलाफ आवाज उठाई।[14]

महाड सत्याग्रह (जल सत्याग्रह) 1927 में महाड के छोटे से शहर में हुआ। अम्बेडकर ने तीन हजार अनुयायियों के साथ अछूतों को पानी तक पहुँचने से रोकने के पारंपरिक प्रतिबंधों का उल्लंघन किया।[15] अम्बेडकर ने चावदार तालाब से पानी अपने हाथ में लिया और पानी को सदियों पुरानी अस्पृश्यता का उल्लंघन किया। इस अवसर पर अम्बेडकर के प्रतिबिंब को देखना दिलचस्प है: 'सबसे पहले, मैं उन लोगों को बता दूं जो हमारा विरोध करते हैं कि हम नष्ट नहीं हुए क्योंकि हम इस चावदार टैंक से पानी नहीं पीएंगे। अब हम केवल यह साबित करने के लिए टैंक में जाना चाहते हैं कि दूसरों की तरह, हम भी इंसान हैं'।[16] लेकिन महाड सत्याग्रह की घटना संसाधनों तक पहुंच को लेकर भारतीय समाज के प्रतिस्पर्धी हितों की जटिलता और पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए लड़ने के लिए भारतीय समाज के हाशिए के वर्गों के प्रयास को प्रदर्शित करती है।

ग्राम पंचायत संबंधी विचार डॉ.अम्बेडकर गांव के स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते थे। जिसका प्रभाव स्थानीय स्वशासन ही नहीं अपितु ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन सम्पति एवं स्वतंत्रता पर भी होता है। ग्राम पंचायतो को 'ग्रामीण गणतंत्र' भी कहा गया है जो कि प्राचीन व्यवस्था को बनाये रखने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। अम्बेडकर इसी कारण से ग्राम पंचायतों के पक्ष में खड़े होते नहीं दिखते और वे इसकी आलोचना करते हुए कहते है कि इससे भारत के सार्वजनिक जीवन का विनाश होगा। अम्बेडकर ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने में एवं राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते है। अम्बेडकर के

अनुसार प्राचीन ग्राम पंचायतो कि वजह से भारत संगठित होने कि जगह ग्रामीण समुदाय का जमावड़ा बन गया, जिससे किसी प्रकार का साझापन नहीं दिखता।[17]

निष्कर्ष–इस प्रकार अम्बेडकर के विचार में ग्रामीण समुदाय हाशिये के लोगों के लिए शोषण का केंद्र है जो उनके विकास में अवरोधक की भूमिका अदा करती है और उनको जाति बंधनो से बाहर निकलने से रोकती है। ग्रामीण जीवन में प्राकृतिक संसाधनों पर उच्च जातियों का नियंत्रण होता है जिससे जल, जंगल, कृषि, भूमि, सड़क इत्यादि का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग दलित समुदाय नहीं कर पाता और उसके लिए अभिजात वर्गों के कृपा पर उनकी निर्भरता बनी रहती है। ग्रामीण जीवन में दलितों की आर्थिक स्थिति जमींदारों, साहूकारों एवं उच्च जातियों पर निर्भर होती है और इस परिवेश में दलित समुदाय अपने लिए अतिरिक्त धन नहीं बचा पाते और जीवन भर अपने ग्रामीण समुदाय के कार्य का निर्वहन करते है जिससे उनके दैनिक जीवन को किसी तरह चलाया जा सके। जातिगत रूढ़िवादिता और अस्पृश्यता की समस्या से बाहर निकलने के लिए अम्बेडकर ग्रामीण दलित समुदाय को शहरों की तरफ उन्मुख होने का मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि शहर में सामाजिक परम्पराओं और अस्पृश्यता की गांठ ढीली पड़ जाती है और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका रहता है। आर्थिक सुदृढ़ता सामाजिक रूढ़िवादी परम्पराओं को कमजोर करती है। इस तरह अम्बेडकर का चिंतन हाशिये के वर्ग को अस्पृश्यता, आर्थिक विपन्नता और अशिक्षा से निकाल कर एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए था जिसमे स्वतंत्रता, बंधुता और समानता पर आधारित समावेशी विकास हो सके।

संदर्भ सूची–1.श्रीनिवास, एम. एन. (2020), आधुनिक भारत में जाति (अनुवाद–रश्मि चौधरी), राजकमल पेपरबैक्स, नई दिल्ली।**2.**बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय, खण्ड–9, डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठांन, नई दिल्ली, 2020 पृ0–29।**3.**वही, पृ0–28**4.**वही, पृ0–30–31**5.**वही, पृ0–29**6.**शर्मा, एम0, (2017), कास्ट एंड नेचरः दलित एंड इंडियन एनवायर्नमेंटल पॉलिटिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।**7.** अम्बेडकर, खण्ड–9, पृ0–32–33**8.**शर्मा, 2017**9.**अम्बेडकर, खण्ड–9, पृ0–34–35**10.**वही, पृ0–34**11.**वही, पृ0–33**12.**वही, पृ0–53**13.**शर्मा, 2017**14.**शर्मा, 2017**15.**तेलतुंबड़े, ए0 (2016), महाडः द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट दलित रिवोल्ट, आकर बुक्स, दिल्ली।**16.**जफ्रेलॉट, क्रिस्टोफ (2021), भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी, (अनु0–योगेंद्र दत्त), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।**17.**बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय, खण्ड–3, डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठांन, नई दिल्ली, 2020, पृ0–110–111

26.रामधारी सिंह दिवाकर के उपन्यास 'आग–पानी आकाश' के दलित समाज में उभरती सामंती विचार धारा : एक विश्लेषण

–मनोज कुमार गुप्ता
शोधछात्र,हिन्दी विभाग, सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर
सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, विश्वविद्यालय, जौनपुर।

हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन–"हिन्दू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूँढ लेती है।" यह कथन उस उपन्यास के कथानक पर भली–भाँति चित्रित होता है। 'आग–पानी आकाश' उपन्यास में सामंतवाद का विघटन और नए दलित वर्ग का उत्थान इस कथा के केन्द्र में है। पुराने जमींदार भूपति नारायण सिंह का पतन होता है। परजीवी और विलासी जीवन पद्धति के कारण शराब, कबाब और सुन्दरी भोग में डूबा पुराना सामंतवाद टूटने–बिखरने लगता है, और लक्ष्मी खिसकने लगी। भूपति नारायण सिंह पागल हो गए, इनके चारों बेटे बहक गए। एक बेटे ने एक वेश्यानुमा नौटंकी वाली लड़की से व्याह किया और उसके नाम पर रूपरानी थिएटर कम्पनी खोल दी। एक समय था जब इनकी तूती बोलती थी लेकिन समय कुछ ऐसा बदला की उनके सामने ही घर के सदस्यों को मजदूरी करनी पड़ी। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में दलित वर्गों में एक नई चेतना का जन्म हुआ। जब दलित साहित्य एक प्रजाति के रूप में हिन्दी साहित्य में आता है। कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं दलित जीवन को लेकर लिखी गई जिनमें मुख्यतः सवर्णों के अत्याचारों का वर्णन लेखक और कवि करते थे। लेकिन आरक्षण की सुविधा और नई सम्पदा पाकर दलित जीवन में किस तरह सामंती संस्कार हावी हो गए और नया समाज बनाने के पहले ही दलित परजीवी और प्रतिक्रियावादी वर्ग बन गए, इसकी कथा दिवकार जी अपने उपन्यास 'आग–पानी आकाश' में लिखी है।

यह दलित वर्ग जो आरक्षण के द्वारा सरकारी नौकरी और सत्ता में आने लगा, उसका मुख्य आकर्षण रहा सामंती जीवन की नकल। वही विलासिता, वही कन्याभोग, वही बलात्कार, दलितों पर वही अत्याचार, रखैल रखने की वही लालसा और भुडआगिरी का जो काम सामंतों ने अपने कुलीन दर्प में नहीं किया, वह काम भी यह वर्ग अपनी भौतिक सुख–सुविधा के लिए करने लगा।दलितों में नए सामंती व्यवस्था की शुरुआत बब्बन धोबी से ही हो गयी थी। बब्बन धोबी का परिवार चूँकि राजघराने के कपड़े धोता था इसलिए वह अन्य धोबियों से अपने आपको श्रेष्ठ समझता था और वह अपने नाम के पीछे राजधोब परिवार लिखने लगा।

ऐसे उसके टोले में इसके अलावा और भी धोबी परिवार थे लेकिन वह उन धोबी परिवार से अपने आपको श्रेष्ठ मानता था। यानी दूसरे धोबी तो धोबी हुए, लेकिन बब्बन धोबी राजधोब हुआ।यहीं से एक नई उपजाति–व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऐसे बब्बन धोबी की कुल पन्द्रह एकड़ जमीन थी, पाँच एकड़ जमीन तो भूपति नारायण अपने परिवार के कपड़े धोने के लिए पहले ही दिये थे, दस एकड़ जमीन झुनकी को दिये थे जो बब्बन धोबी की बहन थी, जिसे भूपतिनारायण अपनी रखैल बनाकर रखे थे। इस तरह बब्बन धोबी का कुल पन्द्रह एकड़ जमीन हो गई। इसलिए वह अन्य धोबी परिवार से अपने को श्रेष्ठ समझता था। बब्बन धोबी के दो बेटे थे–भागवत और युगेश्वर। वह अपने परिवार को एक नई व्यवस्था देने की शुरुआत की।

गाँव में स्कूल के नाम पर एक खानगी स्कूल था। राजपुताही में, बब्बन धोबी ने अपने बेटों के नाम वहीं लिखवा दिया। पहला मौका था जब स्कूल में दो धोबी के बेटों का नामांकन हुआ। जब भागवत और युगेश्वर स्कूल जाते तो उनकी लोग हंसी उड़ाते। कर्मकाण्डी पंडित बटेशनाथ झा कहते थे,– ''बाप का नाम लत्तीफत्ती, बेटे का नाम दुर्गादत्त। देखो! ई धोबिया का, बेटों को स्कूल भेजने लगा। लगता है, पढ़ा–लिखाकर हाकिम बना देगा।'' बभनटोली के पास से गुजरते हुए भागवत और युगेश्वर तरह–तरह के व्यंग्य–बाणों से बिंध जाते थे। गाय–बैल चराते च.रवाहे भी उनको देखकर 'फकड़ा' पढ़ते थे–धोबिया बना साहेब, धोबिनियां बनी मेम, गदहा भाग घाट से, खोजो दूनू टेम।। भागवत और युगेश्वर चुपचाप सुन लेते और चले जाते। कुछ लोगों के आँखों के कांटा बन गये थे दोनों। लोग सोचते थे कि पढ़ाई–लिखाई तो ऊँची जाति के लोगों के लिए है, भला यह बब्बन धोबी अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजने लगा।''कटोरा पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा'' – क्या है बोलों, नारियल।, नहीं, नहीं। भागवत और जुगेसरा...।।[1]विषम परिस्थिति होने के बाद भी भागवत और युगेश्वर पढ़ने में सफल हुए। भागवत तो पढत्रने में कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन युगेश्वर अपनी पढ़ाई जारी रखी जिसका परिणाम यह हुआ कि युगेश्वर क्लास वन सर्विस में चुना गया। सचिवालय में पदस्थापित हुआ–वित्त–विभाग में और भागवत अपने मामा सुमरित लाल बैठा जो मन्त्री थे उनके सहयोग से ठेकेदारी करने लगा और खूब रूपये उगाने लगा। जब से युगेश्वर को नौकरी मिली तब से वह अपनी पत्नी से बात करना, मिलना जुलना छोड़ दिया। ये दूरी इतनी बढ़ गयी, कि उन दोनों में तलाक हो गया। अब युगेश्वर को अपनी जाति की लड़की अच्छी नहीं लगती थी। बहुत अच्छे–अच्छे रिश्ते आये लेकिन वह सब ठुकरा दिया। अन्त में उसने पटना विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ0 सुकुमार घोष की पुत्री कामना घोष से शादी कर ली। युगेश्वर अपने दोस्तों से कहता कि घर को सुरुचि–सम्पन्न बनाती हैं, बंगालिने। बिहारी औरतें एम0 ए0, पी–एच0डी0 भी क्यों न हो, रहती हैं संस्कारहीन ही। अब युगेश्वर का हाव–भाव बदलने लगा था। युगेश्वर अपनी मामी से कहता है, –''मामी, अब सच्ची बात बताऊँ आप से। मैं धोबिन से शादी करना ही नहीं चाहता था। वे अफसर साहब दौड़ रहे थे मामा के पास और उनकी बीबी भी आपको पोट रही थी, लेकिन क्या थी बीबी साहिबा! देखा था न आपने... उनकी बाहों पर गोदना के निशान थे। गोदना से ही नाम लिखा हुआ था। सुदामा, अफसर की बीबी होने से क्या हो जायेगा? धोबिन कुछ भी हो जाए, धोबिन ही रहेगी ...।''[2] यह बात सीधे मामी को लग गयी। ये गालियाँ सीधे उहीं को दी जा रही थीं। मामी ने कहा– '' तो भांजे! क्या आप धोबिन के जाये नहीं हो? इतनी जल्दी भूल गए अपने माँ–बाप को, आयं? यही पढ़ाई–लिखाई है आपकी? अफसरी मिल गई तो क्या जात भी बदल गई आपकी? गिरह बाँध लीजिए भांजे, आप कुछ भी हो जाएंगे, लोग आपको धोबी ही कहेंगे। मुंह पर सर–सर कहेंगे, पीठ पीछे धोबिया कहेंगे।''[3]

मामी के इस कथन से युगेश्वर के हृदय में कुछ खरोंच लगा था। युगेश्वर जब भी अपनी पुरानी बातों को याद करता तो उसे बहुत कष्ट होता था। स्कूल के समय की वो यादें, जब वह स्कूल जाता था तो लोग उसे तरह–तरह व्यंग्य किया करते थे, स्कूल में जिस पंक्ति में ये दोनों भाई बैठते उस पंक्ति में कोई दूसरा लड़का नहीं बैठता। हैण्डपम्प पर यदि पानी पीने ये दोनों चले जाते तो वहाँ खड़े लड़के वहाँ से दूर हट जाते। उसे गांव में बीता अपना अपमानित बचपन याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह वह दबा–घुटा और अपमान सहता रहा। वह खनगी स्कूल में एक किनारे बारी पर बैठा रहता था.. उसे याद आती थी अपनी माँ जो सबेरे से दिन चढ़ने तक बभनियाँ पोखर के घाट पर कपड़े धोती थी। उसे याद आती थी अपनी बुआ जो रखैल थी, बाबू भूपति नारायण सिंह की और जिसके कारण गांव के लड़के तरह–तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। इन अपमानित यादों को युगेश्वर अब भुला देना चाहता था। उसका मानना था कि आदमी यदि हमेशा यही महसूस करे कि वह हरिजन है, अस्पृश्य है, उसका कर्म सनातन स्वीकृत है, तो वह कुछ हो ही नहीं पायेगा। नहीं, तोड़ना है इसको। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है– ''तुम कहो कि तुम महान हो, तुम सोचों कि तुम महान हो और तुम महान हो जाओगे।''[4]इन बातों से युगेश्वर अपनी मामी

को समझाना चाहता था। अब युगेश्वर को अपना समाज, अपनी जाति से घृणा होने लगी थी। वह अपने सगे–सम्बन्धियों से दूरी बनाने लगा था। जिस बदलाव को देखकर मामी कहती है–"मैं कह रही हूँ कि उस जमीन को नहीं भूलना चाहिए जिस जमीन से ऊपर उठे हैं आप। जो जमीन को भूलता है, अपनी पृष्ठभूमि को भूलता है, अपने माँ–बाप, भाई–बहन को भूलता है, रिश्तेदारों को भूलता है, वह कृतघ्न है। उसका जीवन कृत्रिम है।"[5]

युगेश्वर वैश्यंती सचिवालय में प्रथम श्रेणी के अफसर बनते ही वह पहला काम यह करता है कि वह अपनी पहली पत्नी जो धोबिन जाति की थी, उसका परित्याग कर देता है, और अभिजात्य प्राप्त करने के लिए बगाली इलीट क्लास की लड़की कामना घोष से शादी करता है। युगेश्वर वैश्यंती में इतना बदलाव आ जाता है कि वह सवर्णों की तरह दलितों से नफरत करने लगता है। जब युगेश्वर वैयंती के बच्चों की देखभाल करने के लिए पड़ोस में रहने वाली मिसेज मेहरोत्रा की पत्नी ने एक चमाइन आया कि सिफारिश युगेश्वर वैश्यंती से की तो वैश्यन्ती साहब ने कहा– "ये हरिजन औरते बड़ी बेढंगी होती हैं। कोई संस्कार होता है इनका? किसी ठीक–ठाक जाति की खोजो।"[6]यह एक सवर्ण की सामंती संस्कार से निकली भाषा है। जो दलित युगेश्वर वैश्यन्ती के मुख से निकली है। ठीक इसी प्रकार की सोच युगेश्वर के भाई भागवत की भी हो गई। वह गाँव पर रहकर ठेकेदारी करके खूब रूपये उगाने लगता है और अपना काम निकलवाने के लिए कार्यपालक अभियंता आदि को लड़की पहुँचाने लगता है। दुसाध की लड़की सुभगिया को वह चिकित्सा के बहाने शहर ले जाता है और उन अधिकारियों को सौपं देता है जिनसे वह अपना काम निकलवाना चाहता है। इस प्रकार वह पैसा कमाने के लिए भडुआगिरी का काम करता है। दलित समाज की लड़कियों को वह अपने ड्राइवर के द्वारा उठवा लेता है, और डॉ0 दीवान के क्लिनिक का उपयोग भोग–विलास के लिए करता है। जिस किसी व्यक्ति को कोई काम भागवत बाबू के यहाँ पड़ता तो उससे वह पैसा लेता और यदि वह देने में समर्थ नहीं होता तो वह उसे अपना बंधुआ मजदूर बना लेता। यह दलितों का सामंती वर्ग चरित्र है। नवधनाढ्य भागवत बाबू का सारा आचरण सवर्णों का हो गया है। भागवत का आचरण सवर्णों के प्रति कुछ नरम है लेकिन, सोलकन्ह टोले के प्रति वे पूरी तरह जमींदार थे। भागवत बाबू के बैठक के आगे खबास टोली, दुसाध टोली, चमार टाली आदि के जरूरतमंद लोग उससे मुलाकात के लिए बैठे रहते, लेकिन वह इन लोगों से सीधे मुँह बात नहीं करते थे। अब उसके बोली में ऐंठन और गालियाँ आ गई थी। जब कोई मजदूर किसी दिन नहीं आता तो उससे वह गालियों के द्वारा ही बात करता। अम्बेडकर की क्रान्ति की यह कैसी करुण परिणति है।

अब भागवत बाबू इतना छल–कपटी निकला कि वह अपने ही झम्मन चाचा की शहर की जमीन को अपने पिता के नाम पर विद्यालय खोलने का झांसा देकर हड़प ली। सबसे वह ठेकेदार बना था, तबसे अपने झम्मन चाचा को कभी पूछा तक नहीं, लेकिन जब उसके दिमाग में झम्मन चाचा की शहर की जमीन को हड़पने का तरीका सूझा तबसे वह झम्मन चाचा की खोज खबर लेने लगा। एक दिन भागवत ने अपने चाचा को घर बुलाया, भोजन करवाया, नास्ता करवाया, खूब सेवा सत्कार की और उसके बाद अपने चाचा को जब यह बताया कि वह उनके शहर वाले जमीन पर उनके बड़े भाई बब्बन धोबी के नाम पर विद्यालय बनायेगा। तब भी झम्मन खुश था, लेकिन वह विद्यालय उनको उजाड़कर बनाने की योजना से झम्मन के मन में कुछ तकलीफ हुई, इसके बावजूद भी झम्मन ने अपने भाई के नाम पर विद्यालय बनेगा पर वह उसका भी त्याग करने को तैयार हो गया और भागवत ने अपने पिता के नाम पर विद्यालय बनाने के बजाय वह वहाँ अपना खूबसूरत मकान बनवाया, तो झम्मन को बहुत कष्ट हुआ।इसी प्रकार युगेश्वर ने भी अपने नीचपना को प्रदर्शित किया था। जब उसकी चाची(झम्मन की पत्नी) अपने पोते के साथ मायके से आ रही थी, और ट्रेन छूट जाने पर वह यह सोचकर की मेरा जेठ का लड़का युगेश्वर इसी शहर में सरकारी अफसर है। रात में रूकने की इच्छा से उसके पास पहुँचती है तो युगेश्वर उनको पहचानने से ही इनकार कर देता है। जब ड्राइवर युगेश्वर वैश्यंती से कहता है कि आपकी चाची आयी हैं तो उसने कहा–"बोले कि कवन चाचा–चाची? हमारा केहु नहीं है, चाचा–चाची, भगाओ! जाने कहाँ–कहाँ से लोग चले आते हैं। धर्मशाला समझकर...।[7]

जब इस बात को युगेश्वर का ड्राइवर आकर युगेश्वर के चाची को बताता है तो मानो उसके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। बुढ़िया के चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। उसने कहा–"आज जुगेसर ने नहीं पहचाना अपनी चाची को। डलेबर साहब, आपके हाकिम को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया है। छोटे थे जुगेसर। उनके बाप रख गये थे मेरे यहाँ। अपना पेट काटकर अच्छा से अच्छा खाना खिलाती थी। मेरे अपने बेटे कभी दूध–दही चखते भी नहीं थे, परन्तु भागवत और युगेश्वर दुनू टेम दूध–दही जरूर खाते थे।।"[8]इस प्रकार चाहे भागवत हो या युगेश्वर वह अमीर होते ही अपने चाचा–चाची के रिश्ते को भी भुला दिया। इन दोनों का स्वभाव और आचरण दोनों अब सवर्णों

की तरह हो गया था। दलितों से ठीक सवर्णों की तरह नफरत करते थे ये लोग। अब इन लोगों को अपने जाति के लोगों में असभ्यता दिखने लगा। अपने लोगों से दूरी बनाने लगे। वहीं युगेश्वर के गाँव का रामसजीवन हरिजन था और पढ़ा–लिखा था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, पटना में रहकर। उसके पास कुछ नहीं था, फिर वह अपने रिश्ते को समझा। जहाँ युगेश्वर ने अपनी चाची को पहचानने से इन्कार कर दिया। वही वह उसे अपने डेरा पर ले गया और अपने शक्ति के अनुसार सेवा सत्कार किया जिससे जुगेश्वर की चाची रामसजीवन की माँ से कहती है–"कितना खोजते–ढूँढते गई थी अपने जाउत के यहाँ। जाउत ने नहीं पहचाना, भगा दिया। इज्जत भी चली गई। कहावत है –" पूत मांगे गइनी भतार खो के अइनी।" और बिना ढूढे ही बेटा मिल गया! है न अजब बात बहिना? है न...।[9] रामसजीवन भी बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वह भागवत और युगेश्वर वैश्यंती से बिल्कुल अलग सोच रखता है। इधर अमीर होने के बाद भागवत और युगेश्वर अपने लोगों से दूरी बनाने लगे थे वहीं रामसजीवन रिश्ते के संबंधों को भली–भाँति पहचानता है। उसके पास एक प्राइवेट नौकरी है, लेकिन वह जहाँ भी रहता है, वहाँ अपने समाज, अपने नजदीकी लोगों का सहयोग करता रहता है। जहाँ वह हरिजन टोले में रहता है। वहाँ के लड़कों को फ्री में ट्यूशन पढ़ता है और हरिजन टोले के लोग भी उसके सुख–दुःख में साथ रहते हैं। इधर भागवत ने गाँव पर एक डिग्री कॉलेज खोला था, जिसमें पढ़ाने के लिए युगेश्वर के कहने पर रामसजीवन को लेक्चरर के पोस्ट पर रख लिया था। रामसजीवन उसी डिग्री कॉलेज में आने जाने लगा। लेकिन एक दिन देखा कि भागवत बाबू की गंदी नजर उसकी विधवा बहन पर पड़ गयी है। वह उसे अपने ड्राइवर से अपने हवेली बुलाये हैं, तो वह उस लेक्चरर की नौकरी को छोड़कर अपनी बीमार माँ और विधवा बहन को साथ लेकर पटना आ जाता है। एक दिन जब भागवत पटना युगेश्वर के यहाँ गया था। उसी समय रामसजीवन भी पहुँच जाता है, तो रामसजीवन को देखकर भागवत ने युगेश्वर से कहा– "तुम भी क्या मद करते हो इन चमारों की! ये कभी सुधरेंगे नहीं। मैंने कॉलेज में इसको नौकरी दी, उसे छोड़कर यहाँ प्राइवेट स्कूल में मास्टरी करने चला आया। मालूम हुआ कि अपनी माँ और बहन को भी ले आया है। अपने खाने का तो उपाय नहीं होगा इसके पास और पूरे परिवार को सिर पर ढो रहा है।"[10]

इस प्रकार दलित साहित्य की नई आशा, आकांक्षा की कथाओं को ओमप्रकाश बाल्मीकि, मोहनदास, नैमिशराय, कौशल्या वैसंती, माता प्रसाद, तुलसीराम आदि ने लिखा है, लेकिन इस वर्ग में जो सामंती तत्व प्रवेश कर रहे हैं उनका यथार्थ वर्णन दिवाकर जी ने अपने उपन्यास 'आग–पानी आकाश' में किया है। दिवाकर जी ने इस उपन्यास में दिखाया है कि दलित में भी सवर्ण विचारधारा रखने वाले लोगों का जन्म हो चुका है। शुरुआत बब्बन धोबी से होता है जो जमींदार परिवार का कपड़ा धोता है तो अपने को अन्य धोबियों से श्रेष्ठ समझने लगता है और अपने नाम के पीछे राजधोब लिखने लगा अर्थात् और धोबी, धोबी है लेकिन बब्बन धोबी, अपनी जाति –राजधोब वैश्य' लिखने लगा।इसी प्रकार बब्बन धोबी का पुत्र युगेश्वर वैश्यंती है जब वह नौकरी पा जाता है तो सबसे पहले वह अपनी पत्नी का त्याग कर देता है। केवल इसलिए कि वह धोबी जाति की है। अब उसे अपनी जाति से घृणा होने लगी और बंगाली लड़की से शादी करता है। युगेश्वर का मानना है कि हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने वाला न हो। वह धोबी, चमार ऐसी छोटी जातियों से घृणा करने लगा। ठीक इसी तरह की सोच भागवत भी रखने लगा। वह अपनी काम कराने के लिए अपनी जाति तथा हरिजन जाति के लड़कियों को आधिकारियों के पास पहुँचाने लगा। जिसको देखकर रामसजीवन सोचता है– "कितनी सारी बातें याद आती है। भागवत बाबू का औरत–शिकार याद आता है, तो रोएं खड़े हो जाते हैं। आश्चर्य है। हरिजन में कोई समर्थ निकल जाता है तो हरिजन और पीड़ितों का ही शोषण क्यों करता है? सबसे मुलायम चारा क्या यही वर्ग है?[11] इस उपन्यास का कथानक रोचकतापूर्ण है। इस उपन्यास को किस्सागोई भाषा–शैली में लिखा गया है। इसका शिल्प बेजोड़ तथा उपन्यास पठनीयता की दृष्टि से राचक एवं सरस है। इस उपन्यास में उस वर्ग का वर्णन है जो दलित तो है लेकिन आरक्षण के बल पर शासन–प्रसासन में अपनी प्रतिष्ठा बना चुके हैं। वे अपने समाज, जाति के उत्थान के बारे में न सोचकर उनका ही शोषण करने लगते हैं। निःसन्देह पुरानी सामंती व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, लेकिन नयी सामंती व्यवस्था आर्थिक विषमताओं के कारण पनफ चुकी है। 'जैसे सेड्यूलकास्ट को 'हरिजन' कहना गन्दी गाली है। 'दलित कहना चाहिए। रामसजीवन धीरे से मुस्कुराया– 'नाम बदलने से क्या होगा सर! तकदीर बदले तब न।"[12]

संदर्भ सूची–1.रामधारी सिंह दिवाकर (2013) :'आग–पानी आकाश', किताबघर प्रकाशन, नयी दिल्ली,पृ07 **2.**वहीं,पृ050**3.** वहीं,पृ050 **4.**वहीं,पृ052**5.**वहीं,पृ052**6.**वहीं,पृ089**7.**वहीं,पृ0124 **8.** वहीं,124 **9.**वहीं,पृ0130 **10.**वहीं,पृ0146 **11.**वहीं,पृ0143 **12.** वही,पृ0138

27.The Impact of Population growth on Environment

- [1]Vinod Kumar Yadav, [2]Manoj Kumar Gupta
[1]Research Scholar, Department of Law MJPRU, Bareilly
[2]Research Scholar, Department of Political Science, Shri Venketeshwara University,Gajraula U.P.

The growing population has a direct effect on nature, which balances itself with the excess of population, and then begins the cruellest orgy of unbalanced nature, due to which our entire biosphere cannot live without being affected. Hundreds of years ago, an economist named Malthus had warned about this in one of his articles. In this article, Malthus has written that if the growing population is not controlled by self-restraint and artificial means, then nature will try to control it with its cruel hands. If we consider today in the context of the environment around us, we will find that nature has started showing its anger. Today, the biggest crisis has arisen due to the greenhouse effect, due to which, along with the pollution of the atmosphere, there is a dreadful situation of increasing the temperature of the earth and rising of the sea level. Green house effect arises due to increase in the amount of gases like carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons (CFC) etc. in the atmosphere. At the time of re-radiation of Sun heat absorbed by the earth, this gas itself absorbs a large part of the heat and returns it back to the surface again, due to which the additional heat deposition in the lower atmosphere of the earth increases the temperature of the earth. Due to the ever-increasing temperature, the sea level is rising due to the melting of large icebergs of the Arctic sea and Antarctica continent, which has threatened the existence of many nations surrounded by coastlines. According to a recently published report, after fifty years from today the country of Maldives will be submerged in the sea. Similar apprehensions are being expressed with respect to the coastal areas of India.[1]

The reason for the increase of greenhouse gases in the atmosphere is related to the ever-increasing needs of the growing population. When the population of a country increases, the number of industries increases according to its needs. As a solution to the housing problem, the expansion of cities increases, which leads to indiscriminate deforestation. On the pretext of establishing harmony between distant cities, the use of vehicles increases a lot, due to which the problem of air pollution increases equally. In this way increasing population affects our environment in three major ways.

*Growing number of industries*Keeping in view the growing needs of the growing population, today the number of fuel, coal and petroleum based industries are increasing. It is estimated that about 4.5 billion tonnes of fossil fuels are being consumed annually in the world. As a result of which all the greenhouse gases including carbon dioxide are reaching the atmosphere. Chlorofluorocarbon gas, which is currently considered to be the most harmful gas, is being used extensively in industries nowadays. Even in air conditioning and refrigeration processes, pharmaceutical manufacturing, electronic industry and foam industry, the use of this gas has increased greatly over the years. This gas, believed to be responsible for the depletion of the ozone layer, has increased the possibility of ultraviolet rays reaching the earth causing deadly diseases like skin cancer.[2]Apart from the greenhouse effect, another harmful consequence of industrialization has come to the fore, that of acid rain. Due to some industries, sulfur dioxide gases reach the atmosphere, which combine with atmospheric gases and turn into acid and then reach the earth with rain and give rise to many biological diseases.

Excessive loss of forestsThe most visible evidence of increasing population is 'urbanisation'. As the population increases, the housing problem also increases and as a result, the cities spread randomly. In this process, the maximum loss is caused to the forests. In India alone, 16 lakh hectares of forest are being destroyed every year. Although according to the government policy, it is necessary to have 33 percent of the total land area in the country, but still only 21 percent of the total area is covered by forests. In Rajasthan, only 9 percent of the land area is left with forests. Trees and plants take in carbon dioxide in the process of making their own food, 'photosynthesis' and in return produce oxygen gas and release this oxygen gas, this oxygen gas purifies the atmosphere and this is what the organisms take in the process of their breathing. Huh. Not only this, trees and plants also perform the work of filtering some industrial residues like lead, mercury, nickel etc. Apart from this, the water balance has been maintained on our earth only through forests.[3] Due to the cutting of forests, where on the one hand the use of carbon dioxide for photosynthesis by trees is reduced, on the other hand, when forests are cut, some carbon inside the earth gets oxidized and enters the atmosphere, due to which the amount of carbon dioxide in the atmosphere is reduced. greatly increases and the temperature of the atmosphere increases.

Increasing use of vehicles The number of automatic vehicles is increasing at a much faster rate than the rate at which the population is increasing today. As a result, the oxygen which should be used by the living beings is being used by the automatic vehicles and in return the living beings are getting the poisonous smoke released by these vehicles into the atmosphere which is giving rise to various types of human diseases. In view of the problems arising out of the atmosphere being polluted by vehicles, the Government of India implemented the new Motor Vehicle Act in the country in 1988. In this, a provision has been made to punish the owners of polluters. But still the situation is taking a frightening form day by day. Today, almost all the small cities of India are in the grip of

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed JOURNAL

vehicular air pollution, in which Bombay, Calcutta and Delhi are in very bad condition. Chembur, the most developed area of Bombay, is often surrounded by acid-rich air. Black coloured carbon dust accumulates on the body of people walking on the roads of big cities like Delhi. This dust enters the body through breath and gives rise to eye diseases, skin diseases and respiratory diseases.[4]Many people worry that uncontrolled population growth will eventually lead to environmental devastation. It's an understandable fear, and a quick look at the circumstantial evidence certainly shows that as our population has grown, the health of our environment has declined. The impact of so many people on the planet has resulted in some scientists coining a new term to describe our time – the Anthropocene epoch. Unlike previous geological epochs, where various geological and climatic processes define the time period, the proposed Anthropecene period is named for the major impact of humans and their activities on the environment. In short, man is a new global geophysical force.[5] We humans are spread across every continent and have made great changes in the landscape, the ecosystem, the environment everything. However, while population size is part of the problem, the issue is larger and more complex than just counting bodies. There are many factors at play. Essentially, it is what is happening within those populations – their distribution (density, migration patterns and urbanisation), their composition (age, gender and income level) and, most important, their consumption patterns – which are similar, If not more important than just the number. Focusing only on population numbers obscures the multidimensional relationship between us humans and our environment, and makes it easier for us to blame others, such as in developing countries, rather than seeing how our own behaviour is negative. Let's take a closer look at the issues.

Census It is no surprise that as the world's population continues to grow, the limits of essential global resources such as potable water, fertile land, forests and fisheries are becoming more apparent. You don't need to be math savvy to find that overall more people use more resources and create more waste. Influenced by the work of Thomas Malthus, 'carrying capacity' can be defined as the maximum population size that an environment can sustain indefinitely. The debate about Earth's actual human carrying capacity dates back hundreds of years. The range of estimates is huge, fluctuating from 500 million people to over a trillion. Scientists disagree not only on the final number, but more importantly, about the best and most accurate way to determine that number—hence the huge variability.[6]

Population distribution The way the population is spread over the earth has an impact on the environment. Developing countries have high birth rates due to poverty and low access to family planning and education, while developed countries have low birth rates. In 2015, 80 percent of the world's population lives in less developed countries. These rapidly increasing populations can increase the pressure on the local environment. Globally, in almost every country, humans are also becoming more urbanized. In 1960, less than a third of the world's population lived in cities. As of 2014, this figure stood at 54 percent, with a projected increase of 66 percent by 2050.[7] Man has always been travelling around the world. However, government policies, conflicts or environmental crises can exacerbate these migrations, often causing short- or long-term environmental damage. For example, since 2011 population relocation (also known as unplanned migration) to the Middle East has resulted in several million refugees fleeing countries including Syria, Iraq and Afghanistan. Often the sudden development of huge refugee camps can affect water supplies, cause land damage (such as cutting down trees for fuel) or pollute environments (lack of sewerage systems).

Population structure The composition of the population can also affect the surrounding environment. Currently, the global population has both the largest proportion of young people (under the age of 24) and the largest percentage of elderly people in history. As young people are more likely to migrate, this leads to increased urban environmental concerns, as listed above. Life expectancy has increased by about 20 years since 1960. While this is a victory for the human race, and certainly a good thing for the individual, from the point of view of the planet it is just another body that is consuming resources and creating garbage all around. The aging population demographic is another element of the multidimensional effects of population change, and poses challenges of its own. For example, between 1970 and 2006, the proportion of people over 65 in Japan increased from 7 percent to more than 20 percent. This has a huge impact on government spending on employees as well as pensions and health care. Aging is great for individuals and families. But with more generations living together, it puts a strain on our resources.[8] Population income is also an important consideration. The unequal distribution of income results in pressure on the environment from both the lowest and highest income levels. Just to survive, many of the world's poorest people participate in unsustainable levels of resource use, for example burning garbage, tires or plastics for fuel. They may also be forced to eliminate scarce natural resources, such as forests or animal populations, to support their families. At the other end of the spectrum, those with the highest incomes own the cars they drive, live in homes and consume vast swathes of resources through lifestyle choices. On a nationwide level, economic growth and environmental damage are also linked. The least developed countries have low levels of industrial activity, resulting in low levels of environmental damage. The most developed countries have found ways to improve

ISSN-2454-6283 PEER Reviewed Journal

technology and energy efficiency to reduce their environmental impact while maintaining high levels of production. It is the middle countries – which are developing and experiencing intense resource consumption (which may be driven by demand from developed countries) – that are often the site of the most environmental damage.

Population consumption While poverty and environmental degradation are closely related, it is the unstable patterns of consumption and production, mainly in developed countries, that are of even greater concern. It is not often that people in developed countries stop and consider our own level of consumption. For many people, especially in industrialized countries, the consumption of goods and resources is just a part of our lives and culture, which is promoted not only by advertisers, but also by governments that seek to grow their economies continuously. Culturally, while shopping, buying and consuming is considered a normal part of life, constantly striving to own a bigger house or faster car, all too often is promoted as a sign of success. Participating in a consumer culture and valuing material possessions may be fine, but in excess it is harming both the planet and our emotional well-being. More clothes, more gadgets, bigger cars, bigger home-consuming goods and resources have a bigger impact on our planet. The environmental impact of all this consumption is huge. The mass production of goods, many of them unnecessary for a comfortable life, is using large amounts of energy, creating additional pollution, and generating enormous amounts of waste.[9] To complicate matters, the environmental impacts of high levels of consumption are not limited to a local area or even a country. For example, the use of fossil fuels for energy (to power our big cars, to heat and cool our big homes) has an impact on global CO2 levels and the resulting environmental impacts. Similarly, rich countries are also able to rely on resource- and/or waste-intensive imports to be produced in poor countries. This enables them to enjoy products without having to deal with the immediate effects of factories or pollution that went into making them. On a global scale, not all humans are equally responsible for environmental damage. In some parts of the world consumption patterns and resource use are high, while in others—often in countries with far more people—they are low, and the basic needs of the entire population are not being met. A 2009 study showed that countries with the fastest population growth also had the slowest increase in carbon emissions. The opposite was also true—North America's population, for example, grew by only 4 percent between 1980 and 2005, while its carbon emissions increased by 14 percent. Individuals living in developed countries, in general, have a much larger ecological footprint than those living in the developing world. The ecological footprint is a standardized measure of how much productive land and water is needed to produce the resources consumed and to absorb the waste produced by an individual or group of people. Today humanity uses the equivalent of 1.5 planets to provide the resources we use and absorb our waste. This means that it now takes a year and six months for the Earth to regenerate from what we are used to in a year. When Australian consumption is viewed from a global perspective, we leave an extraordinarily large 'ecological footprint' – one of the largest in the world. While the average global footprint is 2.7 global hectares, in 2014 Australia's ecological footprint was calculated to be 6.7 global hectares per capita (this large number is mostly due to our carbon emissions). To put this in perspective, if the rest of the world lived in Australia like us, we would need the equivalent of 3.6 Earths to meet demand.[10] Similarly, an American has an ecological footprint approximately 9 times larger than that of an Indian – so while India's population is far greater than that of the United States, in terms of environmental damage, it is the American consumption of resources that is causing the high level. is becoming. damage to the planet.

SolutionHow do we solve the delicate problem of population growth and environmental limitations? Mathematician and author Joel Cohen characterized the possible solutions in the following way:***1.A Big Pie: Technological Innovation***This principle sees innovation and technology as Earth's savior, not only to expand the planet's human carrying capacity, but to improve the quality of life for each individual. Advances in food production technologies such as agriculture, water purification and genetic engineering could help feed the masses, while the move from fossil fuels to renewable energy sources such as wind and solar would help mitigate climate change.'Economic disintegration' refers to the ability of an economy to grow without increasing environmental pressures. In 2014 the United Nations Environment Program (UNEP) released a report titled 'Decoupling 2', which explored the possibilities and opportunities of technology and innovation to accelerate decoupling, and analyzed how far technological innovation has come. can go. Funding and research in these areas should be a high priority, but we must acknowledge that technology can only do so much, and is only part of the solution. Investing in clean energy is one way to reduce our environmental pressure on the planet.***2.Fewer Thorns: Education and Policy Change***The theory is based on demographic transition, which is effectively finding ways to slow or stop population growth resulting in fewer people fighting for resources or 'slices' of the pie. Birth rates naturally decline when the population is provided with access to sexual and reproductive health care, education is encouraged and made available for boys and girls beyond the primary level, and women are given access to social and reproductive health care. empowered to participate in

political life. Continuing to support programs and policies in these areas should see a similar decline in birth rates. Similarly, as the income of individuals in developing countries increases, the birth rate also decreases. This is another incentive for rich countries to help their poor neighbors reach their growth potential.Providing health, educational or financial incentives has also proven effective in tackling some population issues. For example, giving money to people with two or fewer children or allowing free education for families with single children has been tested with some success. However, there is debate about incentive programs (such as paying women in India to have vasectomy). Opponents question whether accepting these incentives is really an option, or whether the recipient has been coaxed into it through community pressure or financial desperation. Education is the foundation of our future, not just because it helps reduce the fluctuating birth rate. Low forks can also cover a more complex area - the option of seriously controlling population growth by force. China has done so in the past and attracted both high praise and severe human criticism. This is a morally, economically and politically charged topic with no easy answers.***3.Better Manners: Less Is More***The better etiquette approach seeks to educate people about their actions and the consequences of those actions, which lead to a change in behaviour. It concerns not only individuals but also governments. Worldwide, but especially in developed countries, individuals need to re-evaluate their consumption patterns. Many studies have shown that more 'stuff' doesn't make people happy anyway. We need to step back and re-examine what is important and actively find ways to reduce the amount of resources we consume. Taking small showers, saying no to single-use plastics, buying less, recycling our waste, and reviewing our modes and frequency of travel may seem trivial, but if millions of people around the world start doing the same. The difference will start to widen. , Being a good global citizen can include anything from reducing your plastic consumption to volunteering and helping others. Governments also need to promote environmental policy changes to protect and enhance natural areas, reduce CO_2 and other greenhouse gas emissions, invest in renewable energy sources, and focus on conservation as a priority. Developing countries should be supported by their more developed neighbours to reach their development goals in sustainable, practical ways.In fact, there is no single, easy solution. All three options must be part of a sustainable future.Population is an issue that cannot be ignored. While we can all do our part to reduce our own global footprint, the combined impact of billions of other footprints will continue to grow. There are many who believe that if we don't find ways to limit the number of people on Earth itself, the Earth itself will eventually find ways for us to do so. Interestingly, despite population growth being such a serious issue, the United Nations has held only three World Conferences on Population and Development (in 1945, 1974 and 1994).However, governments around the world are beginning to recognize the gravity and importance of the situation, and are taking steps to reduce the environmental impacts of increasing population and consumption, such as pollution reduction targets for air, soil and water pollutants. The United Nations Climate Change Conference in Paris, scheduled for December 2015, is an example; However, any international policy needs to be supported by practical solutions at the individual, local and regional levels.

Conclusion-With over 7.3 billion people on the planet, it's easy to assume that someone else will try and solve the population and environment issue. Yet it is an issue that affects all of us, and as such we are all responsible for working towards a sustainable future in which everyone is able to enjoy a good quality of life without destroying those things whom we rely on to survive. It is possible, but achieving it will require joint and coordinated efforts of individuals, communities and governments.

References-**(1)**Foster, A.D., M.R. Rosenzweig, and J.R. Behrman 2000 Population Growth, Income Growth and Deforestation: Management of Village Common Land in India. Unpublished manuscript, Brown University.**(2)**Fox, J., R.R. Rindfuss, S.J. Walsh, and V. Mishra, eds. 2003 People and the Environment: Approaches for Linking Household and Community Surveys to Remote Sensing and GIS. Boston, MA: Kluwer. Washington, DC: The National Academies Press. **(3)**Genus 2002 Demographic behaviour in a changing environment: The theoretical background of an EU research project. Genus 56:15-120.**(4)**Holdren, J.P., and P.R. Ehrlich 1974 Human population and the global environment. American Scientist 62:282-292.**(5)**Liu, J., G. Daily, P. Ehrlich, and G. Luck 2003 Effects of household dynamics on resource consumption and biodiversity. Nature 421:530-533.**(6)**McCay, B., and J.M. Acheson, eds. 1987 The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources. Tucson: University of Arizona Press.**(7)**Melillo, J.M., C.B. Field, and B. Moldan 2002 Interactions of the Major Biogeochemical Cycles. Washington, DC: Island Press.**(8)**Meyer, W.B., and B.L. Turner II 1992 Human population growth and global land-use/cover change. Annual Review of Ecology and Systematics 23:39-61.**(9)**Pebley, A.R. 1998 Demography and the environment. Demography 35(4):377-389.**(10)**Saikia, A. 1998 Shifting cultivation, population and sustainability: The changing context of Northeast India. Development 41:97-100.

28.'तर्पण' उपन्यास में दलित प्रतिरोध की अभिव्यक्ति

– [1]डॉ टी.जे.रेखारानी ,[2]शाहीन बेगम महमद गौस
[1]पीएच.डी हिंदी (शोधार्थी)
[2]शोध निर्देशक–अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

भारतीय समाज में दलितों की दयनीय स्थिति कोई नयी घटना नहीं है बल्कि हजारों वर्षों से इस समाज ने उपेक्षितों का जीवन जिया है। आज का समय नये विमर्शों का दौर है जिसमें दलित, आदिवासी और स्त्री विमर्श के प्रश्न मुख्य है। अपने अस्तित्व को स्थापित करने की मांग दलित साहित्य करता है जिसकी अभिव्यक्ति शिवमूर्ति के कथा साहित्य में सार्थक रूप से हुई है। इनका साहित्य न केवल शोषितों, पीड़ितों की परिस्थियों को उजागर करता है बल्कि उस अत्याचारी व्यवस्थाओं के प्रति विरोध दर्ज कराने का साहस भी प्रदान करता है। शिवमूर्ति ने वंचितों को अपने साहित्य द्वारा वाणी दी है।

भारतीय समाज व्यवस्था ने अपने भीतर भिन्न भिन्न समाजों को जन्म दिया है। धार्मिक भिन्नता, वर्णाश्रम पध्दति ही श्रेष्ठ है भावना को स्वीकारते हुए जाति प्रथा को प्रथम स्थान पर रखा है। जिसके अनेक उदहारण हमें पुराणों में दिखते है। भारतीय समाज व्यवस्था ज्ञान के द्वारा सत्ता और समाज को नियंत्रित करती चली आयी है। मनुस्मृति में एक श्लोक है–अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रह चैव ब्राहमणनामकल्पयत।।1 अर्थात्, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और लेना इन कर्मों को ब्राह्मणों के लिए ही बनाया गया है। यानी ज्ञान से संबंधित समस्त कार्यों का कर्ता ब्राह्मण होगा, कोई दूसरा नहीं ! हिंदी साहित्य में रचनाओं और विचारधाराओं के इतिहास के एक लंबी परंपरा रही है। जिसमें समाज और साहित्य के मध्य अनेक परिवर्तन हुए, दलित उद्धार के विविध आंदोलनों, शिक्षा के प्रसार ने हिंदी साहित्य की मुख्यधाराओं को प्रभावित किया। आदिकाल में वीरगाथा साहित्य के साथ साथ सिद्धों की रचनाएं, भक्तिकाल में राम और कृष्ण काव्य के समांतर कबीर, रैदास आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन के विरोध में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक व्यवस्था को लेकर प्रेमचंद, निराला, हीरा डोम आदि की रचनाएं महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात समकालीन कथा साहित्य के दायरे ने विमर्शों को आत्मसात कर लिया। हिंदी के अनेक साहित्यकारों ने न केवल दलितों के दु:ख की दास्तान बयां की बल्कि उच्च तबके के लोगों की मानसिकता, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इ. अनेक बिंदुओं पर अपनी कलम चलाई है जिसके एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कथाकार शिवमूर्ति है।

हिंदी साहित्य में दलित लेखन की अभिव्यक्ति सामाजिक आस्मिता के सवालों से जुड़ी है। यही कारण है कि शिवमूर्ति जैसे रचनाकार वर्ण केंद्रित समाज व्यवस्था से न केवल टकराते है बल्कि अपने समाज के शोषण के कारणों की जाँच भी करते है। शिवमूर्ति द्वारा रचित 'तर्पण' उपन्यास दलित समाज में बदलाव की स्थिति, सजगता और आत्मसम्मान – आत्मविश्वास की लालसा की सशक्त अभिव्यक्ति है। और सामाजिक असंगतियों के विरोध में संघर्ष की दास्तान का दस्तावेज भी है। 'तर्पण' उपन्यास में ग्रामीण आंचलिक समाज, परिवेश और राजनीति के मध्य पिसते हुए आमजन की त्रासदीपूर्ण यथार्थ का वर्णन है। स्त्री को प्राचीनकाल से ही उपभोग की वस्तु माना गया है। स्त्रियों में दलित स्त्रियों की व्यथा, संघर्ष, अत्याचार की कथा बहुत लंबी है। उपन्यास का आरंभ चन्दर द्वारा रजपतिया की इज्जत लूटने के प्रयास की घटना से होता है। राजपतिया के बचाव में मिस्त्री बहु हाथ में खुरपा लिये ललकारती है "पकड़ पकड़ ! भागने न पावै। 'पोतवा' पकडि के ऐंठ दे। हमेशा हमेशा का 'गरह' कट जाय।"2 यह एक स्त्री का विरोध है। जो अपने आत्मसम्मान को किसे भी कीमत पर खोने से बचाने के लिए तैयार है। पियारे भी अपने बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार से क्रोधित है। वह धरमू पंडित से शिकायत करता है तब पंडिताइन अपने पक्ष में कहती है "जवान बेटी को विदा कर देगा तो उसकी कमाई कैसे खाएगा ? उतान होकर गली गली अठिलाती घूमती है। गाँव भर के लड़कों को बरबाद कर रही है। वह तुमको नजर नहीं आता ? जहाँ गुड़ रहेगा वहां चिउंटा जाबै करेंगे। एक बार चमाइन का राज क्या आया, सारा चमार, पासी खोपड़ी पर मूतने लगे। इतनी हिम्मत कि लाठी लेकर घर पर ओरहन देने चढ़ आए।"3 अपने बिरादरी के उत्तर में पियारे कहता है "किसी गुमान में मत भूलिए पंडिताइन। अब हम ऊ चमार नहीं हैं कि कान, पूंछ दबाकर सब सह सुन लेंगे। चिउंटे को गुड का मजा लेना महंगा कर देंगे।"4 अत: यह समस्त पीड़ित समाज की आवाज है जो पियारे के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। ग्रामीण परिवेश में वर्णव्यवस्था तो है ही साथ ही राजनीति ने भी अपने स्वरुप को बदला है। उपन्यास में भाई जी जागरूकता लाने का प्रयास करते है उनके अनुसार, "सिर्फ एक झूठ बोलकर कि वे ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं और हम पैर से, वे हजार साल से हमसे अपना पैर पुजवाते आ रहे हैं।"5 बदलाव की चिंगारी इस समाज में जल चुकी है। भाई जी कहते है "यह वर्ण संघर्ष है। इज्जत के लिए। इज्जत की लड़ाई रोटी की लड़ाई से ज्यादा जरुरी है।"6 अब वे अपनी शिक्षा, सम्मान और अधिकारों, कानून के प्रति चेतनशील है। किन्तु समाज में शासन व्यवस्था के अंतर्गत

होते भ्रष्टाचार, बेईमानी के कारण अपराधी को दंड नहीं मिल पाता। जहाँ पियारे, राजपतिया को पुलिस से सही न्याय नहीं मिलता वही वे स्वयं अपने तरीके से न्याय करते है। जिसका प्रतिशोध मुन्ना चंदर की नाक काटकर लेता है। यह घटना उस समाज के प्रति चेतावनी है जो अपने स्वार्थ हेतु किसी भी व्यक्ति विशेष का शोषण करने से बाज नहीं आते। पियारे भी जिसका समर्थन करता है उसके अनुसार, "कब से जोर जुल्म सह रही है उसकी जाति। पीढियां गुजर गई सहते सहते। कोई माई का लाल न पैदा हुआ मुँहा मुँही जवाब देनेवाला। और जब आज उसके बेटे ने ऐसा कर दिखाया तो छिपे छिपे घूमने का क्या मतलब? यह तो दुनिया जहाँन में डंका पीटकर बतानेवाला काम है। लेकिन नाक क्यों काटा ? सीधे मूंड ही क्यों नहीं काट लिया ?"7 अतः जिसका दुःख न होकर एक सुख की अनुभूति पियारे को होती है। वह स्वयं को पुलिस के हवाले कर देता है। जैसे पुरखों के तर्पण हेतु गया जगन्नाथ जा रहा हो।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, सदियों से चली आ रही अपनी अस्मिता को स्थापित करने के लड़ाई में शिक्षा और बदलते कानून ने कारगर भूमिका निभाई है। उच्च वर्ण द्वारा निर्मित किये गए प्रथा परम्पराओं ने जितना शोषण, उत्पीड़न निचले तबके का किया है सबसे पहले विरोध की ज्वाला भी उन्हीं में प्रस्फुटित हुई है। इस सन्दर्भ में जोतिबा फुले का मत है, "हजारों साल से, जब से देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है तब से, शुद्र अतिशूद्र समाज के लोग लगातार जुल्म और शोषण का शिकार रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और इस विषय में पूरी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं।"8 यही कारण है कि तर्पण जैसी कृतियाँ बदलाब की एक नयी तस्वीर बनकर जिसमें अपने विरोध के माध्यम से वह समाज अपने उपस्थिति दर्ज करवाता है और हक, अधिकार के प्रति चेतनावान होने की दृष्टि को अपना है। उपन्यास में पियारे, भाई जी, मुन्ना और स्त्री पात्रों में रजपति, मिस्त्री बहु, लवंगी आदि सभी अपने अस्तित्व के प्रति सजग है। अतः शिवमूर्ति का तर्पण यह उपन्यास सामाजिक बदलाव, त्याग समर्पण, शोषित समाज की बदलती अस्मिता का विस्तृत दस्तावेज है जो हर परिस्थिति में बदलाव की मांग करता है।

सन्दर्भ– **(1)** देवेन्द्र चौबे, उद्धृत, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श पृ.24 **(2)** शिवमूर्ति, तर्पण, पृ.11 **(3)** वही पृ.14 **(4)** वही पृ.14 **(5)** वही पृ.25 **(6)** वही पृ.26 **(7)** वही पृ.112–113 **(8)** उध्दृत, उमा शंकर चौधरी, हाशिये की वैचारिकी पृ.17

29.A Study Of E-Resources : Emerging Teaching & Learning Tools

-Dr. Kulesh Kumar
Associate Professor (Library & Information Science)
Veerangana Avantibai Govt. Degree College, Atrauli, Aligarh

In this age of Information Technology, the development of ICT (Information and Communication Technology) has changed the education pattern and transformed the teaching and learning methods from the physical and traditional to the digital. Similarly, the Indian Library system has also moved from palm leaves, manuscripts etc. to CD-ROMs and digital books.

A good library should have good number of resources for teaching, learning and research work. The e-resources have given an enormous shape to the collections of university libraries. These have been proved very useful to libraries due to inherent capabilities of providing quick information access, cheap acquisition, easy searching and retrieving, savings in storage space and maintenance etc. They also have possibilities for providing expanding access as well as changing form of teaching, learning and research. E-Resources can be accessed easily at any place at any time on personal computers, laptops, tablets and also on smart mobile phones.

What are E-Resources : An **e-resource** means electronic resource, which is available in electronic/digital form. The term **"e-resource"** refers to all the resources, to which a library provides through a computer network. It is defined as a resource which require access of computer or any electronic device. The e- resources are also known as online information resources covering bibliographic databases, electronic reference books, search engines for full text books, and digital collections of data. In simple words, we can say that E-Resources are resources in which information is stored electronically and which are accessible through electronic systems and networks.

Types of E-resources: As we know that the Internet is the vast home of different types of online resources, which provide us up-to-date knowledge in form of information, which may be very useful for us as per our requirement. Broadly, these e-resources are divided in following two major types : **1.Online e-resources, which may include:**•E-books•E-journals (Full text & bibliographic)•E-theses and

dissertations•E-newspapers•E-magazines•E-reports•Online databases•Websites/portals •OPAC (Online Public Access Catalogue)•E-mails•Hybrid digital collections•Internet gateways **2.Other types of e-resources may include :**•E-images•E-audio/visual resources i.e. CD ROMs•Diskettes i.e. floppy discs•Other portable computer databases.

Now, to understand the meaning, use and importance of the e-resources, here we will explain some of these e-resources in brief :

E- Books-An E-book is a book-length publication in digital form equivalent of standard printed books, consisting of text, tables, diagrams, illustrations and images readable on computer or other electronic devices, although sometimes defined as "an electronic version of a printed book". An e-book is a text and image-based publication produced or published in digital form and readable on computers and other digital devices. Users can view full text of e-books in HTML or PDF format online. Some may be downloaded in full to be read offline, whereas others may only be read online while connected to the internet. Many users now read the books on smart mobile phones by using various e-book reader applications/software.

E-books are very useful tool for academic teachers, students etc. Presently, e-books are being more preferred by the users due to their convenient features. E-books can be transferred from library catalogue to users e-book readers for a fixed loan period and after which it is automatically taken back.

Example of e-book apps/portals : Amazon Kindle, Apple i-books, Project Gutenberg, e-pub

E-Journals-An e-journal has been defined as a periodical publication which is published in electronic format usually on the internet. A periodical publication means that it has some periodicity i.e. weekly, fortnightly, monthly, quarterly, half yearly or annually. E-journals may be defined very broadly as any journal, magazine, webzines, newsletters or any type of electronic serial publication, which is available over the internet. An electronic journal may be free or fee based through annual subscription or licensing. An e-journal also provides research papers review articles and scholarly communication. E-journals are mostly useful tool for researchers. E-journals have an positive impact not only on libraries but also on authors and publishers too. Hence, now-a-days majority of the users expect up-to-date and timely information from e-journals. Information from e-journals can easily, quickly, pin-pointedly and remotely be retrieved and provided to the users. Academic and other special libraries don't want to avoid e-journals in their collections. Another type of online journals, whose full-text are available in the web for viewing and downloading free of charge, called open access articles. Open Access Articles means online access without charge to individuals and libraries. A large number of important full text articles are available free of charges in some institutional repositories, gateways or websites. An established journal should stop its print version and transfer to only electronic format.

Example of e-journals apps/portals/websites : CORE, ScienceOpen, Emerald, OCLC, J-Gate, DOAJ (Directory of Open Access Journals), OpenDOAR, Education Resources Information Centre (ERIC), arXive e-print Archive, Social Science Research Network

E-databases-An e-database is an organized information of large collection on a particular subject or various subject areas. The information of an e-database can be searched and retrieved electronically. Contents of e-databases include journal articles, newspapers articles, books reviews and conference proceedings etc. E-databases usually updated on a daily, weekly, monthly, quarterly, half yearly or yearly basis. Full text databases contain the whole content of an article such as citation information, text, illustrations, diagrams, charts and tables. Bibliographic databases only contain citation information of an article, such as author name, journal title, publication date and page numbers.

Examples of e-databases : SQL Server, Oracle Database, Sybase, Informix, MySQL, Google Scholar, PubMed, Scopus from Elsevier Publishing

E- REPORTS -A report is a document which contains information in a narrative, graphic or tabular form. It is prepared on adhoc, periodic or regular basis as per requirement. A report may refer to some specific period or event or subject. It may be communicated to the public orally or in written form. A report which is available in digital form is known as an e- report. For example the universities, institutions, ministries of central government, govt. organizations and departments publish their annual reports which give an account of their budget, expenditure, activities and achievements. These reports are also accessible on internet. The Planning

Commission, Government of India publishes reports of the various projects initiated and completed, committees constituted for accomplishing various tasks.

Examples of E-reports : National Portal of India/Niti Ayog, Govt. of India/Annual Reports**.**National Institute of Educational Planning & Administration/Digital Archives/Reports/Annual Reports**.** Annual Audit Reports of Election Commission of India**.** Ministry of Education, Govt. of India/Documents & Reports/Annual Reports.

E-THESES AND DISSERTATIONS -A thesis or dissertation is a document submitted in support of the analytical or research based study conducted by a student for an academic degree or professional qualification. It presents research work and its results or findings undertaken by a student. The student submit theses and dissertations to the universities/institutions in print. The digital form of theses and dissertations are known as e-theses and dissertations. The research scholars doing M.Phil. and Ph.D. in Indian universities are required to submit digital or soft copies of their theses and dissertations. The libraries are at present digitizing the theses and dissertations held by them and making them accessible on Internet for the consultation of new researchers. The collection of digital theses and dissertations is also known as digital repository.

Examples of E-theses and dissertations websites/portals :•Electronic Theses and Dissertations (ETD)•Shodhganga (Inflibnet, India) •ProQuest Dissertations & Theses Global, •EThoS (British Library), •DART-Europe (Europe E-theses Portal)•American Doctoral Dissertations•Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)•OhioLINK ETD Center•OATD (Open Access Theses & Dissertations)•Theses Canada

Importance/Advantages of E-resources :-E-resources are now an integral part of the collections in academic libraries. E-Resources are becoming very popular and important knowledge resources these days, as they are more up-to-date and can be accessed anywhere crossing all geographical boundaries. Such resources are very much helpful in conducting R&D activities and therefore these are very common in academic libraries and their demand is increasing day by day. The libraries have more demands for e-resources than traditional resources. Present day, the quality of any library depends upon the quantity of its digital collection. The quantity has direct link with the types of digital collection as it depends upon the requirement of the users. E-Resources offer a number of advantages not only to libraries but also to users, authors, editors, publishers, and archivists. Some of these advantages are as given below: •E-resources may be accessed over the Internet. The users need not to visit the library physically.

•E-resources may be accessed from anywhere at any time as per the convenience of the users.

•These are very much useful for the users who reside in remote and far flung areas. •The users may download the articles and save them in their PCs, laptops, tablets etc. for ever. They can view them, as and when require.•E-resources enable simultaneous access to a large number of users. The same resource, i.e., e-book, e-journal or any article may be accessed by many users at the same time. •Facilitate easy access to physically challenged persons.•An e-resource collection is usually setup in an e-database. The users may search a large number of resources in one go through a single search interface. •E-Resources also provide usage statistics which help the library staff in finding out the usage of that particular document. •E-documents can be produced on very low cost in comparison to print documents. The cost of publication and distribution of e-documents is also less than the print versions.•Saves enormous time by providing easy and instantaneous access without wasting time for processing, printing, binding, and delivery.•Eliminates printing, binding and postage & transportation costs.•They have the potential to conserve fragile/precious original materials.•E-resources are eco-friendly.•Articles/issues of journals appear online before their print version is available. •Electronic resources also have audio, video and animation contents which are not present in print format. •The subscription of e- resources helps libraries in saving storage space.•E-resources provide hyperlinks to related additional resources.•The contents can be easily manipulated at regular intervals and can be kept always up-to-date in electronic media.•The electronic resources are indifferent to environmental hazards and if handled with care will show great durability which can't be achieved on paper-based print media.•Provide current awareness services to all users i.e. faculty members, research scholars and PG students.

Disadvantages of E-Resources:-Together many advantages of e-resources, the libraries face also enormous challenges and problems in their use. There are many disadvantages/drawbacks of e-resources as mentioned below : •Libraries have to pay high cost for computer based infrastructure. •The devices or equipments need seamless power supply for accessing e-resources. •Sometimes libraries need some special equipments to access e-resources. •Libraries have to face compatibility problems in choosing hardware and software. •Sometimes, libraries face copyright violation problems. •Current e-book format may not be readable by future e-book devices. •There is lack of awareness on IT skills among users for usage of e-resources. •Lack of uniform standards in the retrieval of software products from different publishers creates problems in their usage. •Since use of e-resources and services requires IT skills, the library professionals have to acquire these certain skills to help the users in accessing the electronic documents and to serve the users more effectively and efficiently.

Impact of e-resources on higher education and research: In the 21st century, Information Technology (IT) had brought rapid changes in education. The conventional teaching and learning is gradually moving towards online. New concepts of digital library, virtual library, and electronic library have created the electronic information resources. These resources have many advantages over traditional information resources. A lot of developments have been witnessed in the recent years in e-publishing. For teaching and learning, electronic resources are available in a large amount on web based or online mode Many eminent scholars and authors are showing interest for self publishing of various scholarly publications and quality assurance. Researchers are interested to have easy access to full text publications and articles. In this information technology era, the information environment in academic libraries and information centers has been radically changed. The academic libraries have started subscribing to electronic resources to meet the users' requirements and expectations because gradually, the e-resources are becoming very popular among scholars, teachers and researchers. Thus, teaching, learning and research activities have been more convenient, time saving and up-to-date due to easy access to e-resources.

Conclusion-From the above study and discussions about e-resources, presented in this research article, we have experienced that E-resources have many challenges and problems at every level of their selection, acquisition, dissemination, management and preservation. But at the same time, we have also seen that e-resources represent many advantages giving solution to many problems like- space and costing problem, providing remote access, easy and convenient in use, increasing readership with improved services, productive research output and academic excellence within short time. Recent researches and studies have also proved that in researchers' opinion, improved access to e-resources has positively influenced their research activities by helping them in acquiring up-to-date and latest information and knowledge and by saving precious time.

References :

1.Abbas Khan, A.; Minhaj F. & Ayesha, S. (2007), E-resources: E-books and Ejournals In E-Libraries: Problems and perspectives, Ed. by Ramiah, Sankara Reddy and Hemant Kumar. Allied, New Delhi.

2.Increasing the Discovery and use of e-resources in University Libraries. 7th International CALIBER-2009, Ganski, Kate L. (2008).

3.An Evaluation of the Accessibility of E-resources from Theological Library Websites. Theological Librarianship: An Online Journal of the American Theological Library Association.Vol. 1 (1),p.38-45.

4.Girish Kumar H., Vasant R. & Praveen J.K., (2005), Use of electronic resources by research scholars in CFTRI, Mysore: A study. ILA Bulletin.Vol.41(3), p.16-20.

5.NIOS Library Science Reference Notes : Notes 7 Part 1 retrieved from https://www.flexiprep.com.

6.Saklani, Vipin Kumar (2021), Modernization of Libraries : Use of e-resources in the academic library In Indian Journal of Library Science & Information Technology. Vol.5(2),p.86-89 retrieved from https://www.researchgate.net

7.Anjana (2016), Use of e-resources in higher education : challenges and concerns In International Journal of Advanced Research. Vol.4(1),p.2476-2481 retrieved from https://www.journalijar.com

8.https://www.lisedunetwork.com

Peer Reviewed JOURNAL

30.Indo –Bangladesh Trade Relation and Employment of Enclave People of West Bengal.

-[1]Subrata Ray, [2]Prof. Pradip Kumar Yadav

[1]Research scholar, Department of Defence and Strategic Studies, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur.

[2]Department of Defence and Strategic Studies, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur.

The pandemic state of affairs has been given a predominant effect on exchange and trade withinside the complete world. Simultaneously it's also body into the exchange on India and Bangladesh, mainly border location humans of West Bengal has been struggling at once or indirectly. India has a large land port that is located at Bongaon below the district of north 24 Parganas of West Bengal and that is a large land port in South East Asia. Petrapole is located on the Indian aspect of the Petrapole-Benapole border checkpoint between India and Bangladesh, close to Bongaon in the North 24 Parganas district of West Bengal. The Petrapole border is the simplest land port in south Bengal. It is likewise the biggest land customs station in Asia. Petrapole has located ninety-five km from Kolkata on the National Highway 35. The nearest city and passenger railhead is Bongaon. This land port has achieved almost 60 percent of the bilateral exchange between India and Bangladesh. According to the observation via way of means of RITES, the product site visitors is about 800 vans according to day in each way. The general site visitors in 2029-30 have been projected as 2,938 vans according to day and the passenger site visitors via way of means of then can be 3,924 humans according to day.

BSF posted at Petrapole

NH 35 Road to Petrapole

Pertapole Railway Station

The India – Bangladesh border crossing at Petrapole and Benapole is the busiest border crossing among the 2 countries. It is the maximum handy for the ones crossing to Bangladesh from Kolkata, India, or heading from Dhaka to Kolkata.

Petrapole:-Petrapole is the Indian aspect of the Petrapole-Benapole border checkpoint among India and Bangladesh border close to Bongaon in North 24 Parganas district of West Bengal. This test put up bills for greater than 1/2 of the $4-billion alternate with Bangladesh and which is the biggest land port in Asia. The land port on my bills for almost 60 percent of the bilateral alternate between India and Bangladesh. According to the latest study, the products visitors is about four hundred vehicles in keeping with day in each way. The overall visitors in 2029-30 has been projected as 2,938 vehicles in keeping with day and the passenger visitors through then could be 3,924 human beings in keeping with day.

Benapole:- Petrapole is the Indian aspect of the Petrapole-Benapole border checkpoint among India and Bangladesh border close to Bongaon in North 24 Parganas district of West Bengal. This takes a look at published debts for greater than 1/2 of the $4-billion exchange with Bangladesh and which is the most important land port in Asia. The land port on my debts for almost 60 percent of the bilateral exchange between India and Bangladesh. According to the latest study, the product site visitors are about four hundred vans according to day in each way. The general site visitors in 2029-30 have been projected as 2,938 vans according to day and the passenger site visitors with the aid of using them can be 3,924 humans according to day.

Methodology of the study The current research involves both quantitative and qualitative information for the purpose of an analytical understanding. Qualitative information regarding their ideas and perception of observance of daily trade through petrapole and ghodanga border are collected through in-depth interviews and observation. Representative samples are drawn from among the settlers of Bangladeshi enclaves in India as well as the newly settled dwellers in India who came from Indian chits in Bangladesh after Land Boundary Agreement between India and Bangladesh. In the study descriptive information are collected from secondary sources regarding the Land Boundary Agreement, demographic profile of the newly settled dwellers, governmental and non-governmental aids to the settlers, their participation patterns in national activities, nation-building activities, etc.

How to people crossing the border India – Bangladesh Petrapole is the Indian aspect of Petrapole-Benapole border checkpoint among India and Bangladesh border close to Bongaon in North 24 Parganas district of West Bengal. This test publish debts for extra than 1/2 of of the $4-billion exchange with Bangladesh and that is the biggest land port of Asia. The land port on my own debts for almost 60 percentage of the bilateral exchange among India and Bangladesh. According to a latest study, the products visitors is about four hundred vehicles in line with day in each ways. The general visitors in 2029-30 has been projected as 2,938 vehicles in line with day and the passenger visitors with the aid of using then could be 3,924 human beings in line with day.

Business Relations with Bangladesh: Key Elements: India and Bangladesh have maintained robust

members of the family on alternate and economy. Bangladesh is India's biggest buying and selling associate in South Asia, and has the bilateral alternate among the 2 nations is really well worth about US$15 billion. Bangladesh is certainly considered one among the most important members to India's tourism and fitness industry. The Indian High Commission in Bangladesh problems greater than 1.five million visas annually, among the very best numbers issued via way of means of Indian missions globally. Most of those are visitor and commercial enterprise visas, and the bulk of those traffic input India thru the land border. Trade and connectivity are critical to bilateral members of the family. In this regard, India has taken a few most important tasks to in addition its members of the family with Bangladesh. These consist of the availability for duty-loose access of Bangladeshi merchandise into Indian markets, investments withinside the improvement of infrastructure in Bangladesh, and the simplification of the visa process. Such steps inspire and are possibly to increase, the cross-border commercial enterprise and different actions some of the humans and goods. India and Bangladesh are signatories to the BBIN-Motor Vehicle Agreement (MVA). Once it's miles functional, then this settlement will permit the unrestricted motion of motors from the member depend upward thrust withinside the BBIN region, through unique routes, together with cross-border ones. This in addition necessitates the improvement of border checkpoint centers on India's border with Bangladesh. Currently, India stocks the longest land border with Bangladesh, stretching over 4,096.nine km. This boundary falls in 5 Indian states—West Bengal, Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura—and runs thru a numerous topography, together with dense forests, hills, river, populous towns, and paddy fields.

Table 1: Indian States that Share a Border with Bangladesh

Indian States	Length of Border (in Kilometres)
West Bengal	2,216.7
Assam	263
Meghalaya	443
Tripura	856
Mizoram	318

Source: *Home Ministry Annual Report 2017–18*, Government of India. Now Petrapole-Benapole is an essential land border crossing for India-Bangladesh change for twenty-four hours. More than 50 percent of the India-Bangladesh change passes thru the Petrapole land port of India. Approximately 35 lakh humans and 288,000 vehicles over the 12 months pass Petrapole-Benapol and change of Trade well worth extra than US$15 billion locations thru the Petrapole ICP and ICPs are sanitized zones with committed passenger and load terminals and areas for regulatory corporations except for essential contemporary-day centres below one roof. The Petrapole ICP will offer higher centres for the powerful and green discharge of features inclusive of security, immigration, customs, and quarantine thru the brand new get right of entry to means.

Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina at the same time inaugurated the second Integrated Check Post (ICP) on the Benapole-Petrapole a part of India – Bangladesh border thru video-conferencing. Following the Agartala ICP on the Agartala (India)-Akhaura (Bangladesh) land border, Petrapole ICP is the second ICP at the India-Bangladesh border and its miles mentioned that be the most important land port in South Asia. The inauguration rite from Dhaka and New Delhi thru video-conferencing, whilst West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee joined from Kolkata in conjunction with ministers of each the nations. nations.

Table 2: Trade Statistics, 2014–19

year	Export (INR Cr)	Import (INR Cr)	Trade (INR Cr)	Cargo Vehicles (No.)
2014–15	12,820	2,367	15,187	117,526
2015–16	13,656	2,685	16,341	128,995
2016-17	15,654	2,847	18,501	146,706
2017–18	16,110	2,690	18,799	146,341
2018–June 2019	5,347	1,063	6,410	52,009

Source: Land Port Authority of India.India–Bangladesh land border caters to seventy five percentage of the imports from and 50 percentage of the exports to Bangladesh. Moreover, for the motion of human beings among the 2 countries, the land border is the favored route. **The actual role of ICP:** The ICP approach included tests put up. Immigration: For the checking of passports, visas, and passenger identification. Border Security: For keeping safety, stopping the glide of unlawful fingers and different deadly weapons, and imparting backup aid to customs and immigration. Customs: For the clearance of

shipment/items carried through vehicles, precious non-public objects of passengers, and foreign money through tracking mechanism and hooked up equipment. The ICPs are geared toward facilitating the systematic, seamless, and stable cross-border motion of products and those through making sure green passenger glide, imparting ok passenger centres, smoothening processes, optimizing the usage of centres, and systemizing aid centres, and enhancing visitors' glide. To inspire trade, the ICPs have to have the subsequent centres: warehouse and open yards for the garage of products; parking centres for the clean glide of visitors and shipment; in-residence weighing centres for trucks; and safety for the products to save you pilferage on the warehouses. To facilitate the passage of people, the ICPs have to consist of beneath neath one roof the subsequent: immigration, customs, safety, taxation authorities, animal quarantine, warehouses, shipment, and luggage exam yards, parking zones, banks, put up offices, conversation centres, traveller statistics centres, ready halls, canteens or refreshment stalls, public conveniences, and number one fitness providers. Thus, for an ICP to be green, more than one stakeholders have to be involved, along with the Central Board of Indirect Taxes, immigration officials, and border guarding forces, meals protection departments, banks, and warehousing authorities. The Land Port Authority of India (LPAI)—a statutory frame hooked up beneath neath the LPAI Act, 2010—is accountable for the green control of the ICPs. It falls beneath neath the purview of the Border Management Department of the Indian Ministry of Home Affairs (MoHA) and is tasked with developing, sanitizing, and handling the centres for cross-border motion, on the special factors alongside the worldwide border of India.

Corona impact on Bangladesh-India trade:

After the Indian authorities March thirteen imposed an embargo on Bangladeshi residents journeying to India to save you the coronavirus outbreak, many Bangladeshis couldn't visit India for business, journey, treatment, and plenty of different purposes. The journey ban will remain till April 15. However, imports and exports among the 2 neighboring international locations have felt no effect yet. The country's biggest land port Benapole is completely operative. Usually, items carried through 120-a hundred and fifty vehicles are exported at the same time as items on 350 four hundred vehicles are imported – it stays identical until date. On Sunday, items carried through one hundred thirty-five vehicles have been exported to India, and items on 380 vehicles have been imported. Benapole C&F Association Secretary Mofizur Rahman Shajan stated the exchange thru Benapole land port is ordinary and at the least 5,000 vehicles are ready in Petropole to go into Bangladesh. The different land ports are working frequently too even though the import manner has slowed because the inbound truck divers from India must undergo coronavirus tests. However, it has no essential effect on the general import. Mizanur Rahman Khan, former secretary of Jessore Chamber of Commerce, stated businessmen problem a letter of credit score 15-30 days earlier than an import. That is why there was no effect of coronavirus withinside the port. However, if the ban maintains for a few greater days there may be an impact on the exchange. To save you from the coronavirus outbreak, all of the sports across the borders of the 2 international locations had been closed, inflicting losses to businessmen within borders. There is little effect of coronavirus at the exchange at Dinajpur's Hili land port. The identical range of products weighted down Indian vehicles is getting into at gift because it turned into 10 days ago. Every day 200-250 vehicles of products are imported thru this port. However, the businessmen who exchange with different international locations are a problem. Many of their items are caught in lots of water sports activities withinside the country. As their capital is locked they may be going through losses. Shahidur Rahman Patwary Mohon, an importer from Dinajpur, stated, "International markets fell because of the coronavirus shock. Ships are coming late. A deliver containing my items reached the day earlier than the day past from South Africa, which turned into alleged to attain in February."

Truck drivers' health screening delays imports and economic loss: Like different land ports, imports in Sylhet's Tamabil port are normal. Every day, around two hundred vehicles with goods – in particular coal and stone – are imported thru the port. However, screening of the truck drivers has made an extended queue of vehicles, inflicting the variety of inbound vehicles decrease to 150-a hundred and seventy vehicles consistent with day. The imports and exports are ordinary in Chapai Nawabganj's Sona Mosque land port, Brahmanbaria's Akhaura Land Port, and Satkhira's Bhomra Land Port. Passenger motion alongside borders takes a beating with the embargo at the clean difficulty of visas. The coronavirus outbreak is but to seriously affect worldwide change alongside India's land border. However, passenger motion is extraordinarily down at maximum border gates following an embargo on the clean difficulty of visas. The coronavirus pandemic may want to push a further 1/2 of

one billion human beings into poverty, useful resource charity Oxfam has warned, stressful that international leaders incorporate the financial fallout and cancel $1 trillion of growing nations' debt bills in 2020. Oxfam is ringing the alarm for richer countries to conform to an "Economic Rescue Package for All", which could permit the governments of terrible nations to offer coins to the ones who've misplaced their livelihoods. The name comes beforehand of important gatherings of the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and Group of 20 (G20) finance minister's subsequent week. More than 1,000,000 Bangladeshi garment workers - eighty percent of whom are women - have already been laid off or despatched domestic without pay after orders from western apparel manufacturers have been cancelled or suspended.

Conclusions: Coronavirus has a greater effect on alternate and trade within side the complete world. The enclave human beings of West Bengal mainly in Mekliganj have relied upon their each day profits without delay or not directly on each day export and import among India and Bangladesh. PM Modi's Dhaka go to to be rescheduled as Bangladesh postpones grand celebrationsof 'Mujib Borsho' he assertion to put off the occasion got here hours after the Institute of Epidemiology, Disease Control and Research showed that 3 human beings in Bangladesh have been examined fantastic for COVID-19. Honourable Prime Minister Narendra Modi's Dhaka go to might be rescheduled as Bangladesh has determined to put off the grand beginning centenary celebrations of Sheikh Mujibur Rahman on March 17 amidst COVID-19 fears. Coronavirus should push 1/2 of 1000000000 human beings into poverty, in line with the ILO file forty crores of Indian each day labour will be afflicted by their activity area through this epidemic. There changed into about 2000 each day labour worried within side the Petrapol border alternate. The labourer mainly from numerous districts of West Bengal, Bihar, and Jharkhand country. Transport commercial enterprises from numerous districts of West Bengal, Bihar, and Jharkhand country. Transport commercial enterprise area has performed a primary function on this alternate and from truck driving, force to truck proprietor has suffered from this case of coronavirus. Exporters, importers, and clearing forwarding dealers are without delay tormented by the COVID 19 situation. Overall our u . s . and West Bengal country without delay and different states not directly have been economically struggling at gift situation.

References -

(1)https://affairscloud.com/india-Bangladesh-prime-ministers-jointly-inaugurated-Benapole-Petrapole-ICP/ April 10, 2020.

(2)https://www.orfonline.org/research/integrated-check-posts-on-the-india-bangladesh-border-a-field-survey-and-brief-analysis-54559/

(3)https://www.lostwithpurpose.com/india-bangladesh-border/

(4)https://en.wikipedia.org/wiki/Petrapole

(5)https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/coronavirus-impact-pm-modis-dhaka-visit-to-be-rescheduled-as-bangladesh-postpones-grand-celebrations-of-mujib-borsho/articleshow/74559691.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

(6) Banskota, N.P. 1981. "Nepal Towards Regional Economic Cooperation in South Asia", Asian Survey, March.

(7) Chanda, R. 2011. Integrating Services in South Asia: Trade, Investment and Mobility, Oxford University Press, New Delhi.

(8) India. Ministry of External Affairs. 2008. India's Chairmanship of SAARC, SAARC Division.

(9) Indian Technical and Economic Cooperation Programme. 2015. ITEC civilian training programme. ITEC, Ministry of External Affairs, Government of India. Retrieved from: http://itec.mea.gov.in/?1396?000.

(10) Rana, P.B. 1997. "Reforms in Bangladesh: A Comparative Assessment in Relation to Other South Asian Countries". The Bangladesh Economy in Transition. Oxford University Press. Delhi.

(11) Das, Ram Upendra. 2009. "Regional Economic Integration in South Asia: Prospects and Challenges", Discussion Paper # 157, New Delhi: RIS